

Vol. 5, No. 1
January - March, 2017

ISSN : 2321-5607



SOCIO-ECONOMIC PERSPECTIVES

A Quarterly Refereed Journal

**CITE THIS "VOLUME AS 5, NO. 1
SOCIO-ECONOMIC PERSPECTIVES"
(JANUARY TO MARCH, 2017)**

@Publishers

The "Socio-Economic Perspectives" Journal is published quarterly. Contributions to the Journal are invited in the form of articles, notes and case comments. Contributions to the Journal should be sent as an attachment to this mail id: **socioecopj2015@gmail.com**

Akhil Bhartiya Samajik Vikas Evam Kalyan Samiti shall be the sole copyright owner of all the published material. Apart from fair dealing for the purposes of research, private study or criticism, none of the part of this Journal may be used in any form whatsoever without prior written permission from the publisher.

The editors, publishers and printers shall not be responsible, in any case, for the views/research papers/articles/book reviews given by the contributors. Contributors are completely responsible for any type of plagiarism or errors, if found.

Published by

Prof. A.N. Singh

Editor-in-Chief

Socio-Economic Perspectives Journal

An Official publication of

Akhil Bhartiya Samajik Arthik Vikas Samiti

1/135, Viram Khand, Gomti Nagar,

Lucknow (U.P.)- 226010, India

e-mail: socioecopj2015@gmail.com

Printed By

Shivam Printers

C-165, Nirala Nagar, Lucknow.

SOCIO-ECONOMIC PERSPECTIVES
(A QUARTERLY REFEREED JOURNAL)

Editorial Board

Patron

Prof. R.P. Singh

Former Vice-Chancellor, University of Lucknow, Lucknow

Editor-in-Chief

Prof. A.N. Singh

Managing Editor

Dr. Vivek Kumar Singh

Executive Editor

Dr. Muhammad Nayim

Dr. Ashish Ranjan

Assistant Executive Editors

Dr. Archana Singh

Dr. Chet Narayan Patel

Dr. Leena Singh

Dr. Shikha Singh

Dr. Santosh Kumar

SOCIO-ECONOMIC PERSPECTIVES

(A QUARTERLY REFEREED JOURNAL)

Article Review & Advisory Board

Prof. Balraj Chauhan

Former Vice Chancellor,
Ram Manohar Lohia,
National Law University, Lucknow

Prof. A.K. Singh

Vice-Chancellor,
Shri Ram Swaroop Memorial University,
Lucknow.

Prof. A.B. Singh

Department of Sociology &
Social Work,
Banaras Hindu University, Varanasi

Prof. R.B.S. Verma

Ex-Head,
Department of Social Work,
University of Lucknow

Prof. Sanjay Bhatt

Ex-Head, School of Social Work
Delhi University, Delhi

Prof. A.N. Singh

Ex-Dean, Faculty of Social Work,
M.G. Kashi Vidyapeeth, Varanasi

Prof D.K. Singh

Head,
Department of Social Work
University of Lucknow

Dr. Shailja Singh

Head,
Department of Sociology & Social Work
D.S.M.N.R. University, Lucknow

Prof. Ankur Saxena

Faculty of Social Work
The Maharaja Sayajirao
University, Baroda, Gujrat

Dr. Mridul Srivastava

Assistant Registrar,
R.M.L. National Law University,
Lucknow

Prof. Pratibha J. Mishra

Head, Department of Social Work
Guru Ghasidas Vishwavidyalaya,
Bilaspur

Dr. Durgesh Kumar Srivastava

Assistant Professor,
Department of AIH & Archaeology,
University of Lucknow

Dr. P.N. Pathak

Administrative Officer,
University of Lucknow, Lucknow

SOCIO-ECONOMIC PERSPECTIVES
(A QUARTERLY REFEREED JOURNAL)

Volume 5, No. 1 (January to March, 2017)

Membership Fees

Membership	Individual	Institutional	Foreign
Annual	Rs. 1200/-	Rs. 2500/-	\$100
Life Membership (Up to 10 Years)	Rs. 5000/-	Rs. 10,000/-	\$200

* The draft or Cheque for member should be sent in favour of:

The Editor-in-Chief
Socio-Economic Perspectives Journal
1/135, Viram Khand, Gomti Nagar,
Lucknow (U.P.)- 226010

** The membership fees can also be deposited directly or through NEFT favour of :

The Editor-in-Chief
Socio-Economic Perspectives Journal
Bank: Indian Overseas Bank
Branch: BSIP (1873), University Road, Lucknow- 226007
SB Account Number: 187301000003252
IFSC: IOBA0001873
MICR: 226020021

Editorial correspondence should be addressed to:

Prof. A.N. Singh
Editor-in-Chief
Socio-Economic Perspectives Journal
1/135, Viram Khand, Gomti Nagar,
Lucknow (U.P.)- 226010, India
e-mail: socioecopj2015@gmail.com

CONTENT

S. No.	Title of the Paper	Author	Page No.
1.	A Study of Electrification of Vehicles In India	Vijendra Singh Prof. D.S.Rana	1
2.	An Economic overview on Indian Phillips Curve: Inflation and Unemployment	Dr. Shekhar Kesharvani Dr. Sandeep Agrawal	8
3.	An Empirical Study on Identifying Important Issues Related to Income Support After Retirement	Sakshiand Vasudeva Ravindra Singh	25
4.	Sustainable Development through Innovation and Entrepreneurship in India: A Study	Dr.Mohd Furqan Saniah Aziz	49
5.	A Study on Awareness of Reproductive Health Problems Among School Going Adolescent Girls	Neha Mishra	65
6.	Saving and Investment Patterns of Employees of Education sector in Sagar District	Rajat Kumar Kamboj Prof. R.C. Gupta	76
7.	आंचलिक परम्परा में फणीश्वरनाथ रेणु का स्थान	अनिरुद्ध गोयल	85
8.	कन्या भ्रूण हत्या : कारण एवं निवारण	बेबी सबीना	94
9.	बालश्रम की वर्तमान स्थिति का समाज कार्य अध्ययन" (देहरादून स्थित दीपनगर के विशेष सन्दर्भ में)	नीरजा सिंह	113
10.	डॉ० श्यामाप्रसाद मुखर्जी और कश्मीर समस्या	पीयूष कुमार श्रीवास्तव	135

S. No.	Title of the Paper	Author	Page No.
11.	भारत में लैंगिक विषमता की स्थिति एवं शैक्षिक बदलाव	डॉ० सुषमा अग्रवाल	139
12.	शैक्षिक समावेशन, चुनौतियां और व्यवहारिक समाधान	त्रिलोकी सिंह	151
13.	सहभागीय ग्रामीण मूल्यन (पी.आर.ए.) एवं ग्रामीण विकास	डॉ. बिजेन्द्र प्रधान आद्या, सोमी प्रधान	164
14.	Livelihood Prospects: a critical review of Street vending in Delhi	Shabab Ahmad Prof. Darshan Singh	172
15.	एकल महिलाओं की समस्यायें, कारण एवं समाधान	डॉ. अजय कुमार त्रिवेदी डॉ० मुहम्मद नईम	178
16.	बच्चों की मनोसामाजिक स्थिति पर इलेक्ट्रानिक मीडिया का प्रभाव	डा. विवेक कुमार सिंह श्वेता शाही	191

A STUDY OF ELECTRIFICATION OF VEHICLES IN INDIA

Vijendra Singh* Prof. D.S.Rana**

Abstract

Hyundai Kona EV is creating buzz in the Indian market as once charged it can run a distance of 546km, costing 22 to 25 lakh. This shows an insight of future EV market. The paper highlights as to why the automobile market turn its axis to EV. The market conditions of India, its government's initiatives, opportunities and challenges likely to be met.

Keywords: Electric Vehicles (EV), global warming, into Hybrid Electric Vehicles (HEV), battery electric vehicle (BEV) and plug-in hybrid electric vehicle (PHEV).

Introduction

The electric vehicles (EV) are in its infant stage. The early adaptors buy it for environment sake and do not care for the premium prices. According to International Energy Agency forecast its sales will grow from 3 million to 125 million by 2030. Electric vehicles is not a new concept, it came into existence in nineteenth century. In 1884 the first electric car was invented by Parker. In 1990, there was a wave of manufacturing of electric vehicles by companies like Renault, Peugeot and Citroen but the market was quite immobile that time. Recently Texla is single-handedly growing in the sluggish market, and is becoming the game changer in global market, as alone in US its sales reaches 17 million. The car can cover 400 km today. By 2020 its priced will be halved and storage capacity shall double. When it comes to production and sales of Electric Vehicles (EV) China seems far ahead, reaching a global sales of 59% by 2025. It also excels in charging points growing at a fast rate, by 2020 its charging points will reach a target of 4 million and 12000 charging points

Why Electric Vehicles are the future?

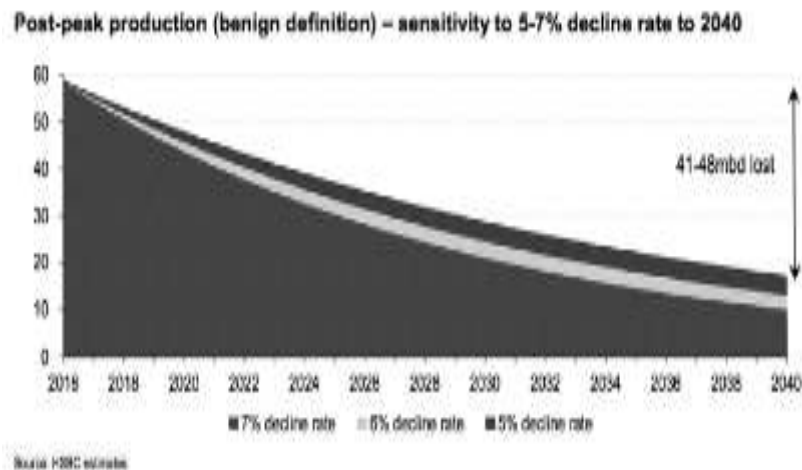
Oil Demand

HSBC staffs Kim Fustier, Gordon Gray, Christoffer Gundersen,

* Vijendra Singh Research Scholar(Commerce), M.L.B. Govt. College of Excellence, Jiwaji University Gwalior

** Prof. D. S. Rana (Commerce) M.L.B. Govt. College of Excellence, Jiwaji University, Gwalior

argues that in the future there will be an enormous glut of oil in future. It says that 81% of the production of liquid oil is already in decline. No new oil discoveries are being done. Improvement in production and drilling efficiency will decline too. Making it difficult to combat with the demand. The following graph shows the decline in the production of oil in the future.



Source: <https://www.businessinsider.in/People-are-almost-completely-ignoring-a-looming-crisis-for-oil/articleshow/54049060.cms>

Global Warming, bringing temperature 2 degree below.

The gradual increase in the world's temperature known as global warming is a threat to the world. Scientist from the Intergovernmental Panel predicts global rise in global temperature between 1.4 to 5.8 degree Celsius by 2100, posing a threat to the Paris agreement to bring down the temperature by 2 degree. Countries like UK plans to follow "Road to Zero", to become world leaders in ultra low emission by 2030, and banning petrol and diesels cars. The government of India launched the 'National Electric Mobility Mission Plan (NEMMP) 2020, under the Paris agreement to address the issues of pollution and carbon emission. It has promised to reduce green house emission per unit of GDP by 33% to 35% below by 2030 and decrease the consumption of fossil fuel. Xue et.al (2015) shows how greenhouse gas emission gets reduced with EV. Anair(2012) In the report by Union of Concerned Scientists states that it will not only reduce emission but also reduce fuel cost.

Reduction of Greenhouse Gas drastically

Table 1.2. ELECTRIC VEHICLE EFFICIENCY RATINGS

2012 MODELS	MITSUBISHI "i"	FORD FOCUS EV	NISSAN LEAF	CHEVY VOLT
ELECTRIC EFFICIENCY (kWh/MILE)	0.3	0.32	0.34	0.36
ENERGY EFFICIENCY RATING (MILES PER GALLON OF GASOLINE EQUIVALENT)	112	105	99	94

Source: www.fueleconomy.gov.

Source: https://www.ucsusa.org/sites/default/files/legacy/assets/documents/clean_vehicles/electric-car-global-warming-emissions-report.pdf

Demographic changes

Research states that demographic changes and economic growth rate will affect the demand of oil, which is flat in many cases and studies. This brings the need to seek alternative source of energy to be used in transportation. The government around the globe believes in the switch from conventional fuel to electric car. It will slowly increase the demand of EV. No doubt there will be a population explosion, a population growing from 7 million to 11 million in future. According to the CGEP survey and analysis the population growth will decline by 2050, and primary reason being decline in fertilization, urbanisation and education level.

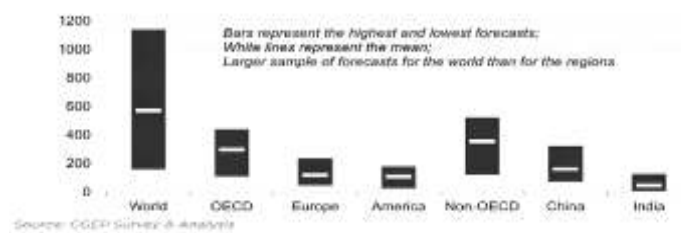
Cost Benefit

Xue et.al (2015) in their Cob Douglas Utility preference for EV shows that there is strong cost benefit. All that is required is government incentives and subsidies. The cost of electricity for EV is 45% cheaper than cost of petrol and diesel. (Kumar et.al.) For passenger vehicles the fuel cost will be reduced to Rs 1.04/km for private e-vehicles and Rs 1.16/km for public (taxis) e-vehicles. This will be a huge reduction in comparison to the fuel cost of Rs 4/km (petrol) and Rs 3.2/km (diesel). Even the total cost of ownership is less.

Electric Vehicles in India

India is one of the top ten leading automobile markets in the world. With the increase in upper middle class families and urban class, EV has immense potential and shall become EV 3rd largest market till 2020, reaching USD 6978 million by 2030, with 20.61% CAGR. Electric vehicles in India have been classified into Hybrid Electric Vehicles (HEV), battery electric vehicle (BEV) and plug-in hybrid electric vehicle (PHEV). BEV sold 70% of EV till 2017. Niti Aayog and Rocky Mountain Institute (RMI) have launched its FAME II Scheme, setting a sales target of 30 percent of private cars, 70 percent of commercial cars, 40 percent of buses and 80 percent of two- and three-wheelers by 2030. But the unstable government policy is a blow on the EV market, as FAME II reduced subsidy on lead acid Battery which was Rs.9000 and on Lithium ion batteries subsidy is being halved by the new policies. The following table shows the sales of EV in India globally.

Forecast of regional views on the size of the electric vehicles fleet in 2040 Million.



Sources: https://energypolicy.columbia.edu/sites/default/files/pictures/CGEP_Electric%20Vehicles%20and%20Their%20Impact%20on%20Oil%20Demand-Why%20Forecasts%20Differ.pdf

Challenges before the Electric Vehicles in India.

Bringing electric vehicles in market requires shift in cultural thinking, promotion of using public transport instead of private vehicles, as youth of urban areas prefer app based cabs in place of personal cars. The following factors shows sluggish growth in EV

- **Shortage of engineers:** Electric vehicles are an emerging market, and there is a demand and supply gap of engineers. The demand shall increase three folds to 15,000, where else the demand is 10,000

- **Electricity supply:** Power issues, load shedding, irregular electricity supply is common in India, Cars like Mercedes-Benz EQC and Audi e-tron for 80% charging need 30-40 minutes of time. The electricity will be supplied by distribution grid, limiting the supply of electricity, flux of vehicles, and congestion at charging points, will require charging management.
- **Dealer reluctance:** Electric vehicles are cheap to run and do not have requirement like engine oil, injector clean ups, or tuning, where the dealers of car sales gain more. Thereby bringing reluctance among dealers towards EV. Lack of awareness among them and the complicated subsidy reimbursement policy of government.
- **Infrastructure:** 'National Electric Mobility Mission Plan (NEMMP) plans to switch the nation to EV by 2030. Infrastructure will be a greatest challenge before the government, Charging points, condition of the road, lack of industrial standards, lack of public safety. Parking areas scarcity etc.
- **Manufacturing of battery:** India lack the technical competency in the production of Lithium ion batteries and other electronic components, which the nation imports, third largest import after oil and gold. China happens to be ahead in the technology. In India it will require battery capacity of about 400 GWh (gigawatt hours) each year, which, as per research conducted by Council on Energy, Environment and Water (CEEW), is equivalent to increasing the current global EV battery production by a factor of four, just to cater to the Indian EV market. Lithium is available in nine countries, the demand of it, has lead to an increase in the prices of lithium. India will require 40,000 tonnes of lithium by 2030; where else the global current production is 32,000 tonnes.
- **Limitations of EV:** With a speed of 70 miles per hour, EV is still a poor bet on highway.
- **Awareness:** Awareness is still a problem in India. The government need to promote EV just as it did for LED. A survey suggests EV can be craze in youth, where else old section appears to be least interested.

Suggestions & Conclusion

Electric Vehicles is an infant market in market. States like Telangana are encouraging by providing charging points by PPP, road tax exemption.

Pilot studies for different cities, supply of subsidised E-bus as the cost of E-bus is more than the regular bus. The department of Heavy Industry (DHI), Bureau of Indian Standard (BIS) and Department of Science and Technology (DST) are working together to build indigenous standards of charging, to reduce the cost making charging points. Indigenous companies like Ashok Leyland plans to partner with Tesla. Cash Subsidy can never push sales; it's the economical criteria that will work. Smart small charging points will help to reduce the load of mass charging points. Charging Station Selection (CSS) server through mobile network, informing about the available charging point to reduce waiting time for heavy vehicles. Private vehicles can have charging points in shopping malls, homes, offices etc. Research has shown that people are 20 times as likely to buy an electric vehicle if there is access to charging at their workplace (SIAM,2017). A nascent market like India where 75% of electricity is received from fossil fuel, the market is still uncertain and full of doubts, hybrids - vehicles that run on both battery and internal combustion (IC) engines is the best solution to be followed. The transition has begun with 2- wheelers and 3-wheelers fleet, moving on to buses, and private cars and heavy vehicles will take time. A mix of plug-in-battery and battery swapping should be used. In order to curb pollution the government plans to ban BS IV from 2020, making travel by public transport expensive. The total cost of ownership of 2W and 3W is lower, even though the acquisition cost is high, the operational cost is low. The government can provide fiscal measures like exemption in income tax GST, road tax and lower interest rates etc, investors to have 100% electricity duty exemption. Non fiscal exemption in permits, lower insurance rate etc. Corporate should establish charging points as CSR activity. Oil companies should provide charging points on highways etc. states like Karnataka, Telangana, Delhi, Andhra Pradesh, Uttar Pradesh, Maharashtra, Kerala, Uttarakhand are boosting ahead in EV in India and hope for the rest.

References

- Mierlo, Joeri Van. (2018) *"The world electric vehicle journal, the open access journal for the e mobility"*
- Deborad Matthew.(2019). *Business insider. "Despite a bad quarter, Tesla is singlehandedly growing the sluggish electric car market"* retrieved from <https://www.businessinsider.in/Despite-a-bad-quarter-Tesla-is-singlehandedly-growing-the-sluggish-electric-car-market/articleshow/68726487.cms>
- Verma Prachi. (2018) *"Electric vehicle makers face shortage of engineers"* Retrieved from <https://economictimes.indiatimes.com/industry/auto/auto-news/electric-vehicle-makers-face-shortage-of-engineers/articleshow/65816392.cms>

- DTE Staff. (2017) "India could achieve its 2030 climatic targets. Retrieved from <https://www.downtoearth.org.in/news/climate-change/-india-could-achieve-its-2030-climate-targets--59067>
- Martin Will.(2016) " People are almost completely ignoring a looming crisis for oil."Retrieved from <https://www.businessinsider.in/People-are-almost-completely-ignoring-a-looming-crisis-for-oil/articleshow/54049060.cms>
- <https://www.livescience.com/topics/global-warming>
- Anair Don (2012). *State of Charge. "Electric Vehicles Global Warming Emissions and Fuel Cost Savings across the United States."* Retrieved from https://www.ucsusa.org/sites/default/files/legacy/assets/documents/clean_vehicles/electric-car-global-warming-emissions-report.pdf
- DiChristopher, Tom (2018) "Electric Vehicles will grow from 3 million to 125 million by 2030, International Energy Agency forecast." Retrieved <https://www.cnbc.com/2018/05/30/electric-vehicles-will-grow-from-3-million-to-125-million-by-2030-iea.html>
- Bricker, Darrell. (n.d). "By the end of this century, the global population will start to shrink." Retrieved from <https://medium.com/s/story/by-the-end-of-this-century-the-global-population-will-start-to-shrink-2f606c1ef088>
- Anonymous. (2018). Outlook. "Opinion: India's electric vehicle challenges." Retrieved from <https://www.outlookindia.com/website/story/opinion-indias-electric-vehicle-challenge/320615>
- Krishan, Vishal. (2019). "India can save Rs.17, 000 crore if electric vehicles hit the road by 2030: Niti Aayog and RMI". Retrieved from <https://yourstory.com/2019/04/electric-vehicles-india-niti-aayog-savings>
- Sharma Nishant. (2019) "India dealt a blow to its best selling electric vehicle. But all is not lost." Retrieved from <https://www.bloombergguint.com/bq-blue-exclusive/india-dealt-a-blow-to-its-most-selling-electric-vehicle-but-all-is-not-lost>
- Praveen Kumar and Kalyan Dash (2013) "Potential Need for Electric Vehicles, Charging Station Infrastructure and its Challenges for the Indian Market" Retrieved from https://www.ripublication.com/aeer/61_pp%20%20%20471-476.pdf
- Kumar Shailendra, Chaudhary S.K, Chetnan Kn. (2018) "Commercial viability of electric vehicles in India" Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/326464835_Commercial_viability_of_electric_vehicles_in_India
- Anonymous (2018). Government of Uttarakhand .Automobile Sector. "Manufacturing of Electric Vehicles (Passenger Cars) Retrieved from <https://investuttarakhand.com/themes/backend/investible/IP-UK-Auto-Manf%20of%20EV.pdf>
- Shukla, Prateek. (2017) Business World. "Why electric vehicles in India having sluggish growth? Retrieved from <http://www.businessworld.in/article/Why-Electric-Vehicles-In-India-Having-Sluggish-Growth-/05-06-2017-119496/>
- SLAM. (2017).SLAM "Adopting pure electric vehicles: Key policy enablers." Retrieved from [http://www.siam.in/uploads/filemanager/114SLAMWhitePaperon Electric Vehicles.pdf](http://www.siam.in/uploads/filemanager/114SLAMWhitePaperon%20Electric%20Vehicles.pdf)

AN ECONOMIC OVERVIEW ON INDIAN PHILLIPS CURVE: INFLATION AND UNEMPLOYMENT

Dr. Shekhar Kesharvani¹, Dr. Sandeep Agrawal²

Abstract: -

The paper has investigated the tradeoff Phillips curve in India, the illustrative cover yearlong statistics data 2002- 2017 & identify that trade-off Phillips curve endure in the India for both long and minuscule run. It is immovable long or extensive run trade-off combination between Inflation, unemployment and Real GDP rate in the India. open economy of Phillips curve manifest that both the straggle period inflation & future inflation are statistically significant play predominant role but coefficient of dawdle period inflation is quantitatively larger than the anticipate inflation which connote that price setting behavior is dominantly retrograde looking in India.

JEL classification: C13; C32; E31.

Keywords: Phillips curve; Inflation, Real GDP and unemployment

Introduction

The Phillips curve (1958), which switches b/w the unemployment and the inflation rate, has long been discussed in economic literature. Various research studies have examined this relationship, including Phelps (1967), Leijonhufvud (1968) and Brinner (1977) and advocated the Phillips exchange rate curve had not working in developed world & deviated from the real wealth. Friedman (1968) prepended that the Phillips Compensation Curve would not have existence in extensive run as it alliance is transient & random. On the second aspect, Fuhrer (1995) suggests that the Phillips exchange curve was dynamic in the UK. In fact, it is often used for studies of macroeconomic Models. Malinov and Sommers (1997) found that Phillips Compensation Curve is viable & substantial for multifarious

1. Lecturer, Bundelkhand Institute of Engineering Technology, Jhansi U.P, India

2. Assistant Professor, IEF Department, Bundelkhand University Jhansi U.P, India

OECD countries.³ From a theoretical view of Friedman(1968)⁴ suggested that long or extensive run there is no analogy between inflation rate and unemployment rate of the state of demand. There is one essence on this substance amid the most of economists. However, the 'long or extensive run' is an abstract aspect & economic postulate is proffered no enlightenment how long the long or extensive run may be in practice⁵.

However, it is generally hypothesized that it is correlation b/w inflation and demand from the Indian wealth or economy. The strapping needs the higher inflation gap. This compensation is identifying the Phillips curve. The discovery of this relationship in practice, however, has shown many difficulties⁶.

It is coined to note that these relationships are known to be non-invariant over time. In another aspect, researcher can discover a sensible relationship that should be maintained in a stated economy at a given duration of time. The few point (undisclosed) in the future, however, it will collapse. This study examines whether it is possible to identify breakpoints and whether it makes figure to speak of identify between short including extensive or long term behavior of the wealth of economy. In this article, we consider a dataset that spans more than 35 years, using annual data in the country's economy, India. Most Phillips curve instability studies

-
3. *Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) members countries refer to Australia, Austria, Belgium, Canada, Czech Republic, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Japan, Korea, Luxembourg, Mexico, Netherlands, New Zealand, Norway, Poland, Portugal, Slovak Republic, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, United Kingdom and United States.*
 4. Friedman, M. (1968) *The Role of Monetary Policy*. *American Economic Review*, 58, 1-17.
 5. *On this point, see Atkinson (1969) for a fascinating analysis. The study looks at the time dimension of different models of economic growth. It is argued here in that an understanding of the speed of change of key variables within the model is crucial in terms of evaluating the model's predictive power and that the long run could be very long in deed.*
 6. *For example, there is no consensus as to the variable or variables which should be used empirically to express the level of demand. Unemployment is frequently used, and was indeed chosen for the seminal article on the Phillips curve attempting to describe the relationship between inflation and the level of demand in pre-First World War Britain (Phillips, 1958). But even then, different researchers may estimate different functional forms for any particular empirical relationship*

use only post-war data to pak India. Our important contribution is to operate the statistical method of fuzzy congregating to these datasets. It is main focus to note that the diffuse grouping has the prime property of conveying the main vigour of the consortium of a given inflation & unemployment scrutiny with a distinctsegment instead of generate thecategorization. On the basis, we believed that the approach provides a characterization of instability. The results of our analysis show that volatility of Indian Phillips curve is relevance in the statistics& it is not degree of purificationthe functional configuration or the econometric method will solve this issue, at least in the contemporary situation scientific mastery ofthisstuff. , There have two main rationales for relevanceunpredictability of Phillips' factual curves. The vital capitalist economies control at all times one of their different inflation / unemployment regimes.

The likelihood of remaining in time in the regime that is currently being obtained is high, but there is likelihood to switch to another regime, and we can get factual estimates of the passageprospect matrices. In another expression, it may be swifttransformation that show dramatic changes in Phillips curve. Moreover, economies do not pass from one segment to another, but the scrutiny within a particularrule have dissimilarlevel of associateship. We note that the portion of membership of the inflation / unemployment segment fluctuate constantly over time in a given segment. The economic determinants of the consequencenarrated here are. There are frequent changes / shocks / change in economic behavior that shift economies from inflation and unemployment segment to one more & saliently beyond that, thereis a incessantpattern of small alters that change thescrutiny can be characterized as belonging to the selfsame dominion.

2. Literature of Review

Phelps (1967) & Friedman (1968)⁷, among convergent process, they had two of the first wordsmith to review Phillips' (1958) original concept of Phillips curve. Friedman asserted that Phillips' relationship only lasted in minuscule or short term and both wordsmith suggests that employers and

7. Phelps, E.S. (1967) *Phillips Curves, Expectations of Inflation and Optimal Employment over Time*. *Economica*, 3, 254-281.
Friedman, M. (1968) *The Role of Monetary Policy*. *American Economic Review*, 58, 1-17.

employees would only pay real wages in long run and that the unemployment speed would remain at a abiding level called "rate" of course

Unemployment or inflation % rate of non-accelerated unemployment rate (NAIRU)⁸. In the extensive term, barely NAIRU had be regular with a stout inflation and unemployment% rate. The addition of this "natural rate", besides straightforward track of adaptation conjectures (Cagan, 1956, Nerlove, 1958)⁹ in Unemployment Influence connection had mentioned as the "expected Phillips Curve". In this context, Friedman proposed a clear indication b/w the short and extensive term Phillips curve. In minuscule term, the curve is tilted downstairs; nevertheless entirely inelastic curve will persist in the extensive or long term. The stagflation recorded in 2nd half in 1960s & 1970s brought up to date knowledge about economic notion and the conference was revised: The hypothesis of the cogent expectation of the new classical economists cast doubt on deviation uniform in the minuscule or short term, but anew the Keynesians based themselves on the recommendation of a minuscule or short-term Phillips curve characterized by rigidities in ceremonial & actual wages and prices. Many authors have suggested and tried to accommodate the margin & unemployment into new Keynesian replica (Krause & Lubik, 2007, Walsh & Ravenna, 2008)¹⁰. Some of wordsmith examines how the Inflexible and unemployed flexible workers depend on the constitutional distinctive of the market & are undeviating concerned with the impact of the Philips curtain employment mart specifications.

As per Walsh & Ravenna, (2008), "the Phillips curve of search friction can identify the new Keynesian model of inflation with data" (page 1495). In contemporize work, Galí et al. (2011) advocate a formulation of Smets

-
8. Zaman, K., Khan, M. M., Ahmad, M. and Ikram, W. (2011). *Inflation, Unemployment and the NAIRU in India (1975-2009)*. *International Journal of Economics and Finance* Vol. 3, No. 1.
 9. Cagan, P. (1956) *The Monetary Dynamics of Hiperin?ation*. In: M. Friedman (ed.) *Studies in the Quantity Theory of Money*. Chicago, University of Chicago Press, 25-120.
 10. Krause, M.U. and T.A. Lubik (2007) *The (ir)relevance of Real Wage Rigidity in the New Keynesian Model with Search Frictions*. *Journal of Monetary Economics*, 54, 706-727
- Ravenna, F. and C.E. Walsh (2008) *Vacancies, Unemployment and the Phillips Curve*. *European Economic Review*, 52, 1494-1521

& Wouters (2007)¹¹ substructure in which unemployment and inflation rate is modeled as ancillary evident variable. In its process, they have developing the proceed toward to seeks to prevail over labor market restrictions of new Keynesian documents to calculate product aperture. Some disparate pertinent benefactions to meadow have come from Shimer in the rear most decade. For example, in Shimer (2005), this wordsmith points out that when an economy is shocked, the explore and comparison model cannot handle economic circulation variables such as unemployment and job evaluation

In summary, even though today's economists do not agree, there is some agreement that price stability will increase investment and employment over in longer term stability, and that it is no negative connection b/w inflation % rate & unemployment % rate in the India. In the minuscule term, many exchanges of views have been presented to reinforce the scheme that inflation and unemployment can be contrary allied. In fact, the association b/w these two factors depends on the distinct economical frame of an economy, consequently, investigation in Phillips curve (whether or not its existence and its particular form) is imperatively an verifiably issue and endures influential until the news

Phillips, himself at no time showed and furnished the deviation or curve as a political card, but they were acquainted that it can be elucidated in this track & that governments could treat it as such. In examining the impact of his exertion work on the intercontinental monetary policy or structure in direction of the climax of his introductory conference in 1962, he indicates that a "limited degree of exchange flexibility would give each country time to engage and try to find its own internal objectives." its exchange rate policy "(Laidler, 2001)¹².

The elucidation of Phillip's curve or deviation as a plan has been substantially discussed in the theory and literature based that the "natural inflation and unemployment rate" of unemployment may extremely

-
11. Galí, J., F. Smets and R. Wouters (2011) *Unemployment in an Estimated New Keynesian Model*. (Discussion Paper Series, No. 8401, International Macroeconomics, CEPR, May).
 12. Laidler, D. (2001) *Phillips in Retrospect (A Review Essay on A.W.H. Phillips, Collected Works in Contemporary Perspective)*. Economics Research Reports, Scholarship@Western. The University of Western

strenuous to dictate& identify and that curve has not probable to endure in one spot (see Laidler1997)¹³.

3. Study of Data

The secondary data during the investigation period were used from 2002 to 2017. Therefore, data are obtained from statistical data of IndexMundi (raw data from all over the world into useful information for a global audience) and from the Ministry of Labor and Employment.

3.1 Inflation, Unemployment and Real GDP Specification

Empirically study the relationship b/w inflation & unemployment in the Indian economy, in initial aspect, inflation and real GDP return to the unemployment rate to control the influence of the illustrative variables on the explanatory variables. In next or second aspect, the unemployment rate and real GDP return with inflation and another or 3rd aspect, inflation & the unemployment rate return to real GDP. From aforementioned analysis, 3 representations may be mark in its use of configuration as pursue:

$$U_{UNEMP} = f(I_{INF}, R_{GDP})$$

$$I_{INF} = f(U_{UNEMP}, R_{GDP})$$

$$R_{GDP} = f(U_{UNEMP}, I_{INF})$$

Where, U_{UNEMP} = unemployment Rate, I_{INF} = Inflation Rate, R_{GDP} = Real Gross Domestic Product

Condense the representation into a linear mathematical connection, we have,

$$U_{UNEMP} = \beta_0 + \beta_1 R_{GDP} + \beta_2 I_{INF}$$

$$I_{INF} = \beta_0 + \beta_1 U_{UNEMP} + \beta_2 R_{GDP}$$

$$R_{GDP} = \beta_0 + \beta_1 U_{UNEMP} + \beta_2 I_{INF}$$

Econometrics representation, by counting stochastic expression term* (et), thus our representation becomes;

13. Laidler, D. (1997) *The Emergence of the Phillips Curve as a Policy Menu*. In: B.C. Eaton and R.D. Harris (eds.) *Essays in Trade, Technology and Economics in Honour of Richard G. Lipsey*. Cheltenham, Edward Elgar.

$$U_{UNEMP} = \beta_1 + \beta_1 R_{RGDP} + \beta_2 I_{INF} + et$$

$$I_{INF} = \beta_0 + \beta_1 U_{UNEMP} + \beta_2 R_{RGDP} + et$$

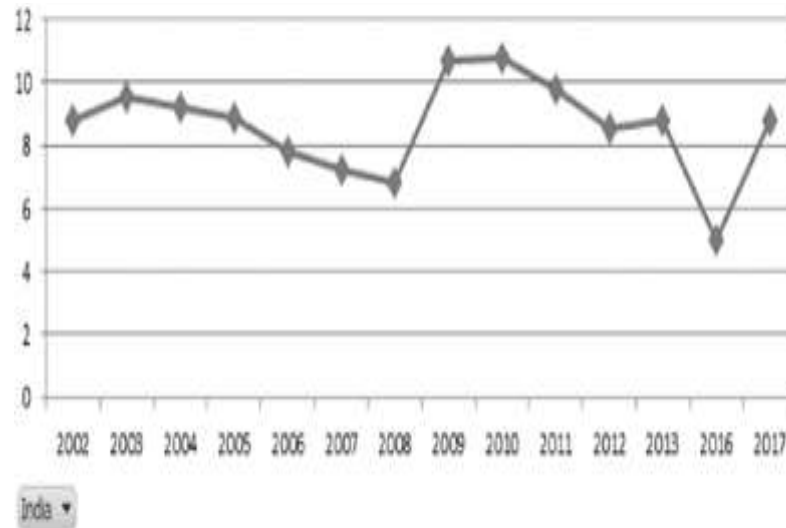
$$R_{RGDP} = \beta_0 + \beta_1 U_{UNEMP} + \beta_2 I_{INF} + et$$

3.1.1 Inflation Rate

Year	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2016	2017
Inflation Rate	8.8	9.5	9.2	8.9	7.8	7.2	6.8	10.7	10.8	9.8	8.5	8.8	5	8.8

Table 1: Rate of Inflation in India % during 2002-2017

Data Source: IndexMundi.com



Graph1. Rate of Inflation in India in % during 2002-2017

Data Source: Analysis from IndexMundi data

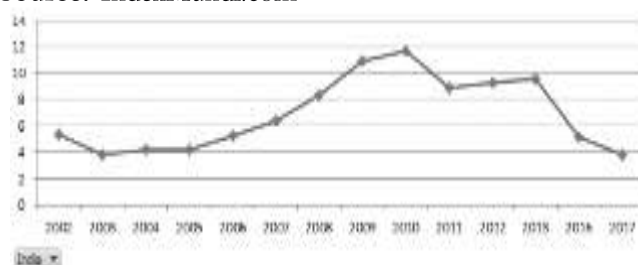
It has been visible average rate of inflation (%) in India from the period 2002-2017. In period 2008 to 2009 rate of inflation has made in greater in size by 3.9 %, and 2010 to 2011 rate of inflation has decreased by 1.0%, also lessened by 1.03 % in 2011-2012. It was lessened continually and outstretched to 5.0% in 2016. From the above consequence we could commence that state of inflation in India sometime in greater in size or lower in size i.e., shifted not linearly altered.

3.1.2 Unemployment Rate

Year	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2016	2017
Unemployment rate	5.4	3.8	4.2	4.2	5.3	6.4	8.3	10.9	11.7	8.9	9.3	9.6	5.2	3.8

Table 2: Rate of Unemployment % in India during 2002-2017

Data Source: IndexMundi.com



Graph2. Unemployment rate of India in percentage during 2002-2017

Data Source: Analysis from IndexMundi data

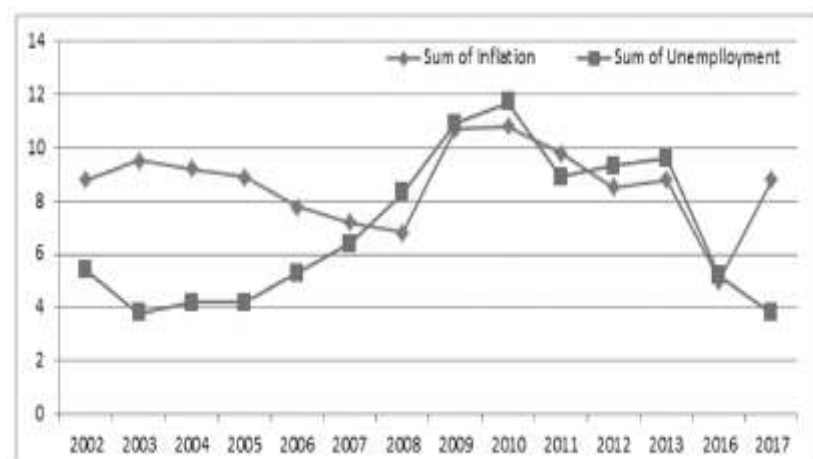
It has observed that unemployment rate is greater in size at most by 2.8 % in 2010-2011 but lessened by 0.4% in 2011-2012. It lessened continually extended to 5.2 in 2016. Unemployment rate sometime high & low as visible in the above presentation, so it is discernable and is inequality in pace of unemployment in the Indian economy. Rate of Unemployment in India is lessened by 4.4 % in 2013 to 2016. Unemployment Rate in India averaged 6.93 % from 1999 until 2017, outstretch an all-time high of 11.7 % in 2010 & registered lowest of 5.2 percent in 2016.

Short-Run Tradeoff rate b/w Inflation & Unemployment in India during (2002-2017)

Year	Inflation Rate (%)	Unemployment Rate (%)
2002	8.8	5.4
2003	9.5	3.8
2004	9.7	4.2
2005	8.9	4.2
2006	7.3	5.3
2007	7.2	6.4
2008	6.8	8.3
2009	10.7	10.9
2010	10.8	11.7
2011	9.8	8.9
2012	8.4	9.3
2013	8.3	9.6
2016	5	5.2
2017	8.8	3.8

Table 3. Rate of Inflation % & Rate of unemployment % in India 2002-2017

Data Source: IndexMundi.com



Graph3. Unemployment& Inflation rate of India in percentage during 2002-2017

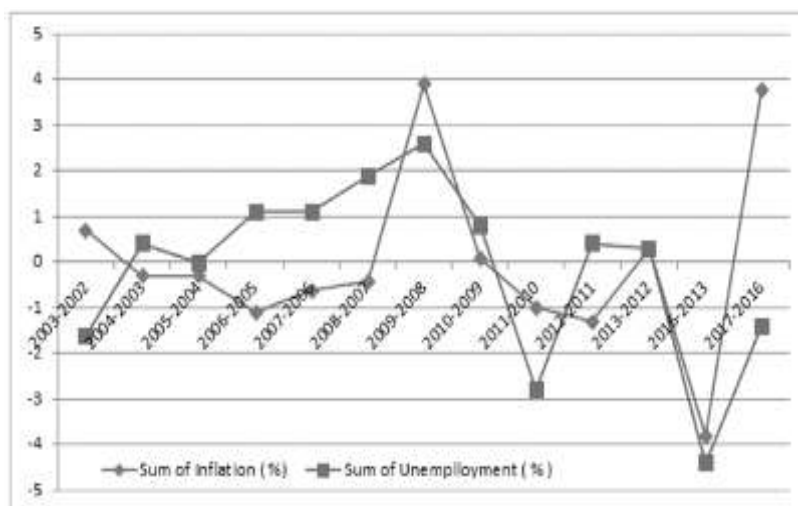
Data Source: Analysis from IndexMundi data

Table 3 shows whether the Phillips curve exists in the Indian economy during the IP. The Phillips curve measures an inverse correlation between inflation & short-term unemployment. The table below shows fluctuations of inflation - the unemployment rate of the previous year.

Relationship between inflation- unemployment in India 2002-2017

Years	Inflation (%)	Unemployment (%)
2003 Over 2002	0.7	-1.6
2004 Over 2003	-0.3	0.4
2005 Over 2004	-0.3	0
2006 Over 2005	-1.1	1.1
2007 Over 2006	-0.6	1.1
2008 Over 2007	-0.4	1.9
2009 Over 2008	3.9	2.6
2010 Over 2009	0.1	0.8
2011 Over 2010	-1	-2.8
2012 Over 2011	-1.3	0.4
2013 Over 2012	0.3	0.3
2016 Over 2013	-3.8	-4.4
2017 Over 2016	3.8	-1.4

Table4. Relationship between inflation - unemployment in India 2002-2017



Graph4. Relationship between inflation - unemployment in India 2002-2017

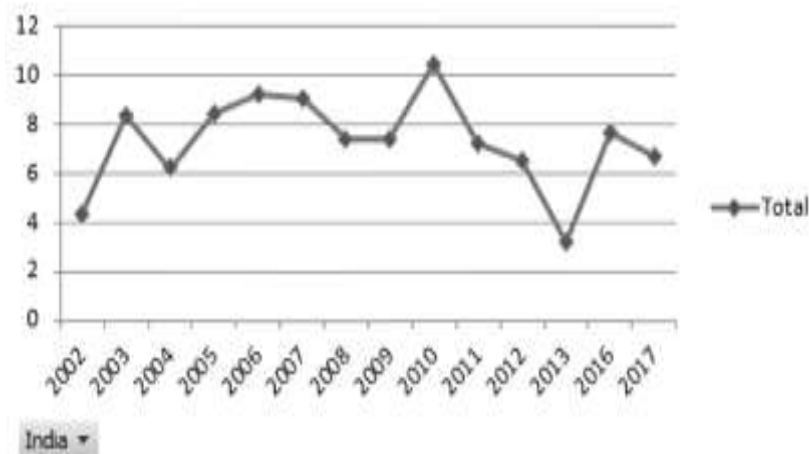
Figure manifests the discrepancy of Unemployment & Inflation % rate in India throughout research 2002-2017. Dissimilarity in the 2010-2011 visible that % rate both parameters is expanded, whereas in 2011-2012 inflation % as lessened & unemployment & also lessened as discern in the data. Likewise, in 2012-2013 both are lessened it has visible that inflation lessened while unemployment greater with size in a slight way. From over data identified that India Phillips curve notion does not existence. Consequently it could be summarized that it had no connection between inflation & unemployment in India throughout research work. The minuscule run tradeoff does not existence between inflation % pace & unemployment % pace in Indian Economy.

3.1.3 Real GDP Rate

India	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2016	2017
GDP - real growth rate (%)	4.3	8.3	6.2	8.4	9.2	9	7.4	7.4	10.4	7.2	6.5	3.2	7.6	6.7

Table 5: Real GDP rate of India in percentage during 2002-2017

Data Source: IndexMundi.com



Graph5. Real GDP rate of India in percentage during 2002-2017

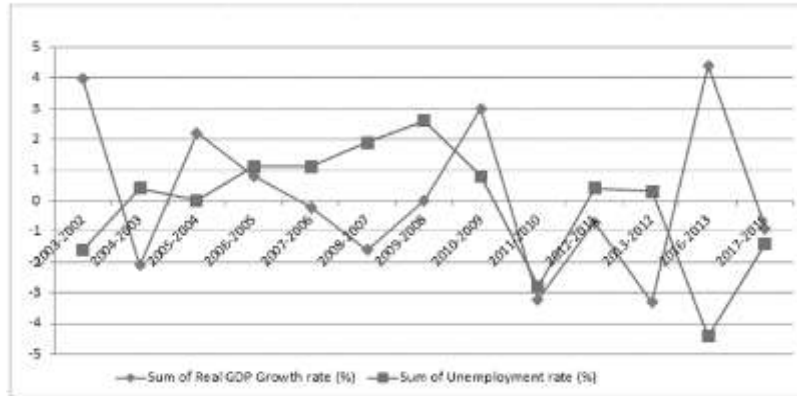
Data Source: Analysis from IndexMundi data

The above statistic indicated the swing of Real GDP of India throughout research work (2002-2017). Throughout 2010-2011 it enlarged by 3.3% and decreased by 4.4 in 2013-2016. Further, it has been lessened by 0.7% in 2012-2013; again it lessened by 3.3 % in 2013-2014 and 6.3 % Real GDP % growth in India. The Real GDP growth % might enlarge in Indian economy to construct stability economically. Underneath Real GDP is presented in growing and developing countries similar as Indian economy.

Years	Real GDP Growth rate (%)	Unemployment rate (%)
2003 Over 2002	4	-1.6
2004 Over 2003	-2.1	0.4
2005 Over 2004	2.2	0
2006 Over 2005	0.8	1.1
2007 Over 2006	-0.2	1.1
2008 Over 2007	-1.6	1.9
2009 Over 2008	0	2.6
2010 Over 2009	3	0.8
2011 Over 2010	-3.2	-2.8
2012 Over 2011	-0.7	0.4
2013 Over 2012	-3.3	0.3
2016 Over 2013	4.4	-4.4
2017 Over 2016	-0.9	-1.4

Table 6: Different Years in Trends of Real GDP (%) in India during 2002-2017

Data Source: Analysis from IndexMundi data



Graph 6: Different Years in Trends of Real GDP (%) in India during 2002-2017

Data Source: Analysis from IndexMundi data

Trends of real GDP % pace vs. unemployment % Pace in India From the reckonview in prestatation in 2011-2012 over 2010-2011 till 2013-2013 over 2012-2013 the Okun's law propositionhas not relevantduration, it explicitly exhibits in the above table presentation that law of Okun proposition is pertinent in 2014-2015 over 2013-2014. Since, it isdiscerned from the alters RRGDP growth % pace& unemployment %pace in above presentation which mightmerely be demonstrated. As per Okun's lawmaydescribed that it is no connection betwixt Real GDP & unemployment throughout 2009-2010 to 2012-2013. Yet, it is not accurate in case of 2013-2014 to 2014-2015, because Okun's theorem is relevant and Real GDP hasaccess on unemployment.

4. Result and Discussion

A year trend was added to the investigation to control for time related unobserved factor and may affect the unemployment, inflation and GDP in economic growth and Investigationstarts with illustrative statistics which will sanction us to explore the time chain properties of variables. Illustrative statistics manoeuvre in the research work isa brief statement of statistics.

Illustrative statistics of unemployment % pace, inflation % pace & real GDP % pace.

Variables	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Unemployment Rate	3.8	11.7	6.93	3.52
Inflation Rate	5	10.8	8.61	1.49
Real GDP	3.2	10.4	7.27	1.92

Table 7: Data Statics Unemployment, Inflation and Real GDP Rate during 2002-2017

In order to test the robustness of results a year effects in Table 7 describes illustrative statistics regarding unemployment %, inflation %, & GDP %. It may be clear view that lowest level & Highest level values of Unemployment have sufficient aperture in the 15th years period. The apertures specify that India's unemployment is drastic change from 2002 to 2017 and highly volatile. The lowest level and highest level utility of inflation has highest space in the 15th year's period. Apertures specify that India's inflation has erratic and big evaporative. While the difference & aperture betwixt highest and lowest values could be found relatively high, yet still erratic the few years. The figures of GDP may found minimum while in the few years it is initiated the maximum. Consequently it is also discovered vibrant.

The two equality had been taken for regression to present the outcomes of unemployment collision on inflation pace-Real GDP pace & other to visible the Real GDP pace collision on unemployment-inflation pace. The equations are:

Regression result between Unemployment – Inflation, Real GDP	
$U_{t+12} = \beta_0 + \beta_1 R_{t+12} + \beta_2 I_{t+12} + \epsilon_t$	
Result: $y = 2.803738318 \cdot 10^{-2} x + 7.029906542$	
Correlation Coefficient: r	2.285966438
Residual Sum of Squares: rss	46.42429907
Coefficient of Determination: R ²	5.225642556
Regression result between Inflation=Unemployment, RGDP	
$R_{t+12} = \beta_0 + \beta_1 U_{t+12} + \beta_2 I_{t+12} + \epsilon_t$	
Result: $y = 2.803738318 \cdot 10^{-2} x + 7.029906542$	
Correlation Coefficient: r	1.617818341 · 10 ⁻²
Residual Sum of Squares: rss	99.7624534
Coefficient of Determination: R ²	2.617336185 · 10 ⁻⁴
Regression result Real GDP= Unemployment, INF	
$I_{t+12} = \beta_0 + \beta_1 U_{t+12} + \beta_2 R_{t+12} + \epsilon_t$	
Result: $y = 2.113897956 \cdot 10^{-1} x + 7.149656416$	
Correlation Coefficient: r	3.800194874 · 10 ⁻¹
Residual Sum of Squares: rss	26.41802611
Coefficient of Determination: R ²	1.444148108 · 10 ⁻¹

Table 8: Regression Analysis for Unemployment, Inflation and Real GDP

R-square of 5.22 discrepancies in unemployment is described through Real GDP & Inflation the R-square of 5.22 discrepancies in Unemployment is described through Inflation & Real GDP & the adjusted Correlation Coefficient 2.28 difference in dependent variable is described by independent variable when the degree of freedom is taken care off. It affirms that unemployment considerably influence inflation while Real GDP has small in size considerable effect.

The R² for equation ($I_{INF} = \beta_0 + \beta_1 U_{UNEMP} + \beta_2 R_{RGDP} + \epsilon$) is 1.44 appearance that the explanatory variables (or independent variables) the explained variable (dependent variable).

R-square of 1.44 differences in Inflation %age is described through Unemployment % pace & Real GDP %3rd aspect. Also, adjusted R-square along with a value of 1.44 which manifests difference in dependent variable is described by the independent variable. The degree of freedom is arrest care off. This asserts that Inflation considerably influence unemployment while Real GDP has small considerably effect.

The R² of the model for equation ($U_{UNEMP} = \beta_0 + \beta_1 R_{RGDP} + \beta_2 I_{INF} + \epsilon$) is 0.225, appearance that explanatory variables (or independent variables) the explained variable (dependent variable).

The R-square of 2.617 variations in Real GDP growth is described through unemployment % rate & Inflation % rate in other prime aspect and also, the adjusted R-square along with a value of 2.617 difference in dependent variable is described through the independent variable when the degree of freedom is taken care off. This affirms that Real GDP considerably influence unemployment while Inflation had little considerable influence.

The R² for equation ($R_{RGDP} = \beta_0 + \beta_1 U_{UNEMP} + \beta_2 I_{INF} + \epsilon$) is 0.261, presenting that explanatory variables or (independent) the explained variable (dependent variable).

5. Conclusion and Policy Implications

Inflation is ubiquitous occurrence and everybody has impacted by the inflation and unemployment. As an economist, It is a societal responsibility to prospect the actuality indicated by Phillip's Curve i.e. higher inflation

consequences into increased job opportunity, Commodity price etc. which is lead to ultimately lead to economic growth of country. This study provides a strong empirical existence for inflation and unemployment of Philip curve of India in sort run.

Unemployment and inflation constitute a significant issue for in growing countries. Research conveyed out though the most of the noble economists disclosed that in pursuitlessen the unemployment, growing inflation can fear for any country. The Phillips curve is vertical in the absence of any indication trade-off connection. wholesomepace of unemployment in inspection indicate the pace at which authenticpace of inflation % coequals the anticipated inflation. The researcher, alternative proved extant of a Phillips curve conved out assorted experiments, operating the Indian economy as a research and economic case study. The outcomes of research work disclose that unemployment & inflation are contrary connected, Hence affirming existent of the Phillips curve in India, along with inflation having a notable collision on unemployment in India.

In this paper, we propose some improvements in the selection of government policies as follows: economic restructuring through internal growth rather than foreign borrowing methodology, Accurate modern technology, creating more sustainable employment opportunities associated with high and stable growth and will increasing real wages for workers, securing macroeconomic management at unstable prices, especially improving education, research, hospital etc.

References

- Bagliano, F.C, and Morana, C. (2003). *Measuring US Core Inflation : A Common Trends Approach*. *Journal of Macroeconomics*, Vol. 25, PP. 197-212.
- 2. Ball, L. (1997). *Efficient Rules for Monetary Policy*. *International Finance*. Vol. 2, Issue. 1, PP. 63-83.
- 3. Baitini, N., Jackson, B., and Nickell, S. (2005). *An economy new Keynesian Phillips curve for the UK*. *Journal of Monetary Economics*. Vol. 52, Issue. 1061-1071.
- 4. Ball, L. M. (1998). *Monetary Policy Rules for Open economies*. NBER, Working Paper No. 6760.
- 5. Barhoumi, K. (2006). *Differences in Long-Run Exchange Rate Pass-Through into Import Prices in Developing Countries: An Empirical Investigation*. *Economic Modeling*, Vol. 23, PP. 926-951.
- 6. Bilgees, F. (1988). *Inflation in India: Empirical Evidence on the Monetarist and Structuralist Hypothesis*. *India Development Review*. Vol. 27, PP. 119-125.

7. Calvo, G. A, Reinhart, C.M. and Vegh C. A(1995). Targeting the Real Exchange Rate: Theory and Evidence. *Journal of Development Economics*, Vol. 47, PP. 97-133.
8. Chen, H. (2009). An Empirical Study of Chinese Inflation time Lag. *International Business Research*. Vol.2, No.1. Cheng, M. Y. and H.B. Tan. (2002). Inflation in Malaysia. *International Journal of Social Economics*, Vol.29, Issue. 5, PP. 411-425.
9. Choudhri, E.U., and Hakura, D.S. (2006). Exchange Rate pass-Through to Domestic Prices: Does the inflationary Environment Matter?. *Journal of International Money and Finance*, Vol. 25, PP. 614-639.
10. Clarida, R, Gali, J. and Gertler, M. (1999). The science of monetary policy: a New Keynesian
11. Cooray, A.V (2008). A model of inflation for Sri Lanka. *Review of Applied Economics*, Vol. 4(1-2), PP. 35-44.
12. Dua, P. and Gaur, U. (2010). Determination of Inflation in an Open Economy Phillips Curve Framework: The Case of Developed and Developing Asian Countries. *Journal of Macro economics and Finance in Emerging Market Economies*, Vol. 3, Issue.1, PP. 33-51.
13. Fuhrer and Moore (1995). Inflation Persistence. *Quarterly Journal of Economics*. Vol. 110. PP. 127-283.
14. Friedman, M. (1968) The Role of Monetary Policy. *American Economic Review*, 58, 1-17.
15. Gali, J. and M. Gertler (1999) Inflation Dynamics: A Structural Econometric Approach. *Journal of Monetary Economics*, 44, 195-222.
16. Gerlach, P. (2007). A Two-Pillar Phillips Curve for Switzerland. *Swiss Journal of Economics and Statistics*. Vol. 143, Issue. IV, PP. 425-448..
17. Gruen, D. et al., (1999). The Phillips Curve in Australia. *Journal of Monetary Economics*, Vol. 44, PP. 223-258.
18. Haque, N.U. and Qayyum, A. (2006). Inflation Everywhere is a Monetary Phenomenon: An Introductory Note. *The India Development Review*. Vol. 45, Issue. 2, PP. 179-183.
19. Hasan, M.A. (1990). Phillips Curve Analysis: Some Experiences from India's. *Journal of Economic Studies*, Vol. 17 Issue:1.
20. Hossain, M., and Akhtar, D. (1986). Monetary Disequilibrium and Inflation: A Monetary Model of Inflation in India, 1963-82. *India Development Review*, Vol. 25.
21. Hossain, M. (1989). A Monetary Model of Inflation in Bangladesh, 1974-1985. *India Development Review*, Vol. 28, PP. 133-155.
22. Jones, J.D. and Khilji, N.M. (1988). Money Growth, Inflation and Causality: Empirical Evidence for India, 1973-85. *India Development Review*, Vol. 27, PP. 45-58.
23. Kemal, M.A. (2006). Is Inflation in India a Monetary Phenomenon? *India Development Review*. Vol. 45, PP. 213-220.
24. Khan, M.S., and Schimmelpfennig, A. (2006). Inflation in India: Money or Wheat. *SBP-Research Bulletin*, Vol. 2, No. 1.
25. Khan, R.E. A. and Gill, A.R. (2010). Determinants of Inflation: A Case of India (1970-2007). *J Economics*, Vol. 1. PP. 45-51..
26. Khan. A. and Qasim, M. (1996). Inflation in India Revisited. *India Development Economics*, Vol. 35, PP. 747-759..

27. Malik, W.S., But, A.H. and Tashfeen, M.A. (2007). Phillips Curve Relation over the Business Cycle: Evidence from India. *Kashmir Economic Review*, XVI, No. 1, PP. 1-16.
28. McCallum, B.T. (2001). Recent developments in analysis of monetary policy rules. *Economic Quarterly* Volume 88/1. Naqvi, S.N.H., Khan, A.H., Ahmed, A.M. and Siddique, R. (1994). Inflation in India: Causes and Remedies India Institute of Development Economics, Islamabad. perspective. *Journal of Economic Literature* 37(4): PP. 1661-1707.
29. Phillips, W.A. (1958) The relationship between unemployment and the rate of change of money wages 1862-1957, *Economica*, 34, PP. 254-81.
30. Phillips, A.W. (1958) The Relation between Unemployment and the Rate of Change of Money Wage Rates in the United Kingdom, 1861-1957. *Economica*, 25, 283-299.
31. Phelps, E.S. (1967) Phillips Curves, Expectations of Inflation and Optimal Employment over Time. *Economica*, 3, 254-281.
32. Ravenna, F. and C.E. Walsh (2008) Vacancies, Unemployment and the Phillips Curve. *European Economic Review*, 52, 1494-1521.
33. Satti, A. H.; Wasim, S. M. and Ghulam, S. (2007). New Keynesian Phillips Curve for India. *The India development Review*, 46:4, Part 11 (Winter 2007), PP. 395-404.
34. Siddiqui, R. and Akhtar, N. (1999). The Impact of Changes in Exchange Rates on Prices. A Case Study of India. *The India Development Review*, 38:4, PP. 1059-1066.
35. Zaman, K., Khan, M.M., Ahmad, M. and Ikram, W. (2011). Inflation, Unemployment and the NAIRU in India (1975-2009). *International Journal of Economics and Finance* Vol. 3, No. 1.
36. <https://www.indexmundi.com/g/g.aspx?v=66&c=in&l=en>

AN EMPIRICAL STUDY ON IDENTIFYING IMPORTANT ISSUES RELATED TO INCOME SUPPORT AFTER RETIREMENT

Sakshiand Vasudeva*, Ravindra Singh**

Abstract

Demographics in India have been changing for the past few decades as people are living longer since birth and there is increase in survival of the people after reaching the age of 60 and 70; old age dependency ratio has also increased considerably. Financial support during old age is the most important concern which can be addressed through various means. The current study is an empirical one, where respondents of the age of 60 and above were interviewed from Delhi using questionnaire on various important concerns related to income support after retirement and results were analysed using T test. The findings of the study led to various suggestions such as deficiencies in means tested social assistance pension schemes like improper coverage and rampant corruption needs to be checked. Even the scope of employer/government sponsored pension schemes need to be widened so as to cover more benefits and unorganised sector. Private pension schemes are also good, provided people get tax incentives to save and are guaranteed inflation indexed real returns. People should be encouraged to save for their retirement through various ways and there should be emphasis on imparting financial literacy for viable pension reforms.

Keywords: Demographics, Means Tested Social Assistance Pension Schemes, Employer/ Government Sponsored Pension Schemes, Voluntary Savings, Financial Literacy

* Dr. Sakshi Vasudeva, Assistant Professor, Dr. Bhim Rao Amdedkar College, Commerce Department, University of Delhi. E mail Id: sakshivasu7@gmail.com; Contact Number: 8920362425

** Dr. Ravindra Singh, Assistant Professor, Dr. Bhim Rao Amdedkar College, Social Work Department, University of Delhi. E mail Id: singhbravi30@gmail.com ; Contact Number: 9999570108

1. Introduction

Demographics in India have been changing for the past few decades as people are living longer since birth and there is increase in survival of the people after reaching the age of 60 and 70; old age dependency ratio has also increased. According to the income tax law in India, a "senior citizen" means any person who is a citizen of India and has attained the age of sixty years or above".

According to data available from SRS (2011), 'there has been a gradual decline in the share of population in the age group 0-14 from 36.3 to 29.5 percent during 1991 to 2011 due to declining fertility rates, whereas, the proportion of economically active population (15-59 years) has increased from 57.7 to 62.5 per cent during 1991 to 2011.

On the other hand, the percentage of elderly population (60+) increased from 6 % to 8% per cent during 1991 to 2011. For males it was 7.7%, while for females it was marginally higher at 8.4%. 'Population Census, 2011 also reports that' there are nearly 104 million elderly persons (aged 60 years or above) in India; 51% are females and 49% are males. The life expectancy at birth during 2009-13 was found to be 69.3 for females as against 65.8 years for males, thus women are expected to live longer than men by 3 to 4 years since birth (CSO 2011,2016). According to UN projection, the 60+ population in India will grow from 116.7 million to be over 330 million in 2050. The report also projected that nine countries which are expected to account for more than half of the world's projected population increase over the period 2015-2050 are: India, Nigeria, Pakistan, the Democratic Republic of Congo, Ethiopia, the United Republic of Tanzania, the United States of America, Indonesia, and Uganda, listed on the basis of the size of their contribution to global population growth (UN 2015).

2. Literature Review

Old Age poses various challenges & one of the most critical challenges faced is having sufficient income to meet basic needs and increasing expenses on health. This problem can be avoided if old age people have sufficient social security in the form of some employer/state sponsored pension system or financial support through family or accumulated savings/financial assets from the past income.

Financial Support During Old Age

Generous pension system has also some problems. Poland which used to have a generous defined benefit system for workers and the old age pensioners, found such system unsustainable in the long run, thus, the changes in employment policy such as 'increasing the retirement age' was proposed (Anna Kwiecińska, 2012). Moreover, state funded social assistance schemes lack universal coverage and targeted to selected few that is the poorest section of the country, therefore, second-tier pensions in the form of private voluntary savings for retirement age need to be promoted (Martinez-Gonzalez, G., & Miranda-Muñoz, M., 2012). Savings for voluntary retirement schemes also have certain problems. Holzmann, R. et al., 2000 explained low rates of participation in voluntary pension plans, with special emphasis on two Latin American countries, that is Chile and Argentina because of "high transactions costs, system design issues, and problems of credibility of pension players".

Pension System In India

The pension system in India was first introduced by the British Government after the Indian struggle for Independence in 1857. The Royal Commission on Civil Establishments, awarded pension benefits to the government employees first of all in 1881. Further, the Government of India Acts of 1919 and 1935 made further provisions for pension schemes for public sector employees. But welfare provisions were missing in all these pension schemes. The pension reforms gathered momentum in India after Independence. Various pension schemes have been set up in India since then.

The current pension system in India can be classified into four broad pillars. The first pillar contains pension schemes that cover the employees of the Central/State Government such as Civil Service Pension System (CSPS); Government Provident Fund (GPF) and National Pension system which was introduced in 2004. The second pillar covers the formal and organized sector employees in India. Schemes as covered under Employees Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 and other small pension schemes such as Coal Miners Provident Fund which was setup in 1948; Assam Tea Plantation Provident Fund established in 1955; Jammu and Kashmir Provident Fund set up in 1961 and Seamen's provident fund

established in 1966. Third Pillar is of Social Assistance Pension Schemes (Means Tested) that cover only poor persons during their old age such as Indira Gandhi National Old Age Pension Scheme (IGNOAPS); Indira Gandhi National Widow Pension scheme (IGNWPS) & 'Annapurna Scheme'.¹ There are also State Level Initiatives in Social Pension that have expanded coverage beyond BPL category by using State finances. Finally, the fourth pillar offers voluntary pension coverage financed through own savings for Unorganised sectors employees and self-employed peoplesuch as Public Provident Fund (PPF) and National Pension System² (NPS) and other private sector saving schemes³ (Borah et al., 2018). Though, India's pension system has evolved over time but there is no overarching universal program and pension systems in India suffer from limited regulation, lack of proper governance, different financing patterns for various pension schemes and no coordination among various schemes (Asher, 2009 & 2012). NPS was the step towards integrating pension programs for both private and Public Sector employees. Various factors peculiar to India such as urbanization, predominantly informal labor markets, lack of sufficient social security systems, high fiscal expenses, current pension systems applicable to formal private & public sectors which resulted in leaving elderly to rely on voluntary savings for retirement, their family support system and other institutions to meet their finances in old age (Bali, 2014). For the past few decades, pension system reforms are intensifying in all the countries including India. Pension systems in India lack universal coverage as India. Due to high incidence of poverty and unemployment, the Government cannot adopt a payroll tax financed State Pension for each and every old age citizen. Thus, most of the pension schemes are applicable for organised sector and are financed through employer-employee participation (Goswami, 2002). Pension Policy in India has traditionally been based on financing through employer and employee participation and informal sector workers thus remain deprived of enjoying formal pension benefits

-
1. *Under Annapurna Scheme, 10 kgs of food grains (wheat or rice) is given per month per beneficiary to those eligible old aged persons who have remained uncovered under the IGNOAPS.*
 2. *The NPS was subsequently extended to all citizens of the country with effect from 1 May 2009, including self-employed professionals and others in the unorganized sector on a voluntary basis.*
 3. *In 2015, the Government allowed 49% FDI in both pension sector and the insurance sector under the Automatic Route to promote private investment in pension sector.*

(Chaturvedi, M., 2015). Project OASIS recommended some pension sector reforms for expanding coverage to those in the informal sector but such reforms could not be implemented, thus, informal sector workers were ultimately left to opt for DC voluntary retirement pension schemes from private players (Dave, 2016).

Social Assistance pension Schemes in India which are means tested have various administrative aspects problems such as cumbersome procedure for registration into the social pension; delay in processing of application and final disbursement of pension amounts; disbursement through post office and irregular pension benefit payments (Dutta, 2008). Out of these problems, problem of disbursement through postoffice has largely been sorted through direct cash benefit transfers by linking of Aadhar and opening of bank accounts. Asri, V., 2017 found that exclusion of elderly poor continued to be high due to lack of awareness and corruption in extending coverage to eligible poor. Many non-poor having an access to local government officials were more likely to access social pension benefits than many poor elderly who lack such connections. Sometimes, not possessing 'Below Poverty Line ration card' acts as an impediment to avail benefits under schemes such as 'Annapurna.'

Thus, many eligible are denied benefits due to cumbersome procedures and delinquency.

Thus, Financial support during old age remains a big challenge and people use various options to manage their expenses. Some of the old age people continue to work. United Nations Population Fund published a report on Status of Elderly persons in select states in 2012. According to this report, 24.2 of aged people in India are currently working. Out of which work participation rate among elderly males is as high as 39 per cent but for females, it is found to be at 11 per cent (UNFPA, 2012). In spite of large participation rate of elderly, income and asset position of old age persons is not bright (John, 2014). Old age persons also resort to rely on their savings and financial assets accumulated out of their earnings in the past. An empirical study conducted by Thakur, S. S., & Jain, S. (2017) found that House Rental Income was considered as the top most preferred choice by respondents; then Pension fund annuity, PPF and EPF and the respondents assigned last rank to NPS.

3. Objective of the Study

- To identify the important issues underlying income support after retirement on the basis of research studies conducted from time to time.
- To know the opinion on various issues underlying income support after retirement of persons aged above 60 years through an empirical study.

4. Research Methodology

The current study is a qualitative study and for collecting opinion, questionnaire-based empirical survey research methodology was employed to seek opinion on important identified issues underlying income support after retirement.

The following issues were identified on the basis of study of various research studies:

- i) Pension Provision during Old Age in the form of Employer/ State Sponsored Social Insurance Schemes where both employer and employee make contribution to build corpus of retirement income
- ii) Means tested Social Assistance Pension Schemes as implemented from time to time which are purely funded by the state exchequer and targeted for those who living below poverty line.
- iii) Work participation of respondents.
- iv) Means of Financial Support used by respondents during old age to manage their living expenses.
- v) Universal Pension Scheme as proposed from time to time but could not be implemented till date.
- vi) Savings during earning years to support retirement income by investment in voluntary retirement pension schemes such as PPF, NPS and other pension schemes of financial institutions set up in private sector
- vii) Other Social security concerns such as health insurance; health related facilities in the form of preventive and curative health check up in State funded hospitals; current Social Security provision for unorganised sector during old age.

Data Collection: According to computation done by UNFPA on the basis of Census reports, percentage of elderly in the state of Delhi have increased from 5.1% in 2001 to 6.5% 2011. The primary study was conducted in East and West Delhi in areas adjoining Yamuna Vihar and Tlak nagar. 200 old age persons above 60 years were approached, but complete information could be collected from 102 old age persons. Random Sampling was employed to gather information with the help of friends and acquaintances. The study was done to identify important issues and highlight concerns as felt by respondents.

Tools of Analysis: Information was collected on Five point Likert scale. The statements were numerically coded as Strongly Agree as 1, Agree as 2, Neither agree nor Disagree as 3, Disagree as 4 and Strongly disagree as 5. It has been observed that response of Neither agree Nor Disagree is one of the common choices when respondents are not able to form a strong opinion and has central tendency bias and are like Neutral responses. It may also show not only "lack of knowledge, but dilemmas and rejection of the items' assumptions" (Bakae et al., 2012). Thus, the statements where average responses (mean values) were significantly different from Neither Agree Nor Disagree response (Cut Off point 3) are interpreted as important ones. Responses were analysed using One Sample T tests. All the statements where mean values were found to be significantly different from 3 using one sample t statistics are reported as important concerns where respondents could make significant opinion about agreement or disagreement.

T test is one of the most powerful technique in small sample sizes.

Hypothesis of the Study

Hypothesis were not framed to analyse the difference between male and female respondents, as the purpose of the study to Identify important Concern related to income support after retirement from the point of view of respondents irrespective of their gender.

- Ho1: There is no significant difference between the sampled mean and comparison mean (that is 3), thus no significant opinion could be formed on various statements related to 'Current Pension Schemes for Organised Sector'.
- Ho2: There is no significant difference between the sampled mean and comparison mean (that is 3), thus no significant opinion

could be formed on various statements related to 'Current Means of Financial Support during Old Age'.

- Ho3: There is no significant difference between the sampled mean and comparison mean (that is 3), thus no significant opinion could be formed on various statements related to 'Means Tested Social Assistance Pension Schemes'.
- Ho4: There is no significant difference between the sampled mean and comparison mean (that is 3), thus no significant opinion could be formed on various statements related to 'Voluntary Savings for Retirement Income'.
- Ho5: There is no significant difference between the sampled mean and comparison mean (that is 3), thus no significant opinion could be formed on various statements related to 'Universal Pension Scheme'.
- Ho6: There is no significant difference between the sampled mean and comparison mean (that is 3), thus no significant opinion could be formed on various statements related to 'Health Related Concerns.'
- Ho7: There is no significant difference between the sampled mean and comparison mean (that is 3), thus no significant opinion could be formed on various statements related to 'Social Security for Unorganised Sector'.

5. Analysis of Results

The results were analyzed using 102 old age persons above the age of 60 years residing in the state of Delhi.

5.1 Demographic Information

84 (82%) of our respondents were males and 18 (18%) were females. Out of 102 persons, almost 69% were of the age of 65 and above and 31% of the respondents were of the age of 60 and above but below 65 (Table 1). Table 2 shows that 86 persons (84.3%) were married and had a living spouse. 14 persons (13.7%) were widowed and out of 18 women respondents, 6 (i.e; 33% of them) were widowed. Table 3 shows that out of 102 persons interviewed, 32 (31.3%) of respondents were studied up to 12th Standard and similar number of respondents that is 32 (31.3%) of

respondents were studied upto Graduation. Sizeable number of our respondents that is 46 (45%) of respondents were studied upto graduation and above. 50% of our women respondents that is 9 out of 18 were studied upto graduation & above. 6% of our respondents were professionally qualified. Table 4 shows that almost half of our respondents i.e. 50(49%) were having a children upto 2; , 20% of respondents were having upto 3 children. 27 % of respondents were having 4 children & 4 % of respondents were having 5 children. .

Table 5 shows that 12of our respondents (11.8%) were living alone & and a large number 20 (19.6%) were living with spouse only. Almost 59% of respondents were living with spouse and children and 10% of them were found to be living with spouse, children & parents, this shows that 69% of our respondents were living with their descendants, and 31% of our respondents were found to be living without children. Offsprings still continue to be an important support for their old age parents, but there is also an increasing trend towards families without children or old age parents.

(See Appendices:List of Tables: Demographic Information).

5.2 Financial Support and Leisure Time

Information was sought about the means of financial support of respondents on the following issues:

- Current Status of Working
- Nature of Pension Received
- Dependence Level on Children

Table 6 shows that 71(69.6%) of our respondentswere found to be working in the current times, thus were not dependent at all or only partially dependent on financial support from family. 6 (50%) of the respondents out of 12 respondents who were not working in the past were found to be working in the current times, possibility out of compulsion in need of money. Only 30% of our respondents were found to be not working and 70% of our respondents were still working even after the age of retirement. Table 7 shows that 31% of respondents were receiving Government pension. Approximately, 26% of the respondents were receiving pension through Means Tested Social Assistance Schemes; 12% of our respondents had saved voluntarily in the past and were receiving some kind of pension through private saving schemes. Rest of our respondents that is 31% were not receiving any kind of pension, which is a significant number.

Table 8 shows that only 8(8%) of the respondents were wholly dependent on their children for financial reasons and out of which, almost 1/3 of our women respondents were wholly dependent on their children. Almost 17% of women and 39% of our male respondents were not at all dependent on their children. Thus, female respondents were found to be more dependent as compared with male respondents. 57% of respondents were dependent partially on their family. Thus it shows that large number of our old age respondents that is 92% were only partially or not at all dependent. Table 9 shows that 64(62.7%) of the respondents were spending on an average 2-3 hours time on personal health and grooming needs and only 6 % of the respondents were spending time above 5 hours on their personal health and grooming needs. 19% of our respondents were spending just 1-2 hours on their personal health and grooming needs. Thus, even at old age, they were not able to find sufficient times for them and still engaged in family related responsibilities and many of them were still working and engaged in financial pursuits. (See Appendices:List of Tables: Financial Support and Leisure Time).

5.3 Pension Related Concerns

The statements were numerically coded as Strongly Agree as 1, Agree as 2, Neither agree nor Disagree as 3, Disagree as 4 and Strongly disagree as 5. Table 10 shows opinion on various pension related concerns such as social security during old age, current pension provisions, universal pension, means tested social assistance pension schemes. The results indicate significance level in large number of statements asked from respondents using one sample T test results.

Thus, respondents agreed that current pension provision of old age suffers from inadequacy of pension amounts(mean values 2.73 and significance level of 0.001). They believed that only civil servants(mean values 1.68 and significance level of 0.000) and government employees (mean values 1.75 and significance level of 0.000) have sufficient pension. Similarly, respondents expressed that employer sponsored pension schemes does not cover disability & survivor benefits (mean values 1.75 and significance level of 0.000) and similarly Government sponsored pension schemes does not cover disability & survivor benefits (mean values 2.30 and significance level of 0.000).

Regarding their Current financial position of respondents, they disagreed that having more children meant better financial security during old age (mean values 4.29 and significance level of 0.000). Large number of respondents disagreed that their resources were inadequate to take care of their current financial needs during old age (mean values 3.26 and significance level of 0.002) and also disagreed when asked 'My current financial resources are not sufficient to handle any financial crisis' (mean values 3.60 and significance level of 0.000). These results might be because all the respondents interviewed were from urban area and large number of them were educated and working.

Another important concern that was raised was about means tested social assistance pension schemes was insufficiency of pension amounts as respondents disagreed that pension amounts received were sufficient in magnitude (mean values 3.41 and significance level 0.000); respondents also agreed that disbursement of social assistance pension suffers from corruption (mean values 1.87 and significance level 0.000) and also these suffer from improper coverage (mean values 2.07 and significance level 0.000). The respondents also agreed that Aadhar based means tested Social assistance pension is better solution for disbursement as it is directly credited to their accounts and reduced fake receivers of pension (mean values 1.80 and significance level 0.000) .

Regarding savings for retirement income, respondents disagreed that there were no good returns for saving instruments for old age (mean value 3.24 and significance level 0.017). Some important issues that were identified as roadblocks to encouragement to retirement savings were inadequate tax incentives (mean value 2.79 and significance level 0.019); lack of guaranteed defined benefit plans (mean value 2.54 and significance level 0.000); low real returns that savings did not provide protection against inflation (mean value 2.55 and significance level 0.000). However, they favoured government sponsored pension plans better in terms of returns than private saving pension plans as they disagreed that private pension plans are better (mean value 3.81 and significance level 0.000). They favoured mandatory savings for old age as they agreed that 'People will not save enough for old age till they are forced to do so' (mean value 2.44 and significance level 0.000). Respondents also expressed disagreement that they were not earning enough to financially plan for their retirement income (mean value 3.70 and significance level 0.000). Similarly they expressed

disagreement that savings for retirement was never their serious prerogative (mean value 3.69 and significance level 0.000). Thus respondents in our study were found to be aware and receptive to planning for their retirement income, if given inflation indexed guaranteed returns.

About Universal pension, respondents disagreed that universal pension without means test is an effective solution for old age financial security (mean value 3.79 and significance level 0.000) and agreed that implementation of universal pension plan would be strain on the current exchequer of the Government (mean value 2.05 and significance level 0.000).

Other important social security concerns of old age that respondents expressed was inadequacy of old age social security in India (mean value 2.28 and significance level 0.000) and no sufficient provision for pension for unorganised sector in India (mean value 2.05 and significance level 0.000). They also expressed disagreement that health related facilities for old age in government hospitals was good (mean value 3.52 and significance level 0.000). They also supported the idea that the Government should make additional provision of funds for providing pension to old age pensions (mean value 1.98 and significance level 0.000).

Thus, Null Hypothesis was rejected at 5% level of significance and we could identify important concerns as respondents indicated significant response for large number of statements.

(See Appendices: List of Tables: Pension Related Concerns).

6. Summary And Conclusions

The study is based in information compiled from 102 final respondents from urban area.

84 (82%) of our respondents were males and 18 (18%) were females. 46 (45%) of our respondents were studied upto graduation and above. 49% of respondents were having a children upto 2. 69% of our respondents were living with their descendants, and 31% of our respondents were found to be living without children. Information collected about current status of their working depicted that only 30% of our respondents were found to be not working and 70% of our respondents were still working even after the age of retirement. 31% of our respondents were not receiving any kind of pension and only 26% of them were found to be receiving

means tested social assistance schemes. Only 8(8%) of the respondents were wholly dependent on their children for financial reasons and out of which, almost 1/3 of our women respondents were wholly dependent on their children. Large number of our old age respondents that is 92% were only partially or not at all dependent. 64(62.7%) of the respondents were spending on an average 2-3 hours time on personal health and grooming needs and only 6 % of the respondents were spending time above 5 hours on their personal health and grooming needs.

Important Pension Related Concerns identified were:

About Current Pension Provision :

- Inadequacy of Pension Amounts (Mean values 2.73)
- Sufficient Pension Provision for only Civil Servants (Mean values 1.68); and Government Employees (Mean values 1.75).
- No Proper coverage for Disability and Survivor Benefits in Employer Sponsored pension Schemes (Mean values 1.75) & Government Sponsored Pension schemes (Mean values 2.30). Government Sponsored Pension schemes were expressed to be better than Employer Sponsored pension Schemes for Disability and Survivor Benefits.

About Current Financial Provision:

- Respondents disagreed that having more children meant better financial security during old age (mean values 4.29).
- Our respondents found their current financial resources adequate to handle their needs. (mean values 3.26 and 3.60 as they disagreed about inadequacy to handle financial needs and financial crisis respectively).

About Means Tested Social Assistance Pension Schemes:

- Respondents disagreed that pension amounts received were sufficient in amount (mean values 3.41)
- Agreed that 'Disbursement of social assistance pension suffers from corruption' (mean values 1.87).
- Agreed that 'Disbursement of social assistance pension has improper coverage' (mean values 2.07).
- Agreed that 'Aadhar based means tested Social assistance pension is better solution for disbursement' (mean values 1.80).

About Savings For Retirement Income:

- Disagreement that there were no good returns for saving instruments for old age (mean value 3.24).
- Agreed that there are Inadequate tax incentives (mean value 2.79).
- Agreed that there are no guaranteed defined benefit plans (mean value 2.54).
- Agreed that there are no inflation indexed returns (mean value 2.55).
- Disagreed that private pension plans are better (mean value 3.81).
- Supported mandatory savings for old age as they agreed that 'People will not save enough for old age till they are forced to do so' (mean value 2.44)
- Respondents also expressed disagreement that they were not earning enough to financially plan for their retirement income (mean value 3.70).
- Disagreed that savings for retirement was never their serious prerogative (mean value 3.69)

About Universal Pension:

- Disagreed that universal pension without means test is an effective solution for old age financial security (mean value 3.79).
- Agreed that Implementation of universal pension plan is not possible as it would be strain on the current exchequer of the Government (mean value 2.05).

Other Important Social Security Concerns Of Old Age:

- Inadequate old age social security in India (mean value 2.28).
- No sufficient provision of Pension for unorganised sector in India (mean value 2.05).
- " Disagreed that health related facilities for old age in government hospitals was good (mean value 3.52).
- Agreed that Government should make additional provision of funds for providing pension to old age pensions (mean value 1.98)

On the basis of findings, it is suggested that important concerns

pointed out need to be addressed. As Universal Pension is not possible in the current times, thus deficiencies in means tested social assistance pension schemes like improper coverage and rampant corruption needs to be checked. Even the scope of employer sponsored pension schemes need to be widened so as to cover disability & survivor benefits and unorganised sector workers. Private pension schemes are also good, provided people get tax incentives to save and are guaranteed inflation indexed real returns. People should be encouraged to save for their retirement through various ways. It is clear that there is no single best pension system design, thus mixed approach has to be followed which is simple and easy to administer and implement (Barr & Diamond, 2009). The Government also has to fulfill their responsibility by providing social transfer programs in the form of pension to those who do not have means to save and are poor by making additional provision for funds. Government also need to improve health related facilities for old age people. Such social transfer programs will contribute to micro level growth of the economy (Barrientos, 2012).

Sustainable pension reforms is possible only when people also join hands with the Government and start investing early for their retirement. Citizens should be taught as 'how to save and invest effectively' as financial literacy is important for sustainable pension reforms (Fornero ,2015).

7. Limitations of the Study

The study is based on information sought from respondents from Urban area only. Thus, it may not represent concerns of old age persons residing in rural areas. Another Important limitation is the small sample size and less number of female respondents in the study. Still the study provides an indication towards important pension related concerns from the perspective of old age persons which can be taken into consideration while making policy decisions and designing future research agenda on pension related concerns of old age.

References

1. Anna, K.2012. "Raising the Retirement Age as an Answer to Adequacy Issues in Defined Contribution Systems - The Polish Case Study", Paper presented at International Conference of Social Security Actuaries and Statisticians, Berlin, Germany, 30 May - 1 June 2012 on the theme 'Eliminating poverty in old age: Is social security the answer?' (ISSA) Available at: http://www.jamsosindonesia.com/kjs/files/Forum/29-6-12/2_20Raising%20the%20retirement%20age%20as%20an%20answer%20to%20adequacy%20issues.pdf (accessed 15 September 2018)

2. Asher, M. 2009. "Pension Plans, Provident Fund Schemes and Retirement Policies: India's Social Security Reform Imperative", *ASCI Journal Of Management*, 39(1), 1-18.
3. Asher, M. 2012. "Social Pensions for the Elderly in Asia: Fiscal Costs and Financing Methods", In *Social Protection For Older Persons in Asia*, Handayani SW, Babajanian B (eds). Asian Development Bank: Manila; 60-83.
4. Asri, V. 2017. "Targeting of Social Transfers: Are India's Elderly Poor Left Behind?", (No. 779). *ADBI Working Paper Series*
5. Baka, A; Figgou, L; Triga, Vicky 2012. "Neither Agree, Nor Disagree': A Critical Analysis of the Middle Answer Category in Voting Advice Applications", *International Journal of Electronic Governance*. 5. 244-263. 10.1504/IJEG.2012.051306.
6. Bali, A.S. 2014. "The Political Economy of Pension Reforms in India", *Public Admin. Dev.* 34: 294-304.
7. Barr, N., & Diamond, P. 2009. "Reforming Pensions: Principles, Analytical Errors and Policy Directions", *International Social Security Review*, 62(2), 5-29.
8. Barrientos, A. 2012. "Social Transfers and Growth: What do we know? What do we need to find out?", *World Development*, 40(1), 11-20.
9. Borah, S. P; Zhou, L; Chen, Y; Nisar, N; Addae, G.A. 2018. "Pension System Reform in India: Analysis of the Impact on the Administration and Regulation within the Pension System", *European Journal of Business and Management*, 10(14), 96-115.
10. Central Statistics Office (CSO) 2011. "Situation Analysis of Elderly in India", Ministry of Statistics & Programme Implementation, Government of India, June. Available at: http://mospi.nic.in/sites/default/files/publication_reports/elderly_in_india.pdf (accessed 12 August, 2018)
11. Central Statistics Office (CSO) 2016. "Elderly in India, Profiles and Programme", Ministry of Statistics & Programme Implementation, Government of India. Available at: http://mospi.nic.in/mospi_new/upload/ElderlyinIndia_2016.pdf (accessed 10 August, 2018)
12. Dave, S. 2006. "India's Pension Reforms: a Case Study in Complex Institutional Change in Documenting Reforms: Case Studies from India", Narayan S (ed.). Macmillan: India.
13. Dutta, P. V. 2008. *The Performance of Social Pensions in India: The Case of Rajasthan*.
14. Fornero, E. 2015. "Economic-financial Literacy and (Sustainable) Pension Reforms: Why the Former is a Key Ingredient for the Latter", *Bankers, Markets & Investors*, (134), 6-16.
15. Goswami, R. 2002. "Old Age Protection in India: Problems and Prognosis", *International Social Security Review*, 55(2), 95-121.
16. Holzmann, R., Packard, T., & Cuesta, J. 2000. "Extending Coverage in Multi-Pillar Pension Systems: Constraints and Hypotheses, Preliminary Evidence and Future Research Agenda", *World Bank Social Protection Discussion Paper*, 2.

17. John, R. 2016. "Economic Variables and Ageing Experiences in India: Towards a Macro-View", *Indian Journal of Gerontology*, 30(2), 227-234.
18. Martínez-González, G. & Miranda-Muñoz, M. 2012. "Indicators of Old-Age Social Security Pension Benefits in Latin America and the Caribbean Eliminating Poverty in Old Age: Is Social Security the Answer?", Paper presented at International Conference of Social Security Actuaries and Statisticians, Berlin, Germany, 30 May - 1 June 2012 on the theme 'Eliminating poverty in old age: Is social security the answer?' (ISSA)
19. Chaturvedi, M. 2015. "Pension Reform Initiative in India", ED, Pension Fund Regulatory Development Authority, Government of India. 2015.
20. Sample Registration System (SRS) 2011. "SRS Statistical Report 2011: Chapter 2 (Population Composition)", Registrar General & Census Commissioner India, Ministry of Home Affairs, Government of India.
Available at: http://censusindia.gov.in/vital_statistics/SRS_Report/9Chap%202%20-%202011.pdf (accessed 14 August, 2018)
21. Thakur, S. S., & Jain, S. 2017. "Retirement Planning and Social Security Concept in Indian Context", *International Journal of Commerce and Management Research*, 3(2), pp. 35-40.
22. United Nations (UN) 2015. "World Population Prospects: The 2015 Revisions: Key Findings and Advance Tables", Department of Economic and Social Affairs, Population Division. United Nations, New York.
Available at: https://esa.un.org/unpd/wpp/publications/files/key_findings_wpp_2015.pdf (accessed 12 September 2018)
23. UNFPA 2012. "Report on Status of Elderly in Select States in India, 2011", United Nations Population Fund (UNFPA), New Delhi.
24. UNFPA 2017. "Caring for Our Elders: Early Responses India Ageing Report - 2017". United Nations Population Fund (UNFPA), New Delhi Available at: <https://india.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/India%20Ageing%20Report%20-%202017%20%28Final%20Version%29.pdf> (accessed 10 January, 2019)

Appendices: List of Tables

A. Demographic Information

Table 1: Age of Persons

Age Distribution	Male	Female	Frequency	Percent	Cumulative Percent
60-65	24 (28.6%)	8 (44.4%)	32	31.4	31.4
65-70	42 (50%)	8 (44.4%)	50	49	80.4
70-75	18 (21.4%)	2 (11.2%)	20	19.6	100
Total	84 (82%)	18 (18%)	102	100	-

Table 2: Marital Status

Marital Status	Male	Female	TOTAL (Percent)
Married	74 (88%)	12 (66.7%)	86 (84.3%)
Unmarried	0	0	0
Divorced	2 (2.4%)	0	2 (2%)
Widowed	8 (9.6%)	6 (33.3%)	14 (13.7%)
Total	84	18	102

Table 3: Education Wise Distribution

Education	Male	Female	TOTAL (Percent)
Below 5 th	4 (4.8%)	2 (11%)	6 (6%)
10 th Standard	16 (19%)	2 (11%)	18 (17.6%)
12 th Standard	27 (32.2 %)	5 (28%)	32 (31.3%)
Graduation	27 (32.2%)	5 (28%)	32 (31.3%)
Post-Graduation/And Above	6 (7 %)	2 (11%)	8 (7.8%)
Professional	4 (4.8%)	2 (11%)	6 (6%)
Total	84	18	

Table 4: Number of Children

No. of Children	Frequency	Percent (%)	Cumulative Percent (%)
2	50	49	49
3	20	19.6	68.6
4	28	27.4	96
5	4	4	100
Total	102	100	

Table 5: Stay with the family

Family members staying	Male	Female	Total (Percent)
Alone	8 (9.5%)	4 (22.2 %)	12 (11.8%)
With Spouse Only	16 (19%)	4 (22.2 %)	20 (19.6%)
Spouse and Children	54 (64.3%)	6 (33.4 %)	60 (58.8%)
Spouse and Children and parents	6 (7.2%)	4 (22.2 %)	10 (9.8%)
Brothers/Sisters & Parents	0	0	0
Total	84	18	102

B: Financial Support and Leisure Time

Table 6: Working In the Current Scenario

Working Past			Total
Working Current	Yes	No	
Yes	65(72%)	6(50%)	71 (69.6%)
No	25(28%)	6 (50%)	31 (30.4%)
Total	90(88%)	12(12%)	102

Table 7: Nature of Pension Received

Nature of Pension	Male	Female	Total (%)
Government	29 (34.5%)	3 (16.7%)	32(31.4%)
Pension Schemes through Means Tested Social Assistance	23 (27.4%)	3 (16.7%)	26 (25.5%)
Private Savings Pension	12(14.3%)	0	12(11.7%)
None	20 (23.8%)	12 (66.6%)	32 (31.4%)
Total	84	18	102

Table 8: Dependence Level on Children

Dependence Level	Male	Female	Total (%)
Wholly	2 (2.4%)	6 (33.34%)	8 (7.8%)
Partially	49 (58.3%)	9 (50%)	58 (57%)
Not At All	33 (39.3%)	3 (16.66%)	36 (35.2%)
Total	84	18	102

Table 9: Time Spent on Personal Health and Grooming Needs

Time Spent	Male	Female	Total (%)
1-2 hours	16 (19%)	3 (16.7 %)	19(18.6%)
2-3 hours	58 (69%)	6 (33.4 %)	64 (62.7%)
3-5 hours	7 (8.3%)	6 (33.4 %)	13 (12.7%)
Above 5 hours	3 (3.7%)	3 (16.7 %)	6 (6%)
Total	84	18	102

C: Pension Related Concerns

Table 10: Pension Related Concerns

Concerns	Statements	Mean Values & S.D in paranthesis	T values	Significance Level	Conclusions
Current Pension Provision	Amount of Pension received is not enough for my financial needs.	2.73 (0.822)	-3.371	.001	Agreement
	Only Civil Servants receive adequate pension	1.68 (0.834)	-16.019	.000	Agreement
	Other Government employees also receive sufficient pension	1.75 (0.553)	-22.745	.000	Agreement
	Employer sponsored pension schemes does not cover disability & survivor benefits	1.75 (0.792)	-16.000	.000	Agreement
	Government sponsored pension schemes does not cover disability & survivor benefits	2.30 (0.462)	-15.209	.000	Agreement
Current Financial Position	If I would have more children, my financial needs in the old age would have been taken care in a better way.	4.29 (0.459)	28.544	.000	Disagreement
	My resources are inadequate to take care of my current financial needs during old age	3.26 (0.820)	3.262	.002	Disagreement
	My current financial resources are not sufficient to handle any financial crisis.	3.60 (1.154)	5.234	.000	Disagreement
Means Tested Social Assistance Pension	Amount of means tested Social assistance pension is sufficient.	3.41 (0.883)	4.711	.000	Disagreement
	Disbursement of means tested Social assistance pension suffers from corruption.	1.87 (0.335)	-33.978	.000	Agreement

Concerns	Statements	Mean Values & S.D in paranthesis	T values	Significance Level	Conclusions
	Aadhar based means tested Social assistance pension is better solution for disbursement.	1.80 (0.399)	-30.276	.000	Agreement
Means Tested Social Assistance Pension	Amount of means tested Social assistance pension is sufficient.	3.41 (0.883)	4.711	.000	Disagreement
	Disbursement of means tested Social assistance pension suffers from corruption.	1.87 (0.335)	-33.978	.000	Agreement
	Aadhar based means tested Social assistance pension is better solution for disbursement.	1.80 (0.399)	-30.276	.000	Agreement
	Means tested Social assistance pension suffers from improper coverage.	2.07 (0.882)	-10.668	.000	Agreement
Savings for Income After Retirement	<i>I should have saved in the past for my old age</i>	2.99 (0.895)	-.111	.912	Insignificant
	<i>There are not sufficient avenues for savings for old age support</i>	3.15 (0.872)	1.703	.092	Insignificant
	There are no good returns for saving instruments for old age.	3.24 (0.977)	2.433	.017	Disagreement
	Tax incentives for saving instruments for old age is not adequate to encourage savings	2.79 (0.871)	-2.386	.019	Agreement
	Savings Schemes for current Pension Schemes does not guarantee defined benefit.	2.54 (0.992)	-4.692	.000	Agreement
	Savings Schemes for current Pension Schemes does not provide protection against inflation.	2.55 (0.961)	-4.740	.000	Agreement

Concerns	Statements	Mean Values & S.D in paranthesis	T values	Significance Level	Conclusions
	Pension saving schemes in the private sector are better in terms of returns than government sponsored pension saving schemes	3.81 (0.625)	13.148	.000	Disagreement
	People will not save enough for old age till they are forced to do so.	2.44 (0.953)	-5.951	.000	Agreement
	<i>I liked to spend money for my current immediate rather than saving for retirement</i>	<i>3.06 (0.687)</i>	<i>.865</i>	<i>.389</i>	<i>Insignificant</i>
	I was earning not enough to financially plan for my retirement	3.70 (1.184)	5.938	.000	Disagreement
	I saved money for education and marriage of my children and health care and therefore, saving for retirement was never my serious prerogative	3.69 (1.081)	6.413	.000	Disagreement
Universal Pension	Universal pension without any means test is the only solution for old age financial security	3.79 (1.047)	7.662	.000	Disgreement
	Universal pension is not possible because it would be strain on current exchequer of the government.	2.05 (0.680)	-14.116	.000	Agreement
Social Security Concerns of Old Age	There should be additional cess to generate funds for the government to provide pension for old age.	1.98 (0.731)	-14.088	.000	Agreement
	Health related facilities for old age in government hospitals is not sufficient in terms of amount	3.52 (1.123)	4.671	.000	Disagreement

Concerns	Statements	Mean Values & S.D in paranthesis	T values	Significance Level	Conclusions
	There is inadequate Social Security for old age in India	2.28 (0.905)	-7.985	.000	Agreement
	There is no sufficient provision for pension for Unorganised sector in India.	2.05 (0.651)	-14.762	.000	Agreement

SUSTAINABLE DEVELOPMENT THROUGH INNOVATION AND ENTREPRENEURSHIP IN INDIA: A STUDY

Dr.Mohd Furqan*, Saniah Aziz**

Abstract

In the past decades there has been a dire need of maintaining sustainability but the question was how, because the target was big. But now relating it with innovation and entrepreneurship has given sustainable development a route. The present paper studies how sustainable development works with innovation and entrepreneurship covering the Sustainable Development Goals UN 2030, sustainable growth and smart villages, giving a comparative analysis of Sustainable Development Index of India, fashion and plastic with reference to innovation, entrepreneurship and sustainability with a few examples. There will be a lot of challenges in achieving the desired goals because the problem is a global issue now.

Keywords: The Sustainable Development Goals UN 2030, Smart Villages, Sustainable Development Index, Fashion, Plastic.

Introduction

"Sustainable Development Is A Fundamental Break That's Going To Reshuffle The Entire Deck. There Are Companies Today That Are Going To Dominate In The Future Simply Because They Understand That"

-----FRANCOIS-HENRI PINAULT

Sustainable development has been one of the evolving practices in the world that will be one of the greatest contributions to the world for today's generation as well as the future generation. It has given India and their people an opportunity to re-live their lives again in terms of ecology

* Assistant Professor, Department of Banking, Economics and Finance, Bundelkhand University, Jhansi.

** Student of M.Com (Finance), Department of Banking, Economics and Finance, Bundelkhand University, Jhansi.

and economy and the process is still under progress. The main idea of this study is that more than 40,000 people migrate from villages to cities in search of jobs and this is the reason why these people have overcrowded the cities which in turn has increased the consumption level, the resources are scarce people are more this has reduced the value of life in urban areas so why not make villages a better place to live with good employment opportunities which will in future stop the massive migration and attaining SDG with innovation and entrepreneurship. Similarly if we talk about the corporate entrepreneurship the businesses are now profit driven more than purpose driven, which in turn has led to an increase in the toxic industrialists and entrepreneurs who with their ill business activities have destroyed the environment. With the increase in the pollution level has led to the increase in the need of being sustainable at an individual level. So it shall be practiced at corporate entrepreneurship level too with good innovation.

There are a number of challenges and issues in implementing sustainable development along with sustainable innovation and sustainable entrepreneurship, some of them are as follows:

1. Climate change
2. Metropolization
3. Planning policy
4. Financing
5. Policy implementation
6. Gender Inequality
7. Lack of Education
8. Poor Health Management

Review of Literature

- **According to Hall Jeremy, Daneke A, Gregory & Lenox J, Michael (2010)**, this article focuses on the past contribution and future directions of entrepreneurship in sustainable development, have outlined and given an overview on this respect because in the coming era entrepreneurship will be the main pipeline that will lead to sustainable development.

- **Vaidya N Purushottam & Honagannavar Dr,D.V. (2017)** says, in this study an attempt to make awareness about green entrepreneurship and briefly explains about the importance of green entrepreneurship in today's world.
- **Bahadure Pankaj & Bahadure Sarika (2012)**, the theme of this paper is architecture and the sub theme is urban and regional planning, the paper puts forward the need or urban development and the challenges that have led to the need. The approaches in context with a better future and towards sustainability.
- **Wüstenhagen Rolf, Jost Hamschmidt Jost, Sharma Sanjay & Starik Mark**, these days the entrepreneurship have been profit driven due to which they are destroying the natural environment and this is why there is a need for sustainable driven business with innovation, this is the main motive of this book.

Objective of the Study

According to Mahatma Gandhi, *"The best way to find yourself is to lose yourself in the service of others."*

Sustainable development is that such service that will do welfare for all than welfare to one self. The SDG's are 17 in number with 169 targets and 100 of indicators but with this study the focus is:

1. To provide an outline of sustainable development along with sustainable innovation and entrepreneurship.
2. To study the comparative analysis of sustainable development index rank of India.
3. To state how sustainable development can take place with a motive of building smart villages. Also stating how SDGs can be achieved.
4. To give an overview of innovation and entrepreneurship with the help of plastic and fashion industry.
5. To identify the problem and recommendation of some workable a number of challenges and issues in implementing sustainable development along with sustainable innovation and sustainable entrepreneurship

Research Methodology

- In this study I have applied Descriptive Research Design.
- Secondary Data has been used in this study. Secondary Data was collected from various type of literature i.e. Books, Magazines, Journals, news papers, & Websites.

Results and Discussion

Sustainable development is development that meets the needs of the present, without compromising the ability of future generations to meet their own needs. Sustainable development can be quoted in a number of ways with the core meaning of it to be the development done in such a way that the future generation is able to enjoy and take advantage of the resources that we are using today. Sustainable development is about finding better ways of doing things, both for the future and the present. We might need to change the way we work and live now, but this doesn't mean our quality of life will be reduced. Sustainable development is not just limited to the environment; it's much more to a healthier and safer world to live in.

In the growing race of development we have kind of forgotten ethical ways in which we can fulfil our daily needs. It has always been a challenging task to practice activities in an ethical manner. People are quite aware about the need for being sustainable, and quite a number of practices, meetings, etc have been signed in the past but with the alarming increase in the level of pollution it has become a necessity to take actions for sustainable development with innovation and entrepreneurship so as have a balance with ecology as well as economy. Innovation and entrepreneurship with sustainable development is not a descriptive aspect but moreover a practical aspect and highly optimistic. For this purpose if we see the goals of Sustainable Development 2030 United Nations, the purpose can be fulfilled not within the stipulated time duration but to some extent.

Sustainable Development

There are a number of industries that have been working in the most unethical manner possible but there are some companies that have set a benchmark in the global market in being the most eco-friendly according to the Virgin.com, the top 10 are namely:

IKEA, Unilever, Panasonic, Allergen, Seventh Generation, Patagonia, IBM, New Belgium Brewing, Adobe and Nike.



Source- United Nations Development Program: Sustainable Development, SDG's UN 2030.

The major goal must be welfare "creating" than welfare "destroying". Once the trend of sustainable innovation and sustainable entrepreneurship is started the toxic and dirty industries would be thrown out easily out of the market.

Comparative Analysis of India in the Sustainable Development Index

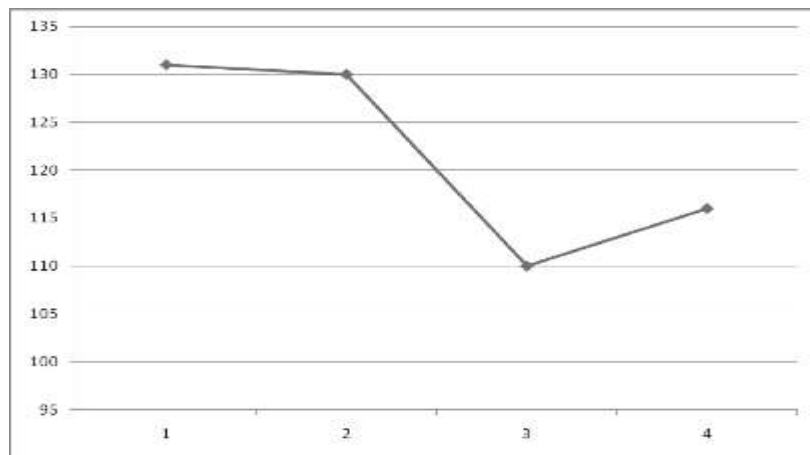
Table and Graph-B shows, the present position according 2017 Sustainable Development Index of India out of 157 countries are 116 towards achieving the goals of sustainable development.

Table-A
Year-wise Sustainable Development Index Rank of India

Years	SDI (Rank of India)
2013	131
2014	130
2016	110
2017	116
2019	115

Sources- United Nations Development Program: Sustainable Development Index-2017-2019

Graph-A
Sustainable Development Index Rank of India



In the above mentioned table of sustainable development index, right away shows that india's position the index is very low in comparision with the nations at the top of the ranking.

According to a report, countries that stand to be the most industrialized in the world are low in the index but counties that are small having nationalism and protectionism imbed have led to the implementation of the goals. Countries that have been acquiring the top position in consecutive two year i.e. 2013 and 2014 are Norway, Austria and Switzerland. After this, in 2015 the new SDGs were set up so no index was being issued. Soon in the year 2016 the index was released wherein the position of India was 110, an improved version but still low at the global level. India's rank was 116, six places lower than the previous year which is shows in table and graph-A.

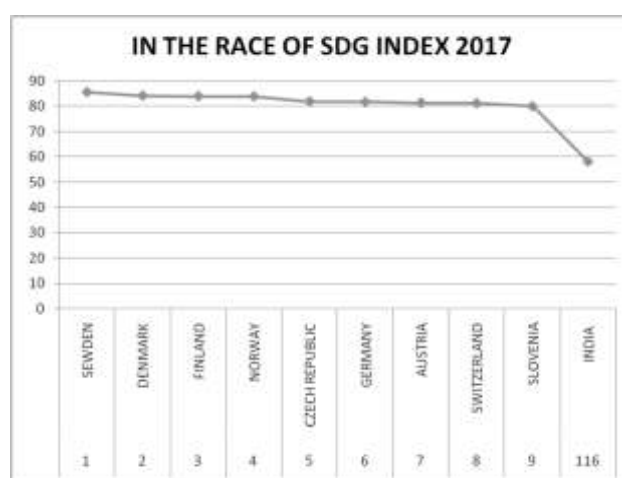
The richest countries are nowhere in achieving the goals and also increasing the challenges of poor countries that ought to do well in the index. The countries that are near to achieving the goals and doing well are the small in area as well as in population and developing countries.

Table-B
Country-wise Sustainable Development Goal Index 2019

Rank	Country	Score
1	Sweden	85.6
2	Denmark	84.6
3	Finland	84.0
4	Norway	83.9
5	Czech Republic	81.9
6	Germany	81.7
7	Austria	81.4
8	Switzerland	81.2
9	Slovenia	80.0
115	India	61.1

Sources- SDG Index and Dashboards Report-2019

Graph-B
Sustainable Development Goal Index 2017



India being a large country in area and population the challenge is growing at an increasing rate because it is still a developing country. Neighbour countries of India are at a lower position than India.

As seen in the figure published by the SDG Index the countries topping the dashboard as the developing countries this shows that one of

the greatest obstacles to achieving the global goals for high-income countries are poor performances regarding sustainable consumption and production which related both innovation and entrepreneurship in this ground.

But when we talk about India the major reasons behind a low rank is regional disparity, gender inequality, lack of education, poor health management and poor living standards. The nation's success will be resulted when strict actions will be taken against these issues. For this purpose programs like Skill India, Digital India, Sabka Sath Sabka Vikas and Beti Bachao Beti Parhao would function at all levels targeting the rural areas because the most affected area is the rural area of India. This would assure the success of India in SGD 2030.

Sustainable Development: Smart Villages

There are 17 goals of SDG out of which 169 targets and 100's of indicators. In India, every single day 40,000 people migrate from villages to cities. This mass migration is the result of climate change and depleting natural resources. Majority of the migrants end up in slums with poor living conditions. The only way to solve this problem is by creating sustainable livelihoods in villages and using resources that are abundant. There is only one resource that India has in abundance i.e. environment waste.

Since in few years we have been hearing a lot about smart cities and everything in these cities smart. The project is big the resources are scarce and budget is low. The idea is good but too huge. The challenges are great because of huge amount of migration happening from rural to the urban areas so the mass is huge and goals are even bigger. So why not build a smart village? When we talk about smart in context with sustainable development it stands for:

- S -- Sustainable
- M -- Measurable
- A --Affordable
- R -- Replicable
- T - Technology

So the focus should be smart than sticking to a certain agenda. When we talk about visualising an image of a village, people might say an uneven pathway, men working in the farms and women carrying pots of water from the well to their huts, etc. The mindset of visualising it is the same that we had decades back, so why not implement the idea of being smart at a

village level. There are quite a number of advantages if we try to make villages sustainable with sustainable entrepreneurship.

Gautam Karajgi is passionate about technology and its innovative applications for upliftment of the downtrodden in rural India. He has been turning it into innovative entrepreneurial actions in the rural India. He is board member of the leading NGO in India and heads the Anandwan Smart village that is the first smart village of India. In his speech in the TEDx Talks in Bandra he speaks about the first smart village of India and the journey of Anandwan since 1949 when it was established as a hamlet to rehabilitate for people suffering from leprosy and other disabilities by internationally renowned social activist and entrepreneur Murlidhar Devidas Amte. This was the village with people who were disabled and disowned by their families and the society which soon became the home ground with a ground to live a quality life and became a model village by providing them with medical aid, education, training and empowerment to millions in the region.

Their aim is not cure people but to make the region rid from any kind of prevailing diseases and almost half of the village is free from any kind of diseases. Here the quality of life is not in how much a person earns but how he lives his livelihood towards a sustainable environment with innovation and almost everyone is engaged into some kind of occupation without moving to the villages.

Achieving Sustainable Development Goals 2030: India

Due to a number of factors achieving the goals of sustainable development is a very challenging task but there a number of ways wherein we can give it a start with. Though new companies want to enter the market with a good profit margin but are unable to function properly due to the quick changes in the market, adopting sustainable measures is one of the ways wherein they can maintain a green reputation in the changing market. In such a way the sustainable development can be given a start.

The UN featured a video at the United Nations Global Compact Conference 2017; impactmania was invited to India to witness the UN Sustainable Development Goals in action.

Jaipur rugs, winner of the German Award design prize, had started with 9 weavers 39 years ago. Today it works with 40,000 artisans and

approximately 80% of them are women. The company provided training, work and growth opportunities to women at home. They were able to live in their own communities and work without migrating to cities and working in factories. These women have a helping hand in increasing the earning of the house in this way they are able to provide their children a better standard of living and most importantly they educate them too. Women are the major building blocks of the house and the society and they are far much creative in nature than men and in such a way engaging them into a business from home is an efficient and effective method that would lead to achieving the SDG's. To be precise, goals achieved in this manner of business will be:

1. No Poverty
2. Gender Equality
3. Responsible Consumption and Protection.

Similarly the private sector of the developing to be specific, play a very crucial role in sustainable development. It can provide employment, build roads, hospitals, schools and colleges, support women in workforce, design new innovative technologies and communication tools and also contribute in overcoming conflicts and disasters with its global reach, unique skills and innovative technologies and products.

Partnerships between governments and private sectors are like a cherry on the cake and hence help in fulfilling the goals of the Sustainable Development 2030. In the past decade there have been a number of collaborations between the governments and private sectors so as to safe guard the society and one such example is Turkish Government.

The private companies are valuable and valued partners in the collective efforts to advance sustainable development around the world and its engagement will be a significant gateway that shall lead to the SDG's of 2030 and build a peaceful, resilient and inclusive society together and thereby we can end poverty and improve our economic growth. Here the goals that might be achieved would be:

1. Partnerships for the Goals.
2. No Poverty
3. Gender Equality
4. Peace, Justice, and Strong Institutions.

Sustainable Innovation

According to the Cambridge Dictionary, innovation refers to a new idea or method. Therefore the process of translating an idea into something that creates value to the society is innovation.

Sustainable development refers to meeting to human needs in a way not to destroy the natural resources or waste natural resources so as to sustain them for the future generation. The use of innovation has always been a part of our lives and now its time to club up sustainable development and innovation so as to work with sustainable innovation. A number of studies have been done on sustainable development but with the alarming need of innovation we must work with both of them collectively.

Each and every natural resource must be used wisely in order to keep them safe for the future generations and it can only be done through innovation because 'innovation is the mother of invention.' Here sustainable innovation is the process where sustainability considerations are integrated into company system from idea generation through to research and development and commercialization.

Sustainable innovation does not involves to abolish the use of natural resources but to seek opportunities and adopting technologies to produce goods without pollution or ecological destruction.

When we talk about sustainability and innovation together, it is not only about the design or beauty or the functionality but it is much more ahead, we take into consideration the supply of raw material, the product life cycle analysis, de-engineering the product so as to make it more eco friendly, how product is designed, etc.

Sustainable Entrepreneurship

Since a decade the need for sustainable entrepreneurship has been increasing and the business is not only seen through the economic glasses but also with the ecological point of view. Business is stated with the connection of sustainable entrepreneurship and sustainable development. Previously business was profit driven but with the increase in pollution and ecological destruction the business is now purpose driven, not only in developed countries but in developing countries too. But the challenges are more for the developing countries. So each and every country faces a lot of challenges to increase the value in terms of business as well as ecology.

The challenge here is to solve problems related to sustainability as a strategic objective and purpose, at the same time respecting the boundaries set in order to maintain the life support systems in the process. Practicing business where global problems turned into business opportunities by practicing

Sustainable Innovation

Entrepreneurship is nothing till when it isn't innovative, therefore both entrepreneurship and innovation are both inter related. An entrepreneur needs to be innovative enough to have a flourishing business and goodwill in the market.

How to Make Entrepreneurship Innovative in Nature?

Taking into consideration both entrepreneurship and innovation as sustainable development is not only by recycling and reusing them but also thinking green and practicing green entrepreneurship. Green entrepreneurship is one of the major parts of sustainable development as it has a helping hand not only to the environment but also to the society. With the emerging awareness of the need of being sustainable there has been much increase in the demand of green entrepreneurship with new opportunities for companies to shine high in the global market as well as improving their CSR. The question is how to make your business innovative; following are a few suggestions that can lead to green entrepreneurship:

Involving Stakeholders in The Business

Taking into account the requirements of key stakeholders will help in development of a sustainability strategy that delivers the greatest business benefits.

Assess the Environmental and Social Impacts

A strategic approach to sustainability should look at the full impact our business has on the environment and society. This includes:

- The use of raw materials, water and other resources
- The energy use and its impact on climate change
- The waste and pollution our business produces
- The impact our business has on our employees and the local, wider and international community

Develop and Implement Sustainability Plans

Once the previous points are set, we should develop a sustainability action plan that describes the changes we will make and how we are going to implement them. Our plan should focus on the highest priority changes for your business which we can achieve with the least effort.

Monitoring and reporting sustainability performance

Monitoring is a key element of the feedback loop we need to control our sustainability performance. Checking progress towards objectives lets us know whether our action plans are working. It also lets us know when we have achieved our targets and objectives and need to set new ones.

The agenda of recycling

This process is the most primary thought when an organisation contemplates its green credentials. Begin with paper and card as they are more often than not the most visible and highest volume waste product in the offices, 50 per cent of all waste from businesses is made up of paper. This recycling system can then branch out into other materials such as food packaging, plastic, drinks cans, cartridges, toners and glass.

Energy efficiency

According to Phil Gilbert, director of Customer Solutions at E.ON, 'Investing in energy efficiency or in new generation technologies can make sound investments, often paying back in only a few years.' This is because cutting down on the amount of energy used in the workplace can help a business become more sustainable and slash a company's carbon footprint.

PLASTIC: INNOVATION AND ENTREPRENEURSHIP TOWARDS SUSTAINABLE

While walking on the streets and sea shore we see less of anything else but more of plastic bags and plastic bottles. I ask a question to myself are we living in a world of plastics?

Plastic is the major cause of floods and landslides. Plastic pollution is the one pollution that alone affects the life on land and water. Plastics are inexpensive and durable and as a result levels of plastic production by humans are high.

As of 2018, about 380 million tonnes of plastic is produced worldwide and estimated that if not treated then it can lead to hazardous problems. The urgency of the issue led to brands, governments, NGOs and celebrities promoting a host of solutions. Reusable packaging is one such solution to it that has been adopted worldwide. An example that had gone viral a year ago of social plastic and the plastic banks, Lucy a single mother of two children who lives in a country where on an average each earner of the house earns less than \$2 per day where water ways are filled with plastic wastes. But with the use of social plastic she sells plastic to plastic banks and earns a living and through this money she is educating her children. She earns a living by removing plastic from the environment and also collects them from houses and business firms before it becomes garbage. At social plastic exchange recycling market she exchanges plastic for cash, cooking fuel, soaps, phone charging, internet access and her ability to grow her recycling business. This plastic is further used to recycle it, this would need much of resources.

The problem is that we think the thing we have used to the maximum possible extent is waste, but there are a number of things that can be recycled and reused without much energy required. This social plastic is further used by brands. Social plastic has helped in providing employment to people who had lost hopes of earning and leading their lives and also changing plastic into currency with achieving major goals of SDG. Our purpose today must be to make the globe sustainable enough so that the future generation can lead a better life, breathe proper, eat proper and lead their lives in the best way possible.

FASHION INDUSTRY MADE INNOVATION DRIVEN AND ENTREPRENEURSHIP MADE SUSTAINABLE.

Everything starts with an idea followed by decisions and responsibilities. The idea is not to do things alone but bring people together and lead the revolution. Fashion industry is one such industry that is the wide spread on the whole globe and will be forever. Fashion revolution is such that revolution that needs to be uplifted in the coming days because it is one of the biggest industries of the world and millions of people are associated with it. So why not start with it?

The question is how? How about recycling clothes into new ones?

Each time we purchase a garment we might throw or discard or donate those garments to the poor people the old ones. Now it's time to change the old school practice, instead recycle each garment when you buy a new one. Simplest of all if an Indian donates a t-shirt it would fill more than a big stadium easily. Similarly, the greatest of fires can be led by the smallest spark. These clothes could be donated to those companies that do the recycling of clothes like RoadRunner GO, Eileen Fisher, Kallio, etc. The process is in such a way that clothes like jeans are being cut down, torn down creating news fibres and then woven into new fabrics, stitched into new garments allowing ethical environment and finance to the bodies. For recycling purpose pure synthetics are the best of all wears to be regenerated in their own form, sometimes melted down and remade into new fibres. Not only clothes are used for this purpose but plastic bottles or recycled fishing nets are popularly are used too for blending cotton. All these are mechanically recycled.

In India, the old clothes are donated. Taken to factories, sorted and mended according to colours and after that exported to countries like Africa, USA, etc. for them to be re-sold or recycled further as rugs and other usable materials.

It is estimated that more than 80 million clothes are manufactured each day; this means that we as the consumers also have the power to change something and be the change. But the question is how to use it? The simplest way is how we look at these ideas and respond to fashion and leading trends as wasteful or useful or even reuseful. Follow the words of Vivienne Westwood "buy less choose well, make it last" we as the consumers have the power to choose what's right for us, environment and the future generation. The thinking and choices of people may differ but the environment is what unites it and helps lead towards sustainability. In the era of globalization, social media plays a very strong role in spreading awareness and welcoming people to join the revolution of fashion I a way to question the manufacturers and let them also join the revolution towards a better and sustainable fashion industry. But it's not just online but also offline, practicing them and using these practices in one's life will help enabling sustainable development in fashion industry on a daily basis.

Finding and Conclusion

As stated earlier in the growing era the need of being sustainable is very important and through this study by looking at the comparative analysis of sustainable development, this is much clear that the countries that are smaller in population and area and developing in nature are at the top position of the ranking. So if we in India start sustainable development at village level and instead of converting smart cities we convert villages into smart villages we might lead to a more sustainable nation to live in. Now talking about innovation and entrepreneurship there are a number of ways through which one can make his/her business innovative and sustainable in nature. The use of plastic is the major threat to the environment hence it shall be treated through social plastic and plastic banks. On the other hand fashion industry can be involved in the sustainable development process.

References

1. Aaron Viles , 10 global companies that are environmentally friendly, 2016 <https://www.virgin.com/virgin-unite/10-global-companies-are-environmentally-friendly>
2. 2017 sustainable development goals: India ranks 117 of 157 countries, Business Standards, July 14 2017. 10:17 IST, https://www.business-standard.com/article/economy-policy/2017-sustainable-development-goals-index-india-ranked-117-of-157-countries-117071301204_1.html
3. Hall Jeremy,Daneke A. Gregory & Lenox J. Michael,Sustainable Development And Entrepreneurship: Past Contributions And Future Directions, Article In Journal Of Business Venturing : September 2010 : https://www.researchgate.net/publication/222655251_Sustainable_development_and_entrepreneurship_Past_contributions_and_future_directions?enrichId=rgreq-00f14505cbe1013118a48eada5e3ff24-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzJyMjY1NTI1MTtBUz05OTUwMDc2OTE1MzAyOEAxNDAwNz0M0MjQwNDMz&el=1_&_esc=publicationCoverPdf
4. Vaidya N Purushottam & Honagannavar D.V Dr., Green Entrepreneurship Towards Sustainable Environment , In International Journal Of Commerce And Management Research ; January 2017; <http://www.managejournal.com/search/GREEN%20ENTREPRENEURSHIP>
5. Babadure Pankaj & Babadure Sarika, Sustainable Urban Development In India: Challenges And Approaches , International Conference On Advances In Architecture & Civil Engineering (Aarcv 2012) School Of Architecture & Department Of Civil Engineering, M.S. Ramaiah Institute Of Technology, Bangalore Held On 21st - 23rd June 2012, <https://www.researchgate.net/publication/265915459>
6. Wüstenhagen Rolf , Jost Hamschmidt Jost, Sharma Sanjay & Starik Mark, Sustainable Innovation And Entrepreneurship , Published By Edward Elgar Publishing Limited Glensanda House Montpellier Parade Cheltenham Glos GL50 1ua Uk , Printed And Bound In Great Britain By Mpg Books Ltd, Bodmin, Cornwall , https://www.researchgate.net/publication/36397877_Sustainable_Innovation_and_Entrepreneurship.

A STUDY ON AWARENESS OF REPRODUCTIVE HEALTH PROBLEMS AMONG SCHOOL GOING ADOLESCENT GIRLS

Neha Mishra*

Introduction

Adolescents are those persons, whose age between 13-19 years respectively. Adolescence is a decisive age for girls around the world. What transpires during a girl's teenage years shapes the direction of her life and that of her family. For many girls in developing countries, the mere onset of puberty that occurs during adolescence marks a time of heightened vulnerability to school leaving, child marriage, early pregnancy, HIV, sexual exploitation, coercion and violence. Adolescent girls are less likely than older women to access sexual and reproductive health care. Many are poor, have little control over household income, have limited knowledge about sexual and reproductive health issues, and lack the ability to make independent decisions about their health. Moreover, they often do not have access to health care that meets their specific needs.

Adolescence is a period of transition from childhood to adulthood. This period is characterized by emotional, biological and psychological changes, putting adolescents at risk for early marriage, unwanted pregnancies, unsafe abortion, STIs, HIV/AIDS, sexual abuse and exploitation.

In many societies, however, adolescence is narrowly equated with puberty and the cycle of physical changes culminating in reproductive maturity. In other societies adolescence is understood in broader terms that encompass psychological, social, and moral terrain as well as the strictly physical aspects of maturation. In these societies the term adolescence typically refers to the period between ages 13 and 19 and is roughly equivalent to the word teens.

*. *Assistant Professor, Department of Social Work Bundelkhand University, Jhansi (U.P.) # 09415502537*

Adolescence (from Latin adolescence, meaning "to grow up") is a transitional stage of physical and psychological human development that generally occurs during the period from puberty to legal adulthood (age of majority). The period of adolescence is most closely associated with the teenage years, though its physical, psychological and cultural expressions may begin earlier and end later. For example, although puberty has been historically associated with the onset of adolescent development, it now typically begins prior to the teenage years and there have been a normative shift of it occurring in pre-adolescence, particularly in females. Physical growth, as distinct from puberty and cognitive development generally seen in adolescence, can also extend into the early twenties. Thus chronological age provides only a rough marker of adolescence. A thorough understanding of adolescence in society depends on information from various perspectives, including psychology, biology, history, sociology, education, and anthropology. Within all of these perspectives, adolescence is viewed as a transitional period between childhood and adulthood, whose cultural purpose is the preparation of children for adult roles. It is a period of multiple transitions involving education, training, employment and unemployment, as well as transitions from one living circumstance to another.

What is a reproduction?

In a simple reproduction comes from the word go back and reproduction create or produce, so reproduction has the meaning of human life in a process to produce offspring for the sake of preservation of life.

What is Reproductive Health?

Reproductive Health is an open access, peer-reviewed online journal focusing on all aspects of human reproduction. Reproductive health is defined as a state of physical, mental, and social well-being in all matters relating to the reproductive system, at all stages of life. Good reproductive health implies that people are able to have a satisfying and safe sex life, the capability to reproduce and the freedom to decide if, when, and how often to do so. Men and women should be informed about and have access to safe, effective, affordable, and acceptable methods of family planning of their choice, and the right to appropriate health care services that enable women to safely go through pregnancy and childbirth. Reproductive Health has a particular interest on the impact changes in reproductive health have globally.

What's Adolescent Reproductive Health?

Adolescent reproductive health is a healthy condition concerning the system, function and reproductive processes owned by a teenager. Healthy sense here is not merely mean disease-free or free from defects but also mentally and socially healthy cultural.

Need of the Study

The period of adolescence is most closely associated with the teenage years, though its physical, psychological and cultural expressions may begin earlier and end later. Every birth is safe, every young person is free of HIV and every girl and woman is treated with dignity and respect. Reproductive health problems remain the leading cause of ill health and death for women of childbearing age worldwide. Impoverished women, especially those living in developing countries, suffer disproportionately from unintended pregnancies, maternal death and disability, sexually transmitted infections including HIV, gender-based violence and other problems related to their reproductive system and sexual behavior to aware girls and society about their reproductive health.

Objective of the Study

1. To know the causes of reproductive health problems among school going adolescent girls.
2. To study the impact of reproductive health problems among school going adolescent girls.
3. To assess of level of awareness about their reproductive health.

Hypothesis

- Reproductive health problems are found less among school going adolescent girls.
- School going adolescent girls are fully aware of their reproductive health.

Review of Literature

1. **K. Malleshappa:-**The study suggests that reproductive health education by health professionals can improve the knowledge and perceptions of adolescent girls especially in rural areas. Such educational intervention programs must be given due importance,

which will help the adolescent girls to take care of their own health and protect themselves from the risk of STDs etc.

2. **Nidhi Kotwal, Nilofer Khan and Shashi Kaul:-**The study clearly showed that an educational intervention program can bring about a desirable change in knowledge among adolescent girls regarding reproductive health. Thus informative and educable interventions seem to have a positive effect on awareness levels which would eventually encourage expansion of knowledge and positive health habits.

Area of Research

The area of this study is Jhansi City and the researcher conducted this study in Arya Kanya Inter College Jhansi.

Jhansi is a historical city of India. This city is famous for Orchha, fort of Jhansi and Rani mahal. The original walled city grew up around its stone fort. This district is on the bank of river Betva. The north-south corridor connecting Kashmir to Kanyakumari passes through Jhansi. The east-west corridor also goes through this city. Jhansi junction is a major railway junction of Indian railway. There is a Medical College Maharani Laxmi Bai Medical College. Maharani Laxmi Bai, Major Dhyan Chand, Mathili Sharan Gupt, Candrashekhar Azad are great persons of India who belongs from Jhansi.

Research Design

Descriptive research design is used in this study, so that reasons, cases, origins could be known correctly.

Size of Sample: - 50 Respondents are taken in this study as sample size. 25 out of 100 respondents will be taken from class 9th and 25 out of 100 respondents are taken from class 11th.

Sample Method: - Random systematic sample method is been used for the study. 25 respondents from class 9th and 25 respondents from class 11th are taken for the study. Every 4th girl has been taken from 100 girls of class 9th and every 4th girl has been taken from girls of class 11th.

Date Collection: - Collection of data involve the process of gathering data and deciding on the means by which such data is to be collected.

Tools used for Data Collection

- Observation
- Interview Method
- Focus Group Discussion
- Schedule

Source of Data: - Both Primary and secondary data have been used for the study to know the reproductive health problems of adolescent girls.

Classification of Respondents

What do you use during your periods?

Table : 1

Answer	No. of respondent	Percentage of respondent
Clothes	9	18
Sanitary pads	16	32
Both	25	50
Total	50	100

The table indicates that 18% of respondents use clothes, 32% of respondents use sanitary pads and 50% respondents use both during their periods.

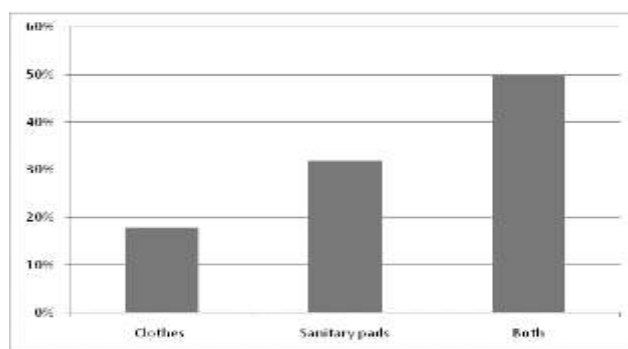


Fig. No. : 1

Do you know about UTI? And it's effects?

Table : 2

Answer	No. of respondent	Percentage of respondent
Yes	16	32
No	34	68
Total	50	100

The table indicates that 32% of respondents know about UTI and 68% of respondents do not know about UTI.

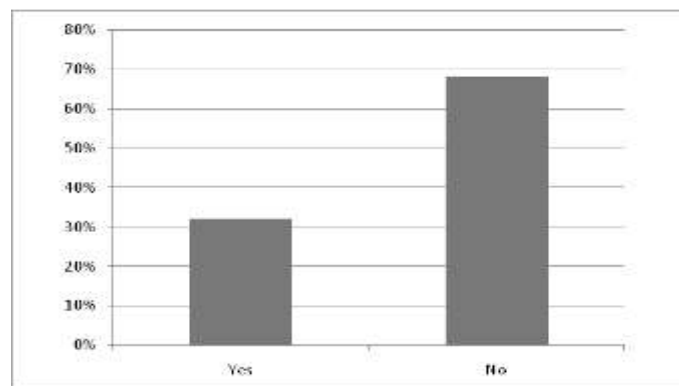


Fig. No. : 2

How much you care about your personal hygiene?

Table : 3

Answer	No. of respondent	Percentage of respondent
More	47	94
Less	3	6
Can't say	0	0
Total	50	100

The table indicates that 94% of respondents care about their personal hygiene and 6% of respondents do not care about their personal hygiene.

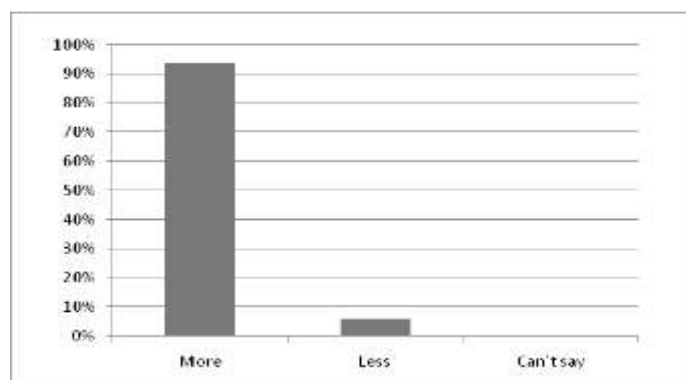


Fig. No. : 3

Do you ever have attended classes related to reproductive health?

Table : 4

Answer	No. of respondent	Percentage of respondent
Yes	2	4
No	48	96
Total	50	100

The table indicates that only 4% respondents have attended classes related to reproductive health and 96% respondents have never attended classes related to reproductive health.

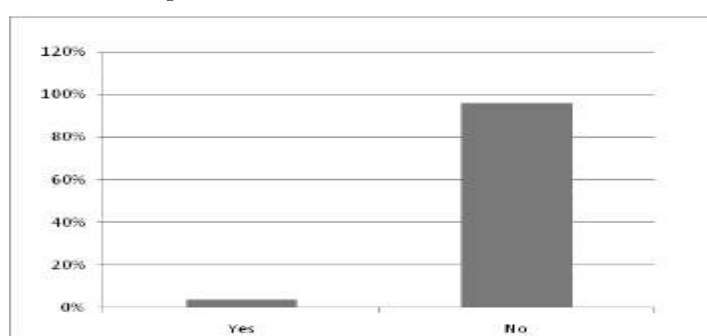


Fig. No. : 4

Causes of Reproductive Health Problems Among School Going Adolescent Girls

Adolescent reproductive health is affected by Unhealthy hygiene, unhealthy food, pregnancy, abortion, STDs, sexual violence, and by the systems that limit access to information and clinical services. Reproductive health also is affected by nutrition, psychological well-being, and economic and gender inequities.

1. Nutritional problems

Malnutrition for girls in early life leads to anaemia, which intensifies after the start of menarche. Malnutrition and anaemia contribute to many of the problems found in pregnancy, childbirth and maternal death.

Unhealthy hygiene

Menstrual hygiene is an issue that is insufficiently acknowledged and has not received adequate attention in the reproductive health and Water, Sanitation and Hygiene (WASH) sectors in India. Menstruation is a phenomenon unique to the females. The first menstruation occurs between 11 and 15 years with a mean of 13 years. Menstruation is still regarded as something unclean or dirty in Indian society. The reaction to menstruation depends upon awareness and knowledge. Although menstruation is a natural process, it is linked with several misconceptions and practices, which sometimes result into adverse health outcomes. Hygiene related practices of adolescent girls during menstruation are of considerable importance, especially in terms of increased vulnerability to reproductive tract infections (RTI).

Early marriage

Early marriage exposes adolescent girls to risks of early pregnancy and early motherhood results in inadequate growth, under-nutrition, hypertension, and anaemia. Motherhood imposed on an immature body, can result in prolonged and obstructed labour, maternal distress and mortality and lifelong health problems. Adolescent girl married to much older men are unable to communicate or negotiate the timing and frequency of intercourse, and contraceptive use with their husbands and therefore unable to control their own fertility.

2. Alcohol and drug use, physical abuse and Current worries

The increasing incidence of drug abuse, particularly among the young, has become a matter of serious concern. Drug abuse not only affects the general health and the process of growth, but is also a potential source of HIV infection and deviant sexual behaviour leading to the risk of infection with HIV and STDs. Using alcohol or drugs lowers inhibitions and pre-disposes a person to take risks that she would otherwise not have taken under normal circumstances.

Impact of Reproductive Health Problems Among School Going Adolescent Girls

1. Problems regarding menstruation

- Some varieties of menstrual dysfunctions occur in about half of the adolescent females. Initiation of menstruation is called menarche. The age of the normal menarche may vary from 12 to 16 years. Percent of the body fat is also a factor in the onset of menarche. A minimal fatness of 17% of body weight is necessary for the onset of menarche. So it may start late in thin built adolescents which does not warrant any therapeutic intervention.
- The length of menstrual cycle may vary from 21 to 41 days. Initial menstrual cycles are anovulatory and are relatively longer. These cycles become regular after 2 to 2.5 years so initial irregular menstrual cycles does not need therapeutic intervention.

2. Sexually transmitted diseases (STDs), Reproductive Tract Infection (RTI) and HIV/AIDS

STD infections can lead to life-long health problems, including infertility and chronic pain, and increase the risk of HIV transmission. Approximately 333 million cases of curable STDs occur each year; available data suggest that one-third of STD infections in developing countries occur among 13-20 year olds. Adolescents are at increased risk of contracting HIV/AIDS. Furthermore, adolescent girls are at greater risk of infection than older women because of the immaturity of their reproductive system.

This study shows that school going adolescent girls are aware of reproductive health problems. The table indicates that only 2% of

respondents have suffered from reproductive health disease and 98% of respondents never suffered from any reproductive health disease.

3. Mental health problems

Psychological problems also arise like emotional disturbances, depression, low self esteem and anxiety over inadequate or excessive secondary sexual development, Acne etc

Conclusion

This study has been conducted in school with objectives to explore the reproductive health knowledge, attitudes and reproductive health problems among adolescent girls aged 12-19 years and to assess level of awareness about their reproductive health. Tools namely self administered interview schedule, focus group discussions and observation. Essential ethical approvals were obtained and stipulated guidelines were followed during the entire study. Overall it was very encouraging.

The study shows that school going adolescent girls know little about Reproductive Health and want to know more. They want classes on Reproductive Health education in school curricula. The study also shows that school based Reproductive Health education can be effective and significantly improve adolescent girls knowledge and attitudes and important for protecting their health and well-being as they grow older, take on responsibilities as adults, and form families of their own.

Suggestions

This study suggests that reproductive health education by health professionals can improve the knowledge and perceptions of school going adolescent girls. Such educational programs must be given due importance, which will help the adolescent girls to take care of their own health and protect themselves from Reproductive Health problems. The study also shows that school based Reproductive

Adolescence Education and Counselling

Clinic based education and counselling are important to this effort. It is quite evident from the above that we have a great stake in preparing adolescents for the responsibilities of rational sexual behaviour, marriage,

family life and good citizenship. In the process of growing up, sexual development constitutes a major component. Therefore, sex education is the core of adolescence education, which has to focus on the problems and issues related to the process of growing up and development of proper sexuality. It should not only address students in schools and colleges but also out of school youths.

References

- K. Malleshappa, *et.al*, *Knowledge and attitude about reproductive health among rural adolescent girls in Kuppam mandal: An intervention study* by Department of physiology, Department of Community Medicine, P.E.S.Institute of Medical Sciences and research, Kuppam, chittoor dt, Andhra Pradesh, India, 2011.
- Nidhi Kotwal, Nilofer Khan and Shashi Kaul, "Effectiveness of the Interventions on Adolescent Reproductive Health in Developing Countries, University of Kashmir 5, International Journal of Scientific and Research Publications, Volume 4, Issue 5, May 2014.
- WHO (World Health Organization) "The sexual and reproductive health of young adolescents in developing Countries" Nov 2010.
- Ayesha Khan, "adolescents and reproductive health in Pakistan" The Population Council, Pakistan Office June 2000.
- Kofi Awoyibo-Asare, Ann Biddlecom, *Adolescent Sexual and Reproductive Health in Ghana: Results from the 2004 National Survey of Adolescents*, June 2006.

SAVING AND INVESTMENT PATTERNS OF EMPLOYEES OF EDUCATION SECTOR IN SAGAR DISTRICT

Rajat Kumar Kamboj* Prof. R.C. Gupta**

Abstract

Investment is a type of purchase in which we can buy financial products or other items which gives favorable future returns. Investments influence on the future of the investors. Everyone makes investment; investors have a lot of investment options to park their savings. Having knowledge of financial products are very important to invest in any kind of investment. In this study both types of employees were taken either they work in Public Sector or Private Sector in Sagar district of M.P. through Factor analysis and Regression analysis the major socio-economic factor identified, which are responsible for affect the saving and investment behaviour of the respondents.

Keywords: F.D (Fixed Deposit), LIC (Life Insurance Corporation), M.F (Mutual Fund).

Introduction

Investment means that a person committed to the resources of their future it is an economic activity. Endow is a good way to increase investment and earn money people invest in various securities, they invest in government and semi government securities, debentures and shares of companies. Investment represents legal claims of various securities of bonds, shares, debentures. We can buy and sell shares whenever we want in the stock market. Investors have many opportunities in which they can invest in the right way and strengthen the economic condition and their money in different types of securities. Investment is an important part of saving, saving means investing to meet the needs of the future, so that we can get good return in the future investment flows continuously, which can never avoided. The right investment helps us to avoid the uncertainty of reality. Many schemes of investments are being run by the Indian government,

* Research Scholar (Management), School of Studies in Management, Jiwaji University Gwalior.

** Professor in Commerce and Management, M.L.B. Govt. College of Excellence, Gwalior.

which helps the investors to invest in different types of schemes like government of India, public sector, financial institution and public limited companies. People also invest their savings in LIC policies, Provident Fund (P.F), Mutual Fund(M.F), Saving and other types of Bank Account etc. these organizations managed their investment according to their investment policies by a group of trust on behalf of the investors. So peoples easily choose their investment policies which are suitable according to their needs and convenience. All investors are savers but all savers cannot be good invertors. Investment is a science an art. The developments of cities and increasing literacy of the people have promoted the culture of investment, so that people are becoming aware of the investment and the future moving towards investment to safeguard. Investment is a type of purchase in which we can buy financial products or other items which gives favorable future returns. Investments influence on the future of the investors. Everyone makes investment; investors have a lot of investment options to park their savings. Having knowledge of financial products are very important to invest in any kind of investment. The investment based on person psychographic and demographic factors like age, gender, education and income group. Investment have unique features of safety, security, regular income, retirement benefits etc. we have a good understanding of financial option available so that we can able to take a right decisions. Investors should always choose a proper way of investment which according to their specific needs, risk preference, and return expected.

Objective of the study:

To know the perception of demographic variables' influence on saving and investment behaviour.

To forecast the expected return on investment of the respondents.

Research Methodology

Table No. 1 Methodology of the Study

Data Source	Primary and Secondary
Sample size	90 (both Public and Private Sector)
Sampling method	Simple Random Sampling
Tools and technique	
• Sampling Adequacy	KMO and Bartlett's test
• Normality	Descriptive statistics
• Demographic variables	Factor Analysis
• Investment and Saving	Regression Analysis

Normality: The Normality is showing through Histogram of Data in Figure 1 and Figure 2

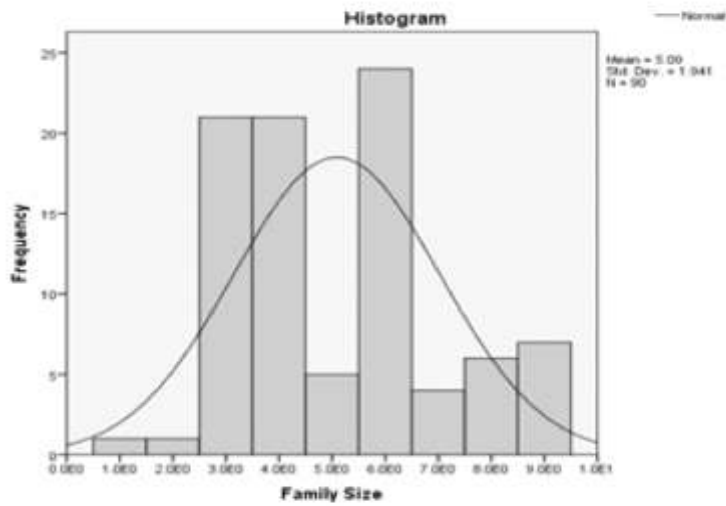


Figure No. 1: Normality for Family Size in collected data

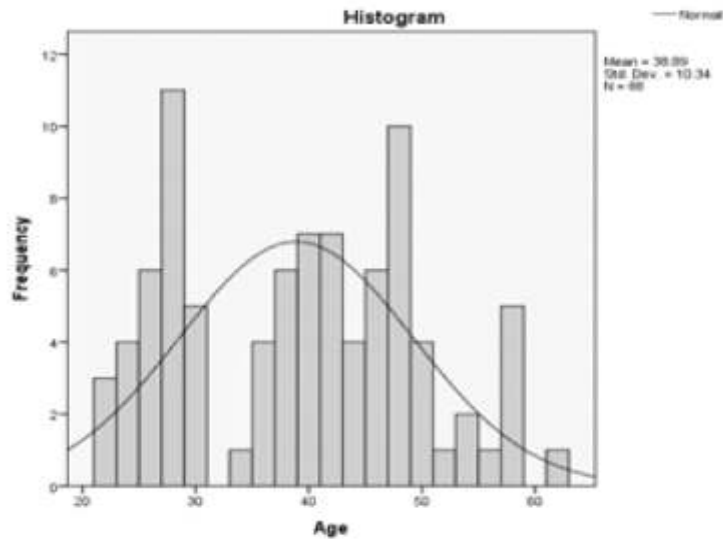


Figure No. 2: Normality for Age in collected data

Sampling adequacy of data:

Table No.2 KMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.		.777
Approx. Chi-Square		125.430
Bartlett's Test of Sphericity	Df	36
	Sig.	.000

Interpretation

The above table shows the result of KMO and Bartlett's test that is a measure of sampling adequacy. The result of KMO test shows the value as .777 which reveals that as the value is greater than so the sample taken for the study is adequate.

Analysis and discussion

To know the perception of demographic variables' influence on saving and investment behaviour:

For attaining this objective the factor analysis is conducted and applied on different variables after checking the sampling adequacy. Total 09 variables were considered using Principal Component Analysis (PCA) as the extraction method and after VARIMAX rotation 03 main Components under which 06 factors are correlated were extracted.

Table No. 3 Communalities

	Initial	Extraction
Age Influenced on Investment	1.000	.442
Family Structure on Investment	1.000	.487
Family Size on Investment	1.000	.581
No of Children on Investment	1.000	.806
Type of Residence Influenced on Investment	1.000	.641
Educational Qualification Influenced on Investment	1.000	.614
Nature of Occupation Influenced on Investment	1.000	.436
Designation Influenced on Investment	1.000	.493
Years of Experience Influenced on Investment	1.000	.553

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Source: Table generated through SPSS 20.

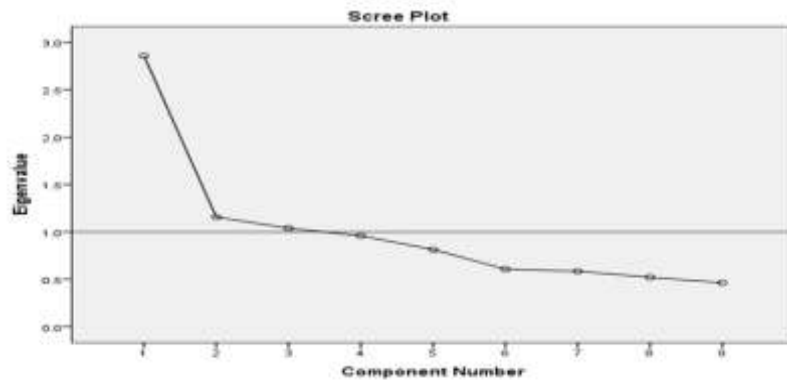


Figure No.3: Showing Main selected components through scree plots.

The above Fig No.3 shows the scree plot of factors extracted through Principal Component Analysis. The Scree Plot is the graphical representation of the major components formed. In the above figure it is seen that taking Eigen Value as 1 which is shown through the horizontal line and all the components which lie either above or on the horizontal line form the main components of the study. Thus the principal components considered in the study are 3 in number represented graphically through scree plot.

Table No. 4 Rotated Component Matrixa

	Component		
	1	2	3
Age Influenced on Investment			
Family Structure on Investment			.675
Family Size on Investment	.753		
No of Children on Investment		.864	
Type of Residence Influenced on Investment	.797		
Educational Qualification Influenced on Investment	.613		
Nature of Occupation Influenced on Investment			
Designation Influenced on Investment			-.630
Years of Experience Influenced on Investment	.669		

Source: Table generated through SPSS 20
Extraction Method: Principal Component Analysis.

Interpretation: The table given above shows the result of principal components extracted revealing their influence of investment and here we see that 3 major components were framed. In the first component the variables considered are family size, type of residence, educational qualification and years of experience. The second component included the influence of no of children on investment and the third component covered family structure and designation influence on investment. Thus these nine variables were reduced into three where these 3 principal components consisted of 7 variables.

To forecast the expected return on investment of the respondents

Table No. 5 Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.365 ^a	.133	.123	14.221

a. Predictors: (Constant), Actual Return

b. Dependent Variable: Expected Return

Interpretation: The above table shows the Model summary in which the R value is .365 that is showing correlation between dependent and independent variables. R square value is .133 that represents the variance between the dependent and independent variable. Adjusted R square should be near to R square value and here this value is near R square with .013 differences between the two. It means the variables are fit for the regression analysis.

Table No. 6 Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	3.718	6.522		.570	.570
Actual Return	3.407	.926	.365	3.678	.000

a. Dependent Variable: Expected Return

$$Y = \alpha + \beta X$$

Where,

Y (Dependent Variable) = Expected Return

α = Constant Value

β = Coefficient

X (Independent Variable) = Actual Return

$$Y = 3.718 + 3.407 (\text{Actual Return})$$

From the above regression equation we can calculate the expected return on our investment.

Findings of the Study

The major findings of the study are mentioned here under:

Table No. 7 Principal Components Extracted

S. No.	Main Components	Sub Components
1.	Personal Achievement	Family Size, Type of Residence, Educational Qualification and Years of Experience
2.	Dependency Factor	No. of Children
3.	Recognition Factor	Family Structure and Designation

1. The major findings of the study showing factors influencing investment behaviour are shown through the principal components in the table given above.
2. It was found that among the nine identified factors influencing investment behaviour of the respondents only three principal components were formed. These components are Personal Achievement, Dependency Factor and Recognition Factor.
3. In the personal achievement factor, the variables considered were family size, type of residence, educational qualification and years of experience.
4. In the dependency factor, children dependence was considered as the major variable.
5. In the recognition factor, family structure and designation of the respondent was considered as major variable.

6. The expected return was found to be impacted by the constant value 3.718 and the coefficient of actual return came out to be 3.407 framing the linear equation of expected return.

Conclusion

As we know that the investment behaviour of an individual can be impacted by various demographic and socio economic characteristics and the performance of securities in his portfolio. So, these are considered to be important determinants of investment behaviour of an individual.

Considering these element, it was seen that personal achievement, dependency and recognition factors were found to be majorly affecting the investment behaviour in this study.

In context of forecasting the expected return considering the actual return which is earned by respondents on his investment the constant value came out to be 3.718 which is the minimum expected return on the investment.

Thus it is finally concluded that in Sagar district of Madhya Pradesh, investors have good portfolio knowledge and the socio economic characteristic are the major factors that influenced their investment behaviour.

Suggestions

1. In Sagar District, the government should cater to more financial literacy programmes for increasing the investment pattern of individuals.
2. The investment avenues should be more linked with return accompanying safety to increase the small investor base in Sagar district of Madhya Pradesh.

References

- Bhalla, V. (2000). *Investment: Objectives and Risk*. In V. Bhalla, *Investment management* (7 ed., pp. 3-20). Delhi: S.chand and company ltd.
- Donald E.Fisher, R. J. (2004). *Risk and Return*. In R. J. Donald E.Fisher, *Security Analysis and Portfolio Management* (6 ed., pp. 66-91). Delhi: Pearson Education.
- Gordon J. Alexander, W. F. (2002). *Introduction*. In W. F. Gordon J. Alexander, *Fundamentals of Investments* (3 ed., pp. 1-14). New Delhi: Prentice hall of India private ltd.

- *Jbingan, M. (2013). Interest. In M.L.Jbingan, Microeconomics Theory (7 ed., pp. 441-455). Delhi: Vrinda publication.*
- *Kburana, S. (1999). Security Analysis. In S. kburana, Security Analysis and Management Investment (1 ed., pp. 114-130). New Delhi: A Skylark*

“आंचलिक परम्परा में फणीश्वरनाथ रेणु का स्थान”

अनिरुद्ध गोयल*

हिन्दी साहित्य में आंचलिक उपन्यासों की प्रवृत्ति प्रेमचन्द्र के राष्ट्रीय एवं सामाजिक परम्परा से भिन्न-भूमि पर प्रतिष्ठित है। प्रेमचन्द्र ने उपन्यास एवं कहानी को कोरी कल्पनाओं के क्षितिज से उतारकर यथार्थ जीवन से जोड़ दिया। उनके उपन्यासों में सेवासदन, ‘प्रेमाश्रय’ रंगभूमि, काया-कल्प, निर्मला, गबन, गोदान एवं कर्मभूमि प्रमुख हैं। इन सभी रचनाओं में निम्न-निम्न मध्यवर्ग एवं मध्यवर्ग की चेतना को अभिव्यक्ति दी है। अपने उपन्यासों की संरचना के लिए उन्होंने जिन पात्रों एवं उपकरणों का आश्रय लिया है वे व्यक्तिगत वैशिष्ट्य से युक्त न होकर समूह विशेष के प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित हुए हैं। ग्रामीण जीवन का सौंदर्य उनके उपन्यासों में प्राणमयी झाँकियों के रूप में रूपायित हुआ है। उनके उपन्यासों में एवं कहानियों में यथार्थ प्राणतत्त्व बनकर रूपायित हुआ है। ग्रामीण समाज, सामाजिक कुरीतियों, धार्मिक पाखण्ड, वेश्या समस्या, अछूत समस्या, राजनैतिक एवं सामाजिक समस्याएँ तथा समाज के विभिन्न वर्गों का चित्रण इनके उपन्यासों की विषय वस्तु रही है।

वस्तुतः कविता यथार्थ की उपेक्षा कर सकती है पर कहानी एवं उपन्यास के लिए यथार्थ प्राण तत्व है —

*“कविता यथार्थ की उपेक्षा कर सकती है, संगीत यथार्थ को छोड़कर भी जा सकता है, किन्तु उपन्यास और कहानी के लिए यथार्थ प्राण है।”*¹

उनकी रचनाओं में यथार्थ झाँकियों का संयोजन अपूर्व है किन्तु उपन्यासों में आंचलिक प्रवृत्तियाँ न के बराबर हैं। हिन्दी उपन्यास में सामाजिक यथार्थ के चित्रण का श्रेय प्रेमचन्द्र को जाता है।

वृन्दावन लाल वर्मा ने ऐतिहासिक तथ्यों के साथ कल्पना का समावेश कर रोचक ऐतिहासिक उपन्यासों की रचना की। इन्होंने सामाजिक उपन्यासों पर भी लेखन किया। ‘गढ़-कुण्डार’, विराटा की पद्मिनी, झाँसी की रानी एवं मृगनयनी इनकी उल्लेखनीय औपन्यासिक कृतियाँ हैं।

प्रेमचन्दोत्तर युग में उपन्यास के क्षेत्र में नवीन प्रवृत्तियों के दर्शन होते हैं।

* असिस्टेंट प्रोफेसर, बुन्देलखण्ड कॉलेज, झाँसी।

मनोविश्लेषणात्मक उपन्यास इस युग की मूलभूत विशेषता है। इस युग में ऐसे उपन्यासों की संख्या भी कम नहीं, जिनकी कथाकृतियों में मनोविश्लेषणात्मक तत्व केवल तत्वों के रूप में समाविष्ट हुए।

जैनेन्द्र कुमार अज्ञेय, इलाचन्द्र जोशी आदि व्यक्तिमुखी कलाकारों ने व्यक्ति चित्रण को अपनाया है। इन उपन्यासों में व्यक्ति अपनी समस्त मानसिक कुण्ठाओं, दुर्बलताओं, मनःस्थितियों एवं निजी मान्यताओं को लेकर उपस्थित हुआ है। यशपाल के साहित्य में समाजवादी धारा स्पष्ट दिखाई देती है।

आंचलिकता की प्रवृत्ति को उदयशंकर भट्ट, अमृतलाल नागर और देवेन्द्र सत्यार्थी क्रमशः — सागर, लहरे और मनुष्य, बूंद और समुद्र, ब्रह्मपुत्र ने गति प्रदान की। हिन्दी साहित्य में आंचलिकता के पदार्पण का श्रेय बिहार प्रदेश को जाता है। आंचलिक उपन्यासों के विकास क्रम में नागार्जुन का नाम विशेष उल्लेखनीय है इनके उपन्यासों में 'बाबा बटेश्वरनाथ', 'बलचनमा', 'वरुण के बेटे', 'नई पौध एवं दुखमोचन' में आंचलिकता अपने सम्पूर्ण परिवेश को लेकर उपस्थित हुई है। इनके उपन्यासों में बिहार के दरभंगा जिले के जन-जीवन का चित्रण यथार्थ संदर्भों में हुआ है।

आंचलिक उपन्यासों में सर्वप्रथम रेणु ने अपने उपन्यासों द्वारा नई सृजनात्मक शक्ति के दर्शन कराए एवं शिल्प को नई संवेदनाएं दीं, जिसके परिणामस्वरूप क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ।

आंचलिक उपन्यासकारों के स्वर्णयुग का शुभारम्भ 'फणीश्वरनाथ रेणु' के सशक्त लेखन से आरम्भ हो जाता है। 'मैला-आँचल' रेणु का प्रथम उपन्यास है जिसके प्रकाशित होते ही उपन्यास जगत में चर्चाओं का बाजार गर्म हुआ, परिणामस्वरूप उपन्यास साहित्य की रचना प्रक्रिया में क्रांतिकारी परिवर्तन आया। 'रेणु' जी कृत 'मैला-आँचल' एवं 'परती ! परिकथा' हिन्दी साहित्य की अनुपम, अमिट देन है। रेणु साहित्य-सृजन के उन शास्त्रीय तत्वों से दूर रहे जिनके पिष्टपेषण से अर्थहीनता का संचयन होने लगा था। कथा सृष्टि के सम्पूर्ण अवयवों में निहित जीवन मूल्यों एवं तत्वों के आधार पर ही इनका पर्यवेक्षण समुचित हो सकता है। वे जनजीवन में इस तरह रचे-बसे हैं कि अपने पृथक्त्व का बोध ही नहीं कराते।

आंचलिक उपन्यासों की रचना धार्मिकता में शिल्प एवं संवेदना के नये आयाम विकसित हुए। आंचलिक उपन्यासों के कुछ अवयव हैं, जो परम्परागत

औपन्यासिक रचना तत्वों से प्रकृति में भिन्नता रखते हैं। आंचलिक उपन्यासों की आन्तरिक अन्विति एवं संगुम्फन के प्रमुख विधायक तन्तु इस प्रकार हैं — (1) कथा—विन्यास का नया तौर तरीका (2) विशिष्ट यथार्थवादी परिवेश (3) पात्रों की विभिन्न मनःस्थितियाँ (4) बिम्बो प्रतीकों, ध्वनि संकेतों एवं लोक—रंगों से युक्त भाषा।

इन तत्वों की पारस्परिक रचना—धर्मिता एवं कौशल में ही संरचना की सफल अभिव्यक्ति है।

‘रेणु’ जी के उपन्यास कई दृष्टि बिन्दुओं से महत्वपूर्ण हैं। इनके उपन्यासों ने साहित्य में ‘नई विधा’ का नामकरण किया, साथ ही साथ शिल्प सम्बन्धी नवीन संदर्भ बोध प्रदान किए। ‘मैला आँचल’ के साहित्य में प्रवेश के साथ ही कई प्रसिद्ध लेखकों ने प्रेरणाएं ग्रहण की।

हिन्दी में आंचलिक प्रवृत्ति के आगमन के साथ ही विभिन्न शैलियों का आगमन हुआ। यहाँ प्रस्तुत संदर्भ में इन शैलीकारों की उपलब्धि एवं शिल्पगत विशिष्टताओं पर विवेचन करना उपयुक्त होगा।

आंचलिक उपन्यासों के शिल्पगत वैशिष्ट्य एवं शैलीगत उपलब्धियों पर विचार करते समय श्री वृन्दावनलाल वर्मा को विस्मृत नहीं किया जा सकता। वस्तुतः आंचलिक प्रवृत्ति, परिवेश, वार्तालाप एवं चरित्र—गठन का जो विकसित रूप आंचलिक कथाकारों में दृष्टिगत होता है, उसके उत्स बीज, वर्मा जी के उपन्यासों में उपलब्ध होते हैं। ‘कचनार’, ‘गढ़कुण्डार’, ‘विराटा की पद्मिनी’ आदि उपन्यासों में ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में आंचलिक उपन्यासकारों वाला परिवेश एवं वातावरण, रीति—रिवाज, वार्तालाप एवं भौगोलिक ज्ञान का पुट मिल जाता है। उनके उपन्यासों में रंग—बिरंगे चित्र अंचल—विशेष को चित्रित करने के लिए प्रयुक्त हुए हैं। उपन्यासों में उनका भौगोलिक ज्ञान उभर कर आया है जो उनके उपन्यासों को यथार्थ परिप्रेक्ष्य में लाता है।

‘उनके उपन्यासों में आंचलिकता साधन है, साध्य नहीं। उस आंचलिकता में भी व्याप्ति नहीं, आशंकिता है। यह आशिकता ऐतिहासिक पक्ष के प्रबल होने के कारण है। अपने उपन्यासों में वह आंचलिक भाषा, परिवेश, रीति—रिवाज, वातावरण आदि को सजीव कर देते हैं, इसी कारण हम उन्हें आंचलिक उपन्यासों की शैली का प्रवर्तक स्वीकार कर सकते हैं।’²

आंचलिकता के विकास क्रम में उदयशंकर भट्ट के उपन्यास यथार्थवादी भूमि पर चित्रित है। 'सागर लहरें' और मनुष्य' में परिवेश की सृष्टि प्रकृति प्रधान है। उपन्यास का आरम्भिक वातावरण ही भयंकर समुद्री तूफान है। गरजता हुआ समुद्र और उसके किनारे बिछी लाशें, बरसोबा में मछलियों का एकत्रित कर सुखाया जाना, फिर उन्हीं के विक्रय से अपनी रोजी-रोटी चलाना आपदामय जीवन की अनुभूति है। समुद्र इनकी जीविका का एक सहारा है तूफानों से लड़ना और उससे रोटी छीनना इनका दैनिक कार्य बन गया है। सामुद्रिक अभियान-विवरण में पर्याप्त रोमांच, कौतुहल और निर्वाह है। समुद्र के किनारे झंझा और उसके कारण समुद्र के भयानक रूप-परिवर्तन का दृश्य द्रष्टव्य है —

“समुद्र में खलबली सी मच गई, जैसे सारे समुद्र को आँधी की विशाल मथानी से कोई मथे डाल रहा हो। आकाश को घने बादलों ने ढक लिया लगता था, जैसे हमारे ऊपर एक नया सार उमड़ रहा हो। लहरे उछल-उछल कर 'मचवे' की पट्टियों से टकराती अपने क्रोधी मुख से झाग फेंकने लगी। लहरों को देखकर मालूम होता था जैसे पहाड़ दूर से उड़कर चले आ रहे हों। उस समय हवा की रफ्तार कम से कम डेढ़ सौ मील प्रति घंटा होगी।”⁹

'रेणु' की भांति पूर्ण आंचलिकता का परिपाक 'सागर लहरें और मनुष्य' में नहीं हुआ है। उपन्यास की भाषा मराठी एवं सामान्य हिन्दी का मिश्रित रूप है। उपन्यास में वर्णित पात्र—जागला, माणिक, यशवन्त, डॉ० पाण्डुरंग आदि ऐसे पात्र हैं, जो उपन्यास में गति तो लाते हैं पर आंचलिकता की कसौटी पर खरे नहीं उतरते। ये पात्र आंशिक रूप से उपनगर का और आंशिक रूप से नागरिक जीवन का प्रतिनिधित्व करते हैं। उपन्यास में आंचलिक उपन्यासों की भांति एक अंचल विशेष अपनी विशिष्टताओं के साथ उभर कर नहीं आ पाता, अपितु इस उपन्यास में नागरिक एवं ग्रामीण जीवन को प्रदर्शित करने वाली झाँकियाँ ही उभर कर सामने आती हैं। आंचलिक एवं शहरी जीवन का यह मिश्रित चित्रण आंचलिक स्वस्थ परम्परा के लिये स्वीकार नहीं किया जा सकता।

आंचलिकता के नवीन औपन्यासिक विकास क्रम में अमृतलाल नागर का योगदान भी विशेष उल्लेखनीय है — 'बूंद और समुद्र' के माध्यम से लखनऊ के एक विशिष्ट क्षेत्र का उसके परिवेश का चित्रांकन पूरे रंगों के साथ यथार्थ परिप्रेक्ष्य में किया है। प्रस्तुत उपन्यास के माध्यम से अंचल विशेष को संगतियों, विसंगतियों, दुर्बलताओं, विशिष्टताओं, पारम्परिक सड़े गले विशाल सामुद्रिक परिवेश में बूंद-बूंद के सदृश्य विभिन्न परिस्थितियों रूपी भयंकर लहरों की विभीषिका सहन करते हुए भी अपना विशिष्ट महत्त्व एवं अस्तित्व विलग रखने को विकल है।

पं० नन्द दुलारे वाजपेई सीमित अर्थ में श्री उदयशंकर भट्ट एवं नागर जी को आंचलिक उपन्यासों का प्रवर्तक स्वीकार करते हैं — ‘उनकी कृतियों में हिन्दी उपन्यास के वस्तु तथ्य अथवा रचना शिल्प में कोई बड़े परिवर्तन उपस्थित नहीं हुए। इन लेखकों के ये नवीन उपन्यास अधिक नवीन पाठकों को प्रभावित कर सके — यह सच है, किन्तु उपन्यास साहित्य की रूपात्मक या भावात्मक गतिविधि में कोई बड़ी क्रान्ति नहीं हो पाई।’^५

‘उदयशंकर भट्ट’ एवं ‘अमृतलाल नागर जी’ के समकक्ष ही ‘देवेन्द्र सत्यार्थी’ के उपन्यास ठहरते हैं। ब्रह्मपुत्र असम के लोक—जीवन पर आधारित है। इसमें उपन्यासकार देवेन्द्र सत्यार्थी उस अंचल के निवासी नहीं हैं, खानाबदोश रहे हैं। परन्तु उन्होंने ब्रह्मपुत्र नदी का किनारा चुन लिया है। अतः सत्यार्थी जी पर्यटक के रूप में हमारे समक्ष उपस्थित होते हैं। अतः आंचलिक जीवन की जिस मानवीय तरलता एवं अनुभवों की गहराई की आवश्यकता रहती है, उस मानवीय सरलता एवं अनुभवीय सम्पदा का यहाँ प्रायः अभाव ही है।

शिवप्रसाद सिंह का ‘अलग—अलग वैतरणी’ उपन्यास अपनी कथा संयोजना में अलग ही है। पूर्वी उत्तर—प्रदेश के जनजीवन एवं उनकी जीवन पद्धति का विश्लेषण यथार्थ परिवेश में नवीन संदर्भ—बोधों के साथ प्रस्तुत हुआ है। प्रस्तुत उपन्यास में लेखकीय संवेदना की गहरी पैठ है। जिससे ग्रामीण जीवन का अंकन अपनी समस्त अच्छाइयों एवं बुराइयों के साथ हुआ है। उपन्यास में पात्रों की संख्या अधिक है। स्वातंत्र्योत्तर ग्राम्य जीवन और उसमें आये विविध सांस्थानिक परिवर्तनों, प्रभावों एवं टूटन का समग्र आलेखन ही इसकी विषय—वस्तु है।

‘अलग—अलग वैतरणी का विखराव’ अनेक उड़ते गुब्बारे के एक केन्द्र में बंधे रहना जैसा है। कृति की घटनाएँ बिखरती प्रतीत होकर भी केन्द्रित रहती हैं। कहीं से कोई रिक्तता नहीं रह जाती है और न कोई छोर छूटा रह जाती है।^६

श्री राजेन्द्र अवस्थी कृत ‘जंगल के फूल एवं सूरज’ किरन की छाँव में अभिनव शिल्प एवं कथा संयोजन की दृष्टि से विशेष महत्व रखते हैं। दोनों उपन्यास आदिवासी जनजातियों के जीवन वृत्त से सम्बन्धित होने के कारण उपन्यास में आदिवासियों की भाषा का प्रयोग हुआ है। ‘जंगल के फूल’ उपन्यास को यदि ऊपर की दृष्टि से देखा जाए तो वहाँ सुलकसाये तथा महुआ की प्रेम—कथा ही लगती है परन्तु वास्तव में महुआ और सुलकसाये की कथा तो इस उपन्यास की एक उपकथा ही है। लेखक नेझालर, झिरिया, झरपन, सिरहा, मुसरीयता, सिकमी, गगी आदि अनेक जंगल के फूलों के माध्यम से ‘बस्तर—क्षेत्र के जीवन को पाठकों के सामने प्रस्तुत किया है।

सूरज किरण की छांव में राजेन्द्र अवस्थी ने बस्तर के गोड़ों के जीवन को ईसाई धर्म-परिवर्तन की समस्या के सहारे प्रस्तुत किया है। मुखिया की लड़की के साथ ईसाई मिशनरी का लड़का बिलियम बलात्कार करता है परिणाम स्वरूप उसे ईसाई धर्म स्वीकार करने पर विवश होना पड़ता है। पर एक डॉ० की सहायता से, जो धर्म परिवर्तन पर विश्वास नहीं करता, गोंड लड़की अपनी जाति में वापस लौटती है और ईश्वर से प्रार्थना करती है कि किसी भी निस्सहाय को अपना समाज छोड़कर ईसाई धर्म स्वीकार न करना पड़े। समस्त उपन्यास गोंडों के आचार-विचार और विशिष्ट प्रकार के नृत्यों और गीतों से सजा हुआ है जिससे इस जनजाति का समग्र रूप प्रस्तुत होता है।

छोटुल की विशिष्ट प्रथा के कारण यह जन-जाति अन्य भारतीय जनसमुदायों से भिन्न और विशिष्ट हो जाती है। विवाह-पूर्व युवा लड़के-लड़कियों में स्वतंत्र निर्वाचन और यौन-संबंध इस जाति की एक विशेषता है जो इन छोटुलों में नियमित रूप से घटित होती है। एक ऐतिहासिक घटना के द्वारा लेखक ने अपने वर्णन को और भी प्रमाणिक बना दिया है और वह है गोड़ों का अंग्रेजी अफसरों के विरुद्ध संघर्ष।

भाषा में काव्यात्मक सौंदर्य के साथ ही साथ भावात्मक गहराई के भी दर्शन होते हैं – ‘भाग्य छाया की तरह’ होता है। जब कोई उसे पकड़ना चाहता है तो वह दूर भागता है और जब आदमी उदासीन हो जाता है, वह पीछा करने लगता है।’

‘रांगेय राघव कृत ‘कब तक पुकारू’ उपन्यास कथा-संरचना की दृष्टि से फैलाव और बिखराव दोनों लिए हुए है। उपन्यास में चार पीढ़ियों की कथा को एक साथ बांधने का प्रयत्न किया गया है। कथानक में हृदयग्राही, मर्मस्पर्शी एवं संवेदनात्मक स्थलों का समावेश किंचित स्थलों पर बड़ी कलात्मकता के साथ प्रस्तुत हुआ है। उपन्यास में एक अनावश्यक ठहराव है। लेखक जिस चुस्ती और मुस्तैदी से कथानक का प्रारम्भ लेकर चले थे वह विभिन्न कारणों से अन्त तक नहीं निभा पाये।

‘अंधियारी और घना हो गया था और कोई भी तारा जैसे उसकी पतों को हटाने और काटने में असमर्थ हो या। खेतों में हवा सनसनाने लगी और दूर-दूर तक आकाश में भागती फिरती। यातना सी कर उठती..... खेत हिलते और कांप उठते। उनकी अपनी झटा आज लज्जा में डूब रही। कुएं की उदासी निकल कर

उसकी जगत पर पड़े चरस में भा गई और चरस से पानी की जगह विवशता गिर रही थी।^१

भाषिक रचना—कौशल में प्रतीकों, ध्वनियों एवं बिम्बों का चयन एवं अद्भुत प्रयोग भाषा को गति प्रदान करता है। लेखक ने ब्रज अंचल में प्रचलित शब्दों का प्रयोग भी यत्र—तत्र किया है। यथा — ‘नासपिटे’, दारी, साला, दयी, मारी, छिनाल आदि।

‘शैलेष मार्तयानी’ के उपन्यास हौलदार (1960) एवं चिट्ठीसेन (1961) सैटिंग की दृष्टि से आंचलिक उपन्यासों में परिगणित किये जाते हैं। यद्यपि ये अंचल के समग्र—जीवन को प्रस्तुत नहीं करते। “हौलदार” उपन्यास के प्रारम्भ में लेखक ने स्वयं स्वीकारा है।

‘रेणु’ जी आंचलिक उपन्यासकारों में अप्रतिम है। उनका ग्राम्य जीवन का चित्रांकन, सम्पूर्ण, वैविध्यपूर्ण एवं अनुभव की गरिमा से मण्डित है। उन्हें अंचल के रेशे—रेशे से आत्मिक लगाव है। लेखकीय संवेदना की तरलता से गाँव अपने सम्पूर्ण परिवेश, आर्थिक सामाजिक जीवन एवं नर—नारी सजीव होकर हमारे नेत्रों के सम्मुख चल—चित्रों की भांति घूम जाते हैं। ग्रामीण शब्दावली यथार्थ परिप्रेक्ष्य में इतनी रोचक एवं मर्मस्पर्शी बनकर ऐसा दृश्य विधान प्रस्तुत करती है कि अंचल अनायास पाठक के समक्ष सजीव रूप धारण कर उपस्थित हो जाता है। सम्पूर्ण उपन्यास गांव की शैली में लिपिवद्ध किया गया है —

‘आज पुरनियां हैं। कल यदि बरखा नहीं तो सारा पारव सूखा रहेगा।’

‘रेणु’ जी की शैली में काव्यात्मकता के साथ—साथ ही भाव प्रवणता का आधिक्य है। रेणु के कवि हृदय की कोमलता के कारण कहीं—कहीं भावुकता की गहराई एवं लम्बे—लम्बे विवरणों के संयोजन से कठिनता घनीभूत हो उठी है। निम्न उदाहरण उसके लिये पर्याप्त होगा।

‘वेदान्त—भौतिकवाद—सापेक्षवाद—मानवतावाद ! हिंसा से जर्जर प्रकृति रो रही है। व्याध के तीर से जख्मी हिरण—शावक सी मानवता को पनाह कहाँ मिले ? — हा—हा—हा अट्टहास ! व्याधों के अट्टहास से आकाश हिल रहा है, छोटा सा नन्हा सा ! हिरण हाँफ रहा है — — यह अंधेरा नहीं रहेगा। मानवता के पुजारियों की सम्मिलित वाणी गूंजती है। — पवित्र वाणी ! उन्हें प्रकाश मिला है तेजोमय ! क्षत—विक्षत पृथ्वी के घाव पर कोई शीतल चन्दन लेप रहा है।’^{१०}

परती: परिकथा का तो पूरा कलेवर ही आघोपांत काव्यमय है। पात्र घटनावलियाँ, विवरण के समस्त अवयव काव्य रस में आकण्ठ डूबे हैं। “दूध भरे पोखर में चांद! अदृश्य अचंचल अंचल सू दूध झरते देखा है। माँ-माँ की मृदं गंध से उसका आंगन महक उठा।”⁹

हिन्दी उपन्यास साहित्य में आंचलिक उपन्यासों के पदार्पण के साथ ही जिस नई विधा का सूत्रपात हुआ उसकी यथार्थता, प्राणवत्ता, सम्प्रेषणीयता हेतु नवीन-शिल्प की आवश्यकता हुई। पुरातन एवं निर्जीव पड़ी हुई भाषा में आंचलिक संदर्भों, स्वरों ने पुनः नवजीवन का संचार कर अर्थवत्ता प्रदान की। आंचलिक उपन्यासों संदर्भों, स्वरों ने पुनः नवजीवन का संचार कर अर्थवत्ता प्रदान की। आंचलिक उपन्यासों ने लोक-भाषा के सर्जनात्मक प्रयोगों द्वारा नवीन संभावनाओं के द्वार अनावृत् किये। साथ ही बदलते संदर्भों एवं मूल्यों, जीवन के माहौल की अभिव्यक्ति में असफल होने पर अभिव्यंजना हेतु बिम्बों, प्रतीकों एवं ध्वनि संकेतों का सहारा लिया है। इस नई भाषिक संरचना की परम्परा में जो प्रमुख हस्ताक्षर दृष्टिगत होते हैं, उनमें ‘रेणु’ का नाम प्रमुख है। इस नवीन प्रयोग धर्मिता का श्रेय ‘रेणु’ की रचनाकृति ‘मैला-आंचल’ को जाता है।

रेणु ने अपनी रचना कृतियों में लोकानुभूति एवं लोक संपृक्ति की विविध-रूपायनी छवियों का अंकन यथार्थ परिवेश में किया है।

उपन्यास में लोक जीवन से चुने गये बिम्बों-प्रतीकों, शब्दों ध्वनियों, रंगों एवं संकेतों के माध्यम से किया है। बिम्बों प्रतीकों एवं ध्वनि संकेतों व लोक रंगों की अवतारणा में रेणु के उपन्यास बेजोड़ है। रेणु में ध्वनियों, रंगों व बिम्बों को निर्मित करने की अद्भुत क्षमता है।

फणीश्वरनाथ रेणु आंचलिक कथाकारों में मैथिल अंचल को अपनी कथावृत्तियों का आधार बनाया है।

डॉ० बेचन के अनुसार –

“मनोरंजकता और उद्देश्य की दृष्टि से विश्व के किसी भी कथाकार को मैंने इतने चाव से नहीं पढ़ा, जितने चाव से रेणु को पढ़ता हूँ। अतः रेणु मेरे प्रिय कलाकार हैं।”

संदर्भ ग्रन्थ

- विचार और वितर्क – डॉ० हजारी प्रसाद द्विवेदी, पेज 95

- हिन्दी के आंचलिक उपन्यास – श्री प्रकाश बाजपेयी, पेज 37
- उदयशंकर भट्ट – सागर लहरें और मनुष्य, पेज 46
- मासिक पत्रिका 'कल्पना' 1972 जुलाई अंक, पेज 28
- हिन्दी के आंचलिक उपन्यासों में जीवन सत्य –डॉ० इन्दू प्रकाश पाण्डेय, पेज 38
- रांगेय राघव – कब तक पुकारूं, पेज 248
- मैला आंचल – फणीश्वरनाथ रेणु
- मैला आंचल – फणीश्वरनाथ रेणु
- परती परी कथा – फणीश्वरनाथ रेणु

कन्या भ्रूण हत्या : कारण एवं निवारण

बेबी सबीना*

वर्तमान आधुनिक युग में हमारा समाज अनेकों समस्याओं से ग्रसित है, जिनमें से एक प्रमुख समस्या गर्भपात और कन्या भ्रूण हत्या भी है। प्राकृतिक रूप से गर्भपात का होना भी एक समस्या है, किन्तु अप्राकृतिक रूप से गर्भपात का कराया जाना उचित नहीं है। वैश्वीकरण के युग में “गर्भपात” एक गंभीर ज्वलंत सामाजिक समस्या के रूप में उभरकर सामाजिक व्यवस्था को चुनौती देता हुआ प्रतीत हो रहा है क्योंकि गर्भपात के परिणामस्वरूप जहाँ एक ओर अनैतिकता और असामाजिकता को बढ़ावा मिलता है, वहीं दूसरी ओर गर्भपात के कारण ही लिंग अनुपात में भी असमान असंतुलन उत्पन्न हो रहा है क्योंकि आधुनिक युग में नई-नई तकनीकों का प्रचलन होता जा रहा है, तथा वर्तमान में चिकित्सकीय क्षेत्र में विज्ञान ने अभूतपूर्व उन्नति की है, जिसके परिणामस्वरूप सोनोग्राफी, अल्ट्रासाउंड जैसे नई-नई तकनीकों का आविष्कार हुआ है। इन तकनीकों की सहायता से गर्भ में पल रहे बच्चे के लिंग के बारे में भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है तथा गर्भ में कन्या भ्रूण होने का पता लगाकर गर्भ में ही उसे मार दिया जाता है, जो कि उचित नहीं है।

यद्यपि गर्भपात को जनसंख्या नियंत्रित करने के प्रभावशाली तथा लोकप्रिय उपाय के रूप में जाना जाता है, किन्तु नैतिक एवं धार्मिक दृष्टिकोण से गर्भपात को पाप एवं अनुचित माना जाता है। इसी संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र संघ ने 19 मार्च 1972 की अपनी रिपोर्ट में कहा है— “गर्भपात संभवतः समूचे विश्व में प्रयुक्त परिवार नियोजन का व्यापक ढंग है।”

प्राचीन समय में गर्भपात का तरीका तथा उद्देश्य दोनों ही कुछ और थे। साक्षरता का प्रचार तथा प्रसार जो आज है, उस समय नहीं थे, इसी कारण प्राचीन समय में बच्चों की संख्या बहुत होती थी तथा बच्चों को भगवान की देन माना जाता था। श्रमिक वर्गों में तो जितने अधिक बच्चे उतने ही आय का अतिरिक्त जरिया माना जाता था। किंतु समय के साथ-साथ लोगों की सोच में भी परिवर्तन होने लगे। सरकार की नीतियों की वजह से भी लोग छोटे परिवार को उचित मानने

* शोध छात्रा, स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज, जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी, जयपुर (राजस्थान), भारत।

लगे। किंतु जहाँ कुछ लोग परिवार को नियंत्रित करने के लिए परिवार नियोजन साधन अपनाते हैं, तो वहीं कुछ ओर अन्य लोगों को अपनी लापरवाही के कारण गर्भपात का सहारा लेना पड़ता है।

प्रायः सभी धर्मावलंबी गर्भपात को अनैतिक पाप और धर्म विरोधी मानते हैं। प्रारंभ में केवल रूस व जापान में गर्भपात को मान्यता दी गई थी पर आज कई अन्य योरोपीय तथा एशियाई देशों में गर्भपात को परिवार नियोजन के साधन के रूप में कानूनी मान्यता दे दी गई है। भारत में भा. दं. सं. 1860 की धारा 312 में गर्भपात के लिए दंड की व्यवस्था की गई है। भारत के संसद में भी गर्भपात को परिवार नियोजन के वैध साधन के रूप में मान्यता देने का प्रश्न उठाया गया फलतः गर्भपात को 1 अप्रैल 1971 से कानूनी वैधता प्राप्त हो सकी। फिर भी हमारे देश का गर्भपात अधिनियम अन्य देशों की तरह गर्भपात कराने की खुली छूट प्रदान नहीं करता। इस प्रकार उपर्युक्त परिस्थितियों के सकारात्मक पक्ष को ध्यान में रखते हुए गर्भपात को एक वैधानिक स्वरूप प्रदान किया गया, किंतु इसका एक नकारात्मक पक्ष यह हुआ कि भ्रूण परीक्षण के पश्चात कन्या भ्रूण की हत्या की जाने लगी। भ्रूण परीक्षण तथा उसके पश्चात भ्रूण को नष्ट करने अथवा गर्भपात कराये जाने के दुरुपयोग की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए मानवीय, सामाजिक तथा वैधानिक कदम उठाया जाना आवश्यक प्रतीत हुआ है और अंततः गर्भधारण पूर्व एवं प्रसवपूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिबंध) अधिनियम 1994 पारित किया गया। तथा 1996 में इसके अंतर्गत नियम तथा सलाहकार समिति के नियम बनाए गए। बाद में महसूस किया गया कि यह कानून पर्याप्त नहीं है तथा इस कानून में 2002 तथा 2003 में संशोधन किए गए हैं। इस कानून के अंतर्गत वर्ष 2000 में एक रिट याचिका सुप्रीम कोर्ट के समक्ष सेंटर फॉर इन्क्वायरी इन टू हेल्थ एंड एलाइड थीम्स द्वारा प्रस्तुत की गई थी। इस याचिका की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कुछ निर्देश सरकारों को दिये थे। जिनका उल्लेख इस निर्णय में दिया गया है। यह निर्णय आने के पूर्व इस कानून में वर्ष 2002 तथा 2003 में संशोधन किए गए हैं।

परंतु कानून बनाए जाने के पश्चात भी हमारे समक्ष ज्वलंत प्रश्न यह उभरकर आता है कि क्या वास्तव में इन कानूनों का पालन हो रहा है? क्योंकि मानव समाज के विकास के क्रम में स्त्री और पुरुष की भूमिका समान रही है। किंतु भौगोलिक, आर्थिक, ऐतिहासिक कारणों से स्त्री और पुरुष की स्थिति में अत्यधिक परिवर्तन हुआ है। भारत वर्ष में धार्मिक एवं सामाजिक कारणों से पुत्र

को पुत्री की अपेक्षा अधिक महत्त्व दिया जाने लगा और इस प्रकार क्रमशः देश के अधिकांश भागों में पितृ प्रधान समाज की स्थापना हुई और जिसके परिणामस्वरूप पुरुष को स्त्री की अपेक्षा अधिक महत्त्व मिलने लगा। यहां तक की राजपूतों में कन्या के जन्म होते ही उन्हें मार डालने का प्रचलन था।

प्रश्न जहां तक कन्या भ्रूण हत्या का है, निश्चय ही यह 21वीं सदी के भारतीय समाज के समक्ष एक ज्वलंत मुद्दा है। क्योंकि कानून बनने के बाद भी अवैध रूप से भ्रूण हत्या के दर में हमें कमी देखने को नहीं मिलता है। जिसका प्रत्यक्ष प्रभाव ना केवल लिंग अनुपात में वरन् सामाजिक संबंधों पर भी पड़ रहा है। यह लिंगानुपात में असंतुलन से एक दिन समाज में परिवार और विवाह नामक संस्था के अस्तित्व पर प्रश्न उठने लगेंगे तथा विवाह नामक संस्कार का अस्तित्व भी खतरे में पड़ने लगेगा। गर्भपात का अर्थ गर्भ का समय से पहले गिर जाना गर्भपात कहा जाता है। 'गर्भपात' से आशय भ्रूण में जीव संचार होने के पूर्व गर्भ को नष्ट कराने से है। ऐसा माना जाता है कि गर्भ धारण से 20 सप्ताह तक भ्रूण में जीवन का संचार नहीं होता।

अन्य शब्दों में कहा जा सकता है कि गर्भपात किसी महिला के जीवन की ऐसी प्रक्रिया है जिसमें उसके गर्भ में पल रहा शिशु भ्रूण प्राकृतिक कारणों से या बीमारी आदि के कारण या मानवीय हस्तक्षेप द्वारा नष्ट हो जाता है या कर दिया जाता है। इस तरह के भ्रूण समापन की दो स्थितियां हो सकती हैं –

- (1) वास्तविक आवश्यकता होने पर तथा
- (2) अवास्तविक कारण

(1) वास्तविक आवश्यकता—

वास्तविक आवश्यकता में माता के जीवन को गंभीर खतरा हो तब या गर्भ में पल रहे शिशु में किसी गंभीर बीमारी के लक्षणों की जानकारी होने पर, जिससे कि उस शिशु के बाद का जीवन असमान्य होने या विकलांग होने की संभावना हो।

(2) अवास्तविक कारण—

इस प्रकार की परिस्थिति में गर्भपात की आवश्यकता वास्तविक रूप में नहीं होती है अर्थात् ऐसी दूसरी स्थिति तब उत्पन्न होती है, जब किसी दंपति को बच्चों की चाह ना हो या उसके परिवार नियोजन का तरीका विफल हो गया हो

या बालक या बालिका विशेष की चाहत ना होने पर किया गया गर्भपात इस श्रेणी में आता है।

परिभाषा —

1. डोनॉल्ड पॉकेट मेडिकल डिक्शनरी के अनुसार— “माँ के जीवन को बचाने के अतिरिक्त अन्य उपायों के लिए किया गया गर्भपात आपराधिक गर्भपात कहलाता है।”
2. दि फ्रॉन्टेना डिक्शनरी ऑफ मॉडर्न थॉट के अनुसार— “भ्रूण के जिंदा रहने की संभावना से पहले उसे निकाल देना गर्भपात कहलाता है।”
3. राजाराम यादव के अनुसार— गर्भावस्था का कोई भी समय हो अथवा भ्रूण की चाहे कितनी भी आयु हो, चिकित्सा न्याय—शास्त्र की दृष्टि से माता की स्वीकृति अथवा अस्वीकृति से, प्रकृति विरुद्ध अन्यायपूर्वक गर्भधारणजन्य पदार्थ को जबरदस्ती (बलात्) निकालना “गर्भपात” कहा जाता है।
4. डॉ. पारिख के अनुसार— “गर्भपात का अर्थ होता है, गर्भावस्था की अवधि में, परिपक्वता को प्राप्त होने से पूर्व ही, गर्भ के पदार्थों का, गर्भाशय से बाहर निकल जाना।”
5. विकीपीडिया के अनुसार— असमय गर्भ के गिरने को गर्भपात की संज्ञा दी जाती है, वह चाहे गर्भधारण के किसी माह में क्यों न गिरा हो। गर्भाशय से भ्रूण का स्वतः निकल जाना या निकाल दिया जाना गर्भपात कहलाता है। इसके परिणामस्वरूप गर्भावस्था की समाप्ति हो जाती है। भ्रूण के किसी कारण से मर जाने या जानबूझकर मार दिये जाने के परिणामस्वरूप गर्भपात होता है।”
6. जनसंख्या स्थिरता कोष के अनुसार— “जब 20 सप्ताह से कम समय में योनि की भ्रूण के स्वयं पनप पाने तक के विकास से पहले यदि किसी नैसर्गिक अथवा प्रयत्नरक साधन से गर्भ समाप्त हो जाता है तो उसे गर्भपात कहते हैं।”
7. विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार— “मृत्यु जो गर्भाधान के परिणामस्वरूप पूर्ण शिशु के रूप में अपनी माता से पृथक् होने (उत्पन्न होने) से पूर्ण हो जाती है, गर्भधारण की अवधि चाहे जो भी हो, भ्रूण मृत्यु कहलाती है।”
8. रतनलाल धीरजलाल के अनुसार— “माँ की कोख से गर्भावधि के पूरे होने से पूर्व ही बच्चे के भ्रूण को अपरिपक्व स्थिति में निकाल देने को ही गर्भपात कहते हैं। अर्थात् गर्भपात प्रसव की उस असाधारण अवस्था को कहा जाता

है, जिसमें गर्भाशय के अंदर स्थित पलता हुआ भ्रूण या शिशु गर्भाधान की पूर्णाविधि पूर्व किसी भी समय गिर जाता है। गर्भाधान की पूर्णाविधि 280 दिनों के लगभग होती है।

9. डॉ. एस. एन. पांडेय के अनुसार— गर्भावस्था की अवधि में गर्भ के पदार्थों का गर्भाशय से बाहर निकाल देना गर्भपात कहलाता है।

सामाजिक दृष्टिकोण में गर्भपात को उचित नहीं माना जाता है क्योंकि सामान्यतया ऐसा माना जाता है कि विधिक तरीके से विवाह करना एवं गर्भधारण कर बच्चे को जन्म देना प्रत्येक माता का अधिकार है, लेकिन यह अधिकार उस परिस्थिति में स्त्री के लिए अभिशाप का रूप धारण कर लेता है जब वह अन्य किसी पुरुष से अवैध संबंध स्थापित करके गर्भवती हो जाती है। ऐसी परिस्थितियों में वह या तो गर्भपात कराने का प्रयास करती है या गर्भपात ना करा पाने की स्थिति में ऐसे उत्पन्न बच्चे को कहीं फेंक देती है या मार डालती है।

प्रायः अधिकांश धर्मावलंबी गर्भपात को अनैतिक, पाप और धर्म विरोधी आचरण की दृष्टि से देखते हैं। पहले प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता होने के कारण लोग जनसंख्या वृद्धि के नियंत्रण के बारे में नहीं सोचते थे। परंतु वर्तमान में स्थिति बदल चुकी है। उच्च मध्यवर्गीय परिवारों में भी, जहां लोग अक्सर एक लड़का एक लड़की के बाद भी महिलाएं तुरंत परिवार नियंत्रित कर लेने के बाद भी महिलाएं तुरंत परिवार नियोजन का उपाय नहीं खोजती, जब गर्भ ठहर जाता है तब गर्भपात का प्रयास करती हैं। यही कारण है कि वर्तमान में लोग गर्भपात को परिवार नियोजन के तरीके के रूप में इस्तेमाल करने लगे हैं क्योंकि आम धारणा तो यही रहती है कि गर्भ ठहर गया तो गर्भपात करा लेंगे। पर हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। गर्भपात के कितने गलत प्रभाव होते हैं, उनकी ओर किसी का ध्यान नहीं जाता। लगभग 12 प्रतिशत महिलाओं की गर्भपात में मौत ही हो जाती है।

इन सब प्रक्रिया में सबसे अधिक प्रभाव महिला पर ही होता है क्योंकि अनचाहा गर्भ उसे तीव्र मानसिक वेदना देता है। प्रसव पीड़ा से अधिक कष्टदायक उसके लिए गर्भपात की पीड़ा होती है क्योंकि उसे यह सब मजबूरीवश करना पड़ता है।

हमारे देश में गर्भपात उन विधवा स्त्रियों में अधिक है जिन्हें सामाजिक बंधनों के कारण पुनर्विवाह की रोक है। इसके अलावा उन अविवाहित लड़कियों

एवं स्त्रियों में जो अपने प्रेमियों या दूसरों की हवस का शिकार हो जाती है और अवैध सम्बन्ध गर्भधारण से मुक्ति चाहती है, विशेषकर जब परिवार की इज्जत का प्रश्न सामने हो। हालांकि आकड़े नहीं हैं किंतु यह अपराध हर सामाजिक स्तर की विवाहिता स्त्रियों द्वारा भी किया जाता है जो परिवार में नये सदस्य नहीं बढ़ने देना नहीं चाहती।

भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत “गर्भपात” शब्द की परिभाषा नहीं दी गई है, किंतु धारा 312 से 314 तक में गर्भपात से संबंधित प्रावधान किया गया है —

(अ) धारा 312 के अनुसार— जो कोई गर्भवती स्त्री का स्वेच्छया गर्भपात कारित करेगा, यदि ऐसा गर्भपात उस स्त्री का जीवन बचाने के प्रयोजन से सद्भावपूर्वक, कारित ना किया जाए, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा, और यदि वह स्त्री स्पंदनगर्भा हो तो दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।

(2) गर्भपात’ से अभिप्राय—गर्भपात की अवधि पूर्ण होने के पूर्व ही किसी भी समय अविकसित बच्चे को अथवा माता के गर्भ से भ्रूण को बाहर निकाल देने अथवा अलग कर देने से है।

(3) “स्पन्द” से अभिप्राय— स्त्री की उस अनुभूति से है जो उसे गर्भावस्था के चौथे अथवा पांचवे महीने में प्रतीत होती है।

गर्भपात 2 प्रकार के होते हैं, जिनमें से प्रथम प्राकृतिक गर्भपात होता है, जिसे चाहकर भी रोक नहीं जा सकता तथा दूसरा, अप्राकृतिक गर्भपात होता है जो कि गर्भवती स्त्री या उसके किसी परिवार वाले द्वारा शल्य चिकित्सा की सहायता से करवाया जाता है। गर्भपात के कारणों की पहचान करना आसान नहीं होता है, किंतु फिर भी सामान्य रूप से निम्न कारणों को प्रमुख माना जाता है—

(1) क्रोमोसोमल आनुवंशिक असामान्यता:— यह गर्भावस्था के पहले तीन महीनों में क्रोमोसोमल आनुवंशिक असामान्यता के कारण होने वाला गर्भपात को जटिल समस्या माना जाता है। इसका सबसे सामान्य कारण है कि निषेचित अंडे के साथ कुछ गड़बड़ी होती है इसके बावजूद भी अंडा बढ़ता और विकसित होता है। इसके परिणामस्वरूप पैदा होने वाला शिशु शारीरिक रूप से विकलांग

होता है, इसलिए ऐसे असामान्य जन्म को रोकने का उपाय गर्भपात ही माना जाता है।

(2) हार्मोनल समस्या, संक्रमण या मातृ स्वास्थ्य समस्या—संक्रमण के कारण माता के स्वास्थ्य पर यदि कोई गंभीर प्रभाव पड़ रहा हो, (कुपोषण, रक्तचाप या हार्मोनल परिवर्तन) जिससे भ्रूण के विकास पर गंभीर प्रभाव उत्पन्न हो या महिला को मलेरिया, सिफलिस जैसी गंभीर बीमारी हो तो भी गर्भपात हो सकता है।

(3) गलत जीवन शैली— गर्भवती महिला के द्वारा अपनाये जाने वाली गलत जीवन शैली जैसे धूम्रपान, दवा का प्रयोग, अत्यधिक कैफीन का उपयोग अपूरणीय क्षति पैदा करते हैं। धूम्रपान करने वाली महिलाएँ 10 सिगरेट से अधिक रोजाना सेवन करे तो तब या तो गर्भ नहीं ठहरता या गर्भपात हो जाने की बहुत अधिक संभावना रहती है। धूम्रपान करने वाली महिलाओं के बच्चों में जन्मजात विकृतियां अधिक पायी जाती हैं।

(4) गर्भाशय में अंडे का असामान्य प्रत्यारोपण— कभी-कभी अंडा गर्भाशय के बदले कहीं अन्यत्र, सामान्यतया गर्भ नलिकाओं में निषेचित होने से भी गर्भपात होता है।

(5) बढ़ती उम्र में गर्भधारण— गर्भाशय और आयु संबंधित हार्मोन में बदलाव आने के कारण माता की बढ़ती उम्र में असामान्य भ्रूण के विकसित होने का भी एक प्रमुख कारण है।

(6) गिर जाने या दुर्घटना से— गर्भवती स्त्री के गिर जाने या कोई अन्य घटित दुर्घटना के कारण भी भ्रूण को गंभीर चोट पैदा हो सकती है।

(7) भारी प्रभावी व्यायाम— भारी प्रभावी व्यायाम भी भ्रूण को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि व्यायामों को करते समय यह सावधानी बरतनी चाहिए कि वह इतना भी श्रमसाध्य ना हो कि गर्भवती स्त्री को बहुत अधिक थकावट हो तथा वह पसीने से चूर हो जाए।

गर्भपात कराने के कई तरीके तथा विधियां मेडिकल साइन्स में मौजूद हैं। कन्या भ्रूण हत्या में उन्हीं का सहारा लिया जाता है, जो कि यदि बिना किसी औचित्य के केवल कन्या भ्रूण से छुटकारा पाने के लिए इरादे से अपनायी जाती है, तो वह अपराध की श्रेणी में आयेगी सामान्यतः धन लोलुप डाक्टर तथा

दम्पतियों की सांठगांठ से इस प्रकार का अनैतिक कृत्य किया जाता है। इसमें कभी-कभी माता की जान भी चली जाती है। उसकी जान न भी जावे तो उसे मानसिक आघात होता है उससे उसके व्यक्तित्व पर दूरगामी प्रभाव पड़ता है।

कन्या शिशु हत्या की पुरातन पद्धतियाँ –

शताब्दी पूर्व के वर्षों में शिशु हत्या के लिए कई अमानवीय साधन के प्रयोग किए जाते थे। कई तरह के विषैले वनस्पतियों का प्रयोग करके नवजात शिशु को मार दिया जाता था। हालांकि 1870 के बाद Female Infanticide Act को समाप्त कर दिया गया किंतु फिर भी देश के अनेकों भाग में आज भी इस तरह की घटनाएं देखने में आती हैं।

कल्लार परिवारों में यह पाया गया कि पति कुछ जहरीली वनस्पतियों को अपनी पत्नियों के गर्भ के समय खिलाकर गर्भपात कराता था।

राजस्थान के भट्टी परिवारों में कन्या शिशु को रोजमर्रा में आमतौर पर मार देते थे। उन शिशुओं को कीचड़ में दबा देते थे वे दुनिया की रस्में नहीं देख पाता था।

इस तरह बर्बर और अमानवीय तरीके से नवजात शिशुओं को मार देते थे। हालांकि समय के अंतराल में और चिकित्सकीय सुविधाओं के उपलब्धता और वैज्ञानिक आधार पर गर्भस्थ शिशु परीक्षण किया जाना आसान हो गया तथापि गर्भस्थ कन्या शिशु के प्रति “अनिच्छा” को समाप्त कर देने का क्रम चलता रहा। इस तरह के अपराधों का सिलसिला कई वर्षों तक चलता रहा है और आज भी चल रहा है। गर्भस्थ शिशु के परीक्षण उपरांत कन्या भ्रूण को समाप्त करने के कुछ तरीके अपनाए जाते हैं जो निम्न हैं—

- दूध के साथ विषैली वनस्पति का रस मिलाकर
- धान का कोड़ा नवजात शिशु के गले में जबरदस्ती डालकर
- नवजात शिशु के माता-पिता द्वारा जानबूझकर पानी ना पिलाना और पानी की कमी से नवजात शिशु का जीवन समाप्त हो जाना।
- अत्यधिक मात्रा में नवजात शिशु को नींद की गोलियां खिलाना।
- नवजात शिशु को गीले टावेल में लपेटकर अथवा बहुत ठंडे पानी में डाल देना।
- अत्यधिक मात्रा में नशीली दवाएं पिलाने से अत्यधिक पतली (दस्त) टट्टियों के कारण नवजात शिशुओं का जीवन समाप्त होना।

- नवजात शिशु को ठंड के समय बाहर खुले में छोड़ देना।
- रात के अंधेरे में नवजात शिशु को कचरे के ढेर में फेंक आना।

ऐसे अनेक कारण अपनाए जाते रहे हैं कि नवजात शिशु को चिकित्सकीय सहायता ना मिल पाए और वह मर जाए। वर्तमान में वैज्ञानिक पद्धति और कई तरह की नई दवाओं के दुरुपयोग के जरिये भी नवजात कन्या शिशु से अनेक महिलाओं को वंचित होना पड़ा और ऐसी महिलाओं को केवल “बच्चा जनने की मशीन” की तरह जीने के लिए बाधित किया जाता है।

महिलाओं के प्रति कभी भी हत्या, बलात्कार, बहुओं को जलाया जाना, वेश्यावृत्ति, तलाक और अब कन्या भ्रूण हत्या या नवजात शिशु हत्या की भी अनेक घटनाएं समाचार पत्र में पढ़ने को मिलती हैं जिन्हें हम शर्मनाक घटनाएं होते हुए भी आंखें मूंदे बैठे हैं।

कन्या शिशु हत्या की प्रचलित विधियाँ —

कन्या शिशु हत्या की विभिन्न विधियाँ प्राचीन काल और विशेषकर राजपूतों के समय में ज्यादा प्रचलन में रही हैं, इनमें से कुछ विधियों का प्रयोग आज भी कन्या शिशुओं की हत्या के लिए किया जाता है। इन विधियों को 2 भागों में बांटा जा रहा है। जिनमें से प्रथम है —

(अ) आचरित कृत्य —

शिशु वध में भी प्रायः वह ढंग अपनाए जाते हैं, जो मानव वध में अपनाए जाते हैं। मात्र हिंसा की मात्रा और उपकरणों में कुछ अंतर हो सकता है। इन कृत्यों में प्रमुख हैं —

(1) दमघुट्टी —

दम घोटने के लिए शिशु के चेहरे को तकिये अथवा गद्दे पर रखकर दबा दिया जाता है अथवा तौलिये या हाथ से ही उसके नाम मुंह को बंद कर दिया जाता है। इसमें कोई भी चिन्ह तभी छूटता है जब आवश्यकता से अधिक हिंसा का प्रयोग किया जाता है। बच्चे को छाती पर कसकर दबा लेने पर भी उसका दम घुट सकता है।

(2) गला घोटना

गला घोटने में भी प्रायः हाथों या पाश से काम लिया जाता है। ग्रीवा पर

खरोचें, अपघर्षण या अंगुलियों और नाखूनों के गड़ाये जाने के चिन्ह भी मिल सकते हैं। बंधन के उपयोग में बंधन या उसके चिन्ह मिल सकते हैं। किसी-किसी केस में नाभि-नाड़ी को ही गले में लपेट कर कस दिया जाता है।

(3) पानी में डुबोना —

शिशु वध की यह बड़ी ही प्रचलित और सामान्य विधि है। नवजात शिशु को कपड़े या कागज में लपेटकर उसे किसी कुएं, नाले, पोखर, तालाब या नदी में फेंक दिया जाता है। कभी-कभी पहले उसका दम घोटकर या गला घोटकर मार देते हैं, फिर अपराध को छिपाने के लिए उसे कागज या कपड़े में लपेटकर इसी प्रकार जलमग्न कर देते हैं।

4. कपाल भंग —

बच्चे की कोमल कपालस्थि सिर को फर्श या दीवार पर पटकने या उस पर घूंसे अथवा किसी अन्य गुट्टल चीज से चोट करने पर आसानी में भंग हो जाती है।

(5) ग्रैव कशेरुकाओं के भंग और विस्थापन —

बच्चों की ग्रीवा बहुत ही छोटी और कोमल होती है। उसको मरोड़ने से ग्रैव कशेरुकाएं आसानी से भंग या विस्थापित हो जाती हैं।

(6) अन्य क्षति —

शिशु वध के उद्देश्य से क्षतों को निर्मित करने के लिए प्रधानतया बारीक सुइयों, आलपीनों या छोटी कैंची को काम में लाया जाता है। इन्हें हृदय, मस्तिष्क, सुषुम्ना शीर्ष अथवा अन्य अंगों में प्रविष्ट करा दिया जाता है।

(7) विषाक्तता —

शिशु वध में विषाक्तता का प्रयोग कम ही देखने को मिलता है। पहले लोग इसी उद्देश्य से बच्चों को अफीम खिला देते थे अथवा माता अपने स्तनों पर लगाकर उसे बच्चे को पिला देती थी। अफीम के अतिरिक्त संख्या, धतूरा, मदार, तंबाकू आदि का भी इसी उद्देश्य से प्रयोग किया जाता था।

(ब) अनाचरित कृत्य—

कानून प्रत्येक माता से इस बात की अपेक्षा रखता है कि सगर्भता की संपूर्ण

अवधि में गर्भस्थ भ्रूण की और पैदा होने के बाद वह अपने नवजात शिशु की जीवन रक्षा का हर संभव उपाय करे तथा उसे समुचित ढंग से पाले-पोसे। यदि वह ऐसा नहीं करता है तो उसे आपराधिक उपेक्षा का दोषी माना जाता है। अनाचरण से होने वाली शिशुओं की मौते प्रायः निम्न कारणों से होती है—

- सगर्भता की अवधि में गर्भ की सुरक्षा के समुचित उपाय ना करना।
- प्रसवकाल के निकट आने पर प्रसव की तैयारी के लिए समुचित प्रबंध ना करना।
- नवजात की नाल काटने के बाद उसमें गांठ न लगाना।
- प्रसवकाल में निस्सरित स्त्रावों में से बच्चे को न हटाना अथवा हटाकर उसी उचित सफाई न करना।
- बच्चे की अवस्था के अनुरूप उसे दुग्ध अथवा किसी प्रकार का पोषाहार या जल न देना।
- बच्चे की सर्दी गर्मी से रक्षा न करना।

कन्या शिशु हत्या जैसे घृणित कार्य के लिए दोनों तरह की विधियों अपनाई जाती है, क्योंकि दोनों तरह के अपराध किया जाता है। वैसे ऐसी महिलाओं की भी कमी नहीं है, जिनके अनुसार ऐसी सोच कुछ घरों तक ही सीमित है। वृहद परिदृश्य में अब लड़कियों को बोझ समझने वाले लोग बहुत कम है। तभी एक या दो लड़की होने पर नसबंदी कराकर अपने परिवार को सीमित करने वाले लोग आज बहुतायत में हैं। अगर लड़कों की इतनी लालसा होती और लड़कियां बोझ समझी जातीं तो 1000 लड़कों के मुकाबले 800—900 लड़कियों का अनुपात न होता। वह तो 500 से भी नीचे हो जाता। हाँ, वे यह जरूर स्वीकार करतीं हैं कि लड़कों की लालसा लोगों में प्रबल है पर लड़कियां बोझ नहीं समझी जातीं। गृहणी नीना कहती हैं, मैं घर में सबसे बड़ी थी। मेरे बाद जब मेरी माँ गर्भवती थीं तो मेरे पिता कहा करते थे कि अगर अगला बच्चा लड़का हो जाए तो परिवार पूरा हो जाएगा। वैसे मेरे बाद भी घर में लक्ष्मी ही आई और उसे भी माता-पिता का पूरा प्यार और देखभाल मिली। लड़के की आस में तीसरे बच्चे की कामना भी मेरे माता-पिता ने नहीं की।

लड़कियाँ समाज के एक बड़े तबके को बोझ भले ही न लगती हों पर लड़कों के आकर्षण से ज्यादातर लोग ग्रसित हैं। उन्हें लगता है कि बिना लड़कियों के तो परिवार पूरा हो सकता है, पर बिना लड़के के एक परिवार की कल्पना

बेईमानी है। यही सोच लड़कियों को कहीं न कहीं पुरुष प्रधान समाज में खुद को दोयम दर्जे पर खड़े होने का अहसास देता है। उन्हें आज भी लगता है कि यहाँ सब कुछ पुरुष के निर्देश पर चलता है और सोच भी उसी के प्रभाव से कायम होती है। सोच यही है कि लड़के लड़कियों से बेहतर होते हैं। वही वंश चलाते हैं, वही माँ-बाप के बुढ़ापे का सहारा होते हैं, वही सुरक्षा के दृष्टिकोण से परिवार की ढाल होते हैं और वही परिवार की जिम्मेदारी उठाते हैं।

लिंग अनुपात एक महत्वपूर्ण जनसांख्यिकीय सूचक है, जो किसी भी समाज की सामाजिक-आर्थिक संरचना को दर्शाता है। कम होता शिशु लिंग अनुपात भारत की जनसांख्यिकी में एक चिन्ता का विषय है। प्रवीण बिसारिया (1971) का अध्ययन पहली बार एक बड़ा प्रयास था, जो लिंग अनुपात में कमी की घटना को समझने हेतु किया गया था। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि विभिन्न आयु समूहों में महिला मृत्यु दर का उच्च होना कम लिंग अनुपात का एक कारक है।

इस लिंग कुप्रबंधन की जड़ों को औपनिवेशिक शासन के दौरान अभिलेखीय रिकार्ड में देखा जा सकता है। दिसम्बर, 1789 में ब्रिटिश निवासी सोनाथन डंकन, जो बनारस में रहते थे और उन्होंने पहली बार कन्या शिशु हत्या को राजकुमार राजपूतों के बीच देखा था, जो बनारस डिवीजन के जौनपुर जिले में रहते थे। डंकन की खोज के बाद से उत्तर, पश्चिम और मध्य भारत, राजस्थान, उत्तर-प्रदेश, मालवा, पंजाब और सौराष्ट्र की राजपूत जाति, कन्या हत्या के सन्दर्भ में प्राप्त अभिलेखों में एक प्रमुख जाति के रूप में पायी जाती है। अन्य जातियाँ जो कन्या शिशु हत्या का अभिलेख प्रतिबिंबित करती हैं, उनमें मध्य गुजरात की लावा, कंकीश और पट्टीदार जातियाँ, जाट, अहिर, गुर्जर, खत्री और उत्तर भारत के मोयल ब्राह्मण आते हैं। ये सभी जातियाँ अपनी उच्चता, सामाजिक और आर्थिक स्थिति को बनाये रखने की कोशिश महिला शिशु हत्या के माध्यम से करते हैं।

हालांकि जाति आधारित जनगणना आजादी के बाद से सन् 2001 (सन् 2011 में जाति आधारित जनगणना को पुनः शामिल किया गया है) तक बंद थी फिर, लेकिन जब अभिलेखों में जानकारी की तुलना की जाती है, तब कन्या शिशु हत्या दर वैसे ही पायी जाती है, जैसे आजादी के बाद से लिंग अनुपात पर क्षेत्र विशेष की जनगणना में पाया जाता था। (विश्वनाथ, 2004)

पितृसत्ता, सामाजिक व्यवस्था का वह स्वरूप है, जिसमें परिवार का

मुखिया पुरुष होता है और परिवार की सम्पत्ति का उत्तराधिकारी पुत्र होता है, न कि बेटी। वंश भी पुरुष के नाम से चलता है और वंशावली की मुख्य कड़ी भी पुरुष होता है। यह व्यवस्था परिवार, समुदाय एवं राज्य के चरित्र को प्रमुख रूप से प्रभावित करती है। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि पुरुष प्रधान सामाजिक व्यवस्था में महिलाओं की स्थिति दोगुने दर्जे की है। किसी भी सत्ता को बनाये रखने के लिये अधीनस्थों का होना आवश्यक है। नौकरों, बंधकों व गुलामों के बगैर कोई मालिक कैसे बन सकता है। पितृसत्ता लैंगिक भेदभाव पर खड़ी है और लैंगिक भेदभाव पितृसत्ता को मजबूत करता है। अतः निश्चित ही पुरुष सत्ताधारी होगा और महिला अधीनस्थ। सत्ता को बनाये रखने के लिये आवश्यक हो जाता है कि अधीनस्थों को अपने नियंत्रण में रखा जाये। महिलाओं पर होने वाली हिंसा को भी इसी संन्दर्भ में देखने की जरूरत है।

आजकल नई तकनीक के आ जाने से लाखों महिलाओं के नरसंहार के रूप में कन्या भ्रूण हत्या ने कन्या शिशु हत्या का स्थान लिया है— जो कन्या के जन्म लेने के अधिकार का खंडन करता है। लिंग निर्धारण के लिए अमीनोसैंटीसिस और अल्ट्रासाउण्ड का बढ़ता उपयोग और इसकी वजह से होने वाले लिंग चयनात्मक प्रेरित गर्भपात के तीव्र प्रसार ने दुःखद परिणामों के साथ बेटियों के अभाव की स्थिति पैदा कर दी है। एलिजाबेथ कौल की लिखी किताब “इंडेजर डॉटर्स” साहस के साथ एशिया में विशेष रूप से चीन और भारत में महिलाओं की कमी का डरावना दृश्य दिखाती है। चीन में 1970 के दशक के अन्त में शुरू की गई एक बच्चे की नीति ने बेटों के लिए और अधिक वरीयता पैदा की। कुछ वर्षों के भीतर, देश के अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में नियमों को शिथिल करके उन माता-पिता को एक दूसरे बच्चे को पैदा करने की छूट दी गई, जिनका पहला बच्चा एक लड़की हो। हमारे देश में बेटे के लिए वरीयता प्रमुख है और एक बेटे का जन्म निवास में सूर्योदय के समान माना जाता है।

राष्ट्रीय परिदृश्य में कन्या भ्रूण हत्या की स्थिति

राष्ट्रीय स्तर पर मृत्यु दर में लिंगानुसार अन्तर, लड़कियों और महिलाओं के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार का परिणाम है। वे सामाजिक प्रथाएँ और सांस्कृतिक लोकाचार कुछ क्षेत्रों में ज्यादा हैं, जो एक औरत को दूसरों की तुलना में कम आंकते हैं। एक हिंसा जो उत्तर भारत के पश्चिम से राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के कुछ भागों में आता है, वहाँ महिलाओं के साथ भेदभाव उनकी

जनसंख्या के लिंग अनुपात में स्पष्ट नजर आता है। वास्तव में, लड़कियों के अनुपात में कमी की वृद्धि 1981, 1991, 2001 और 2011 के दशकों की जनगणना में नजर आती है और ये एक मजबूत सम्भावना को जन्म देती है कि लड़कियों की अपेक्षा के पारम्परिक तरीकों को कन्या शिशु न पैदा होने देने की अनुमति ने प्रतिस्थापित किया है।

तालिका-1
भारतवर्ष के चुने हुए राज्यों में शिशु लिंग अनुपात का रुझान

क्षेत्र	राज्य	वर्ष			
		1981	1991	2001	2011
उत्तर	पंजाब	908	875	793	846
	राजस्थान	954	916	909	901
	उत्तर-प्रदेश	935	928	916	899
दक्षिण	आन्ध्र प्रदेश	992	974	964	952
	कर्नाटक	975	960	968	960
	तमिलनाडु	967	974	995	995
	केरल	970	958	1084	1084
पश्चिम	गुजरात	947	928	918	918
	मध्य प्रदेश	978	952	931	930
पूर्व	बिहार	981	959	938	916
	उड़ीसा	995	967	950	978
	पश्चिम बंगाल	981	967	963	947

(स्रोत— जनगणना 2011, योजना, प्रकाशन विभाग, नई दिल्ली)

भारत में विगत एक शताब्दी में महिलाओं की स्थिति निम्नवत है—

तालिका-2
सौ वर्षों में भारत में महिलाओं की स्थिति

वर्ष	महिलार्ये प्रति हजार
1901	972
1911	964
1921	955
1931	950
1941	945
1951	946
1961	941
1971	930
1981	934
1991	927
2001	933
2011	940

(स्रोत— जनगणना 2011, योजना, प्रकाशन विभाग, नई दिल्ली)

लिंग परीक्षण, कन्या भ्रूण हत्या, गर्भपात, गर्भ का चिकित्सकीय समापन जिनको कई नामों से जाना और पुकारा जाता है, जो सब कहीं न कहीं घरेलू हिंसा के ही अन्तर्गत आते हैं, जो कि आज के नव समाज की ही बात नहीं है। बल्कि प्राचीन समाज से चली आ रही प्रथाएँ हैं। कन्या भ्रूण हत्या केवल कुछ घरों, कुछ मुहल्लों की बात नहीं है, बल्कि सम्पूर्ण समाज, राष्ट्र, भारत की चर्चा का विषय है। देश के विकसित कहे जाने वाले राज्यों में महिलाओं की संख्या में भी काफी गिरावट देखी गई है।

तालिका-3
भारत के 06 बड़े राज्यों में महिलाओं की स्थिति

क्रम	राज्य	वर्ष 1991 में महिलायें प्रति हजार	वर्ष 2001 में महिलायें प्रति हजार	वर्ष 2011 में महिलायें प्रति हजार
1	पंजाब	875	798	846
2	हरियाणा	879	819	830
3	हिमांचल प्रदेश	951	897	906
4	गुजरात	928	883	886
5	चण्डीगढ़	899	845	867
6	दिल्ली	915	868	866

(स्रोत- जनगणना 2011, योजना, प्रकाशन विभाग, नई दिल्ली)

तालिका-4
उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात

	कुल लिंगानुपात	शिशु लिंगानुपात
भारत	933	927
उत्तर प्रदेश	898	916
उत्तर प्रदेश के जिलों में		
>950	13	07
900-950	08	40
850-899	39	23
850-849	10	00

स्रोत : भारत गणराज्य की जनगणना सन् 2011

तालिका-5
उत्तर प्रदेश में विगत साठ वर्षों में महिलाओं की स्थिति

क्रम	वर्ष	महिलार्ये प्रति हजार
1	1951	908
2	1961	907
3	1971	876
4	1981	882
5	1991	876
6	2001	898
7.	2011	899

(स्रोत- जनगणना 2011, योजना, प्रकाशन विभाग, नई दिल्ली)

तालिका-6
डीमारु राज्यों में शिशु लिंग अनुपात

राज्य	वर्ष			
	1981	1991	2001	2011
पंजाब	908	875	793	
हरियाणा	902	879	820	
दिल्ली	996	831	865	
हिमांचल प्रदेश	971	851	897	
उत्तर प्रदेश	935	928	916	

इस प्रकार कन्या भ्रूण हत्या के चलते महिलाओं की संख्या में आई गिरावट को हम आसानी से देख सकते हैं।

कन्या भ्रूण हत्या रोकने में स्वयंसेवी संगठन, स्वैच्छिक व सामाजिक कार्यकर्ता निम्न प्रकार भूमिका निभा सकते हैं –

1. कन्या भ्रूण हत्या रोकने सम्बन्धी प्रोपेगंडा, पब्लिसिटी और प्रचार के अन्य अनेक साधनों के अतिरिक्त शिक्षादायक शोधपत्रों, पुस्तकों का प्रकाशन स्वयंसेवी संगठनों तथा स्वैच्छिक- सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा जन सामान्य में वितरित करना चाहिये ताकि कन्या भ्रूण हत्या जैसी कुप्रथा को रोकने हेतु लोग सजग हों।
2. कन्या भ्रूण हत्या की विभीषिका को दर्शाते प्रपत्र, पत्रकों का वितरण समाजसेवी संगठनों तथा स्वैच्छिक-सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा किया जाना चाहिये, ताकि लोगों में इस सामाजिक समस्या के प्रति जागरुकता फैले। इस कार्य के लिये एन0एस0एस0, एन0सी0सी0, स्काउट आदि के स्वयंसेवकों की भी मदद ली जानी चाहिये ताकि जब वे भविष्य के नागरिक हों तो वे स्वयं भी इस बुराई को करने से बचें।
3. कन्या भ्रूण हत्या को रोकने सम्बन्धी नारों का व्यापक स्तर पर प्रचार करना चाहिये ताकि लोगों का ध्यान इस बुराई की ओर आकर्षित हो और वे इस समस्या को दूर करने में अपना सक्रिय सहयोग दे सकें।
4. कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए सेमिनारों, बैठकों, कांफ्रेंसों, प्रदर्शनियों का आयोजन करना चाहिये ताकि समाज के सभी वर्ग घरेलू हिंसा को दूर करने के लिये आगे आये।
5. कन्या भ्रूण हत्या रोकने सम्बन्धी रैलियों को आयोजन किया जाना चाहिये, इन रैलियों में विद्यार्थियों, अध्यापकों, पत्रकारों, कानूनोंविदों आदि के साथ-साथ सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों को भी सम्मिलित किया जाना चाहिये ताकि वे भी इस समस्या को दूर करने के लिये संवेदित हों।
6. कन्या भ्रूण हत्या रोकने हेतु महिलाओं में शिक्षा का प्रचार-प्रसार करना चाहिये तथा उन्हें उनके अधिकारों के प्रति जागरुक करना चाहिये, साथ ही साथ महिलाओं को उनके कर्तव्यों के विषय में भी बताया जाना चाहिये।
7. समाज के दबाव समूहों यथा राजनीतिज्ञ, न्यायाधीश, ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों को महिलाओं एवं बच्चों के मुद्दों के प्रति संवेदनशील बनाना चाहिये ताकि वे अपने- अपने प्रभाव के क्षेत्र में कन्या भ्रूण हत्या पर रोक लगा सकें।
8. शिक्षित महिलाओं को कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ और दूसरी औरतों को खासकर ग्रामीण महिलाओं को कन्या भ्रूण हत्या के प्रति जागृत किया जाना

चाहिये तथा उनसे यह संकल्प लिया जाना चाहिये कि न तो वे कन्या भ्रूण हत्या करेगी और न ही अपने आस-पड़ोस में कन्या भ्रूण हत्या होने देगी।

संदर्भ ग्रन्थ

1. गुप्ता एम.एल. एवं शर्मा डी.डी., (2000) भारत में सामाजिक परिवर्तन साहित्य प्रकाशन, आगरा
2. मौर्या, शशि, 2000, न्याय की तलाश में झूलती महिलाएँ, सहयोगिनी, छतरपुर (म०प्र०)
3. भारत की जनगणना, 2001, उपकार प्रकाशन आगरा
4. आहूजा, राम 2004, सामाजिक समस्याएँ, साहित्य प्रकाशन, आगरा
5. मुमकिन है महिलाओं पर हिंसा का अन्त, 2005, ऑक्सफैम (इण्डिया)
6. विनायक कृष्ण विनायक गोकक (ईडी) (2006) "भारतीय अंग्रेजी काव्य का सुनहरा खजाना, साहित्य अकादमी नई दिल्ली।
7. पटेल तुलसी (2007) "भारत में सेक्स चयनात्मक गर्भपात" सेज प्रकाशन नई दिल्ली।
8. महिलाओं के प्रति हिंसा (बुन्देलखण्ड के सन्दर्भ में), 2008, डा० आर०वी० सिंह, डा० मुहम्मद नईम, समाज कार्य विभाग, बु०वि०वि०, झाँसी
9. बालिकाओं का बढ़ता यौन शोषण, योजना (मार्च 2008), राधाकमल मुकर्जी चिन्तन परम्परा, बिजनौर
10. कन्या भ्रूण हत्या एवं गिरते लिंग अनुपात के सामाजिक प्रतिफल (उत्तर प्रदेश में गुणात्मक अध्ययन), 2010, वात्सल्य, लखनऊ
11. पटेल तुलसी, भारत में सेक्स चयनात्मक गर्भपात" सेज प्रकाशन, 2010, नई दिल्ली
12. अमर्त्य सेन (2001) 100 मिलियन लापता महिलायें, ऑक्सफोर्ड डेवलपमेंट स्टडीज, वॉल्यूम 29, अंक 3
13. कन्या भ्रूण हत्या पर एक रिपोर्ट : वाराणसी का एक अध्ययन, (2001) द्वारा श्वेता प्रसाद, महिला अध्ययन एवं विकास केन्द्र, बीएचयू, वाराणसी।
14. उत्तर प्रदेश में पी०सी०पी०एन०डी०टी० के क्रियान्वयन की स्थिति पर रिपोर्ट (2009) वात्सल्य, लखनऊ प्लान इंडिया द्वारा समर्थित।

“बालश्रम की वर्तमान स्थिति का समाज कार्य अध्ययन” (देहरादून स्थित दीपनगर के विशेष सन्दर्भ में)

नीरजा सिंह*

बाल-श्रम की समस्या भारत में ही नहीं दुनिया के कई देशों में एक विकट समस्या के रूप में विराजमान है। जिसका समाधान खोजना जरूरी है। भारत में 1986 में बालश्रम निषेध नियमन अधिनियम पारित हुआ। इस अधिनियम के अनुसार बालश्रम तकनीकी सलाहकार समिति नियुक्त की गई। इस समिति की सिफारिश के अनुसार, खतरनाक उद्योगों में बच्चों की नियुक्ति निषिद्ध है। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों में शोषण और अन्याय के विरुद्ध अनुच्छेद-23 और 24 को रखा गया है। अनुच्छेद-23 के अनुसार खतरनाक उद्योगों में बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है, और संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 साल से कम उम्र का कोई भी बच्चा किसी फैक्टरी या खदान में काम करने के लिए नियुक्त नहीं किया जायेगा और न ही किसी अन्य खतरनाक नियोजन में नियुक्त किया जायेगा। और फैक्ट्री कानून 1948 के तहत 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के नियोजन को निषिद्ध करता है।

बालश्रम का मतलब ऐसे कार्य से है जिसमें की कार्य करने वाले व्यक्ति कानून द्वारा निर्धारित आयु सीमा से छोटा होता है। इस प्रथा को कई देशों और अन्तर्राष्ट्रीय संघटनों ने शोषित करने वाली प्रथा माना है। अतीत में बालश्रम का कई प्रकार से उपयोग किया जाता था, लेकिन सार्वभौतिक स्कूली शिक्षा के साथ औद्योगिकरण काम करने की स्थिति में परिवर्तन तथा कामगारों, श्रम अधिकार और बच्चों की अवधारणाओं के चलते इसमें जातिवाद प्रवेश कर गया। बालश्रम अभी भी कुछ देशों में आम है।

15 से 18 वर्ष तक के किशोर किसी फैक्टरी में तभी नियुक्त किये जा सकते हैं, जब उनके पास किसी अधिकृत चिकित्सक का फिटनेस प्रमाण पत्र हो। इस कानून में 14 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए हर दिन साढ़े चार घंटे की कार्यावधि तय की गयी है और रात में उनके काम करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। फिर

* सहायक प्राध्यापक, समाजशास्त्र, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।

भी इतने कड़े कानून होने के बाद भी बच्चों से होटलों, कारखानों, दुकानों इत्यादि में दिन—रात कार्य कराया जाता है। और विभिन्न कानूनों का उल्लंघन किया जाता है। जिससे मासूम बच्चों का बचपन पूर्ण रूप से प्रभावित होता है।

आज विश्व में जितने बाल श्रमिक हैं, उनमें सबसे ज्यादा भारत देश में हैं। एक अनुमान के अनुसार विश्व के बाल श्रमिकों का एक तिहाई से ज्यादा हिस्सा भारत में है, और एक अनुमान के अनुसार भारत के 50 प्रतिशत बच्चे अपने बचपन के अधिकारों से वंचित हैं, न उनके पास शिक्षा की ज्योति पहुँच पा रही है और न ही उचित पोषण। हालांकि फ़ैक्ट्री अधिनियम, बाल अधिनियम, बाल श्रम निरोधक अधिनियम आदि भी बच्चों के अधिकार को सुरक्षा देते हैं। किन्तु इसके विपरीत आज की स्थिति बिल्कुल अलग है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत में 2 करोड़ बाल मजदूर हैं और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार तो भारतीय सरकारी आंकड़ों से लगभग ढाई गुना ज्यादा 5 करोड़ बच्चे बाल मजदूर हैं। असल में कहा जाए तो बच्चे अपनी उम्र के अनुरूप कठिन काम गरीबी के कारण करते हैं। गरीबी ही बच्चे को बाल श्रमिक बनने को मजबूर करती है। इसके अलावा भी बढ़ती जनसँख्या, सस्ती मजदूरी, शिक्षा का अभाव और मौजूदा कानूनों का सही तरीके से क्रियान्वित न हो पाना जैसे कारण बाल श्रम के लिए जिम्मेदार हैं।

वर्तमान में भारत देश में कई जगहों पर आर्थिक तंगी के कारण माँ—बाप ही थोड़े पैसों के लिए अपने बच्चों को ऐसे ठेकेदारों के हाथ बेच देते हैं, जो अपनी सुविधानुसार उनको होटलों, कोठियों तथा अन्य कारखानों आदि में काम पर लगा देते हैं। और उन्हीं होटलों, कोठियों और कारखानों के मालिक बच्चों को थोड़ा बहुत खाना देकर मनमाना काम कराते हैं। और घंटों बच्चों की क्षमता के विपरीत या उससे भी अधिक काम कराना, भर पेट भोजन न देना और मन के अनुसार कार्य न होने पर पिटाई यही बाल मजदूरों का जीवन बन जाता है। इसके अलावा भी काम देने वाला नियोक्ता बच्चों को पटाखे बनाना, कालीन बुनना, वेल्डिंग करना, ताले बनाना, पीतल उद्योग में काम करना, कांच उद्योग, हीरा उद्योग, माचिस, बीड़ी बनाना, कोयले की खानों में, पत्थर खदानों में, सीमेंट उद्योग, दवा उद्योग आदि सभी खतरनाक काम अपनी मर्जी के अनुसार कराते हैं। कई बार श्रम करते—करते बच्चों को यौन शोषण का शिकार भी होना पड़ता है। और खतरनाक उद्योगों में काम करने से कैंसर और टीबी आदि जैसी गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ता है। एक तरह से बाल श्रमिक का जीवन जीते जी नरक बन जाता है।

शिक्षा एक जीवन पर्यन्त चलने वाली प्रक्रिया है। मानव के समग्र विकास एवं राष्ट्र के निर्माण में शिक्षा की अहम भूमिका होती है। शिक्षा व्यक्ति, समाज व अन्ततोगत्वा देश के विकास का मूल तत्व है। इसे ही दृष्टिगत रखते हुए भारतीय संविधान की मूल धारा-45 में यह प्रावधान किया गया है कि राज्य सभी बच्चों को चौदह वर्ष की उम्र पूर्ण करने तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने के लिए प्रयास करेंगे। सन् 2002 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा के अधिकार को एक मौलिक अधिकार के रूप में भारतीय संविधान के अध्याय 3 के नवीन अनुच्छेद 21-क में जोड़ा गया। अन्ततः शिक्षा के अधिकार को कानूनी दर्जा प्रदान करने के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने के बावजूद समाज के सभी वर्गों में आज भी शिक्षा आसानी से उपलब्ध नहीं हो पा रही है। जहां एक वैश्विक परिदृश्य में पीछे हैं वहीं समाज के पिछड़ों व वंचित वर्गों तक शिक्षा सहज सुलभ नहीं है। इन वर्गों में एक वर्ग बाल श्रमिकों का भी है। जो अपनी लचर आर्थिक स्थिति के कारण भोजन व अन्य दैनिक बुनियादी सुविधाओं व अपने परिवार के कार्यों के संचालन के लिए बाल श्रमिक बनना पड़ता है।

रोजगार के अवसरों में वृद्धि, निवेश, आय का बेहतर वितरण विश्व अर्थव्यवस्था में परिवर्तन, सरकारी बजट में बेहतर आवंटन और सहायता प्रभाव के बेहतर प्रबन्ध द्वारा गरीबी को समाप्त कर बाल-मजदूरी की समस्या को भी समाप्त किया जा सकता है। बालश्रमिक हमारी व्यवस्था, समाज व संवेदना की उस नाकारात्मक शोषणवादी मानसिकता का मूर्त रूप है, जो स्वार्थ व दोहरी विचारधारा की तथाकथित परिणति है।

बाल श्रमिक है पर ज्यादा प्रतिशत बच्चे तो कृषि, कारोबार, बगीचा, प्लास्टिक, उद्योग, घरेलू नौकरी के काम में तथा कारखानों, फैक्ट्रियों के काम में तथा अनैतिक प्रवृत्तियों में संलग्न है। भारत में कुल बाल श्रमिकों की संख्या का 20 प्रतिशत हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत है। देश में कुल श्रम शक्ति का 6 प्रतिशत बालश्रम है। बाल श्रमिकों की समस्या भारत में ही नहीं बल्कि एशिया, अफ्रीका एवं दक्षिण अमेरिका के देशों में भी विद्यमान है। एशिया के कई देशों में भी विद्यमान है। एशिया के कई देशों में जहां कुल श्रम शक्ति का 11 प्रतिशत तक बाल-श्रम के अन्तर्गत आता है। आज के बच्चे कल देश का भविष्य होंगे। बच्चों के व्यक्तित्व व ज्ञान के विकास के लिए उन्हें शिक्षा देना आवश्यक है, ताकि समाज व देश का सर्वांगीण विकास सम्भव हो सके। इस बात की आवश्यकता है कि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित ना रह जाए।

यूनीसेफ ने बाल मजदूरी को 3 श्रेणी में विभाजित किया है:

1. परिवार के साथ कई बच्चे घर के कार्यों में बिना किसी वेतन के लगे होते हैं।
2. परिवार के साथ पर घर के बाहर उदाहरण के लिए, कृषि मजदूर, घरेलू मजदूर, सीमान्त मजदूर आदि।
3. परिवार से बाहर उदाहरण के रूप में, व्यवसायिक दुकानों जैसे: होटलों में बच्चों से कार्य कराना, चाय बेचने का कार्य कराना, वैश्यावृत्ति आदि।

सम्बन्धित साहित्य के समीक्षात्मक अध्ययन से स्पष्ट है कि बाल-श्रमिकों से सम्बन्धित अन्य शोध अध्ययन किया। बालश्रमिकों संकल्पना में वह वर्ग सम्मिलित है, जिसमें 6-14 साल तक के बच्चे अपनी अशक्त आर्थिक स्थिति के कारण मजदूरी में मजदूरी करते हैं। दिन-रात मजदूरी करते व बदहाल आर्थिक स्थिति के कारण वे चाह कर भी शिक्षा प्राप्त करने में असमर्थ है। बाल-श्रमिक केवल गांवों में ही नहीं शहरों में भी देखने को मिलते हैं। वे चाय की दुकानों व ढाबों आदि में चाय व खाना बनाते ग्राहकों को चाय व खाना देते, टैबल साफ करते व बर्तन धोते हुए दिखाई देते हैं। वे फल व सब्जियां बेचते हुए भी नजर आते हैं। कोयला खानों में भी 6-14 साल तक के बच्चे रस्सी खींचते, कोयला उठाते हुए दिखाई देते हैं। बहुत से बाल मजदूर कचरा, कूड़ा-कर्कट उठाते हुए नजर आते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत से बालक सुबह से शाम तक खेतों में काम करते हुए दिखाई देते हैं। पटाखों व रसायनों के कारखानों में भी कई बच्चे मजदूरी करते हैं। बहुत से बच्चे ठेला चलाकर अपनी जीविका चलाते हैं और अपना पेट पालते 6-12 वर्ष की उम्र तक के कई बालक गैरेज में काम करते हुए, जूते पॉलिश करते हुए, दिखाई देते हैं।

भारत में बाल-श्रमिकों की संख्या आस्ट्रेलिया की जनसंख्या के बराबर है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार देश में लगभग दो करोड़ है। बालश्रम के लिए कई अधिनियम बनाये गये हैं जैसे कि फैक्ट्रीज अधिनियम, खान अधिनियम, शिपिंग अधिनियम, मोटर परिवहन, श्रमिक अधिनियम इत्यादि जिसके तहत बच्चों को काम पर रखने का प्रावधान है।

जहां तक भारत का संबंध है, ये मुद्दा बहुत ही पेचीदा है क्योंकि भारत में बच्चे पुराने समय से ही अपना माता-पिता के साथ खेतों में और अन्य प्रारम्भिक कार्यों में मदद कराते हैं। एक इससे ही संबंधित अन्य अवधारणा जिसकी इस

समय व्याख्या करने की जरूरत है, वो है बंधुआ मजदूरी, जो शोषण का सबसे सामान्य रूप है। बंधुआ मजदूरी का अर्थ, माता-पिता द्वारा अत्यधिक ब्याज की दरों की अदायेगी के कारण, कर्ज के भुगतान के लिये बच्चों को मजदूरों के रूप में कार्य करने के लिये मजबूर करना है। बंधुआ मजदूर की अवधारणा से जुड़ी अवधारणा शहरी बाल मजदूर अवधारणा है जहां मजदूर गली के बच्चे होते हैं जो अपना लगभग पूरा बचपन गलियों में मजदूरी करते हुये व्यतीत कर देते हैं।

अत्यधिक ऋण जाल से ग्रस्त माता-पिता, सामान्य बचपन के महत्व को अपनी परेशानियों के दबाव के कारण समझने में असफल होते हैं और इस प्रकार ये बच्चों के मस्तिष्क का घटिया भावनात्मक और मानसिक संतुलन को नेतृत्व करता है जो कठिन क्षेत्रों या घरेलू कार्यों को करने के लिये तैयार नहीं होते। राष्ट्रीय और बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ भी कपड़ों के उद्योग में अधिक काम और कम वेतन के भुगतान के लिये बच्चों को भर्ती करती है जो बिल्कुल अनैतिक है।

इस पर प्रकाश डालने की आवश्यकता है कि, इन प्रवाधनों का अतिक्रमण का अर्थ बुनियादी मानव अधिकारों का अभाव और बच्चों के बचपन को अर्थरहित करना है। बच्चे कहाँ और किस प्रकार के रोजगार के अन्तर्गत कार्य कर सकते हैं, के रूप में ये कानून अधिक स्पष्ट नहीं है। ये अधिनियम केवल 10 प्रतिशत कार्यशील बच्चों को सुरक्षित करता है और इस प्रकार गैर-संगठित क्षेत्रों में लागू नहीं होता।

ये अधिनियम बाल मजदूर के परिवार को इस आधार पर भी छूट देता है यदि वो सभी बच्चों के रूप में एक ही कर्मचारी के साथ काम कर रहे हैं। यद्यपि, ये अधिनियम कुछ निश्चित जोखिम वाले उद्योगों और कारखानों में बच्चों के काम करने को निषेध करता है, लेकिन साथ ही ये खतरनाक कार्यों की व्याख्या नहीं करता। ये केवल खतरनाक रोजगारों की एक सूची प्रदान करता है।

बाल मजदूरी से लड़ने में अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों की भूमिका—

बाल मजदूरी के उन्मूलन पर अन्तर्राष्ट्रीय कार्यक्रम (आई.पी.ई.सी.एल.), अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन के अन्तर्गत 1991 में, बाल मजदूरी के बारे में जागरुकता का निर्माण एक वैश्विक मुद्दों के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर प्रयोग करके, बाल मजदूरी के उन्मूलन के लिये शुरु किया गया था। भारत बाल श्रम का मुकाबला करने में मदद करने के लिए आई.पी.ई.सी.एल. के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राष्ट्र था।

वर्ष 1979 में भारत सरकार ने बाल-मजदूरी की समस्या और उससे निजात दिलाने हेतु उपाय सुझाने के लिए 'गुरुपाद स्वामी समिति' का गठन किया था। समिति ने समस्या का विस्तार से अध्ययन किया और अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की। उन्होंने देखा कि जब तक गरीबी बनी रहेगी तब तक बाल-मजदूरी को हटाना संभव नहीं होगा। इसलिए कानूनन इस मुद्दों को प्रतिबंधित करना व्यावहारिक रूप से समाधान नहीं होगा। ऐसी स्थिति में समिति ने सुझाव दिया कि खतरनाक क्षेत्रों में बाल-मजदूरी पर प्रतिबंध लगाया जाए तथा अन्य क्षेत्रों में कार्य के स्तर में सुधार लाया जाए। समिति ने यह भी सिफारिश की कि कार्यरत बच्चों की समस्याओं को निपटाने के लिए बहुआयामी नीति बनाये जाने की जरूरत है।

'गुरुपाद स्वामी समिति' की सिफारिशों के आधार पर बाल-मजदूरी (प्रतिबंध एवं विनियमन) अधिनियम को 1986 में लागू किया गया था। इस अधिनियम के द्वारा कुछ विशिष्ट खतरनाक व्यवसायों एवं प्रक्रियाओं में बच्चों के रोजगार पर रोक लगाई गई है और अन्य वर्ग के लिए कार्य की शर्तों का निर्धारण किया गया। इस कानून के अंतर्गत बाल श्रम तकनीकी सलाहगार समिति के आधार पर जोखिम भरे व्यवसायों एवं प्रक्रियाओं की सूची का विस्तार किया जा रहा है।

उपरोक्त दृष्टिकोण की सामंजस्यता के संदर्भ में वर्ष 1987 में राष्ट्रीय बाल-मजदूरी नीति तैयार की गई। इस नीति के तहत जोखिम भरे व्यवसाय और प्रक्रियाओं में कार्यरत बच्चों के पुनर्वास कार्य पर ध्यान केन्द्रित किये जाने की जरूरत बताई गई।

अपने देश के समक्ष बालश्रम की समस्या एक चुनौती बनती जा रही है। सरकार ने इस समस्या से निपटने के लिए कई कदम भी उठाये हैं। समस्या के विस्तार और गंभीरता को देखते हुए इसे एक सामाजिक-आर्थिक समस्या मानी जा रही है जो चेतना की कमी, गरीबी और निरक्षरता से जुड़ी हुई है। इस समस्या के समाधान हेतु समाज के सभी वर्गों द्वारा सामूहिक प्रयास किये जाने की आवश्यकता है।

अध्ययन क्षेत्र

उत्तराखण्ड—

उत्तराखण्ड (पूर्व नाम उत्तरांचल) उत्तर भारत में स्थित एक राज्य हैं जिसका निर्माण 1 नवम्बर 2000 को कई वर्षों के आन्दोलन के पश्चात भारत

गणराज्य के सत्ताइसवें राज्य के रूप में किया गया। सन् 2000 से 2006 तक यह उत्तरांचल के नाम से जाना जाता था। जनवरी 2007 में स्थानीय लोगों की भावना को ध्यान में रखते हुए राज्य का आधिकारिक नाम बदलकर उत्तराखण्ड रख दिया गया। राज्य की सीमाएं उत्तर में तिब्बत और पूर्व में नेपाल से लगी हैं। पश्चिम में हिमाचल प्रदेश और दक्षिण में उत्तर प्रदेश इसकी सीमा से लगे हैं। राज्य में हिन्दू धर्म की पवित्रता और भारत की सबसे बड़ी नदियों, गंगा और यमुना के उद्गम स्थल क्रमशः गंगोत्री और यमुनोत्री तथा इनके तटों पर वैदिक संस्कृति के कई तीर्थस्थान हैं।

2011 की जनगणना के अनुसार, उत्तराखण्ड की जनसंख्या 10116752 है 2001 की जनगणना के अनुसार, उत्तराखण्ड की जनसंख्या 84,89,349 थी, जिसमें 43,25,924 पुरुष और 4163425 स्त्रियाँ थीं। इसमें सर्वाधिक जनसंख्या राजधानी देहरादून की 530263 है। 2011 की जनगणना तक जनसंख्या का 1 करोड़ तक हो जाने का अनुमान है। मैदानी क्षेत्रों के जिले पर्वतीय जिलों की अपेक्षा अधिक जनसंख्या घनत्व वाले हैं। राज्य के मात्र चार सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिलों में राज्य की आधे से अधिक जनसंख्या निवास करती हैं। जिलों में जनसंख्या का आकार 2 लाख से लेकर अधिकतम 14 लाख तक है। राज्य की दशकवार वृद्धि दर 1991–2001 में 19.2 प्रतिशत रही।

देहरादून—

देहरादून, भारत के उत्तराखण्ड राज्य की राजधानी है इसका मुख्यालय देहरादून नगर में है। इस जिले में 7 तहसीलें, 6 विकास खंड, 19 शहर और 734 आबाद गाँव हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ 18 गाँव ऐसे भी हैं जहाँ कोई नहीं रहता। देश की राजधानी से 230 किलोमीटर दूर स्थित इस नगर का गौरवशाली पौराणिक इतिहास है। प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर यह नगर अनेक प्रसिद्ध शिक्षा संस्थानों के कारण भी जाना जाता है। यहाँ तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान आदि जैसे कई राष्ट्रीय संस्थान स्थित हैं। देहरादून में वन अनुसंधान संस्थान, भारतीय राष्ट्रीय मिलिटरी कालेज और इंडियन मिलिटरी एकेडमी जैसे कई शिक्षण संस्थान हैं।

देहरादून जनपद, देहरादून जिले का मुख्यालय है जो भारत की राजधानी दिल्ली से 230 किलोमीटर दून घाटी में बसा हुआ है। 9 नवम्बर 2000 को उत्तर प्रदेश राज्य को विभाजित कर जब उत्तराखण्ड राज्य का गठन किया गया था,

उस समय इसे उत्तराखण्ड की अंतरिम राजधानी बनाया गया, देहरादून नगर पर्यटन, शिक्षा, स्थापत्य, संस्कृति और प्राकृतिक सौन्दर्य के लिए प्रसिद्ध है। हमारे देश में कुल मिलाकर 13 जिले हैं। जिसमें से एक नाम देहरादून का भी है।

दीपनगर देहरादून क्षेत्र के रायपुर ब्लॉक में आता है दीपनगर रिस्पना नदी किनारे बसा हुआ क्षेत्र है जिसमें अधिकतर परिवार गरीब, मजदूर व अशिक्षित लोगों का अभी भी वास है दीपनगर क्षेत्र में अध्ययन करके हमें यह पाया गया है कि दीपनगर में कुल मिलाकर 1420 परिवार रहते हैं जिसकी जनसंख्या कुल मिलाकर 70,103 है। जिसमें से 3700 पुरुष 2600 महिला व 803 बच्चे पाये गये हैं।

साहित्य का पूर्वावलोकन—

अंसारी (2009) ने कबाड़ी बटोरने वाले बच्चों के मनोवैज्ञानिक और समाजिक अध्ययन पर शोध किया। राजकुमार (2011) ने बाल—श्रमिकों की समस्या के सम्बन्ध में प्राथमिक समस्याओं का अध्ययन शोध कार्य किया। पूर्व शोधों के अध्ययन से स्पष्ट है कि बाल श्रमिकों से सम्बन्धित अन्य शोध कार्य ही हुए हैं। बाल मजदूरी की समस्या देश की शिक्षा व अन्ततः विकास स्तर को धीरे—धीरे दीमक की तरह खा रही है। अतः इस दिशा में और शोध कार्यों की आवश्यकता है ताकि बाल—श्रमिकों की शैक्षिक समस्याओं के समस्त कारणों का विस्तृत अध्ययन हो सके और उनके आधार पर उपचारात्मक प्रयास किए जा सकें। इससे प्रस्तुत शोध कार्य की आवश्यकता प्रतिपादित होती है।

वी0के0 सिसौदिया (1997) के अनुसार बाल—श्रमिकों की अवधारणा भारतीय समाज के लिए नई नहीं है। तीसरी शताब्दी में भी कौटिल्य के अर्थशास्त्र में बच्चों को धनी परिवारों के घरेलू नौकर के रूप में रखा जाता था वर्तमान में आई0एल0ओ0 अनुमान के अनुसार तथा अधिकारिक रूप में भी लगभग 20 लाख बाल श्रमिक हैं। ओ0आर0जी0 राष्ट्रीय सर्वेक्षण यह संख्या 88 लाख बताता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इनमें 25 प्रतिशत से ज्यादा बन्धुआ बाल श्रमिक है।

अनुपमा शांडिल्य (1997) बाल—श्रम बच्चों को शारीरिक, मानसिक विकास, शिक्षा, मनोरंजन आदि के अधिकार से वंचित करता है तथा अनेक सामाजिक बुराईयों तथा शारीरिक बुराईयों को उत्पन्न करता है। गरीबी, अशिक्षा, बढ़ता औद्योगीकरण और स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या में वृद्धि बाल—श्रम के प्रमुख कारण है। इसके उपचार के लिए सरकारी, सामाजिक तथा व्यक्तिगत स्तर पर प्रयास किए जाने चाहिए तथा अन्तराष्ट्रीय संस्थाओं से भी सहयोग लिया जा सकता है।

मंजू गुप्ता (1997) ने मेरठ जिले के बाल श्रमिकों पर अध्ययन कर यह निष्कर्ष निकाला है कि राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं के प्रयास बाल श्रम की बुराई को पूर्णतः दूर नहीं कर सकते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि सामाजिक सुधार करना ही इसका उपाय है तभी स्थानीय, राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय नीतियां सफल हो सकती है।

दीपमाला श्रीवास्तव (1997) का विचार है कि बाल श्रम एक सार्वभौतिक तथ्य है जो बच्चों को शिक्षा, व्यवसाय तथा सम्मान के अधिकार से वंचित करता है। एक भावी नागरिक के रूप में उसके कंधों पर राष्ट्रीय विकास निर्भर करता है। इस कारण सामाजिक, वैज्ञानिक तथा सुधारक बाल-श्रम को दूर करने में रुचि लेते हैं। विचारणीय प्रश्न यह है कि इस समस्या के प्रति आम जनता का क्या दृष्टिकोण है? साथ ही, यह इतनी साधारण समस्या नहीं है जिसका सरल व रेडीमेड उपाय हो।

सोम प्रकाश (1997) ने यह विचार व्यक्त किया कि बाल श्रमिकों के मालिकों को दण्ड या जुर्माना देना उचित नहीं है, जब तक कि बच्चों के अभिभावकों को जीविका के पर्याप्त साधन न उपलब्ध कराए जाए। यह पाया गया है कि ज्यादातर बाल श्रमिक या तो विद्यालय गए ही नहीं या उन्होंने बीच में ही शिक्षा को छोड़ दिया है। बाल अपराधी अधिकतर अपने मालिकों द्वारा सताये गए बाल श्रमिक होते हैं।

श्रीमती लालिमा सिंह (1997) के अनुसार इस उद्घोषित नारे ' बचपन बचाओ' (Save the Childhood), जो कि सभी प्रचार माध्यमों द्वारा प्रचलित किया जा रहा है, का उद्देश्य यह है कि बाल श्रमिकों को बाल श्रम से बचाया जा सके। जिस परिवार की आय अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति भी नहीं कर पाती उस परिवार के बच्चों को मजदूरी के लिए लगना पड़ता है। अतः बचपन की रक्षा हेतु उन परिवारों की आय बढ़ाने की आवश्यकता है। हानिकारक उद्योगों में लगे बच्चों को अभिशाप से बचाने के लिए उनकी मजदूरी का निर्धारण युवा मजदूर के बराबर या उससे अधिक मजदूरी दिए जाने का प्रावधान करने की आवश्यकता है। सेवा योजकों को कम मजदूरी देने पर सजा का प्रावधान होना चाहिए।

संजय कुमार तथा एस0के0 चौहान (1997) ने बाल-श्रम के कारणों पर अपने विचार प्रस्तुत करते हुए निम्नलिखित तथ्यों पर प्रकाश डाला— 1—हमारे देश में बहुत बड़ी संख्या में बच्चे मजदूरी में लगे हुए हैं। 2— वे खतरनाक उद्योगों जैसे

माचिस उद्योग, कांच उद्योग, पटाखा उद्योग, जूता उद्योग तथा घरेलू मजदूरी में लगे हुए हैं। 3— वे दो कारणों से मजदूरी करते हैं — अ— अत्यधिक निर्धनता तथा ब— बच्चों के अभिभावक या अन्य बच्चे दबाव डालकर कार्य करने के लिए उत्साहित करते हैं तथा सेवायोजक भी दबाव डालकर ऐसे बच्चों को कार्य करने के लिए बाध्य करते हैं। इन खतरनाक उद्योगों में कार्य करने से बच्चों में शारीरिक विकृति, नेत्ररोग जैसे भयंकर रोग हो जाते हैं।

बाई०एस० भदौरिया एवं संजय कुमार (1997) लखनऊ में अवशिष्ट पदार्थों के संग्रह में लगे लड़के-लड़कियों के अध्ययन के आधार पर अपने विचार निम्नवत प्रकार से प्रस्तुत किए हैं— 1— आर्थिक रूप से पिछड़े बच्चे जिनको कोई कार्य नहीं मिलता है वे अपने कमजोर कंधों पर बोरा डाले हुए कागज के टुकड़ें, बोतलें, पोलिथीन की थैलियां और धातु की पट्टियां इकट्ठे करते देखे जाते हैं। 2— सामान्यतः ये बच्चे या तो अकेले होते हैं या गृहविहीन होते हैं अथवा गरीब परिवार से सम्बन्धित होते हैं। 3— मैले से उन वस्तुओं को उठाने के कारण इनको कभी-कभी असाध्य रोग, नेत्र ज्योति, हिरास शारीरिक अक्षमता उत्पन्न हो जाते हैं तथा कभी-कभी इनकी असमय मृत्यु भी हो जाती है। 4— ये बच्चे विद्यालय से भी पढ़ने से रह जाते हैं तथा उनकी योग्यता और विकास कुण्ठित हो जाता है।

समस्या का कथन—

देश में श्रमिक के रूप में कार्य कर रहे 5 वर्ष से 12 वर्ष तक के बालक बाल श्रमिक के अन्तर्गत आते हैं। देश में लगभग 6 करोड़ से भी अधिक बाल-श्रमिक हैं जिनमें लगभग करोड़ से भी अधिक बाल श्रमिक हैं जिनमें लगभग 2 करोड़ से अधिक लड़कियां हैं। यह बाल श्रमिक देश के सभी भागों, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा में इन श्रमिकों की संख्या तुलनात्मक रूप से अधिक हैं। देश में बढ़ती हुई बाल-श्रमिकों की संख्या देश के सम्मुख एक गहरी चिन्ता का विषय बनी हुई है। यदि समय रहते इसको नियंत्रण में नहीं लाया गया तब इसके दूरगामी परिणाम अत्यन्त भयावह हो सकते हैं। शोधार्थी द्वारा बाल श्रम की वर्तमान स्थिति का अध्ययन विशय को समस्या कथन लिया गया है।

अध्ययन के उद्देश्य—

- पारिवारिक, शैक्षिक, आर्थिक स्थिति का अध्ययन करना।
- सरकार द्वारा बालश्रम रोकने के लिए बनाये गये कानूनों का अध्ययन करना।

- विभिन्न एन0जी0ओ0 द्वारा बालश्रम को रोकने के लिए किये कार्य का अध्ययन करना ।
- परिवार द्वारा बालश्रम को बढ़ावा देने का अध्ययन करना ।
- निष्कर्ष एवं सुझावों का अध्ययन करना ।

शोध—प्रविधि

फिशर के अनुसार, “किसी समस्या को हल करने या एक उपकल्पना की परीक्षा का परीक्षण करने या घटनाक्रम या उसमें नये सम्बन्धों को खोजने के उद्देश्य से उपयुक्त पद्धतियों का सामाजिक परिस्थितियों में जो प्रयोग किया जाता है उसे सामाजिक अनुसन्धान कहते हैं।”

समग्र एवं निदर्शन

शोधार्थी द्वारा समग्र के रूप में दीपनगर क्षेत्र के 1420 परिवार लिए गए हैं जिसमें से 50 उत्तरदाताओं को लॉटरी विधि द्वारा चुना गया है ।

शोध प्ररचना

उक्त अध्ययन हेतु विश्लेषणात्मक शोध प्ररचना का चयन किया गया है ।

1. प्राथमिक तथ्य — प्राथमिक तथ्यों के संकलन हेतु एक साक्षात्कार अनुसूची तैयार की गयी, जिसे उत्तरदाताओं के साक्षात्कार के माध्यम से भरा गया है ।

2. द्वितीयक तथ्य — द्वितीयक तथ्यों के संकलन हेतु विषय से सम्बंधित विभिन्न पात्र, पत्रिकाएं, शोध ग्रन्थ, समाचार पत्र, पत्रिकाएं एवं इन्टरनेट इत्यादि का सहारा लिया गया है ।

व्यक्ति का व्यक्तित्व उसके विषिष्ट सामाजिक संगठन संरचना तथा संस्कृति की देन होती है । प्रत्येक समाज का जिसमें रहकर व्यक्ति व्यवहार करता है, भिन्न प्रकार का सामाजिक तथा आर्थिक संगठन होता है ।

सामाजिक व्यवस्था के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार की संस्थाएं, मूल्य, आदर्श, प्रथाएं, मान्यताएं, धारणाएं आदि का समावेश होता है । सामाजिक आर्थिक स्तर के अनुसार प्रत्येक वर्ग के सदस्यों की जीवनशैली, मान्यताएं भिन्न-भिन्न होती हैं ।

लिंग— लिंग संस्कृत का शब्द होता है जिसका अर्थ होता है निशान । जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति की जाति का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं । इससे यह पता चलता है की वह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है ।

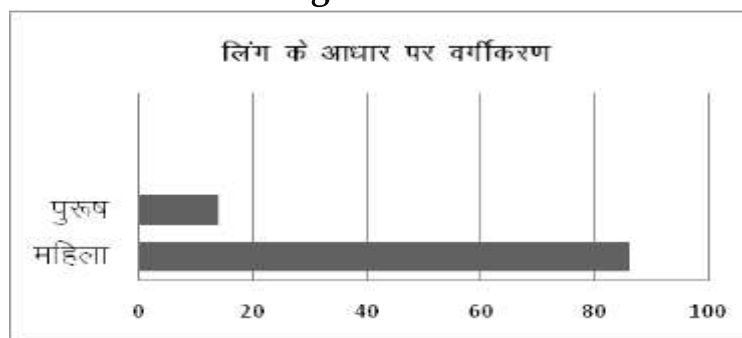
उत्तरदाताओं का लिंग के आधार पर वर्गीकरण—

सारणी संख्या 3.01

क्र०सं०	वर्गीकरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1	महिला	43	86 प्रतिशत
2	पुरुष	7	14 प्रतिशत
	कुल	50	100 प्रतिशत

उपरोक्त सारणी संख्या 3.01 से यह स्पष्ट होता है कि 86 प्रतिशत महिलायें तथा 14 प्रतिशत पुरुष उत्तरदाता के रूप में लिये गये हैं।

Fig. No.:3.1



शिक्षा प्राथमिक शिक्षा एक ऐसा आधार है जिस पर देश तथा इसके प्रत्येक नागरिक का विकास निर्भर करता है। भारत में 14 साल की उम्र तक के बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना वैधानिक प्रतिबद्धता पारित किया था। जिसके द्वारा 6 से 14 साल के सभी बच्चों के लिए शिक्षा एक मौलिक अधिकार हो गई है।

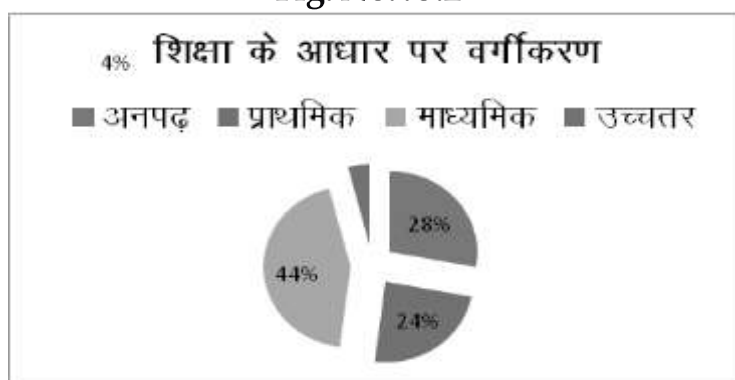
उत्तरदाताओं का शिक्षा के आधार पर वर्गीकरण—

सारणी संख्या 3.2

क्र०सं०	शिक्षा के आधार पर वर्गीकरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1	अनपढ़	14	28 प्रतिशत
2	प्राथमिक	12	24 प्रतिशत
3	माध्यमिक	22	44 प्रतिशत
4	उच्चतर	2	4 प्रतिशत
	कुल	50	100 प्रतिशत

उपरोक्त सारणी 3.02 से स्पष्ट होता है कि 28 प्रतिशत उत्तरदाता अनपढ़, 24 प्रतिशत उत्तरदाता प्राथमिक शिक्षा, 44 प्रतिशत माध्यमिक व 4 प्रतिशत उत्तरदाता उच्च शिक्षित है।

Fig. No.:3.2



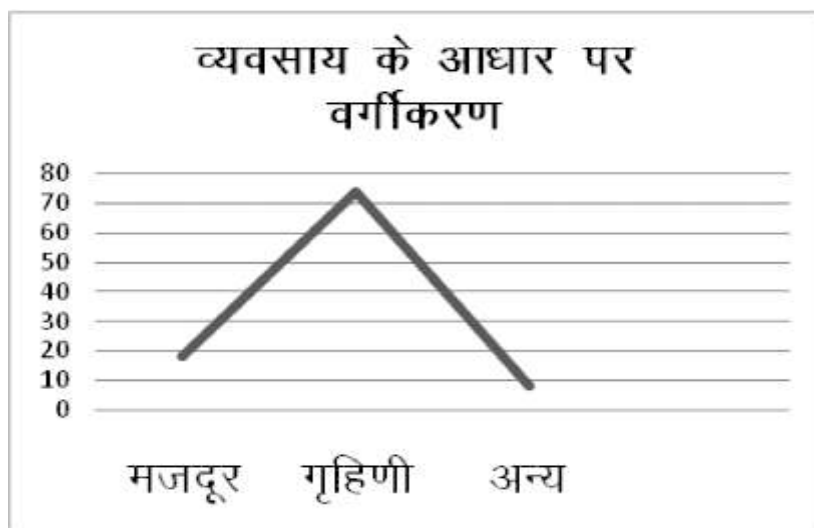
व्यवसाय —व्यवसाय विधिक रूप से मान्य संस्था है जो उपभोक्ताओं को कोई उत्पाद या सेवा प्रदान करने के लक्ष्य से निर्मित की जाती है। व्यवसाय को 'कम्पनी', 'इंटरप्राइज' या 'फर्म' भी कहते हैं। पूँजीवादी अर्थव्यवस्थाओं में व्यापार का प्रमुख स्थान है जो अधिकांशतः निजी हाथों में होते हैं और लाभ कमाने के द्येय से काम करते हैं तथा साथ-साथ स्वयं व्यापार की भी वृद्धि करते हैं।

**उत्तरदाताओं का व्यवसाय के आधार पर वर्गीकरण—
सारणी संख्या 3.3**

क्र०सं०	वर्गीकरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1	मजदूर	9	18 प्रतिशत
2	गृहिणी	37	74 प्रतिशत
3	अन्य	4	8 प्रतिशत
	कुल	50	100 प्रतिशत

उपरोक्त सारणी संख्या से स्पष्ट है कि दीपनगर क्षेत्र में अध्ययन करते समय यह जानकारी प्राप्त हुई है कि वहां पर कुल मिलाकर 37 यानि 74 प्रतिशत महिला गृहिणी, 9 यानि 18 प्रतिशत मजदूर व 4 अन्य यानि 8 प्रतिशत अन्य व्यवसाय वर्ग के लोग मिले हैं।

Fig. No. : 3.3



आय— आय पैसे का वह प्रवाह है जो हमें एक निश्चित समय अन्तराल पर एक लगभग निश्चित मात्रा में मिलता रहता है।

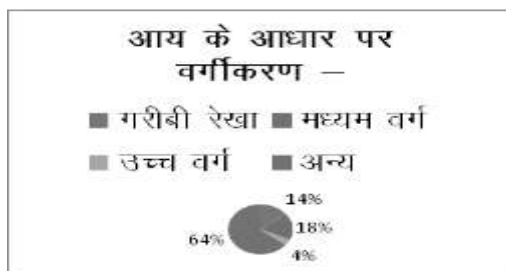
उत्तरदाताओं का आय के आधार पर वर्गीकरण –

सारणी संख्या 3.4

क्र०सं०	वर्गीकरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1	गरीबी रेखा	7	14 प्रतिशत
2	मध्यम वर्ग	9	18 प्रतिशत
3	उच्च वर्ग	2	4 प्रतिशत
4	अन्य	32	64 प्रतिशत
	कुल	50	100 प्रतिशत

दीपनगर क्षेत्र में अध्ययन करके हमें उत्तरदाताओं द्वारा यह जानकारी प्राप्त हुई है कि वह पर अभी भी कुल लोग गरीबी रेखा से नीचे रहकर जीवन यापन करते हैं यदि 14 प्रतिशत गरीब, 18 प्रतिशत मध्यम वर्ग, 4 प्रतिशत उच्च वर्ग व 64 प्रतिशत अन्य वर्ग के उत्तरदाता रहते हैं।

Fig. No. : 3.4



परिवार का स्वरूप — सभी समाजों में बच्चों का जन्म और पालन पोषण परिवार में होता है। बच्चों का संस्कार करने और समाज के आचार व्यवहार में उन्हें दीक्षित करने का काम मुख्य रूप से परिवार में होता है। इसके द्वारा समाज की सांस्कृतिक विरासत एक से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होती है। व्यक्ति की सामाजिक मर्यादा बहुत कुछ परिवार से ही निर्धारित होती है

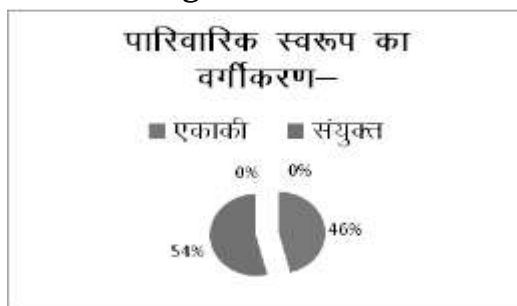
उत्तरदाताओं का पारिवारिक स्वरूप के आधार पर वर्गीकरण—

सारणी संख्या 3.5

क्र०सं०	वर्गीकरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1	एकाकी	23	46 प्रतिशत
2	संयुक्त	27	54 प्रतिशत
	कुल	50	100 प्रतिशत

दीपनगर क्षेत्र में अध्ययन करके हमें उत्तरदाताओं का स्वरूप द्वारा वर्गीकरण करके हमें यह जानकारी प्राप्त हुई है कि वहां पर कुल परिवार एकांकी यानि 46 प्रतिशत एकांकी व कुछ परिवार संयुक्त यानि 54 प्रतिशत परिवार संयुक्त है।

Fig. No. : 3.5



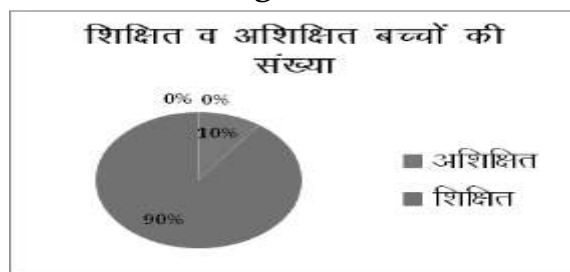
शिक्षा— शिक्षा के द्वारा ही समाज अपनी संस्कृति की रक्षा करता है और सभ्यता के रथ को बढ़ाता है। जीवन की उदारता उच्चता सौन्दर्य एवं उत्कृष्टता शिक्षा द्वारा सम्भव है। बालक की वैयक्तिक प्रगति उसका शारीरिक मानसिक और भावात्मक विकास तब तक भली प्रकार नहीं हो पाता जब तक वह शिक्षा ग्रहण न करे।

शिक्षित व अशिक्षित बच्चों की संख्या के आधार पर वर्गीकरण—
सारणी संख्या 3.6

क्र०सं०	वर्गीकरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1	अशिक्षित	5	10 प्रतिशत
2	शिक्षित	45	90 प्रतिशत
	कुल	50	100 प्रतिशत

दीपनगर क्षेत्र में अध्ययन करके हमें यह जानकारी प्राप्त हुई है कि अब काफी हद तक अशिक्षित बच्चों की संख्या में कमी आ रही है अब लगभग सभी लोग अपने हर बच्चे को शिक्षित यानि शिक्षा की ओर आगे बढ़ा रहे हैं यानि कुल मिलाकर अशिक्षित बच्चों की संख्या में शिक्षित बच्चे अधिक पाये गये हैं। वहां पर 90 प्रतिशत शिक्षित व 10 प्रतिशत अशिक्षित बच्चे पाये गये।

Fig. No. : 3.6



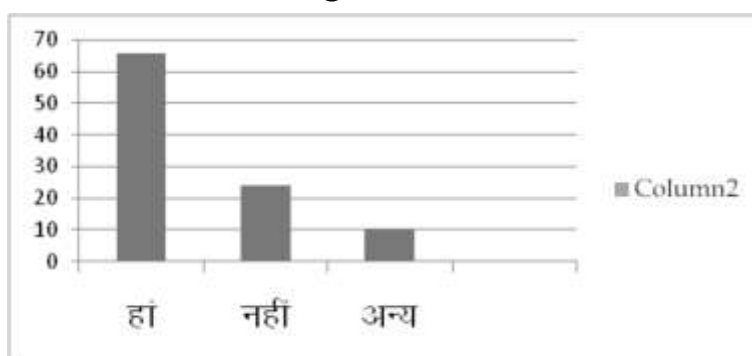
जानकारी —यह जब संभव है तब हम समाज के प्रति जागरूक होकर कार्य करें चाहे वह शिक्षा का क्षेत्र, उद्योग का क्षेत्र, विधवाओं की सहायता, कैरियर गाइडेंस, विवाह समस्या, परिवाद—परिवेदना आदि क्षेत्रों का क्यों न हो। हमें तन—मन—धन से सहयोग कर समाजसेवा करना होगी। जैसे धर्मशालाएं, स्कूल—कॉलेज, छात्रावास, अस्पताल, वृद्धा—आश्रम आदि अनेक ऐसे कार्य हैं जिसके लिए हमें एकजुट होकर कार्य करना होगा तभी समाज की उन्नति होगी और आने वाली पीढ़ियों को सही मार्ग मिल सकेगा।

उत्तरदाताओं द्वारा बालश्रम के प्रति जानकारी के आधार पर वर्गीकरण
सारणी संख्या 3.7

क्र०सं०	वर्गीकरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1	हां	33	66 प्रतिशत
2	नहीं	12	24 प्रतिशत
3	अन्य	15	10 प्रतिशत
	कुल	50	100 प्रतिशत

दीपनगर क्षेत्र में अध्ययन करके हमें यह जानकारी प्राप्त हुई है कि वहां पर काफी हद तक लोगों को बालश्रम के प्रति जानकारी है यानि 66 प्रतिशत लोगों को बालश्रम का पता है 24 प्रतिशत लोगों को नहीं पता 10 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बालश्रम का नाम नहीं सुना है।

Fig. No. : 3.7

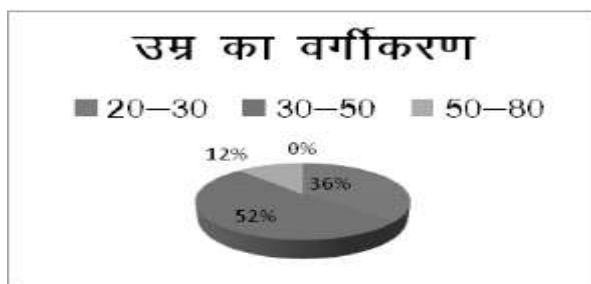


उत्तरदाताओं का उम्र के आधार पर वर्गीकरण –
सारणी संख्या 3.8

क्र०सं०	उम्र का वर्गीकरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1	20–36	18	36 प्रतिशत
2	30–56	26	52 प्रतिशत
3	50–86	6	12 प्रतिशत
	कुल	50	100 प्रतिशत

दीपनगर क्षेत्र में अध्ययन करके हमें उक्त के आधार पर वर्गीकरण करके हमें यह जानकारी प्राप्त हुई है कि हमें वहां पर 20–30 आयु के लोग 36 प्रतिशत 30 से 50 आयु वर्ग के 52 प्रतिशत व 50 से 80 आयु वर्ग के 12 प्रतिशत लोग उत्तरदाताओं की जानकारी प्राप्त हुई है।

Fig. No. : 3.8



बालश्रम अपराध— बालश्रम का मतलब ऐसे कार्य से है जिसमें की कार्य करने वाले व्यक्ति कानून द्वारा निर्धारित आयु सीमा से छोटा होता है। अतः यह एक अपराध की श्रेणी में आता है। कानूनी प्रावधानों से इस सामाजिक समस्या से आखें नहीं छी जा सकती, क्योंकि यह अपने में कोई अलग मसला नहीं, अन्य समस्याओं से पैदा हुई समस्या है। बालश्रम एक अत्यन्त र समस्या है। यह समूचे समाज में अपनी जड़ें मजबूत किये हुये है। अन्ततः यह भयंकर महामारी के रूप में उभर रही है और निदान रहित होती जा रही है।

उत्तरदाताओं द्वारा बालश्रम अपराध की जानकारी के आधार पर
वर्गीकरण
सारणी संख्या 3.9

क्र०सं०	वर्गीकरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1	अपराध है	50	100 प्रतिशत
2	अपराध नहीं है	0	0 प्रतिशत
	कुल	50	100 प्रतिशत

दीपनगर क्षेत्र में अध्ययन करके हमें यह जानकारी प्राप्त हुई है कि अब हर उत्तरदाताओं का यानि 100 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि बालश्रम एक अपराध है जो हमें न ही करना चाहिए और न ही किसी दूसरे व्यक्ति को करने देना चाहिए।

कानूनी— देश में व्यवस्था कायम करने के लिए शासन द्वारा बनाए गए नियम जिनका पालन करना उस देश के सभी नागरिकों के लिए अनिवार्य होता है। यह राजनियमय विधिय विधानय आईनय (लॉ), सामान्य व्यवस्थागत नियमय कायदा—कानून ,उक्त प्रकार से निर्मित नियमों का सामूहिक रूप।

उत्तरदाताओं द्वारा बालश्रम के प्रति कानूनी कार्यवाही
सारणी संख्या 3.10

क्र०सं०	वर्गीकरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1	हां	5	10 प्रतिशत
2	नहीं	45	90 प्रतिशत
	कुल	50	100 प्रतिशत

दीपनगर क्षेत्र में अध्ययन करके हमें यह जानकारी मिली है कि उत्तरदाता बालश्रम एक अपराध है यह तो जानते हैं लेकिन इस अपराध के खिलाफ लोग जागरूक नहीं हैं जिस कारण लोग अभी भी यह अपराध कर रहे हैं मगर किसी ने इसके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाई है दीपनगर क्षेत्र में उत्तरदाताओं द्वारा केवल 10 प्रतिशत उत्तरदाता ऐसे हैं जिन्हें बालश्रम के प्रति कानूनी कार्यवाही की है।

निष्कर्ष एवं सुझाव

प्रथम अध्याय के प्रस्तावना में बालश्रम के बारे में बताया गया है कि भारत में बालश्रम की क्या स्थिति है। “जिस देश के बच्चों का कोई भविष्य नहीं होता, उस देश का भी अपना कोई विकास नहीं होता।” उपरोक्त पंक्तियों से स्पष्ट है कि बाल मजदूरी या बालश्रम किसी भी देश के लिए सही नहीं कही जा सकती है। यह एक सामाजिक बुराई है क्योंकि इससे न केवल बालकों का मार व शारीरिक विकास बाधित होता है बल्कि समूचे देश की प्रगति भी एकांगी हो जाती है। जिस उम्र में बच्चे कि कहानियां सुनते हैं उसमें ये मालिक की गालियां सुनते हैं। इनकी सूनी आखें और सहमे देखकर ही अहसास हो जाता है कि इनका जीवन कितना कठोर है। इनके हिस्से में स्कूल, स्लेट, कलम, किताबें, लाड-दुलार, खेलकूद कुछ नहीं है। इनका जीवन तो लगातार काम, गालियां पिटाई खाना ही है। इसमें बाल मजदूरी से लड़ने में अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों की भूमिका के बारे में भी जानकारी दी गयी है। समस्या के विस्तार और गंभीरता को देखते हुए इसे एक सामाजिक-आर्थिक समस्या मानी जा रही है जो चेतना की कमी, गरीबी और निरक्षरता से जुड़ी हुई है। इस समस्या के समाधान हेतु समाज के सभी वर्गों द्वारा सामूहिक प्रयास किये जाने की आवश्यकता है। साहित्य का पूर्वावलोकन में पहले से की गयी बालश्रम के शोध कार्य के बारे में बताया गया है अंसारी (2009) ने कबाड़ी बटोरने वाले बच्चों के मनोवैज्ञानिक और सामाजिक अध्ययन पर शोध किया। राजकुमार (2011) ने बाल-श्रमिकों की समस्या के सम्बन्ध में प्राथमिक समस्याओं का अध्ययन शोध

कार्य किया। इसमें अध्ययन के उद्देश्य के बारे में भी बताया गया है जिसके आधार पर शोधार्थी द्वारा अध्ययन किया गया है।

द्वितीय अध्याय में शोध प्रविधि के बारे में बताया गया है। अध्ययन क्षेत्र के विषय में पहले उत्तराखण्ड, देहरादून जिला और तब उस जगह के बारे में बताया गया है जहाँ पर शोधार्थिनी ने शोध किया है। जो दीपनगर देहरादून क्षेत्र के रायपुर ब्लॉक में आता है दीपनगर रिस्पना नदी किनारे बसा हुआ क्षेत्र है जिसमें अधिकतर परिवार गरीब, मजदूर व अशिक्षित लोगों का अभी भी वास है दीपनगर क्षेत्र में अध्ययन करके हमें यह पाया गया है कि दीपनगर में कुल मिलाकर 1420 परिवार रहते हैं जिसकी जनसंख्या कुल मिलाकर 70.103 है। जिसमें से 3700 पुरुष 2600 महिला व 803 बच्चे पाये गये हैं। समग्र एवं निदर्शन में दैव निदर्शन को चुना गया है सम्मानित दैव निदर्शन की लॉटरी विधि द्वारा समग्र का अध्ययन किया गया है। शोधार्थिनी ने दो प्रारूपों का चयन किया है वर्णनात्मक शोध प्रारूप तथा निदानात्मक शोध प्रारूप का प्रयोग किया गया है। प्राथमिक तथ्य एवं द्वितीयक तथ्यों के माध्यम से आंकड़ों का संग्रह किया गया है।

तृतीय अध्याय में उत्तरदाताओं की पारिवारिक पृष्ठभूमि का वर्णन किया गया है इसमें 86 प्रतिशत महिलायें तथा 14 प्रतिशत पुरुष उत्तरदाता के रूप में लिये गये हैं। इसमें 28 प्रतिशत उत्तरदाता अनपढ़, 24 प्रतिशत उत्तरदाता प्राथमिक शिक्षा, 44 प्रतिशत माध्यमिक व 4 प्रतिशत उत्तरदाता उच्च शिक्षित हैं। वहाँ पर कुल मिलाकर 37 यानि 74 प्रतिशत महिला गृहिणी, 9 यानि 18 प्रतिशत मजदूर व 4 अन्य यानि 8 प्रतिशत अन्य व्यवसाय वर्ग के लोग मिले हैं। वहाँ पर कुल परिवार एकांकी यानि 46 प्रतिशत एकांकी व कुछ परिवार संयुक्त यानि 54 प्रतिशत परिवार संयुक्त हैं। वहाँ पर 90 प्रतिशत शिक्षित व 10 प्रतिशत अशिक्षित बच्चे पाये गये।

चतुर्थ अध्याय में सरकार द्वारा बालश्रम को रोकने के लिए बनाये गये कानून एवं कार्यक्रम का वर्णन किया गया है। बालश्रम निषेध व विनियमन कानून 1986, खदान अधिनियम 1952, बच्चों हेतु निषुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, किशोर न्याय अधिनियम 2000, अभिवाहक एवं संरक्षक अधिनियम, कामकाजी माताओं के बच्चों के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय बाल अनुसंधान केन्द्र, सड़कों पर रहने वाले बच्चों के लिए समेकित कार्यक्रम और कई कानून एवं कार्यक्रम के बारे में बताया गया है जिससे देश में बढ़ रही बालश्रम को रोका जा सके और वे बच्चे देश के भविष्य की ओर अग्रसर हो सकें।

समस्याएँ— दीपनगर क्षेत्र में अध्ययन करके शोधार्थी ने उत्तरदाताओं की समस्या की से सम्बन्धित जानकारी ली जो निम्न है—

1. नशे की आदत तथा लापरवाही की वजह से कुछ माता—पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजने के बजाए परिवार की आमदनी बढ़ाने के लालच में बाल मजदूरी करने भेज देते हैं।
2. जनसंख्या वृद्धि के कारण गरीबी और अशिक्षा बढ़ रही है जो कि बाल मजदूरी का मुख्य कारण है जनसंख्या वृद्धि से बेरोजगारी भी बढ़ रही है जिससे बाल मजदूरी की रोकथाम में प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
3. बालश्रम को रोकने के लिए बनाए गए कानूनों का सही ढंग से पालन नहीं होने से भी बाल मजदूरी बढ़ रही है। बाल मजदूरी से संबंधित कानूनों को कड़ी से गणेश से बालन कड़ाई से पालन करवाकर इस पर लगाम लगाई जा सकती है।
4. सस्ते श्रम के लालच में कुछ दुकानदार, फैक्टरी मालिक आदि बच्चों से काम करवाते हैं, ताकि उन्हें कम मजदूरी देनी पड़े इस तरह यह भी बाल मजदूरी का प्रमुख कारण है।
5. अशिक्षा भी बाल श्रम का मुख्य कारण है, क्योंकि अशिक्षित माता—पिता बाल मजदूरी से उनके बच्चों पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में नहीं जानते हैं तथा उन से बाल मजदूरी करवाते हैं।
6. सामाजिक तथा आर्थिक रूप से पिछड़ापन भी बालश्रम का मुख्य कारण हैं सामाजिक रूप से पिछड़े माता—पिता अपने बच्चों को पढ़ाने नहीं भेजते हैं तथा बाल मजदूरी के दलदल में फंसा देते हैं।
7. कई परिवार में नशे बिमारी या अपंगता के कारण कोई कमाने वाला नहीं होता है। वहाँ परिवार के भरण पोषण का एकमात्र आधार ही बाल मजदूरी ही होता है जो बालश्रम का मुख्य कारण है।

सुझाव— दीपनगर क्षेत्र में अध्ययन करने के पश्चात् उत्तरदाताओं की समस्या एवं सुझाव द्वारा हम जिस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं। उसे देखते हुए कुछ सुझाव दिये हैं जो कि इस प्रकार से हैं—

1. उन सभी बच्चों को शिक्षित करना जो बाल श्रम में लगे हुए हैं।
2. यदि कोई भी 14 से 18 वर्ष तक का कोई भी बच्चा बालश्रम करता हुआ दिखायी दे तो उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए व बालश्रम के खिलाफ

चाइल्ड हेल्पलाइन में शिकायत करें या और कोई भी कानूनी कारवाई कर सकते हैं।

3. सरकार को ऐसे सख्त कानून बनाने चाहिये जिससे बालश्रम को रोका जाए।
4. बालश्रम को रोकने के लिए सबसे पहले गरीबी को कम करना पड़ेगा क्योंकि बाल मजदूरी का मुख्य कारण गरीबी है। इसलिए बाल मजदूरी रोकने के लिए पहले गरीबी को मिटाना होगा।
5. शिक्षा का प्रचार— प्रसार करके अशिक्षित व्यक्ति बाल मजदूरी को नहीं समझता है। शिक्षा का प्रचार होगा तो बाल मजदूरी पर रोक लगेगी।
6. बाल मजदूरी को रोकने का उपाय बेरोजगारी को खत्म करना क्योंकि बेरोजगारी के चलते ही लोग अपने परिवार का खर्चा नहीं चला पाते हैं जिस कारण वह अपने बच्चों से बाल मजदूरी या बालश्रम करवाते हैं। बेरोजगारी खत्म होगी तो वे अपने बच्चों को पढ़ने लिखने भेजेंगे।
7. बालश्रम को रोकने का सबसे महत्वपूर्ण उपाय है बाल मजदूरी के खिलाफ जागरूकता फैलाना, ताकि लोग समझ सकें कि बाल मजदूरी देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ है, उन्हें बताना होगा कि बाल मजदूरी के द्वारा भारत के भविष्य जो इन बच्चों में है वह मानसिक व शारीरिक रूप से कमजोर हो रहा है।
8. इसके अलावा आम आदमी को यह दृढ़ संकल्प लेना चाहिए कि वो ऐसी दुकानों से समान या अन्य वस्तु नहीं खरीदेंगे जहां पर कोई बच्चा बालश्रम कर रहा है। इस तरह से सरकार में आम जनता मिलकर बाल मजदूरी को रोकथाम में सहायता कर सकते हैं।

संदर्भ ग्रन्थ

- रावत हरिकृष्ण 2013 सामाजिक शोध की विधियाँ रावत पब्लिकेशन
- एम.एस.डबल्यू-02 सामाजिक शोध
- एम.एस.डबल्यू-03 भारतीय सामाजिक समस्याएँ
- एम.एस.डबल्यू-04 समाजशास्त्र एवं समाज कार्य
- पब्लिकेशन उत्तरायण प्रकाशन हल्द्वानी नैनीताल।
- <https://hi.m.wikipedia.org/wiki/बालश्रम>

डॉ० श्यामाप्रसाद मुखर्जी और कश्मीर समस्या

पीयूष कुमार श्रीवास्तव*

“बन्दे जननीक भारत धरणी शस्य—श्यामला प्यारी।

नमो—नमो सब जग की जननी कोटि—कोटि सुत वारी।।”

हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमारा जन्म उस पुण्य भूमि भारत में हुआ, जहां देवता भी जन्म लेने के लिए लालयित रहते हैं। कितनी महिमामयी है यह मातृभूमि, जिसकी गौरवमण्डित संस्कृति ने सम्पूर्ण विश्व को अपने ज्ञान से आलोकित कर इसको ‘विश्व गुरु’ का गौरव प्रदान किया।

प्रत्येक भारतीय को यह देश प्राणों से प्यारा है। इसका कण—कण पवित्र है, तभी तो प्रत्येक भारतीय गाता है, “गायन्ति देवाः किलगीतकानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागो।” इस भूमि के कण—कण में उत्सर्ग और शौर्य का इतिहास अंकित है। इसके स्वरूप का वर्णन वाणी व लेखनी द्वारा असम्भव है। माता की सन्तान के नाते हमें इसके भव्य—दिव्य स्वरूप का अधिकाधिक ज्ञान प्राप्त करना चाहिए।

तवी नदी के तट पर बसा हुआ जम्मू—कश्मीर राज्य का मूल स्थान है। यह एक प्राचीन नगर है। स्थानीय परम्परा के अनुसार इस नगर का निर्माण हजारों वर्ष पूर्व राजा जम्बूलोचन ने किया था। उन्हीं के नाम पर इसका नाम जम्बू या जम्मू रखा गया। कालान्तर में यह हिमालय की तलहटी के पश्चिमी पहाड़ी क्षेत्र, जिसे डूंगर क्षेत्र भी कहा जाता है, का प्रमुख नगर और उसी नाम के राज्य की राजधानी बन गया। उन्नीसवीं शताब्दी में इस पर जमवाल राजपूत राजा राज्य करते थे। उसी राजवंश का एक वंशज राजा किशन सिंह था। उसके तीन बेटे थे— गुलाब सिंह, ध्यान सिंह और सुचेत सिंह। गुलाब सिंह आगे चलकर महाराजा रणजीत सिंह की सेना में भर्ती हो गया और अपने शौर्य से रणजीत सिंह का विश्वासपात्र सेनापति बन गया।

भारत की स्वतन्त्रता की घोषणा, भारतीय स्वतन्त्रता अधिनियम—1947 के तहत ब्रिटिश सरकार द्वारा की गयी थी। इस स्वतन्त्रता अधिनियम—1947 के

* शोध छात्र, समाजशास्त्र, महात्मा गाँधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट, जिला सतना (म.प्र.)

अनुच्छेद 2(4) के अनुसार सभी रियासतों को अधिकार थे कि भारत में विलय हों या पाकिस्तान में मिलें, अथवा अलग स्वतंत्र राज्य बनाएं। स्वतन्त्रता के बाद जम्मू-कश्मीर रियासत के महाराजा हरि सिंह ने किसी भी डोमिनियन में मिलने की जगह स्वतन्त्र रूप से रहने की इच्छा बनायी। इसी बीच स्वतन्त्रता के कुछ ही दिनों बाद पाकिस्तानी सेना ने स्थानीय कबायली लड़ाके के साथ जम्मू-कश्मीर की दक्षिण-पूर्व सीमा से 22 अक्टूबर, 1947 को हमला बोल दिया। इस हमले के उपरान्त महाराजा के मुस्लिम सैनिक भी विद्रोह कर पाकिस्तानी सेना के साथ मिल गये।

आक्रमण से उत्पन्न समस्या तो अभी हल होने को बाकी है ही किन्तु उससे भी भीषण समस्या आंतरिक है, जिसने हाल ही में भीषण स्वरूप धारण कर लिया है। कश्मीर यद्यपि भारत में सम्मिलित हो गया है किन्तु कश्मीर की युद्धरत स्थिति होने के कारण भारत का संविधान बनने के पूर्व अन्य रियासतों की भांति पूर्ण सम्मिलन-क्रिया पूरी नहीं हो पाई। फलतः हमने विधान सभा में कश्मीर के संबंध में अस्थायी प्रावधान कर दिए तथा यह विश्वास रखा कि ज्यों-ज्यों मामला सुलझता जाएगा, कश्मीर भी भारत का अभिन्न एवं अविभाज्य अंग होने के नाते अन्य राज्यों के सामन गौरवपूर्ण पद प्राप्त करेगा। हमारा संविधान वहां पूर्णरूपेण लागू होगा तथा हमारा और कश्मीर का गठबंधन केवल सुरक्षा, यातायात तथा वैदेशिक मामलों तक ही सीमित न होकर व्यापक होगा।

इस गौरवपूर्ण एवं स्वाभाविक स्थिति का वैधानिक निर्णय यद्यपि कश्मीर के महाराजा एवं वहां के मंत्रिमंडल के द्वारा लिया जा सकता था कि नेहरूजी द्वारा दिए गए आत्मानिर्णय के वादे का लाभ उठाकर कश्मीर में एक अलग संविधान सभा बनाई गई तथा हाल ही में उस संविधान सभा ने जो निर्णय लिए हैं उससे भारत के सभी क्षेत्रों में काफी हलचल मच गई है। कश्मीर संविधान सभा की 'मूलभूत सिद्धान्त समिति' ने कश्मीर के लिए जिस संविधान की कल्पना की है, उसके अनुसार कश्मीर भारतीय गणराज्य के अंदर एक स्वतंत्र गणराज्य होगा, जिसका अपना निर्वाचित राष्ट्रपति, अलग राज्यध्वज तथा स्वतंत्र राष्ट्रगीत होगा। कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के लाल झंडे में ही तीन सफेद पट्टी जोड़कर कश्मीर का राज्यध्वज स्वीकार कर लिया है। कश्मीर संविधान सभा ने यह भी निर्णय कर लिया है कि कश्मीर में वंशानुगत शासक का पद समाप्त कर दिया जाए।

जम्मू-कश्मीर को प्राप्त धारा 370 के तहत प्राप्त विशेष स्थिति जिसमें राज्य को अपना अलग संविधान और अलग नागरिकता-कानून बनाने का अधिकार

दिया गया, डॉ० मुखर्जी भारत की राष्ट्रीय एकता के लिए कश्मीर की विशेष स्थिति को उचित नहीं मानते थे। उधर जम्मू-कश्मीर के पाक समर्थकों जिसमें जम्मू कश्मीर नेशनल कान्फ्रेंस के नेता शेख अब्दुल्ला भी शामिल थे, द्वारा जनसंख्या के आधार पर राज्य को विलय के निर्णय पर मतविभाजन की मांग करने के चलते कश्मीर की स्थिति दिनों-दिन हिंसक होने लगी थी। भारतीय संविधान में धारा 370 के शामिल करवाने में भी शेख अब्दुल्ला ने प. नेहरू के माध्यम से संविधान-सभा के प्रभावी सदस्य गोपाल स्वामी आर्यंगर पर दबाव बनवाने का भरसक प्रयास किया था। आर्यंगर के प्रस्ताव को संविधान-सभा के सदस्यों ने तभी अनुमति दी थी जब उन्होंने इसे अस्थायी रूप से शामिल करने की बात की थी। अतः इसे अस्थायी और बदली जाने वाली धाराएं शीर्षक वाले अध्याय में संविधान में शामिल किया गया था।

डॉ० मुखर्जी का मत था कि यदि हम सिद्धान्त रूप में यह स्वीकार कर लेते हैं कि भारत के किसी भी भाग में इस्लाम के अनुयाईयों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में शासन का हिस्सा दिया जाये तो अन्य जातियां भी ऐसी ही मांग उठाकर देश के टुकड़े-टुकड़े करने के लिए तत्पर हो उठेंगी।

8 मई 1953 को दिल्ली से पंजाब जाने वाली रेलगाड़ी में उनके साथ विख्यात वैद्य और साहित्यकार तथा दिल्ली जनसंघ के अध्यक्ष गगुरुदत्त, प्रो० बलराज मधोक, अटल बिहारी वाजपेयी, डॉ० वर्मन और टेकचन्द्र शर्मा भी रवाना हुए। दिल्ली स्टेशन पर पुष्पमालाओं आदि के साथ विदायी देने आये कार्यकर्ताओं को सम्बोधित करते हुए डॉ० मुखर्जी ने कहा “शेख अब्दुल्ला ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में कट्टरता का पाठ सीखकर जम्मू-कश्मीर रियासत में जो विशैला वातावरण फैलाया है उसमें उसकी स्वतन्त्र कश्मीर के सुलतान बनने की महत्वाकांक्षा उजागर हो रही है।”

शेख और पं० नेहरू की मिलीभगत से हमारे ही देश के किसी राज्य में अलग विधान, अलग प्रधान और अलग निशान का जो प्रावधान बनाया गया है भारतीय जनसंघ उसे बर्दाश्त नहीं करेगा। उनका कहना था कि “मैं संसद में श्री जवाहरलाल नेहरू के इस कथन की कि जम्मू-कश्मीर का भारत में शत प्रतिशत विलय हो चुका है, परीक्षा लेने जा रहा हूँ। मेरा विचार है कि भारत के प्रत्येक भाग में भारत के हर नागरिक को आने जाने का मौलिक अधिकार होना चाहिए। अब देखना यह है कि नेहरू जी और अब्दुल्ला इस विषय में क्या करते हैं।”

12 मई को डॉ० मुखर्जी, वैद्य गुरुदत्त और टेकचन्द शर्मा— तीनों को जीप में बिठाकर श्रीनगर के निशातबाग के पास बंगले में नजर बंदी की स्थिति में रखा गया। वहीं पर डॉ० मुखर्जी की जीवनी लिखने की आकांक्षा के साथ उन्होंने लेखन भी आरम्भ किया था। 17 मई को उन्हें ज्वर की शिकायत हुयी। कई दिनों तक उनका स्वास्थ्य बनता विगड़ता रहा। 22 जून की प्रातः से ही उन्हें हृदयस्थल पर पीड़ा होनी शुरू हुयी। उनके सहबन्धियों से अलग उन्हें इलाज के लिए भर्ती किया गया। 20 जून को उनकी रिहाई की याचिका कश्मीर उच्च न्यायालय में पेश की गयी। 23 जून, को उनकी रिहाई पर उनके अधिवक्ता श्री उमांशकर त्रिवेदी अदालत से सीधे डॉ० मुखर्जी के पास अस्पताल पहुंचे। उस समय वह बिल्कुल स्वस्थ थे। रात में 10 बजे उन्हें एक इंजेक्शन दिया गया। उसी के बाद उन्होंने दम तोड़ दिया। वैद्य गुरुदत्त टेकचन्द शर्मा और श्री त्रिवेदी को प्रातः अस्पताल ले जाकर उनकी मृत्यु की सूचना दी गयी। डॉ० मुखर्जी की अचानक हुई रहस्यमय मृत्यु का समाचार मिलते ही पूरा देश स्तब्ध रह गया।

संदर्भ ग्रन्थ

- सहगल नरेन्द्र : घाटी के स्वर, 2005, प्रभात प्रकाशन, नई दिल्ली पृ० सं० 101
- गोयल शिव कुमार : डॉ० श्यामाप्रसाद मुखर्जी जीवन यात्रा, 2007, सूर्य भारती प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ० सं० 93
- शर्मा, महेश चन्द्र, दीनदयाल उपाध्याय संपूर्ण वाङ्मय खण्ड 2, 2009, प्रभात प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ० सं० 167
- सहगल नरेन्द्र : व्यथित जम्मू कश्मीर, 2010, सूर्य भारती प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ० सं० 108—109

भारत में लैंगिक विषमता की स्थिति एवं शैक्षिक बदलाव

डॉ० सुषमा अग्रवाल*

सारांश

ईश्वर द्वारा पृथ्वी पर उत्पन्न जीवों में उसकी सर्वश्रेष्ठ कृति की अभिव्यक्ति मानव रूप में विद्यमान है और उसकी यह कृति स्त्री और पुरुष दो रूपों में अभिव्यक्त की जाती है। यही नहीं इन दोनों में समान रूप से समानता न होकर भिन्नता पाई जाती है। हमारा भारतीय समाज पुरुष प्रधान समाज के रूप में विकसित हुआ है और स्त्रियों को इस पितृसत्तात्मक समाज का मुख्य अंग माना जाता है, लेकिन पुरुष के समान उन्हें उन्नति के अवसर कभी प्राप्त नहीं हुये हैं। भारत में लैंगिक विषमता शिक्षा, जनसंख्या, राजनीति प्रत्येक स्थान पर दृष्टिगोचर होती है। इसका एक प्रमुख कारण कन्या भ्रूण हत्या है। माता-पिता अनुष्ठान, वंश, विरासत, पहचान, स्थिति के कारण बेटों को ही प्राथमिकता देते हैं और लड़कियों के खिलाफ भेदभाव करते हैं। अशिक्षा, गरीबी, जागरूकता के अभाव के कारण ग्रामीण क्षेत्र में बालिकाओं की स्थिति और भी दयनीय है। इसके लिये शासन के सहयोग से पूरे समाज की मानसिकता में बदलाव की आवश्यकता है। यद्यपि भारत सरकार द्वारा केन्द्र सरकार के सहयोग से स्वतंत्रता उपरान्त अनेक कार्यक्रम एवं योजनाएँ चलाई गईं। जिससे स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में सुधार तो अवश्य हो रहा है लेकिन अभिभावकों की बालिकाओं के प्रति यह मानसिकता की उनका कार्यक्षेत्र घर व संतान है उन्हें पढ़ाने से क्या लाभ? यह सोच स्त्री शिक्षा की प्रगति में बाधक है। लिंग समानता को बढ़ावा देने के लिये बालक वर्ग में प्यार व देखभाल जैसे तत्वों को सिखाने एवं समझाने में शिक्षक वर्ग महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है।

कुँजी शब्द— लैंगिक विषमता, शैक्षिक बदलाव, सामाजिक प्रभाव, सभ्यता और संस्कृति।

प्रस्तावना—

मानव समाज का अस्तित्व स्त्री-पुरुषों की इस लैंगिक विषमता पर ही

* शोध छात्रा, स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज, जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी, जयपुर (राजस्थान), भारत।

आधारित है। जिसने स्त्री-पुरुषों की अन्य विषमताओं को जन्म दिया और जिससे मानवीय सभ्यता एवं संस्कृति का विकास एवं प्रसार भी हुआ।

ईश्वर द्वारा पृथ्वी पर उत्पन्न जीवों में उसकी सर्वश्रेष्ठ कृति की अभिव्यक्ति मानव रूप में विद्यमान है और उसकी यह कृति स्त्री और पुरुष दो रूपों में अभिव्यक्त की जाती हैं। यही नहीं इन दोनों में समान रूप से समानता न होकर भिन्नता पाई जाती है। इस लैंगिक विषमता ने पुरुषों और स्त्रियों में जैविक विशेषताओं को न केवल जन्म दिया गया है बल्कि विकसित भी किया है।

प्राचीन एवं नवीन समाजों, संस्कृतियों के ऐतिहासिक विकास का अध्ययन करने से पता चलता है लैंगिक विषमता ने ही स्त्रियों को क्षमता प्रदान की है। जिसने न केवल पुरुष को जन्म दिया बल्कि मानव सभ्यता संस्कृति के विकास को भी जन्म देकर विकसित किया है। पुरुषों एवं स्त्रियों की विभिन्न क्षमताओं, योग्यताओं, कार्यों, व्यावहारिक सम्बन्धों में एक विशिष्ट अन्तर है और यही अन्तर ही पारस्परिक सहयोग न बनकर समाज के लिए जंग का कारण बना। जब-जब समय और परिस्थितियों से प्रभावित होकर इन विषमताओं ने विरोध और संघर्ष को धारण किया तब-तब समाज का विघटन हुआ और मानवीय सभ्यता संस्कृति का हास हुआ।

मानवीय सभ्यता और संस्कृति के विकास के मूल में स्त्री-पुरुष की यह लैंगिक विषमता ही है जो विभिन्न युगों में कालजन्य परिस्थितियों में निरन्तर प्रभावित होती रही है। हमारा भारतीय समाज प्राचीन काल से पुरुष प्रधान समाज के रूप में विकसित हुआ है, और स्त्रियों को इस पितृसत्तात्मक समाज का मुख्य अंग माना जाता रहा है। किन्तु पुरुषों के समान उन्हें उन्नति के अवसर प्राप्त नहीं हुए।

यद्यपि वैदिक काल में स्त्रियों को समाज में सम्मान जनक स्थान प्राप्त था। उन्हें पुरुषों की तरह सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, धार्मिक अधिकार प्राप्त थे। बौद्ध काल में तथा इसके पश्चात मध्य काल में महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई। भारत में लिंग असमानता एक बहुमुखी मुद्दा है। भारत में लिंग असमानता पुरुष और महिलाओं के बीच शिक्षा, जनसंख्या राजनीति प्रत्येक जगह दृष्टिगोचर हो रही है।

भारत में लैंगिक विशमता की स्थिति –

तालिका –01 भारत में स्त्री-पुरुष अनुपात

जनगणना	स्त्री-पुरुष अनुपात
1901	972
1911	964
1921	955
1931	950
1941	945
1951	946
1961	941
1971	930
1981	934
1991	927
2001	933
2011	940

स्रोत : जनगणना रिपोर्ट 2011

उपरोक्त तालिका के अनुसार ज्ञातव्य है कि भारत में प्रति एक हजार पुरुषों में स्त्रियों की संख्या प्रत्येक दशक में कम है। स्वतन्त्रता उपरान्त स्त्री पुरुष अनुपात में और भी अधिक कमी आई है, जो कि चिन्ता का विषय है।

तालिका – 02 लोकसभा में स्त्री-पुरुष अनुपात

वर्ष	पुरुष	महिला
1952	472	22
1957	476	27
1962	459	35
1967	490	30
1971	499	21
1977	523	21
1980	514	28
1984	500	42
1989	502	27
1991	492	39
1996	503	40
1998	500	43
1999	494	49
2004	499	44
2009	485	58
2014	481	62

स्रोत-पी. आर. एस. इण्डिया

उपरोक्त तालिका द्वारा दृष्टिगोचर हो रहा है कि भारत के राजनीति क्षेत्र में भी स्त्री पुरुष अनुपात में अत्यधिक विषमता है। महिलाएं पुरुषों की तुलना में राजनीति के क्षेत्र में कई गुना पीछे हैं।

तालिका –03 स्वतंत्रता उपरान्त भारत में दशकवार साक्षरता दर में वृद्धि (आँकड़ें प्रतिशत में)

वर्ष	सम्पूर्ण साक्षरता दर	पुरुष साक्षरता दर	महिला साक्षरता दर	पुरुषों एवं महिलाओं की साक्षरता दर में अन्तर
1951	18.33	27.16	8.86	18.30
1961	28.31	40.46	15.34	25.05
1971	34.45	45.95	21.97	23.98
1981	43.56	56.37	29.75	26.62
1991	52.11	63.86	39.42	24.84
2001	65.38	75.85	54.96	21.70
2011	74.04	82.14	65.46	16.68

स्रोत : जनगणना रिपोर्ट 2011

वर्ष 2011 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (डब्ल्यूईएफ) द्वारा जारी जेंडर गैप रिपोर्ट के अनुसार 135 देशों के बीच भारत में लिंग अनुदान सूचकांक जीजीआई पर 113 स्थान प्राप्त था तबसे भारत में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के जेंडर गैप में सुधार किया है। महिलाओं में असमानता व्यवसाय से सम्बंधित प्रत्येक क्षेत्र में दृष्टिगत होती है। सैन्यसेवा में महिलाओं को सशस्त्र बलों में मुकाबला करने की अनुमति पुरुषों की तुलना में न के बराबर है। महिलाओं को सम्पत्ति के संबन्ध में कानून द्वारा समान अधिकार तो प्राप्त है लेकिन व्यवहारिक रूप में ऐसा नहीं है क्योंकि 70 प्रतिशत ग्रामीण भूमि पुरुषों के पास है।

भारत में वर्ष 2011 की जनगणना आंकड़ों के अनुसार महिलाओं की साक्षरता दर 65.46 है जब कि पुरुषों की साक्षरता दर 82.14 प्रतिशत है। लड़कों की तुलना में लड़कियों को बहुत कम ही विद्यालय में नामांकित कराया जाता है। ग्रामीण भारत में महिलाएँ पुरुषों की तुलना में कम शिक्षा प्राप्त करती हैं। राष्ट्रीय सर्वेक्षण आंकड़ों के अनुसार केरल और मिजोरम में महिला साक्षरता दर अधिक है।

अधिकांश विद्वानों के अनुसार यहीं कारण है कि यहाँ पर महिलाओं की साक्षरता अधिक होने के कारण उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी है। वर्ष 2006–2010 के आंकड़ों के अनुसार माध्यमिक स्तर पर महिलाओं की शिक्षा पूरी करने का प्रतिशत पुरुषों की अपेक्षा लगभग आधा था। क्योंकि पुरुष प्रतिशत 50.04 की तुलना में महिला प्रतिशत 26.06 था। युवाओं की वर्तमान पीढ़ी में यह अन्तर प्राथमिक स्तर पर तो कम हो रहा है किन्तु माध्यमिक स्तर पर बढ़ रहा है। पंजाब में 15–17 वय वर्ग की लड़कियों को विद्यालय से बाहर निकालने की प्रक्रिया अन्य राज्यों की तुलना में 10 प्रतिशत अधिक है। यद्यपि भारत में 1990 के दशक से महिला साक्षरता एवं नामांकन में सुधार देखा जा रहा है। किन्तु महिला शिक्षा गुणवत्ता में भारी रूप से समझौता किया गया है क्योंकि देश में पुरुष महिलाओं की तुलना में अधिक है।

भारत में राज्यों और संघ शासित प्रदेशों से वर्ष 2011 जनगणना जन्म के अनुपात में 0 से 01 आयु वर्ग समूह में जम्मू–कश्मीर में 128 लड़कों में 100 लड़कियाँ, हरियाणा में 117, पंजाब में 117 और उत्तराखंड में 114 है। इसके पीछे कारण भ्रूण लिंग निर्धारित कारकों का दुरुपयोग है। पटनायक का अनुमान है कि 2000–2010 के बीच 15 मिलियन लड़कियों का जन्म नहीं हुआ था। इसके विपरीत मैकफर्सन का अनुमान है कि भारत में हर साल 1 लाख गायब लड़कियों के लिये मुख्य कारण लिंग चयन गर्भपात है। वर्ष 2005 के राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण–3 के आंकड़ों के अनुसार 2 वर्षीय बच्चों के लिये टीकाकरण दर बालिकाओं में 41.07 प्रतिशत और लड़कों के लिये 45.03 प्रतिशत थी जो लड़कियों के स्वास्थ्य के प्रति हानि दर्शाती है।

लैंगिक असमानता के विषय में अर्मत्यसेन ने सामाजिक सांस्कृतिक प्रभावों को ध्यान में रखते हुए कहा है कि भारत को लैंगिक असमानता को बढ़ावा देने सांस्कृतिक प्रभाव, अनुष्ठान, वंश, विरासत, पहचान, स्थिति और सम्बन्धित संबंधों के कारण बेटों के लिये प्राथमिकता का समर्थन करते हैं और लड़कियों के खिलाफ भेद भाव है। चरम मामलों में भेदभाव सम्मान हत्याओं का रूप ले लेता है तब परिवारों को बेटी या बेटियों को मारना पड़ता है। जब एक महिला लिंग मानकों के अनुरूप नहीं होती है तब वह शर्मिंदा व अपमानित होती है। सांस्कृतिक कारक बताते हैं कि बेटी की उपेक्षा का मुख्य कारक बेटा ही है।

भारतीय समाज में पितृसत्तात्मक विशेषाधिकार एक सामाजिक प्रणाली हैं इसके कारण पुरुष परिवार के सदस्यों पर अपना अधिकार रखते हैं जिसके कारण

नैतिक अधिकार, सम्पत्ति का नियंत्रण और महिलाओं तथा बच्चों के ऊपर अपना अधिकार रखते हैं। पितृसत्तात्मकता के कारण ही पिता से विरासत पुत्र तक जाती है। बेटों से उम्मीद की जाती है कि वह अपने माता-पिता को बुढ़ापे में सहायता दे और महिलाओं में अपने माता-पिता की सहायता करने की विवाह उपरान्त बहुत सीमित क्षमता हो जाती है। बेटों को बेटियों की तुलना में सदैव श्रेष्ठ माना जाता है। लड़के को परिवार का वारिस मानकर अनेक अधिकार दिये जाते हैं। बेटा ही अपने माता-पिता का अन्तिम संस्कार करने का अधिकारी है। अनेक विद्वानों ने पाया है कि गरीब परिवारों में बेटियों को चिकित्सा उपचार और टीकाकरण इत्यादि में भेदभाव का सामना करना पड़ता है क्योंकि उन्हें प्रारम्भ से ही पराया धन समझा जाता है।

आज यद्यपि हम शिक्षित हैं और 21वीं शताब्दी में प्रवेश कर चुके हैं तब भी आज जब परिवार में लड़का पैदा होता है तो परिवार के लोग उत्सव का आनंद लेते हैं और यदि लड़की पैदा होती है तो कोई उत्सव आनंद नहीं। एक नर बच्चे के लिये इतना अधिक प्यार हम प्राचीन काल से ही बेटियों को जन्म लेने से पहले ही मार रहे हैं। अगर सौभाग्य से व मारी नहीं जाती हैं तो जीवन भर उनके खिलाफ भेदभाव करने के तरीकों को खोजते रहते हैं। यद्यपि हमारे धार्मिक विश्वासों ने नारी को एक देवी के रूप में पूजा है। मनुस्मृति में तो यहाँ तक कहा गया है कि जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं और जहाँ उनका निरादर होता है वहाँ के सारे कार्य निष्फल होते हैं—

**यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः।
यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफलाः क्रियाः॥**

किन्तु आज हम वर्तमान परिपेक्ष्य में उसी नारी को मानव के रूप में पहचानने में भी विफल हो रहे हैं। मेरी दृष्टि से नारी पूज्या बन सके, न बन सके, परन्तु मात्र भोग्या बनने के अभिशाप और अहसास से उसे बचना है।

वर्तमान में स्त्रियों की सामाजिक स्थिति पुरुषों के समतुल्य नहीं है क्योंकि स्त्रियों के साथ आज भी भेदभाव पूर्ण व्यवहार उनका शोषण अपमान तथा प्रताड़ना पुरुषों द्वारा व्यापक रूप से जारी है। आधुनिक भारत में पुरुष प्रधान समाज में स्त्रियों के विचारों को कभी गंभीरता से नहीं लिया गया है। उनको आज भी पुरुषों से निम्न समझा जाता है। आज विभिन्न स्थानों पर अधिकारियों द्वारा अपने अधीनस्थ महिला कर्मचारियों का शारीरिक एवं मानसिक शोषण किया जाता

है। प्रायः यह देखा जाता है कि पुरुष सार्वजनिक स्थानों जैसे विभिन्न कार्यालयों, विद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों आदि में महिला कर्मचारियों का विभिन्न तरीकों से शोषण करते हैं।

आधुनिक भारत में स्त्री पुरुष के सम्बन्धों का ज्ञान प्राप्त करने पर निष्कर्ष निकलता है कि प्रायः वहीं पुरुष प्रभावशाली माना जाता है जिसका व्यक्तित्व सबल हो। भारतीय संस्कृति के प्रारम्भिक युग में पुरुषों ने महिलाओं पर सामूहिक नियंत्रण स्थापित किया था और उन्हें अपने से निम्न स्तर प्रदान किया था। वर्तमान में मानवीय धरातल पर संवेदनात्मक सोच की आवश्यकता है और स्त्री-पुरुष में सर्वदा सोच से नवीन आकलन की आवश्यकता है। वर्तमान में स्त्रियों को अपने अधिकार क्षेत्रों की जानकारी होना अत्यन्त आवश्यक है, तभी वह अपनी सीमाओं को पहचान कर स्वयं को सशक्त बना सकती है। उसे लड़ाई किससे लड़नी है? स्वयं से पुरुष से या व्यवस्था से। उसे किससे मुक्ति चाहिए? अपनी हीन भावनाओं से समाज की रूढ़ियों कुप्रथाओं से या पुरुष के द्वारा सृजित किसी टकराव या विसंगति से। इनका उत्तर या समाधान यही है कि समुचित कार्य-विभाजन और परस्पर पूरकता के साथ परस्पर सहयोग अत्यन्त आवश्यक है। भारत के सामाजिक पक्षों को अपनी लेखनी से लिपिबद्ध करने वाली आशा रानी बहोरा का उद्धृत किया गया कथन है कि अधिकार माँगने की नहीं वरन् अर्जित करने चीज है। माँगने से मिलते नहीं, लड़कर छीनने से टकराव पैदा होता है, पर अर्जित किये गये अधिकारों को कोई रोक नहीं सकता है दूसरी बात यह है कि स्त्री ही स्त्री की सबसे बड़ी दुश्मन है। स्त्री को स्त्री का शोषण रोकना होगा तभी पुरुष शोषण के विरुद्ध आवाज उठायी जा सकती है। तीसरी बात यह है कि स्त्री, पुरुष के सदियों के संस्कार किसी कानूनी सुधार के एक झटके में बदले नहीं जा सकते हैं न ही सुधारों को टकराव पैदा करने वाले आन्दोलनों के माध्यम से त्वरित गति से प्राप्त किया जा सकता है।

स्त्री यदि शिक्षित होकर आर्थिक दृष्टि से सबल होगी तो पुरुष के लिए स्त्री के सहयोगी हाथ को झटकना मनोवैज्ञानिक दृष्टि से प्रायः असंभव होगा। इसके लिए शासन के सहयोग से पूरे समाज की मानसिकता में बदलाव की आवश्यकता है। समाज के सभी स्त्री पुरुष चाहेंगे तो लैंगिक विषमता को दूर किया जा सकता है। किन्तु जैसे-जैसे शिक्षा में वृद्धि हुई आधुनिक भारत में सभ्यता संस्कृति का विकास हुआ वैसे ही स्त्रियों की स्थिति प्रभावित हुई। यद्यपि राजा राममोहन राय, महात्मा गाँधी, स्वामी दयानन्द सरस्वती, स्वामी विवेकानन्द,

आचार्य विनोबा भावे, आदि महापुरुषों के सहयोग से देश में महिला की स्थितियों विशेषकर आर्थिक और शैक्षिक स्थितियों में सुधार आया है।

राजा राममोहन राय और ईश्वरचन्द्र विद्यासागर ने भी बालिकाओं के लिये अनेक स्कूल खोले। 1854 से पूर्व मद्रास में बालिकाओं के लिये 256 स्कूल थे जिनमें 8 हजार लड़कियाँ पढ़ती थीं। बम्बई में 65 लड़कियों के स्कूल थे जिसमें 650 लड़कियाँ शिक्षा ग्रहण करती थीं। बंगाल में 288 स्कूलों में 6869 लड़कियाँ पढ़ती थीं। संयुक्त प्रान्त में मिशनरीज द्वारा 17 स्कूल भी बालिकाओं के लिए थे। 1854 में 'बुड के घोषणा पत्र' में स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन देने का सुझाव दिया गया। परन्तु शिक्षा विभाग द्वारा स्त्री शिक्षा पर पर्याप्त ध्यान न दिया गया। 1882 में जबकि 42 लड़कों में से एक लड़के को शिक्षा दी जा रही थी, बालिकाओं में यह अनुपात 858 में एक का था। 1882 में भारतीय शिक्षा आयोग ने स्त्री शिक्षा की पिछड़ी हुई दशा की ओर संकेत दिया। आयोग ने स्त्री शिक्षा के प्रसार के लिये अधिक धन व्यय करने एवं बालिकाओं की शिक्षा की सुविधाओं का विस्तार करने के संबंध में सुझाव दिया। 1902 ई० में महिलाओं के लिए 12 महाविद्यालय, 467 माध्यमिक विद्यालय तथा 5628 प्राथमिक पाठशालायें थीं। बालिकाओं की उच्च शिक्षा पारसी, ईसाई एवं उच्च भारतीय कर्मचारियों तक ही सीमित थीं। 20वीं शताब्दी के प्रारम्भ में राष्ट्रीय आन्दोलन का वेग बढ़ता जा रहा था। राष्ट्रीय जागरण के कारण अब बालिकाओं के शिक्षा के महत्व को समाज में समझा जाने लगा था। सरकार ने भी स्त्री शिक्षा के प्रसार के लिये सक्रिय कदम उठाये। 1904 में श्रीमती एनी बेसेन्ट ने बनारस में केन्द्रीय हिन्दू बालिका विद्यालय की स्थापना की। 1916 में लेडी हार्डिंग चिकित्सा विद्यालय दिल्ली में स्थापित किया गया। महर्षि कर्वे द्वारा इसी वर्ष महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। 1921 में बालिकाओं के लिये 19 महाविद्यालय, 675 माध्यमिक विद्यालय एवं 2,21,956 पाठशालाएँ थीं। स्वतन्त्र भारत में नवभारत सरकार ने स्त्री शिक्षा के लिए अत्यधिक उत्साह का प्रदर्शन किया।

भारत सरकार द्वारा स्वतन्त्रता उपरान्त अनेक योजनाएं एवं कार्यक्रम चलाकर स्त्री शिक्षा के लिए प्रभावशाली पग उठाये गये। केन्द्र सरकार के सहयोग से भारत में विभिन्न राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में लैंगिक असमानता को कम करने तथा शैक्षिक बदलाव लाने के लिये अग्रांकित कार्यक्रम चलाये गये—स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, सम्पूर्ण ग्रामीण योजना, ग्रामीण और गरीब महिलाओं के लिए जागरूकता जनरेशन परियोजनाएं, वयस्क महिला शिक्षा के लिए कंडेंड

कोर्स, किशोरी शक्ति योजना, स्वयं महिला मंडल कार्यक्रम, राष्ट्रीय महिला कोष महिलाओं के लिए प्रशिक्षण और रोजगार कार्यक्रम, स्वावलंबन कार्यक्रम, स्वशक्ति परियोजना, स्वयं सहायता योजना, महिला समख्या कार्यक्रम, समन्वित बाल विकास सेवा, बालिका समृद्धि योजना, प्राथमिक शिक्षा के लिए पोषण संबंधी सहायता के राष्ट्रीय कार्यक्रम ग्रामीण लड़कियों को प्रोत्साहित (प्राथमिक स्कूल रोजाना) करने के लिए प्रोत्साहित करना, प्राथमिक स्तर पर लड़कियों की शिक्षा के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम, सर्व शिक्षा अभियान, लाडली लक्ष्मी योजना, दिल्ली लाडली योजना और अन्य।

निष्कर्ष—

भारत में लैंगिक विषमता एवं विभिन्न प्रयासों द्वारा शैक्षिक बदलावों के परिसंदर्भों में अध्ययन एवं विश्लेषण से प्राप्त निम्न निष्कर्ष—

- तालिका 01 के अनुसार भारत में स्त्री पुरुष अनुपात में विषमता दृष्टिगोचर हो रही है। वर्ष 1901 में स्वतंत्रता पूर्व प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 972 थी जो वर्ष 2011 के आँकड़ों के अनुसार 940 है। इससे स्पष्ट होता है कि स्त्री-पुरुष अनुपात में गिरावट आई है।
- तालिका 02 के अनुसार स्वतंत्रता उपरान्त लोकसभा के स्त्री-पुरुष अनुपात पर यदि हम दृष्टिपात करें तो महिलाएँ पुरुषों की तुलना में अत्यधिक पीछे हैं। वर्ष 2014 के आँकड़ों के अनुसार लोकसभा में पुरुषों की संख्या 481 है और स्त्रियों की संख्या मात्र 62 है। राजनीति के क्षेत्र में महिलाएँ पुरुषों की तुलना में 7 गुना से अधिक पीछे हैं।
- तालिका 03 के अनुसार स्वतंत्रता के उपरान्त भारत की साक्षरता दर में वृद्धि हुई है। वर्ष 1951 की तुलना में महिला साक्षरता जो मात्र 8.86 प्रतिशत थी वर्ष 2011 में बढ़कर 65.46 प्रतिशत हो गई है। किन्तु वर्ष 2011 में पुरुषों की साक्षरता 82.14 प्रतिशत है। इससे ज्ञात हो रहा है कि महिलाओं की आबादी का एक तिहाई भाग अभी भी निरक्षर जबकि पुरुषों की तीन चौथाई से अधिक आबादी साक्षर है।
- महिलाओं में असमानता व्यवसाय से संबंधित क्षेत्रों में भी दृष्टिगत होती है। सैन्यसेवा में महिलाओं को सशस्त्र बलों में मुकाबला करने की अनुमति नहीं है।

- महिलाओं को सम्पत्ति में समान अधिकार प्राप्त होने के बावजूद भी 70 प्रतिशत सम्पत्ति पुरुषों के पास है।
- प्राथमिक स्तर पर बालक और बालिकाओं में लैंगिक विषमता कम हुई है किन्तु माध्यमिक स्तर पर लड़कियों के ड्राप आउट में वृद्धि हुई है। यह पंजाब राज्य में अन्य राज्यों की तुलना में 10 प्रतिशत अधिक है।
- जम्मू-कश्मीर, हरियाणा, पंजाब और उत्तराखंड राज्य में 0 से 1 आयु वर्ग के बच्चों में बालकों की तुलना में बालिकाओं की संख्या बहुत कम है। इसका मुख्य कारण बालकों को अनुष्ठान वंश विरासत में प्रमुख स्थान प्रदान करना है और बालिकाओं को कमजोर और दान की वस्तु समझने के कारण उनको संसार में आने से पहले रोक देना हैं।
- राष्ट्रीय सर्वेक्षण आंकड़ों के अनुसार केरल और मिजोरम राज्य में महिला साक्षरता दर अधिक है। इसी कारण यहाँ महिलाओं की आर्थिक स्थिति अच्छी है।

सुझाव

स्त्री शिक्षा की स्थिति में सुधार लाने के लिये केन्द्रीय और राज्य सरकारों को स्त्री शिक्षा पर पर्याप्त अनुदान देना चाहिए और साथ ही सरकारों को व्यक्तिगत और सामाजिक प्रयासों को प्रोत्साहित कर अपनी ओर से आदर्श स्त्री शिक्षा संस्थाओं की स्थापना करनी चाहिए। महिलाओं के विकास हेतु इस क्षेत्र में कार्य करने वाली महिला संस्थाओं वनस्थली विद्यापीठ, कर्वे का महिला महाविद्यालय, प्रयाग महिला विद्यापीठ जैसी संस्थाओं को प्रोत्साहित करना चाहिये। अभिभावकों को बालिका शिक्षा के प्रति जागरूक करना चाहिए। यथा संभव शिशु केन्द्र खोले जाये जिससे बालिकाओं पर छोटे भाई-बहनों की देखभाल का भार न रहे, तथा पढ़ी लिखी लड़कियों को रोजगार दिलाया जाये। लिंग समानता को बढ़ावा देने के लिये बालक वर्ग में प्यार व देखभाल जैसे तत्वों को सिखाने एवं समझाने में शिक्षक वर्ग महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी चाहिए। क्योंकि यह महिलाओं की जिम्मेदारी नहीं है कि वह परिवार व बच्चों की देखभाल सम्पन्न करें। यदि हर घर में महिलाओं को पुरुषों के समान श्रेष्ठ व अग्रणी बनाना है तो पुरुष वर्ग को भागीदारिता का पाठ पढ़ाया जाना अति आवश्यक है।

संदर्भ ग्रन्थ

1. लाल, रमन बिहारी (2008). शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्रीय सिद्धान्त, रस्तोगी पब्लिकेशन्स, मेरठ।

2. पाण्डेय, रामशक्ल एवं मिश्र, करुणा शंकर (2002). भारतीय शिक्षा की समसामयिक समस्याएँ, विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा।
3. सक्सेना, एन० आर० स्वरूप एवं शुक्ला, ममता (2016). शिक्षा में दार्शनिक एवं समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य, आर० लाल० बुक डिपो, मेरठ।
4. शर्मा, बी० एल० एवं सक्सेना, आर० एन० (2005), सूर्या यू० जी० सी० शिक्षाशास्त्र, आर० लाल बुक डिपो, मेरठ।
5. सिंह, कर्ण (2002). भारतीय शिक्षा का इतिहास व समस्याएँ, गाोविन्द प्रकाशन, लखीमपुर खीरी।
6. सूद, विशाल एवं कुलश्रेष्ठ, नवीन कुमार (2015). शिक्षा के दार्शनिक एवं सामाजिक दृष्टिकोण, राखी प्रकाशन, आगरा।
7. समाज विज्ञान शोध पत्रिका, अप्रैल-सितम्बर (2012). रिसर्च जर्नल, अमरोहा।
8. शोध दिशा, अक्टूबर-दिसम्बर (2008). हिन्दी साहित्य निकेतन साहित्य विहार, बिजनौर।

शैक्षिक समावेशन, चुनौतियां और व्यवहारिक समाधान

त्रिलोकी सिंह*

सारांश—

पिछले कुछ दशकों में, अपने मूलभूत अधिकारों से वंचित वर्ग का सामाजिक समावेशन सुनिश्चित कराने हेतु शैक्षिक समावेशन शिक्षा का एक प्रमुख विषय बनकर उभरा है। जिस क्रम में वैश्विक स्तर पर शिक्षा को प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार सुनिश्चित कराने के लिए 1948 में जारी मानवीय अधिकारों के घोषणा पत्र में अनुच्छेद 26(1) के प्रावधान ने राह निर्मित की और अंततः सम्पूर्ण विश्व द्वारा सन् 2000 में सहस्राब्दि विकास लक्ष्यों के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा को प्रत्येक बच्चे का मूल अधिकार सुनिश्चित किया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ की बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की सिफारिशों को केंद्र में रखते हुए 2012 में भारत में भी 1 अप्रैल 2010 से प्रभाव में आये। शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में संसोधन कर दिव्यांग बच्चों से सम्बंधित एक विशेष प्रावधान को शामिल किया गया। इस वर्ग को उनके मौलिक अधिकार सुनिश्चित कराने हेतु किये जा प्रयासों का प्रतिफल ही दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 है। ये प्रयास राज्यों को शिक्षा के प्रति पहले से अधिक जवाबदेह बनाने में काफी सफल भी हुए हैं। इस प्रकार आज विश्व एवं भारत के लिए समावेशी शिक्षा कोई नया विषय नहीं रह गया है। अतः इस आबादी को मुख्यधारा के साथ लाने हेतु एक वातावरण निर्मित करने की आवश्यकता है। भारत में दिव्यांग व्यक्तियों की संख्या लगभग 27 मिलियन है जो कि देश की सम्पूर्ण आबादी का लगभग 2.21 प्रतिशत है (जनगणना 2011)। एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले चार दशकों से सरकारों द्वारा किये जा रहे विशेष प्रयासों के बाद भी हमारे देश के समस्त दिव्यांग विद्यार्थियों में से 1 प्रतिशत से भी कम को ही अभी तक एक व्यवस्थित समावेशी वातावरण में शिक्षित होने का अवसर उपलब्ध हो सका है (द हिन्दू, 2013)। एम.एच.आर.डी. 2014-15 की वार्षिक रिपोर्ट स्पष्ट करती है कि सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत अब तक लगभग 27.91 लाख विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को तो चिन्हित किया

* शोध छात्र—शिक्षाशास्त्र विभाग, डॉ. शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय
लखनऊ, उ.प्र., ई-मेल: ts_eduphd2015@dsmnru-ac-in मो. 9473676539

जा चुका है, किन्तु इतनी बड़ी आबादी को समावेशित करने हेतु समावेशी कार्यक्रम के अंतर्गत सम्पूर्ण देश में कुल 21056 सहायक व्यक्तियों (रिसोर्स पर्सन्स) की ही नियुक्ति संभव हो सकी है। आज भी इस क्षेत्र में ज्यादातर कार्य गैर सहायता प्राप्त संगठनों (764 एन.जी.ओ.) के द्वारा ही संपन्न किया जा रहा है। आंकड़े स्पष्ट करते हैं कि शिक्षा के मौलिक अधिकार के रूप में स्वीकार किये जाने के बाद भी एक बड़ी आबादी शिक्षा की मुख्य धारा से दूर है। इस वर्ग को आत्मनिर्भर बनाने एवं समानता के संवैधानिक अधिकार को सुनिश्चित कराने हेतु आवश्यक है कि शैक्षिक समावेशन के क्षेत्र में किये जा रहे प्रयासों में तीव्रता लायी जाये तथा इसके विस्तार में आ रही बाधाओं को चिन्हित कर समाप्त किया जाये।

प्रमुख शब्दावली— समावेशन, शैक्षिक समावेशन और समावेशी वातावरण आदि।

प्रस्तावना

अपने नागरिकों के लिए सुख-सुविधायुक्त तथा भेदभाव-रहित वातावरण को सृजित करना प्रत्येक सभ्य समाज एवं सरकार की प्राथमिकता होती है। कदाचित इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए आधुनिक विश्व में लगभग प्रत्येक देश ने अपना-अपना संवैधानिक विकास किया है। सम्पूर्ण देश में नागरिक अधिकारों की सुनिश्चितता और विभिन्न समाजों को समतामूलक बनाने हेतु भारत में भी एक संवैधानिक व्यवस्था का निर्माण किया गया है, जिसमें विभिन्न अनुच्छेदों के अंतर्गत यहाँ निवास करने वाले प्रत्येक नागरिक हेतु विभिन्न अधिकार सुनिश्चित किये गए हैं। इनमें प्रमुखतः मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 14-18: समानता का अधिकार, अनुच्छेद 21, जीवन एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्त्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 41 : कुछ विशेष दशाओं (जैसे- बेकारी, बीमारी, बुढ़ापा और निःशक्तता आदि) में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का प्रावधान किया गया है। 86वें संवैधानिक संसोधन द्वारा सन 2000 में अनुच्छेद 21(क) के अंतर्गत रखा गया अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का अधिकार निःसंदेह नागरिकों हेतु समावेशी वातावरण के निर्माण में प्रमुख भूमिका का निर्वहन कर रहा है। इसके साथ ही संवैधानिक प्रावधानों से इतर देश में समावेशी वातावरण की स्थापना करने हेतु निरंतर भारतीय शैक्षिक परिदृश्य में सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान जैसे सतत् कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया जा रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और कार्यान्वयन योजना 1992 में शिक्षा के प्रसार के लक्ष्यों में एक लक्ष्य "अब तक लाभ से वंचित रहे एवं कमजोर वर्गों को शामिल करते हुए माध्यमिक शिक्षा प्रणाली में

समानता लाना” भी रखा गया था। शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में संसोधन करते हुए 2012 में दिव्यांग बच्चों हेतु अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान भी सुनिश्चित किया गया। किन्तु अभी तक बनाये गये विभिन्न कानूनों एवं नियमों के क्रियान्वयन हेतु न्यायपालिका के स्पष्ट निर्देशों के बाद भी सरकारी और गैर-सरकारी दोनों ही प्रकार के संस्थान शैक्षिक समावेशन के लिए उपयुक्त वातावरण निर्मित कर पाने में पूर्णता सफल नहीं हो सके हैं। आज यह विषय वास्तविक धरातल पर गतिमान होने की अपेक्षा संगोष्ठियों या कार्यशालाओं में अधिक तीव्र गति से गतिमान हो रहा है।

आदर्श रूप में भारत अनेकता में एकता वाला देश है, किन्तु वास्तविकता के धरातल पर यहाँ इतने अंतर्विरोध दिखाई देते हैं जो शायद ही किसी भी सभ्य समाज में संभव हों। इन अंतर्विरोधों के बीच किसी भी सामान्य व्यक्ति के लिए तो अपना अस्तित्व बचा के रखना संभव हो सकता है किन्तु जिसे जीने के लिए कुछ विशेष सहायता की आवश्यकता हो, उसे बड़ी ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। शायद आज हम ऐसे वंचित वर्गों की सहायता करने में अपने को अक्षम पा रहे हैं, इसलिए इनके सामाजिक समावेशन हेतु राज्य या केंद्र सरकारों को संवैधानिक प्रावधान बनाने पड़ रहे हैं। समावेशन के महत्त्व पर गुरुदेव रवीन्द्र नाथ टैगोर ने प्रकाश डालते हुए कहा था कि, “समस्या यह नहीं कि मतभेद कैसे दूर किये जाएँ बल्कि यह है कि मतभेद बनाये रखते हुए एकता की स्थापना कैसे की जाये।” किन्तु यह तभी संभव है जब समाज में शैक्षिक समावेशन हो। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता प्रत्येक राष्ट्र की एक बड़ी जिम्मेदारी है। अतः राष्ट्रीय विकास हेतु अनिवार्य है कि प्रत्येक वर्ग के व्यक्ति को विकास की समुचित व्यवस्था सुलभ करायी जाये। अभी तक भारत में विकासात्मक कार्यक्रमों की रूपरेखा पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत निर्धारित की जाती रही है। 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) तीव्र, संवहनीय और समावेशी विकास को लक्ष्य बनाकर निर्धारित की गयी थी जिसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने हेतु “शिक्षा सभी के लिए” विषय पर केन्द्रीयकरण भी किया गया था, जोकि समावेशी और संवहनीय विकास पर निर्भरता दर्शाता है। शैक्षिक समावेशन पर जोर देते हुए इस समावेशी शिक्षा योजना में सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत अभी तक 10.71 लाख दिव्यांग बच्चों को जोड़ा जा सका है (एकीकृत जिला सूचना प्रणाली 2013-14) तथा माध्यमिक विद्यालयों में दिव्यांगों की समावेशी शिक्षा (आई.ई.डी.एस.एस.) में लगभग 2 लाख बच्चों को शामिल किया जा सका है। एक गैर-सरकारी संगठन के अध्ययन के अनुसार लगभग 1 लाख दिव्यांग बच्चे 977 विशेष विद्यालयों में

भी अध्ययन कर रहे हैं। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी संस्थान (एन.आई.ओ.एस.) के अंतर्गत सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्तर पर लगभग 10,000 दिव्यांग बच्चों का नामांकन ही संभव हुआ है तथा 2013-14 के दौरान विभिन्न औपचारिक पाठ्यक्रमों के अंतर्गत 1199 और अनौपचारिक पाठ्यक्रमों में 1472 विद्यार्थी पॉलिटेक्निक जैसे व्यावसायिक शैक्षिक कार्यक्रमों का हिस्सा बने हैं (एम.एच.आर.डी. 2014-15)। योजना, मई 2016 की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में 6 वर्ष तक के आयु वर्ग में तथा उच्च शिक्षा में दिव्यांगों के समावेशन के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की स्पष्ट जानकारी भी नहीं मिलती है। किसी भी प्रकार की अक्षमता या पिछड़ापन दोनों ही गरीबी का कारण और परिणाम होते हैं जो स्वास्थ्य, पोषण, शैक्षिक और लैंगिक समस्याओं को भी जन्म देते हैं। अतः इस गंभीर समस्या पर विशेष ध्यान दिए बिना सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुमान के अनुसार विकसित देशों के सन्दर्भ में लगभग बच्चों में द्रष्टि दिव्यांगता के 70 प्रतिशत और श्रवण दिव्यांगता के 50 प्रतिशत समस्याओं के साथ-साथ लगभग 50 प्रतिशत अक्षमताएं निवार्य होती है (डी.एफ. आई.डी., 2000)। एक स्वास्थ्य के मुद्दे पर इस समस्या की भयावहता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। व्यक्ति की शारीरिक अक्षमता विपन्नता में वृद्धि करती है क्योंकि यह सम्पूर्ण परिवार के लिए अलगाव और आर्थिक तनाव उत्पन्न करती है। सामान्यता शारीरिक विकृतियों से ग्रस्त बच्चे बहुत ही कम उम्र में मृत्यु के शिकार हो जाते हैं, जो बचते भी हैं उन्हें समाज में तिरस्कृत किया जाता है और विद्यालयों में प्रवेश से वंचित रहने के कारण रोजगार से दूर रह जाते हैं। साथ ही साथ आर्थिक विपन्नता कुपोषण, खतरनाक कार्यों एवं जीवन परिस्थितियों, खराब स्वास्थ्य और गैर-सफाई व्यवस्था जैसी परिस्थितियों को निर्मित करती हैं। गरीबी और अक्षमता के इस दुष्चक्र को तोड़ने के लिए आवश्यक है कि इस समस्या के निवारण के लिए बनायीं गयीं योजनाओं का क्रियान्वयन गंभीरता से किया जाये क्योंकि दिव्यांगता स्पष्ट रूप से एक विकासात्मक मुद्दा है, जिसकी उपेक्षा किसी भी कीमत पर मानवीय अधिकारों को दरकिनार करना होगा। आवश्यकता है कि इस विशाल आबादी को राष्ट्र हित में कार्य करने का अवसर प्रदान किया जाये। स्वाभाविक है कि यदि इन्हें उचित अवसर प्रदान किया जायेगा तो निरुसंधेह भारतीय अर्थव्यवस्था में अहम योगदान दे सकेंगे।

शैक्षिक समावेशन की व्यवस्था में सहयोगी प्रमुख हितधारक

प्रत्येक व्यवस्था के सक्रिय और सफलतापूर्वक गतिमान रहने के लिए आवश्यक है कि उस व्यवस्था का प्रत्येक हितधारक अपनी-अपनी भूमिका पूर्ण

जिम्मेदारी से निर्वहन करे। शैक्षिक समावेशन भी स्वयं एक विकासशील व्यवस्था है जो अभी तक पूर्णता स्थापित नहीं हो सकी है और आवश्यकता इसके हितधारकों के स्वयं में उत्तरदायी होने की है। जब भी हम बात करते हैं कि इसकी सफलता क्यों और कैसे? तो स्वतः ही इससे सम्बद्ध प्रत्येक संस्था या व्यक्ति विचार का विषय बन जाता है। विचारणीय विषयों के रूप में प्रकट होने वाले मूर्त या अमूर्त प्रत्यय ही इस व्यवस्था के सफल स्थापन के हितधारक हैं जिन्हें अपनी भूमिका का निर्वहन करना है। इनमें प्रमुख हैं,

- सरकारें
- निवेशक
- संस्था—चालक
- शिक्षक/विशेष शिक्षक
- माता—पिता/अभिभावक
- विषय—विशेषज्ञ
- मनोवैज्ञानिक एवं
- लाभार्थी आदि।

शैक्षिक समावेशन के विस्तारण में आ रही प्रमुख चुनौतियां

संवैधानिक प्रावधानों और न्यायिक सुरक्षा की सुनिश्चितता के बाद भी शैक्षिक समावेशन की दिशा में किये जा रहे प्रयास अभी भी अपनी शैशवावस्था में ही हैं। एक सफल व्यवस्था की स्थापना के समक्ष आज भी निम्नलिखित चुनौतियाँ खड़ी हैं,

- मनोवृत्ति एवं व्यवहारिक बाधाएँ
- लोगों में असंवेदनशीलता और जागरूकता का अभाव
- व्यक्तिगत हीन भावना
- चिन्हित करने के तरीकों और आंकड़ों के संग्रह का अभाव
- शिक्षक—छात्र अनुपात
- नीतियों और कानूनों का निष्प्रभावी क्रियान्वयन
- निवेश एवं तकनीकी रूप से उन्नत संसाधनों का अभाव
- कक्षागत प्रबंधन

- प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव
- पाठ्यक्रम सम्बंधित समस्यायें
- मार्गदर्शन एवं निर्देशन का अभाव और
- शिक्षा संस्थानों तक पहुँच में सुगम्यता आदि।

मनोवृत्ति एवं व्यवहारिक बाधाएँ— अभी तक सम्पूर्ण देश में बहुत ही सीमित क्षेत्रों में समावेशी शिक्षा संस्थानों की स्थापना सम्भव हो सकी है। ज्यादातर संस्थानों में आज भी विशिष्ट प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षकों की उपलब्धता देखने को नहीं मिलती है। कोई व्यक्ति जब तक स्वयं विभिन्न समस्याओं से परिचित नहीं होता है, तब तक उन समस्याओं के सन्दर्भ में उसकी मनोवृत्ति स्पष्ट नहीं हो पाती है। सामान्यतः उन शिक्षकों, जो विशेष आवश्यकता वाले नहीं होते या जिन्होंने कोई विशेष प्रशिक्षण नहीं लिया होता है, का व्यवहार प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षक के व्यवहार से स्वभावतः भिन्न होता है।

असंवेदनशीलता और जागरूकता का अभाव— साक्षरता में इतनी वृद्धि के बावजूद प्रायः आज भी संवेदनहीनता के ऐसे उदहारण देखने को मिल जाते हैं, जहाँ लोग दिव्यांग बच्चों को परम्परावादी विचारधारा के शब्दों से संबोधित करते हुए तिरस्कृत करते हैं। ऐसा व्यवहार कोई आम व्यक्ति करे तब तो इसे उसकी नासमझी समझकर नजरंदाज किया भी जा सकता है। किन्तु ऐसे अनेक उदहारण हमारे शिक्षा संस्थानों में शिक्षित लोगों के रूप में भी देखे जाते हैं।

व्यक्तिगत हीन भावना— दिव्यांग बच्चों को अपने सामाजिक जीवन काल में तमाम कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। इनमें से बहुत कम ही शिक्षा प्राप्त करने हेतु शिक्षा संस्थानों तक पहुँच पाते हैं। सभी शिक्षा संस्थानों में समावेशी वातावरण न होने के कारण ये विद्यार्थी समायोजन में आने वाली कठिनाईयों के कारण धीरे-धीरे व्यक्तिगत हीनभावना के भी शिकार हो जाते हैं। जैसे— कक्षा शिक्षण के दौरान यदि एक अल्प दृष्टि विद्यार्थी कभी भी बोर्ड पर शिक्षक द्वारा लिखी जा रही सामग्री को स्पष्टतः समझ नहीं पाता है उसकी यह अक्षमता उसे अन्य विद्यार्थियों से कमजोर बनाती है।

चिन्हित करने के तरीकों और आंकड़ों के संग्रह का अभाव— शिक्षकों द्वारा यह आकलन कर पाना कि उनकी कक्षा में कितने दिव्यांग विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं जिनके समायोजन पर उन्हें विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है, को एक गंभीर विषय के रूप में देखा जाना चाहिए। प्रायः हमारे शिक्षक कक्षाओं

में सामान्य विद्यार्थियों को पढ़ाने की प्रवृत्ति से ही पढ़ाते हैं, जिस कारण से दिव्यांग विद्यार्थी सीखने में पीछे रह जाते हैं। हमारी व्यवस्था में बहुत ही कम शिक्षक हैं जो इन विद्यार्थियों के पिछड़ने के मनोवैज्ञानिक कारणों को जानने का प्रयास करते हैं।

शिक्षक—छात्र अनुपात—एजुकेशन फॉर आल, इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार शिक्षक—छात्र अनुपात प्रभावी रूप से बढ़कर 2013—14 में 25:1 हो गया है जो कि 2006—07 में 36:1 था। परन्तु समावेशी शिक्षा के मानकों के अनुसार तो यह अनुपात अनुकूल नहीं प्रतीत होता है, क्योंकि विशेष विद्यालयों के शिक्षक—छात्र अनुपात (एम.आर.—1:2, वी.आई.—1:8, एच.आई.—1:8) सामान्य से भिन्न होते हैं। सरकारों एवं एन.जी.ओ. के निरंतर प्रयासों के बावजूद अभी तक उपरोक्त मानकों को प्राप्त करना संभव नहीं हो सका है।

नीतियों और कानूनों का निष्प्रभावी क्रियान्वयन—राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 से समावेशी शिक्षा पर निरंतर जोर दिए जाने एवं शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के लागू हो जाने के बाद भी इस दिशा में एक रिक्त बना हुआ है। इन नीतियों का क्रियान्वयन उन संस्थानों में तो दिखायी देता है जहाँ सरकारी प्रयासों से समावेशी वातावरण सृजित करने का प्रयास किया जा रहा है, किन्तु गैर सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों में तो इनका अनुपालन अभी तक संभव न हो सका है।

निवेश एवं तकनीकी रूप से उन्नत संसाधनों का अभाव—आज जब विश्व के ज्यादातर देश अपने औसत बजट का कम से कम 6 प्रतिशत शिक्षा पर व्यय कर रहे हैं, भारत का शिक्षा बजट 4 प्रतिशत के आस—पास स्थिर होकर रह गया है। विभिन्न आयोगों एवं शिक्षा समितियों की सिफारिशों के बाद भी हमारे अधिकतर शिक्षा संस्थान संसाधनों के अभाव की स्थिति में हैं। वहां शिक्षकों के साथ ही आवश्यक तकनीकी उपकरणों का निरंतर अभाव बना हुआ है।

कक्षागत प्रबंधन— सामान्य विद्यार्थियों के अनुकूल गतिमान हमारे शिक्षा संस्थानों की कक्षाओं का प्रबंधन अभी दिव्यांग विद्यार्थियों के अधिगम के अनुकूल परिवर्तित नहीं हो सका है। कक्षाओं की संरचना, वातावरण, शिक्षण रणनीतियां एवं परीक्षा पद्धतियां आज भी पुराने मानकों के अनुसार ही चल रही हैं। जहाँ दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को श्याम पट पर पढ़ाया जा रहा है और श्रवणबाधित विद्यार्थी कक्षाओं में बिना इन्टरप्रेटर के सीख रहे हैं। इसी तरह की वे सभी

सुविधाएँ जो दिव्यांग विद्यार्थियों को समावेशी शिक्षा संस्थानों में मिलना चाहिए सिर्फ विशेष शिक्षा संस्थानों तक ही सीमित हैं। आज लगभग सभी सामान्य संस्थान इन सुविधाओं से दूर हैं।

प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव— सामान्य एवं दिव्यांग विद्यार्थियों को साथ-साथ बैठाकर शिक्षा प्रदान करने वाली कक्षाओं में अध्यापन करने वाले शिक्षकों के लिए विशेष शिक्षा में प्रशिक्षित होना आवश्यक है। किन्तु आज भी ज्यादातर शिक्षा संस्थानों के शिक्षकों के पास कोई भी विशेष प्रशिक्षण नहीं है। हमारी सरकारें निरंतर शिक्षा संस्थानों को प्रत्येक विद्यार्थी के लिए सुगम बनाने को प्रयत्नशील हैं किन्तु विशेष शिक्षा में प्रशिक्षित शिक्षकों की अपर्याप्तता के कारण दिव्यांग विद्यार्थियों को वहां बने रहना मुश्किल होता है।

पाठ्यक्रम सम्बंधित समस्याएँ— हमारी कक्षाओं में अध्ययन कराया जाने वाला समस्त पाठ्यक्रम सामान्य विद्यार्थियों को आधार बनाकर निर्मित किया गया है। बहुत कम ही शिक्षा संस्थान हैं जहाँ विशेष विद्यार्थियों के अनुरूप पाठ्यक्रम उपलब्ध हो। जब हम दिव्यांग विद्यार्थियों के शिक्षण के सन्दर्भ में बात करते हैं तो शिक्षा संस्थानों में उनके अनुरूप व्यवस्था (जैसे— ब्रेल पुस्तकें, इंटरप्रेटर एवं ट्रांसलेटर आदि) भी निर्मित करनी होगी।

मार्गदर्शन एवं निर्देशन का अभाव— दिव्यांग बच्चों को अपने जीवनकाल में निरंतर मार्गदर्शन एवं निर्देशन की आवश्यकता होती है। इन बच्चों को मार्गदर्शन देने के लिए आवश्यक होगा कि अपेक्षित आवश्यकताओं के अनुरूप प्रत्येक स्तर के शिक्षा संस्थानों में एक परामर्शदाता (काउंसलर) की नियुक्ति अनिवार्य होनी चाहिये। प्रायः शिक्षा संस्थानों में अभी तक हमारे शिक्षक ही इस उत्तरदायित्व का निर्वहन कर रहे हैं जबकि यह कार्य एक कुशल मनोवैज्ञानिक का होता है।

शिक्षा-संस्थानों तक पहुँच में सुगम्यता— सरकारों तथा लोगों के व्यक्तिगत प्रयासों के बाद भी दिव्यांगों की शिक्षा संस्थानों तक पहुँच के आंकड़े अभी संतुष्टिपूर्ण नहीं है। विशेष संस्थानों की उपलब्धता अपनी पहुँच में न होने के कारण ज्यादातर दिव्यांग शिक्षा से वंचित ही रह जा रहे हैं। देश में शिक्षा का समावेशी वातावरण उपलब्ध कराने वाले शिक्षा संस्थानों की संख्या सीमित है।

शैक्षिक समावेशन सुनिश्चित करने में आने वाली चुनौतियों के संभावित समाधान

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के आने के बाद से भारत में शैक्षिक समावेशन की दिशा बदली है, जिसमें समावेशी शिक्षा के विकास ने प्रमुख भूमिका अदा की

है। शिक्षा की यह पद्धति सभी प्रकार के विद्यार्थियों के लिए साथ रहकर व्यक्तित्व विकास की पूर्णता प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त कर रही है। किन्तु समय-समय पर किये गए अनेक सरकारी एवं गैर-सरकारी प्रयासों के बावजूद प्रत्येक जरूरतमंद को इसकी परिधि में लाना एक गंभीर चुनौती बनी हुयी है। अतः इस चुनौती का सामना करने में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए हमें निम्नलिखित कुछ प्रमुख रणनीतिक समाधानों पर विचार करना होगा,

1. शिक्षा सदैव से ही सामाजिक परिवर्तन का आधार रही है। अतः परिवर्तन की आवश्यकता अनुसार शिक्षक की भूमिका अपरिहार्य है। आंकड़ों के अनुसार अभी तक सम्पूर्ण भारत में समावेशी वातावरण को स्थापित करने हेतु तैयार किये गए विशेष शिक्षकों की संख्या बहुत ही कम है। अतः जहाँ विशेष शिक्षकों की नियुक्ति संभव न हो सकी है वहाँ शिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु समय-समय पर विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन संपन्न कराया जाये ताकि अध्ययनरत विद्यार्थियों के शिक्षण हेतु वे सार्थक प्रयास कर सकें।
2. आज समस्त विद्यालयों को ऐसे केंद्र के रूप में स्थापित किये जाने की आवश्यकता है जहाँ सभी प्रकार के विद्यार्थियों (चाहे वे सामान्य हों, पिछड़े हों या शारीरिक अथवा किसी प्रकार की मानसिक व्याधि से ग्रस्त हों) को एक साथ बैठकर शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हो सके। विद्यालयों में समावेशी वातावरण स्थापित करने हेतु सम्पूर्ण देश के लिए एक समान नीति का क्रियान्वयन आवश्यक है।
3. समावेशी वातावरण सुनिश्चित करने में मूल्यों का विशेष योगदान हो सकता है। मूल्य व्यक्ति में नैतिकता की भावना का विकास करते हैं और नैतिकता का व्यक्ति में विकास तभी संभव है जब वह ज्यादातर सामंजस्यपूर्ण एवं शिष्टाचारयुक्त क्रियाओं को व्यवहार में धारण करे। अतः सामान्य और विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के पारस्परिक सामंजस्य में वृद्धि करने हेतु कक्षीय पाठ्यक्रम में नैतिक आचरणयुक्त पाठ्य सहगामी क्रियाओं को भी शामिल किया जाना चाहिए।
4. विद्यालय भवनों का मूलभूत ढांचा भी विद्यार्थियों के शैक्षिक समावेशन में प्रमुख भूमिका का निर्वहन करता है। इन भवनों का निर्माण इस तरह से किया जाये जिससे वहाँ चलने-फिरने में किसी भी प्रकार की बाधा न हो, व्हीलचेयर और रैंप की व्यवस्था के साथ लिट और अनुकूल बाथरूम की उचित व्यवस्था हो। सभी विद्यार्थियों के बैठने की सुविधाजनक व्यवस्था एवं

- फर्नीचर एवं कक्षाओं का निर्माण विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर किया जाये।
5. दिव्यांग विद्यार्थियों को केंद्र में रखते हुए उनसे सम्बंधित सामग्री जैसे—चिकित्सा सेवायें तथा विद्यार्थी उन्मुख सामग्री—शैक्षिक उपलब्धता, किताबें, स्टेशनरी, यूनिफार्म, यात्रा—भत्ता, बोर्डिंग सुविधा, शिक्षण—अधिगम सामग्री और अन्य आवश्यक सहायक सामग्री आदि की उपलब्धता सभी विद्यालयों में ही सुलभ होनी चाहिए।
 6. प्रत्येक विद्यालय या विश्वविद्यालय की शैक्षिक संरचना, पद्धति और तकनीकी दिव्यांग विद्यार्थियों की आवश्यकता अनुरूप निर्मित की जाये ताकि उनके अपने शिक्षा के अधिकार प्राप्ति में आ रही बाधाओं को सहजता से पार किया जा सके।
 7. दिव्यांग विद्यार्थियों के साथ सहानुभूति के स्थान पर सामान्यता वैसा ही व्यवहार किया जाना चाहिए जैसाकि सामान्य विद्यार्थियों के साथ किया जाता है क्योंकि उन्हें सहानुभूति नहीं परानुभूति की आवश्यकता होती है। समाज में उनकी प्रतिभा और विशेष योग्यताओं को प्रश्रय मिलना चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि प्रत्येक विद्यार्थी का आदर किया जाये और उसे महत्त्व दिया जाये। फिलहाल अभी तक हमारे समाज से दिव्यांग विद्यार्थियों के प्रति सहानुभूति, दया जैसी भावनायें निकल नहीं पायीं हैं। इस सोच का निस्तारण तभी संभव है जब हम इन विद्यार्थियों की विशेष प्रतिभा को निखरने का अवसर प्रदान करेंगे।
 8. अभिभावक अपने बच्चों के विषय में सबकुछ जानने के कारण निर्णय लेने की प्रक्रिया में सीधे शामिल होते हैं। उनके अनुभवों का प्रयोग भी सामान्यता दिव्यांग विद्यार्थियों के प्रशिक्षण के दौरान आ रही बाधाओं को समाप्त करने में प्रयुक्त हो सकता है। साथ ही इनकी सहायता इनसे सम्बंधित पाठ्यक्रम निर्माण में भी ली जा सकती है। अतः शिक्षा की प्रक्रिया में ये माता—पिता या अन्य सम्बन्धी विशेष सहायक श्रोत के रूप में मददगार साबित हो सकते हैं।
 9. विद्यालयों में संपन्न करायी जाने वाली परीक्षाओं की पद्धतियों में बदलाव लाना होगा क्योंकि दिव्यांग विद्यार्थियों की आवश्यकतायें सामान्य विद्यार्थियों से भिन्न होती हैं। हमारे विद्यालय आज भी दिव्यांग विद्यार्थियों की परीक्षायें भी सामान्य विद्यार्थियों की तरह ही संपन्न करा रहे हैं, जिससे इनका वास्तविक मूल्यांकन संभव ही नहीं है। जबकि अधिगम अक्षमता, श्रवण दिव्यांगता एवं द्रष्टि दिव्यांगता जैसे गंभीर विषय दिव्यांग विद्यार्थियों को सामान्य से भिन्न कर देते हैं।

10. दिव्यांग विद्यार्थियों की उपस्थिति एवं शिक्षा संस्थानों में समावेशी वातावरण की व्यवस्था नहीं होने के कारण यह अपरिहार्य हो जाता है कि उनके अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराने हेतु यदि संभव हो तो प्रत्येक सामान्य स्कूल में भी एक विशेष शिक्षक की नियुक्ति की जाये। जहाँ विशेष शिक्षक की नियुक्ति संभव न हो सकी है वहाँ सामान्य शिक्षकों को भी विशेष शिक्षा में प्रशिक्षित किया जाये ताकि वो अपने यहाँ नामांकित विशेष विद्यार्थियों को निर्देशित कर सकें।
11. समावेशी वातावरण के प्रति शिक्षकों के व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। इसके लिए ऐसे शिक्षकों को जिन्होंने कभी विशेष शिक्षा का कोई प्रशिक्षण नहीं लिया है उन्हें प्रशिक्षित करने हेतु विशेष कार्यशालाओं का आयोजन किया जाये ताकि इनके लिए विशेष आवश्यकताओं को समझना आसान हो सके और विशेष विद्यार्थियों के प्रति इनका व्यवहार सकारात्मक हो सके। इसके साथ ही प्रशिक्षित शिक्षकों के लिए यह अनिवार्यता होनी चाहिए कि वे समय-समय पर कुछ विशेष कार्यशालाओं में हिस्सा लें ताकि अनुसन्धान स्वरूप प्रकाश में आयी नयी-नयी प्रवृत्तियों से परिचित हो सकें। अर्थात् विशेष शिक्षा की प्रवृत्ति में हो रहे निरंतर परिवर्तन प्रशिक्षण कार्यक्रमों और शिक्षक तैयार किये जाने वाली योजनाओं का हिस्सा होना चाहिए।
12. समावेशी वातावरण स्थापित करना अध्यापक की ही अकेले जिम्मेदारी नहीं है बल्कि इस प्रक्रिया में समाज एवं राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक को शामिल होकर उत्तरदायित्व उठाना होगा। इस दिशा में कार्य कर रहे विशेषज्ञ सामान्य नागरिकों को भी जागरूक करें ताकि वे अपने परिवार या आस-पास रह रहे दिव्यांग बच्चों और लोगों के प्रति अपने दृष्टिकोण में सकारात्मक बदलाव कर सकें।
13. शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए निर्मित किये जाने वाले पाठ्यक्रम निर्माण में विषय विशेषज्ञों के साथ ही मनोवैज्ञानिकों को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए क्योंकि मानव मष्तिष्क को मनोवैज्ञानिकों से अच्छा कोई नहीं समझ सकता है।
14. शिक्षक शिक्षा के प्रत्येक पाठ्यक्रम में विशेष शिक्षा के कम से कम एक प्रश्न-पत्र को अनिवार्य विषय के रूप में शामिल किया जाना चाहिए। ऐसे विद्यार्थी जिन्हें विशेष निर्देशन की आवश्यकता होती है, सामान्यतरु प्रत्येक

विद्यालय में नामांकित होते हैं। इस प्रकार के अनिवार्य प्रश्न-पत्र के अध्ययन के परिणामस्वरूप प्रत्येक भावी शिक्षक को इस गंभीर विषय के बारे में सीमित ही सही कुछ न कुछ जानकारी संभव हो सकेगी।

निष्कर्ष— सामान्यतः प्रत्येक समाज में दिव्यांगों को व्यक्तिगत एवं व्यवहारिक सभी स्तरों पर अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ता है। इन बाधाओं का संचयी प्रभाव ही है कि ये लोग समाज और अर्थव्यवस्था में हाशिये पर हैं। सामाजिक उपेक्षाओं का सामना करने वाले इन लोगों को मुख्य धारा में लाने के लिए आवश्यक है कि इनके विकास हेतु शिक्षा के समावेशी वातावरण का सृजन हो, जिससे कि इन्हें आत्मनिर्भर होने के पर्याप्त अवसर सुलभ हो सकें। शैक्षिक समावेशन का कार्य इस दिशा में निःसंदेह एक प्रभावकारी कदम साबित हो रहा है। किन्तु इतनी बड़ी आबादी के सम्पूर्ण समावेशन का लक्ष्य अभी तक संभव नहीं हो सका है। राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी का कथन कि, “एक ऐसा समाज जिसमें बच्चों और युवाओं में शिक्षा की दृष्टि नहीं है और वह इसके लिए तैयार भी नहीं है, तो वह खत्म हो जाने को अभिशप्त है” इस दिशा में प्रभावकारी प्रयास करने पर जोर देता है। हमारे संविधान का अनुच्छेद 41 स्पष्टता दिव्यांगों हेतु राज्य को अपनी आर्थिक सीमा के अंतर्गत अवसर एवं सहायता उपलब्ध कराने का निर्देश देता है। आज विश्व में युवा आबादी के मामले में भारत का स्थान प्रथम है। इस युवा आबादी में दिव्यांगों का बड़ा हिस्सा है। देश के विकास में प्रत्येक नागरिक का योगदान सुनिश्चित हो और वह एक सम्मानजनक जीवन जी सके इसके लिए आवश्यक है कि इनके शैक्षिक समावेशन में आने वाली चुनौतियों को शीघ्र से शीघ्र दूर किया जाये।

References

- *The Right of Person with Disabilities Act. (2016, Dec. 28): New Delhi: Ministry of Law And Justice*
- *Annual Report. (2014-15): Department of School Education and Literacy Department of Higher Education. New Delhi: Ministry of Human Resource Development, Government of India.*
- *Shah, A. D. (2014): Special Education Today in India. Special Education International Perspectives: Practices across the Globe, 561-581.*
- *Singh, J. D. (2016): Inclusive Education in India- Concept, Needs and Challenges. Scholarly Research Journal for Humanity, Science and English Language, 3222-3232.*
- *Singh, Y. P. (2015): Attitudinal Barriers to Inclusive Education in India. Research Gate.*
- *Disabled Population- Census of India from http://censusindia.gov.in/Census_And_You/disabled_population.aspx*

- राज्य पुनर्वासनीति, (2014) : विकलांगजन विकास विभाग उ.प्र.
- कश्यप, सुभाष (2011) : हमारा संविधान, भारत का संविधान और संवैधानिक विधि, नई दिल्ली, नेशनल बुक ट्रस्ट।
- कुमार, अखिलेश (2014) : अधिगम अक्षमतायुक्त बालकों की समावेशी शिक्षा में शिक्षकों की भूमिका, कोटा : वर्धमान महावीर मुक्त विश्विद्यालय।

सहभागीय ग्रामीण मूल्यन (पी. आर. ए.) एवं ग्रामीण विकास

डॉ. बिजेन्द्र प्रधान*, आद्या**, सोमी प्रधान***

सारांश :-

गाँव की सभी व्यवस्था गाँव को अपने हाथों में लेना होगा। अपना भला बुरा दूसरा कोई नहीं कर सकता हम खुद ही अपना उद्धार कर सकते हैं ऐसा आत्मविश्वास गाँव वालों में पैदा करना होगा। गाँव का कारोबार सम्भालने के लिए ग्राम सभा बनानी होगी जिसमें गाँव के सभी बालिक स्त्री-पुरुष होंगे। प्रत्यक्ष कारोबार सम्भालने के लिए ग्राम समिति बनानी होगी। उसके सदस्य सर्व सम्मति से चुने जायेंगे और उसके सारे निर्णय सर्व सम्मति से करने की पद्धति शुरू करनी होगी।

पी. आर. ए. उत्पत्ति का मूल कारण रहा है कि 'विभिन्न विभागों/कार्यक्रमों के विकास कार्यकर्ता गाँव की वास्तविक स्थिति की जानकारी नहीं रखते। गरीबों के उत्थान एवं विकास के समय वहाँ की राजनीति तैयार करते हैं। जिससे विकास का जिस स्तर पर उपलब्धियाँ होना चाहिए उतना नहीं हो पाया है चाहे वह किसी भी सामाजिक विकास के मुद्दे से सम्बन्धित रहा हो। इतने तक की गरीब व अमीर का अन्तर बढ़ा है। पर्यावरण एवं आर्थिक दुष्प्रभाव तथा विकासशील भविष्यवाणी के अनुरूप परिणाम प्राप्त नहीं हुये जिससे कार्यक्रम योजना तथा विप्लेषण के उपकरणों एवं विधियों पर प्रश्न चिन्ह लगाना शुरू हो गया।

ग्रामीण विकास के लिए जरूरी है ग्राम की वास्तविक समस्याओं, मुद्दों, उपलब्ध संसाधनों, (मानवीय भौतिक एवं तकनीकी) को जानना और समझना इसके पश्चात आवश्यकताओं के अनुसार प्राथमिकता के आधार पर गाँव की कार्ययोजना बनाना तथा उसका कार्यान्वयन करना। इसके लिए पी. आर. ए. पद्धति ही उपयुक्त है क्योंकि जीवन पद्धति को बाहरी लोग गाँव के लोगों के दृष्टिकोण से समझ सकते हैं और आवश्यकतानुसार योजना बना सकते हैं। गाँव

* एसोसिएट प्रोफेसर, समाज कार्य विभाग, जैन विश्वभारती विश्वविद्यालय, लाडनू,
राजस्थान, Email: bpradhan2004@rediffmail.com

** एम. फिल-इतिहास, बनस्थली विद्यापीठ, राजस्थान।

*** एम. ए. शिक्षा-द्वितीय वर्ष

के लोग प्रभावी सेवाओं की माँग कर गाँव में खुशहाली लाने का प्रयास कर सकते हैं। कुछ दशकों में पी. आर. ए. के आधार पर आधारित योजनाओं के क्रियान्वयन से ग्रामीण विकास का स्तर बढ़ा है।

परिचय:—

समाज में समन्वय एवं सहकारिता की परम्परा बहुत वर्षों से चली आ रही है एवं इसमें आपसी मेल जोल एवं सहयोग से गाँव की सामूहिक समृद्धि एवं खुशहाली के लिए मिलजुलकर कार्य करने का प्रयास किया जाता है। वर्तमान में विकास की दौड़ में सामाजिक समन्वय एवं सहयोग काफी पीछे छूट गया है। 1960 के दशक में यह माना गया कि वित्तीय प्रावधान एवं आधुनिक तकनीक के माध्यम से विकासशील देशों की आर्थिक एवं सामाजिक सुधार किये जा सकते हैं।

किन्तु 1970 के दशक में यह स्वीकार किया गया कि मात्र तकनीकी के हस्तान्तरण से विकासशील देशों की समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। पिछले कुछ दशकों में विकास के शोध में शीघ्र जानकारी देने वाली तकनीकों के उपयोग को सर्वाधिक महत्ता मिली है। अधिकांशतः इन तकनीकों का उपयोग अब पारस्परिक शोध के स्थान पर भी किया जाने लगा है। शीघ्र जानकारी देने वाली तकनीकों में “सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन” ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्यता कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक और प्राकृतिक संसाधन प्रबन्ध आदि के शोध आयोजन और मूल्यांकन में बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ है। इसे संक्षिप्त में पी. आर. ए. नाम दिया गया। वर्तमान में इस तकनीक का ग्रामीण एवं शहरों दोनों में लाने व सीख के उद्देश्य से इसको सहभागी सीख मूल्यांकन (पी. आर. ए.) का नाम दिया गया है।

विकास के कार्यकर्ताओं एवं शोधकर्ताओं ने यह माना है कि ग्रामीण समाज के विकास के कुछ प्रमुख घटकों के वातावरण, अर्थव्यवस्था, संस्कृति, एवं राजनीति में घनिष्ठ सम्बन्ध है। किसी समाज का विकास राष्ट्रीय प्रगति से नहीं अपितु अनुकूल परिवर्तन से होता है, जो कि गतिशील होता है। इसके तत्व एक दूसरे से सम्बन्धित और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। समाज में परिवर्तन हेतु इसे एक पूर्ण इकाई मानकर इसे पूर्ण रूप से समझना होगा।

पी. आर. ए. (सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन) एक पद्धति ही नहीं वरन् एक सोच भी है इसके द्वारा गाँव के लोगों की जीवन पद्धति को बाहरी लोग वहाँ के लोगों के विचार के अनुसार समझ सकते हैं। पी. आर. ए. शब्द का प्रथम उपयोग केनिया

में राष्ट्रीय पर्यावरणीय सचिवालय द्वारा क्लार्क विश्वविद्यालय यूएसए के सहयोग से किये जा रहे ग्रामीण स्तरीय शोध विश्लेषण एवं योजना बनाने में किया गया था। भारत में पी. आर. ए. को सर्वप्रथम आगा खॉं ग्रामीण सहयोग कार्यक्रम अहमदाबाद, अन्तर्राष्ट्रीय पर्यावरण एवं विकास संस्था लंदन के सहयोग से गुजरात में उपयोग में लिया गया। इसके पश्चात इसकी उपयोगिता एवं सरलता को देखते हुए तेजी से इसका विकास हुआ और कई स्वयं सेवी संस्थाओं/संगठनों मुख्यतः मायराडा बैंगलोर, एकरान एड बैंगलोर, स्पीच मदूरै, प्रदान राँची, कृषि विज्ञान केन्द्र राँची, कृषकों दोहाड़, एन सी आई एस दिल्ली, प्रिया दिल्ली द्वारा इसका व्यापक रूप से इसका उपयोग किया जा रहा है जिससे वास्तविकता के आधार पर आवश्यकतानुसार कार्यों की योजना एवं कार्यान्वयन कर विकास को गति दी जा सके। पंचायती राज्य योजाना के अर्न्तगत भी इसका उपयोग कर आवश्यकतानुसार योजनाबद्ध रूप से गाँवों को परिवर्तित रूप दिया जा रहा है।

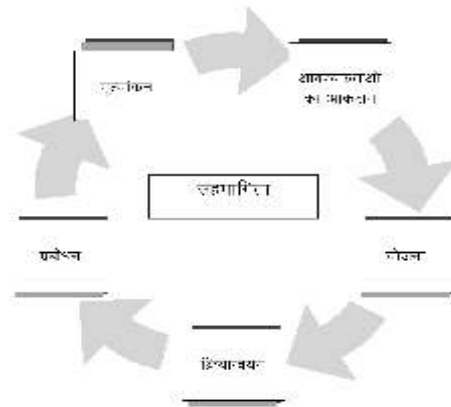
विश्व प्रणालियां आपसी रिश्तों एवं उपयोगकर्ताओं का एक संगम है जहाँ शोध हेतु पारम्परिक पद्धतियाँ एवं प्रणालियों का उपयोग समय की सीमा में ही विश्लेषण एवं योजना बनाने में किया जाता है। समय की सीमा होने के कारण विधि के अधिकाधिक मौकों एवं शीघ्र उपलब्धि देने वाले तरीकों की आवश्यकता महसूस की जा सकती है ताकि प्रभावी बनायी जा सके।

पी. आर. ए. विभिन्न तकनीकों का एक समूह है जो क्रमबद्ध परिवर्तन की पद्धति पर आश्रित नहीं हैं। यह उपयोगकर्ताओं को विभिन्न तकनीकों के अवसर प्रदान करता है। जिसका परिवर्तन में लाभकारी उपयोग किया जा सकता है।

पी. आर. ए. क्या है :-

पी. आर. ए. एक प्रक्रिया ही नहीं वरन एक दृष्टिकोण है। एक अभिवृत्ति तथा एक विधि है। यह एक ऐसा तकनीक है जिसमें समुदाय से समुदाय के साथ समुदाय की जानकारीयों गाँव के संदर्भ में एकत्रित की जाती है। यह एक व्यवहारिक उत्तम एवं लचीली पद्धति है जिसे जानने समझने और सीखने की प्रक्रिया गतिशील होती है। इस तकनीक में ग्रामीण स्वयं के उपलब्ध संसाधनों के आधार पर अपने गाँव की आवश्यकतानुसार प्राथमिकता के आधार पर गाँव के लोग समस्याओं के समाधान के लिए योजना बना सकते हैं। यह गाँव की बाधाएं एवं अवसरों की खोज, विश्लेषण, स्वयं की मूल्यांकन करने एवं सीखने की विधि है। इसमें विभिन्न सामाजिक मुद्दों से सम्बन्धित विशेषज्ञ दल द्वारा विभिन्न तरीकों जैसे सामाजिक मानचित्र, आर्थिक स्तर श्रेणीकरण, मौसमी निर्धारण, संसाधन

मानचित्र, चपाती (वेन) चित्राकन, समय रेखा, क्षेत्रिय भ्रमण, वरीयता श्रेणी, केन्द्रिय समूह चर्चा, संचार एवं सम्प्रेषण और अर्द्धसंचारात्मक साक्षात्कार के माध्यम से गाँव की स्थिति को समझने का प्रयास किया जाता है। ग्रामीण स्तरीय योजना के निर्माण में यह तकनीक अधिक प्रभावी है।



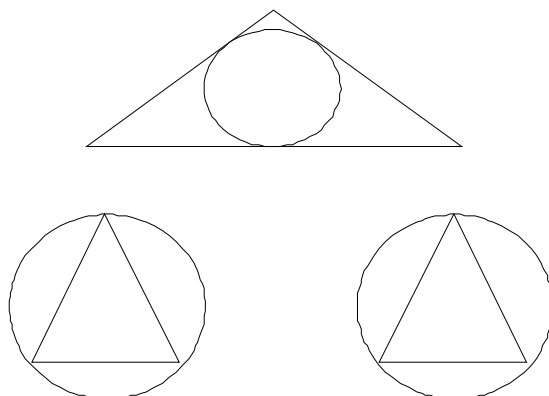
कई बार विभिन्न विभागों और कार्यक्रमों के विकास कार्यकर्ता चाहते हुए भी गाँव के जरूरतमंद लोगों या समूहों तक नहीं पहुँच पाते हैं। पी. आर. ए. तकनीकी इस कमी को दूर करने में सहायक सिद्ध होती है। 'कई बार हम समस्या का कारण हैं जबकि वास्तव में ग्रामवासी समस्या का समाधान है।'

पी. आर. ए. एक त्रिकोणात्मक पद्धति का उपयोग किया जाता है जिसके अन्तर्गत विभिन्न माध्यमों से संकलीत तथ्यों और सूचनाओं की गुणवत्ता एवं वैधता की जाँच और पुष्टि की जाती है।

इसका उपयोग निम्न संदर्भ में किया जाता है:—

1. सूचनाओं का स्रोत (लोग एवं स्थान)
2. टीम के सदस्यों का गठन
3. तकनीकों का मिश्रण

अर्थात् पी. आर. ए. के माध्यम से प्राप्त तथ्यों/सूचनाओं को तीन स्तरों पर जाँचा जाता है। विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों का एक दल बनाया जाता है, जिसमें वे एक दूसरे के पूरक बनकर एवं सभी कार्यों में सम्मिलित होकर विस्तार से मानचित्र एवं तथ्यों को समुदाय के सामने रख सके। इसमें महिलाएँ एवं गाँव के सदस्य भी भाग लेते हैं। आपस में सिखते हैं।



पी. आर. ए. अन्य शोध विधियों से बेहतर क्यों :- इसका उपयोग सामान्यतः विश्वविद्यालय, शोध संस्थाओं, राजकीय एवं गैर-सरकारी संस्थाओं एवं अन्तर्राष्ट्रीय वित्त संस्थाओं के कार्यक्रमों में हो रहा है। यह तकनीक और पारित एवं निश्चित शोध तकनीक पर आधारित होने से इसके परिणाम गुणात्मक एवं प्रतिनिधित्व करने वाले तथा सांख्यिकीय दृष्टि से विश्लेषण योग्य एवं अधिक उपयोगी रहते हैं। इसमें तकनीकी में तथ्य संकलन करने वाले सदस्यों को स्वयं का निर्णय लेने की स्वतंत्रता बहुत कम रहती है।

पारम्परिक शोध/सर्वेक्षण की अपेक्षा इस तकनीकी में समुदाय की सुनिश्चित सहभागिता में कम समय लागत लगती है। इस प्रणाली में लचीलापन होता है। इसमें सीखने की प्रक्रिया बढ़ती रहती है एवं सामाजिक प्रक्रिया की गहरी पैठ बनती है। सामुदायिक विकास कार्यक्रमों के लिए यह पद्धति बहुत उपयोगी सिद्ध होती है क्योंकि इसमें अध्ययन दल एवं समुदाय के सदस्य दोनों की सक्रिय भागीदारी होती है। परिणाम में यदि कोई कमी आती है तो उसी क्षेत्र में पुनः जानकारी प्राप्त कर ली जाती है।

ग्रामीण विकास :- ग्रामीण विकास के लिए सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाएँ विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से प्रयास कर रही है। 'ग्राम विकास' एक व्यापक योजना अथवा कार्यक्रम होने के कारण इसमें कृषि विकास, भूमिहिनों के लिए उचित मजदूरी, मकान तथा मकान बनाने के लिए भूमि, ग्राम नियोजन, जनस्वास्थ्य, शिक्षा तथा संचार आदि प्रमुख मुद्दे शामिल किये गये थे।

इसके दो महत्वपूर्ण पहलू हैं — विभिन्न क्षेत्रों में परस्पर समन्वय द्वारा आर्थिक विकास तथा देहाती गरीबजनों का उत्थान। इसका उद्देश्य केवल उन्नति

और विकास के लिए प्रोत्साहन देना ही नहीं वरन आर्थिक गतिविधियों को सुनियोजित व्यवस्था से जोड़ना और विशेषकर गरीब जनता का जीवन स्तर ऊँचा उठाना था। प्रथम पंचवर्षीय योजना के शुरुआत में ही योजना निर्माताओं ने ग्राम तथा कृषि विकास पर ध्यान केन्द्रित किया। 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम सरकार द्वारा शुरू किया गया। जो वर्तमान ग्राम विकास का अभिन्न अंग बन गया है। दश में इस समय कुल 5028 सामुदायिक विकास खण्ड है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण भारत के बहुमुखी विकास को सहज और सरल बनाना। जिसके अन्तर्गत आर्थिक, सामाजिक तथा संसाधन शामिल है। 'पण्डित नेहरू के शब्दों में — सामुदायिक विकास कार्यक्रम शक्ति, आशा, उत्साह की तेजी से फैलने वाली चिन्मारियाँ है।'

विगत कुछ दशकों के आकड़ों और तथ्यों से मालूम होता है कि भारतीय ग्रामीण समुदायों में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। एक और विकास आयोजकों द्वारा पी. आर. ए. के माध्यम से ग्रामीणों की स्थिति एवं आवश्यकताओं को समझते हुए आर्थिक राजनीतिक तथा शैक्षणिक जीवन में परिवर्तन लाने का प्रयास किया जा रहा है तो दूसरी ओर सम्पर्क सूचना संचार प्रौद्योगिकी एवं शिक्षा के विकास के परिणाम स्वरूप सामाजिक जीवन रहन सहन के स्तर, विचार, दृष्टिकोणों आदि में स्वतः परिवर्तन हो रहे हैं। नियोजित एवं अनियोजित परिवर्तनों के इस प्रवाह में सामन्जस्य एवं असंतुलन संगठन एवं विघटन की प्रवृत्तियाँ दृष्टिगोचर हो रही हैं।

वर्तमान समय में भी हमारे देश में सामाजिक विकास प्रतिवेदन 2006 के आंकड़ों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों की 27.1 प्रतिशत तथा शहरी क्षेत्रों की 23.6 प्रतिशत जनसंख्या यानि औसत 25.8 प्रतिशत जनसंख्या गरीब श्रेणी में आती है जो 1991 के आंकड़ों की तुलना में घटकर लगभग आधा हो गई है ये किसी न किसी कारण से विकास की विभिन्न कार्यक्रमों एवं मुख्यधारा से वंचित रह जाते हैं। इस जनसंख्या का अधिकांश जीवन बीमारी अशिक्षा तथा कुपोषण के कारण इतना पीड़ित है कि केवल जीवन निर्वाह की मूलभूत आवश्यकता को बहुत कठिनाई से प्राप्त कर रहे हैं।

वर्ष 1980 में गाँधी जयन्ती के अवसर पर देश के सभी विकास खण्डों में चलाया गया समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों के उत्थान की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण प्रयास था। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत गाँवों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन कर रहे परिवारों की उत्पत्ति और उत्पादन से सम्बन्धित

सामग्री उपलब्ध करायी जाती थी, और साथ ही उनमें उनकी आय में वृद्धि कर सकने की क्षमता पैदा की जाती थी।

पिछले कुछ दशकों से पी. आर. ए. का उपयोग सभी सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाएँ अपने विकास कार्य में लोगों की मदद से ग्रामीणों का वास्तविक कार्य योजना बनाकर विकास कार्य का सम्पादन कर रही हैं। जिससे विकास कार्य काफी तेजी से हो रहा है और वहाँ के आर्थिक – सामाजिक समस्याओं में कमी आ रही है। ऐसे कार्यक्रम का उदाहरण है— नरेगा, एन आर एच एम, स्वर्ण जयन्ती स्वरोजगार योजना, गरीब उन्मूलन योजना, राजस्थान बिहार उत्तराखण्ड उड़ीसा आन्ध्रप्रदेश जीविकोपार्जन कार्यक्रम, उत्तराखण्ड एवं छत्तीसगढ़ जनजाति विकास कार्यक्रम, स्वयं सिद्ध कार्यक्रम, इत्यादि। इन कार्यक्रम से ग्रामीण क्षेत्रों के सभी वर्ग जाति धर्म के लोगों की आय में वृद्धि हुआ है साथ ही पलायन की स्थिति में भी कमी हुई है। इस कार्य से विकास कार्य में विदेशी संस्थाएँ भी अपनी अहम भूमिका अदा कर रही हैं। जैसे इफाड, विश्व बैंक, विश्व खाद्य कार्यक्रम, यू एन डीपी इत्यादि।

पंचायती राज के अन्तर्गत गाँव के पंचायत को अधिक से अधिक विकास कार्य दिया जा रहा है। गाँव पंचायत कोई भी विकास कार्य शुरू करने से पहले पी. आर. ए. तकनीक का उपयोग गाँव के बारे में पूर्ण रूप से समझते हैं। वहाँ के लोगों की आवश्यकता अनुरूप कार्य योजना बनाती एवं कार्यान्वित करती हैं। इससे आजकल गाँव के विकास तीव्र गति से हो रहे हैं। जैसे जल की व्यवस्था, सफाई, गलियाँ, नालियाँ तथा तालाबों का रख रखाव, गाँव की गलियों की प्रकाश व्यवस्था, भूमि का प्रबन्ध, गाँव की सड़कों, पुलियों, पुलों और नालों का रख रखाव, प्राथमिक पाठशालाओं का परिवीक्षण, पिछड़े वर्गों का कल्याण इत्यादि।

अन्त में यदि निष्कर्ष के रूपमें देखा जाये तो पी. आर. ए. तकनीक एवं ग्रामीण विकास का आपस में बहुत गहरा सम्बन्ध है। जबसे इस तकनीक का उपयोग विकास कार्यों में संस्थाओं द्वारा किया जाने लगा है तब से वास्तव में ग्रामीणों का विकास या पुनर्निर्माण बहुत तीव्र गति से होने लगा है। यहाँ ध्यान देने की जरूरत है कि पी. आर. ए. तकनीक के उपयोग में विशेषज्ञों और गाँव के सभी तपकों के व्यक्तियों का सहभागिता जरूर सुनिश्चित किया जाए। इससे गाँव की वास्तविक स्थिति उभर कर सामने आयेगी जो विकास कार्य में मदद करेगी।

जहाँ तक संभव होगा कृषि, शिक्षा, कृषि-शोध कार्य, कृषि नीति का निर्माण, उन्हीं व्यक्तियों के दलों अथवा संघों के हाथों में होगा जो कृषि जीवन

की प्रथम जानकारी से अवगत हो तथा जिनका कृषि जीवन से आन्तरिक सम्बन्ध रहा हों और इस जीवन में उनकी सहभागिता तथा अनुभव हों।

— डा० सर्वपल्ली राधाकृष्णन

यदि तुम हमारी मदद करने आये हो तो अपना समय बर्बाद कर रहे हो। लेकिन यदि तुम इसलिए आये हो क्योंकि तुम्हारी स्वतंत्रता हमारे साथ बधी हुई है। तब आओ मिलकर कार्य करें!

—एल वाटसन आस्ट्रेलियन महिला कार्यकर्ता

संदर्भ ग्रन्थ

- सेम, जोसेफ गाइड लाइन फार टेनिंग, पी. आर. ए. एक्सन एड बैंगलोर ।
- सेम, जोसेफ 'लीड टाइम लेग टाइम आर. आर. ए./पी. आर. ए., ईन एक्सन एड एक्शन एड बैंगलोर।
- यादव, रामजी भारत में ग्रामीण विकास, अर्जुन पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, वर्ष 2005।
- चित्तौड़ा, निर्मल एवं बेगम, शमीम ए रिपोर्ट आन फिल्डवर्क, पी.आर.ए. वर्कशाप, काया स्वच्छ उदयपुर, नवम्बर 1992
- हाउ टु कम्युनिकेट इफेक्टिवली वीथ ग्रास रूट्स वुमन, यूनिसेफ, नई दिल्ली 1984।
- मोरली डेविड एवं हेरमीआन लोबल, माई नेम इज टुडे ।
- रेपिड बट रिलेक्सड एण्ड पार्टीसिपेटरी रूरल एप्राइजल, टुवर्डस एप्लीकेशन इन हेल्थ एण्ड न्यूट्रिशनस, रोबर्ट चैम्बर्स, ए. एस. सी. ई. हैदराबाद ।
- शंकर, जोगन सोशल प्रब्लम एण्ड वेलफेर इन इन्डिया, आशिष पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, वर्ष 1992 ।
- देसाई, ए.आर., भारतीय ग्रामीण समाज शास्त्र, रावत पब्लिकेशन, जयपुर, वर्ष 2002।
- इण्डिया सोशल डवलपमेंट रिपोर्ट, कौंसिल फार सोशल डवलपमेंट, आक्सफोर्ड युनिवर्सिटी प्रेस, नई दिल्ली, वर्ष 2006।

LIVELIHOOD PROSPECTS: A CRITICAL REVIEW OF STREET VENDING IN DELHI

Shabab Ahmad*, Prof. Darshan Singh**

This paper most vividly tries to inculcate the ways and mechanism of corruption in the lowest ladder of income generating peoples that is 'Street Vendors.' Giving bribe may get institutionalized pattern of behavior in our communities and it may no longer seem as problem. This paper also tries to give hypotheses

Keywords : Livelihood, Street Vendors, Bribe, Corruption, Entrepreneurs etc.

Introduction

If a person don't have anything and go to anywhere, two things always remain with the poor vendors, viz. Streets and Sky. Streets from where they can earn their basic livelihood, secondly, Sky, from which they never fear from getting removed. Now when these street vendors clearly knows that they are not going to lose anything as they are being positioned in the lower most ladder of the economic deprivation, gives the immense courage and strength to become Entrepreneur. Where risk taking factor is one of the most important quality for becoming successful entrepreneur. Consequently, it can be interpreted as 'every Street Vendor is a born entrepreneur.' Bribe is the form of corruption in which an individual gives money to stakeholder, authoritarian, chairperson, or any person who are responsible to doing work of an individual. The bribe is considered as crime under the laws to prevent corruption like such as prevention of corruption Act, 1988 and IPC (Indian penal code) 1860 and its section 166, section 171B, section 409, section 169 Specifically the prevention of corruption Act 1988 has deal bribery cases of street vending under section 11 and central vigilance commission, CBI (central bureau of investigation) and state anti-corruption bureau these three authorities have dealing such

* Assistant Professor, Department of Social Work, Central University of Himachal Pradesh, Dharamsala, Kangra. H.P.

** Senior Professor, Chairman- Department of Social Work, Kurukshetra University, Kurukshetra. Haryana.

case of bribery and controlling over the corruption. Even once the introduction of varied legislations like Street trafficker (Protection of keep and Regulation of Street Vending) Act, 2014 and formulation of National Policy on Street Vendors, several of them face the matter in obtaining their license issued. Alternative downside includes insecurity at their geographic point, insecurity of earning, constant eviction threats, fines and harassment by traffic policemen, eviction by police, eviction by Municipalities co-operation, money stealing by gangster or local criminal, eviction without notice or relocation during national events etc.

If we see that street vendors as small entrepreneur so that they are continuously trying to connect with main streamline of market illegally by giving bribe to local authorities cause of fear of eviction from main market or main streamline. It is showing that government is making new world for street vendor through evicted from main market, how the world you suppose to be as a market for street vendor partially different from sustaining market and placed them newly established vending zone where supply power is low and earning capacity is not much more than the main market. It help to understanding the concept of privatization of market as firstly local authorities focusing on eviction of street vendors mainly by streamlining in order to increase the market value and its shops which also increase the production/ product supply. When they started fight against the eviction than local authorities along with local organization have systematically evicted the street vendor from main market by providing vending zone. It may be possible they will be evicted again when their market able to sustain and making profit than the privatization will started to constructed shop and mall at their vending zone. Eviction from main market is not a solution of street vending, government needs to make a plan for connect street vendors to main market, and help them to sustain their business by providing platform without bribe. Bribe system is a game of money in the market and also to earn money. There are all possible chances in a single place to take bribe for eviction, and also to take bribe not for eviction, similarly to gives bribe to eviction of street vendor, and also giving bribe not for eviction from the main market.

Research Methodology used: The researcher managed to collect data from 319 Street Vendors through Purposive sampling method. But all together 279 Respondent agreed to give their response in the interview

schedule designed to ask various problems and challenges they are facing during the process of vending, as pertaining to the sensitive and confidential matter of corruption some even stayed away from giving the information.

Findings: After these provision and laws still bribe is a challenging issue for street vending and it takes place in market as business function where local authorities have taking money or thing from street vendor in form of bribe and another perspective of bribery system is totally different where vendors gives bribe to local authorities for sustaining their business. In both perspectives bribery is crime weather you take a bribe or you give a bribe. The main motive of bribe is to fight against the obstacle comes for sustaining business at road side

In case of Delhi, street vendors trying to associated with main market and work collaboratively with shop owners of the market and pay charges for vending (as they vend outside their shops), still shop owner is not responsible for eviction by MCD or local authorities, they only provide space for vending in front of shop and never take part any controversy between evictor and vendor. As given below:

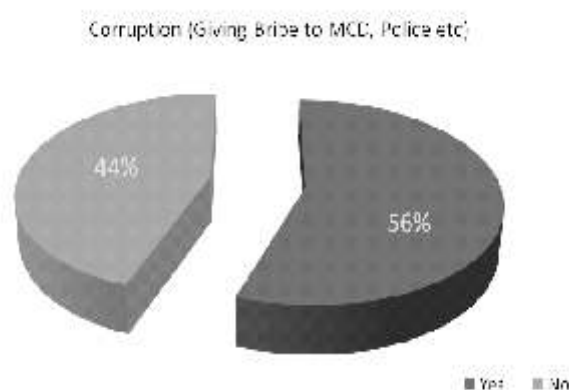


Figure 1, shows that the majority of vendors viz. 56 % are giving bribes to the Municipal Corporation of Delhi, Delhi police or Traffic Police etc. Even some were forced to give bribe to the shop owners were they vend. While 44% of Street Vendors mentioned that they do not give bribe to the police, MCD or local authorities for sustaining the business on the streets.

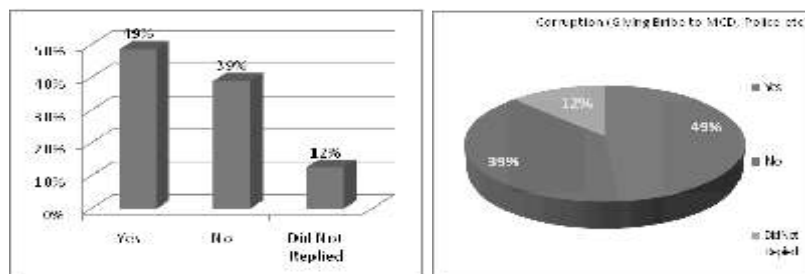


Figure 2

Table 1

Similarly, Table 1, Figure 2 viz. explains that the out of 319 respondents, 155 Street vendors are giving bribe any different and they are strongly believe that corruption should go away, 124 Street Vendors gave negative reply while 40 respondents do not wish to say either any response regarding the same.

Present mechanism of corruption on Streets of Delhi

As there is always tussle between prey and predator, where, predator always needs to be more equipped and enhance their efficiencies to catch its prey while as prey always wants to increase its potential in order to escape from the predators. Similarly, the situation of street vendors (prey) and corrupt system (predator) are doing on the streets of Delhi. Street Vendors Face Harassment at their vending place viz. by the police, municipal authority, traffic police and others. Bribe given by the street vendors cause loss of the national income. There is drastic change in the situation and extortion of the money. What happened before Street Vendors Act 2014 and now, is different. Previously (before 2014) there officials (MCD, Police etc) used to collect money directly from the Street Vendors called as 'Ugai' either in the name of law, rule or government policy creating the fear psychosis in the mind of the street vendors so that ugai money can be raised properly. But, at present, things are different, how? let me tell you! Now the Clever authorities have selected different middle man (Who happens to be a street vendor) from the same location and these street vendors used to call money for the authorities and give it to them. Some middle man also reported that this non-serious policy makes them to pay more after the enactment of these faulty or inadequate policy or implementation of the act. The bribe which they were giving earlier increased manifold after the wave of any policy or scheme.

Now they don't have to come face to - face with the street vendor and evades or in true sense they get escapes from being accused directly into bribery. The inherent notion of sustainability looms around street vendors because of its fragile, vulnerable and non-permanency.

स्ट्रीट वेन्डर्स का इंटरव्यू-दीपक गुप्ता हंगर वेंडर (दिनांक 10.09. 2016)

“सर, हाई कोर्ट ऑर्डर आने के बाद गरीबों को पूरी तरीके से रिलीफ मिली है, तरीके से हमारा कानून (स्ट्रीट वेन्डर्स एक्ट 2014) आने के बावजूद, गैर-कानूनी ढंग से हमें परेशान करती थी, उससे राहत सिर्फ मुझे ही नहीं पूरे दिल्ली के वेन्डर्स को है।” आगे कारण पूछने पर बताया, “सर, ये सारा खेल पैसे का है। आज से डेढ़ साल पहले हम पुलिस को बहुत पैसा देते थे, जैसे हम न नुकुर करना शुरू किया, पैसा देना बंध किया, उन्होंने हमारा शोषण करना शुरू कर दिया। रोज नया कानून बता के, रोज नया बहाना बना के, जैसे कहते हैं कि, ये जगह नॉन स्क्वाटिंग (Non-squatting) जोन है। और जो आदमी तीस-चालीस साल से यहाँ काम कर रहा है, उसे ये बताते हैं कि ये नॉन स्क्वाटिंग जोन है। उसके लिए हाई कोर्ट में केस चल रहा है। केस कि अगली तारीख आठ नवम्बर, 2016 को है। जो कि नॉन स्क्वाटिंग जोन के बारे में आने वाला है। 15 अगस्त हो या रिपब्लिक डे, ये ‘सेकुरिटी कारनो’ से हमें भगा देते हैं। जबकी ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ चुनिन्दा लोग जैसे कि ‘परधान’ लोगो का एक ग्रुप है जो कि एक व्यापारी मण्डल है। इन्होंने कोर्ट में केस किया और पार्टी बनाया पुलिस और एमसीडी को, कि ये लोग पैसा ले कर लाजपथ नगर में बाजार लगवाते हैं। उन्होंने वेन्डर्स को पार्टी ही नहीं बनाया। जो कि हमारे (वेन्डर्स के) खिलाफ था। यहाँ के वेन्डर्स को पता भी नहीं लगने दिया”।

इंटरव्यू-दीपक गुप्ता हंगर वेंडर-कुछ दिनों पश्चात (Date: 03-07- 2017)

दीपक गुप्ता- “सर, स्ट्रीट वेन्डर्स एक्ट 2014 आने के बाद

मुश्किलें और बढ़ गयी है। जो हमें 100 रुपये देने पड़ते थे वो अब हमें 300 रुपये देने पड़ रहे हैं। पहले मैं इसके खिलाफ था पर अब मजबूरन देना पड़ रहा है। सर आठ महीने तक हम देहाड़ी लगाने वाले को समस्याओं का सामना करना पड़ा। यहाँ तक की स्कूल से बच्चों के नाम कटवाने तक की नौबत आ गयी। मजबूरन बच्चों के पेट पालने के लिए अब मैं खुद अपनी और बाकियों का पैसा कलेक्ट कर के एसएचओ और एमसीडी वालों को पहुंचाता हूँ। बहुत सारी बातें किताबों में सिर्फ अच्छी लगती है। भ्रष्टाचार और रिश्तखोरी बोलने की बात है, असल जिंदगी में ये कोई माइने नहीं रखता।

Conclusion: For poor vendors legal resorts are too costly and time taking. They even cannot go to the perpetrators for its resolution or mitigation. As vested interest looms around due to huge amount of husk money is involved. The only resolution that they can take political refuge, as they indeed accounts for the huge vote banks. Consequently, Street Vendors Act 2014 passed. Even the Delhi state government passed the bill for the protection of street vendors. And it has to be further matter of grave importance and concern that when their livelihood interest and needs are protected. Now it is distant dream for them to think about social security, social insurance and actually availing the health benefits.

References

- Bhowmik, S. (2010). *Legal Protection for Street Vendors. Economic and Political Weekly* , XLV NO-51.
- Kumar, S. *Laws against giving and taking bribe in india.*
- Marriam-Webster SINCE 1828. (2019).
- Nath, S. S. (2010, june). *Street Food Vendors in Delhi: Nomads in the storm of modernity. university of Wien* .
- Saba, D. (2011). *Working Life of Street in Mumbai. Indian Journal of Labour Economic* , 54.
- WIEGO. (n.d.). *Key Debate about street vending. Retrieved from WIEGO (Women in Informal Employment Globalisation and Organising: <http://www.wiego.org/informal-economy/key-debates-about-street-vending>*
- WIEGO. (n.d.). *Street vendors in India. Retrieved from WIEGO (Women in Informal Employment Globalising and Organising: http://www.wiego.org/informal_economy_law/street-vendors-india*

एकल महिलाओं की समस्याएँ, कारण एवं समाधान

डॉ. अजय कुमार त्रिवेदी*, डॉ० मुहम्मद नईम**

प्रायः यह देखा गया है कि बाल्यकाल के पारम्परिक संस्कारों के चलते किशोरियाँ व युवतियाँ सोचती हैं कि एक खूबसूरत सा राजकुमार घोड़ी पर चढ़कर आयेगा ब्याहने, जगमग बारात होगी, खुशी की वो रात होगी, यही ख्वाब होता था हर लड़की का पहले, पर अब न तो खूबसूरत राजकुमार की चाह है, न जगमग बारात का इंतजार....., शादी ब्याह आज की लड़कियों को बोझ लगने लगा है। विवाह को जिन्दगी की अनिवार्यता व अन्तिम लक्ष्य मानने की परम्परा को आधुनिक लड़की ने धीरे-धीरे नकारना शुरू कर दिया है। जीवन को अपनी शर्तों पर जीने की ललक ने उसे विवाह न करने के फैसले की ओर मोड़ दिया है। स्त्री को बचपन में पिता, जवानी में पति और बुढ़ापे में पुत्रों के सहारे जीने का फैसला करने वाले पुरुष प्रधान समाज में उसके इस फैसले को बहुत सरलता से नहीं लिया गया, जो कि स्वाभाविक भी था, भला अपने द्वारा बनाये गये समाज के ढर्रे को पुरुष डॉवाडोल कैसे होने देता।

तुम विवाह नहीं करोगी तो बिना किसी के सहारे जिन्दगी कैसे बिताओगी, जैसे खौफ भी उसे दिखाये जाते रहे, लेकिन जिस बैंक बैलेंस, कार, बंगला, शोहरत, समाज में स्टेटस पाने की खातिर उसे विवाह को जिन्दगी का एकमात्र विकल्प बताया जाता रहा, वह सब जब उसने अपने पैरों पर खड़ी हो स्वयं पा ही लिया तो विवाह की अनिवार्यता भला कहाँ रह गई।

माना कि विवाह जिन्दगी का अन्तिम लक्ष्य नहीं होता, पर जिन्दगी में पति, पत्नी के रिश्ते के महत्व को नकारा भी नहीं जा सकता। जिन्दगी में एक पड़ाव ऐसा भी आता है, जब बेटे बेटियों की पढ़ाई-लिखाई पूरी हो जाती है, वे अपने अपने कैरियर में लग जाते हैं। उनकी शादियाँ कर मां-बाप थोड़ी फुर्सत पा लेते हैं, तब पति पत्नी ही सुख-दुख के सच्चे साथी बने रहकर शेष जिन्दगी काटते हैं। शादी सुख-दुख में साथ निभाने के बन्धन के साथ-साथ अपने बुढ़ापे के सहारे के रूप में संतान को दुनिया में लाने का सबब भी बनती है।

* प्रवक्ता, समाज कार्य विभाग, एम.जे.पी. रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली।

** प्रवक्ता, समाज कार्य विभाग, बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी।

लेकिन शादी के बाद हमेशा हालात एक जैसे नहीं रहते। कभी वक्त की बेरहम मार भी पड़ती है। कभी जीवन साथी हमेशा के लिए जुदा हो जाता है। तो कभी मन न मिलने से तलाक भी हो जाता है। ऐसे में संतान ही सहारा बनती है। संतान में यदि लड़की बड़ी हो तो वह पूरे परिवार की बड़ी बन जाती है। उसे न केवल मां की घर गृहस्थी की जिम्मेवारी उठानी पड़ती है, बल्कि उस वक्त विवाह न करने का निर्णय भी लेना पड़ता है। सिर्फ घर, परिवार की जिम्मेदारी ही नहीं, बल्कि कैरियर में ऊँचाईयों को छूने की कोशिश भी उन्हें शादी न करने के लिए बाध्य करती है। इसके अलावा स्वावलम्बी महिलायें बेचारी गऊ की तरह किसी भी खूँटे से बंधने को तैयार नहीं होती, इसलिये अकेले रहने का वे फैसला करती हैं। एकल महिलाओं की श्रृंखला में आने वाली औरतों में कुँवारी, तलाकशुदा, विधवा व छोड़ी हुई औरतें शामिल होती हैं।

आज समाज में बिन ब्याही अकेली लड़की को भले ही अचरच की निगाह से नहीं देखा जाता, पर समाज ब्याह न करने के उसके फैसले के बारे में बारम्बार सवाल अवश्य करता है। “जिन्दगी के किसी मोड़ पर तुम्हें जीवनसाथी की जरूरत महसूस होगी..... चाहरदीवारी और उसमें भरे सामान को घर नहीं कहते।” इत्यादि बातें उसे समझायी जाती हैं। उसे इस बात का भी भय दिखाया जाता है कि जब वह कभी बीमार पड़ेगी तो सिरहाने बैठकर उसे कोई दवा खिलाने वाला भी नहीं होगा। बीमारी में खाना बनाना पड़ेगा, या किसी संगी—सहेली को फोन कर बुलाना पड़ेगा तो हो सकता है कि वह आये ही नहीं। सामान, सुख सुविधाओं व चकाचौंध की चीजें भी मन का अकेलापन दूर नहीं कर सकती। कहीं तुम्हें अपने निर्णय के लिए पछताना न पड़े, इसलिये शादी कर लो, अभी देर नहीं हुई है, इस तरह की तमाम बातें अविवाहित महिलाओं को समझाई जाती हैं, ताकि भविष्य के हालात से डरकर वह अपने विवाह न करने के फैसले को बदल दे।

हमारा समाज शादी—शुदा औरतों को एक तरफ और एकल औरतों को दूसरी तरफ रख कर ही इतिहास लिखता रहा है, जो महिलायें विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता अथवा स्वेच्छा से अलग रहती हैं, उन्हें परिवार अथवा समाज दोनों ही हीन दृष्टि से देखता एवं तरह—तरह से प्रताड़ित करता है। अपशकुनी मानना, डायन कह कर प्रताड़ित करना, कम भोजन देना, घर—सम्पत्ति व जमीन से बेदखल करना आम महिला की तरह जीवन जीने से वंचित करना इत्यादि इसके आम उदाहरण हैं।

हमारे समाजीकरण में धर्म, परम्परा और परिवार की अहम् भूमिका होती है।

इसी प्रक्रिया ने शादी-शादी औरतों और गैर शादी-शुदा औरत की जिन्दगी और परिवार के बीच एक लक्ष्मण रेखा खींच दी है। शादीशुदा औरतें समाज और परिवार के आँगन में इज्जत और सम्मान से बैठती हैं, अधिकांश रीति-रिवाज शादीशुदा महिलाओं द्वारा ही मनाये जाते हैं। तलाकशुदा और विधवा महिलाओं को उनके कार्यक्रमों में शामिल होने की अनुमति नहीं होती है। समाज में यह एक विश्वास है कि अकेली औरत बदनसीब होती हैं, उसकी उपस्थिति अशुभ समझी जाती है, तथा वे धार्मिक कार्यक्रमों पर और दूसरों के हित पर बुरा प्रभाव डालती हैं। परिवार द्वारा भी उन्हें ऐसे समारोहों में शामिल न होने का दबाव डाला जाता है। अगर कभी उन्हें ऐसे समारोहों में शामिल होने की इजाजत मिलती भी है तो भी उन पर क्या पहनना है, कैसा पहनना है, गहने और अन्य प्रसाधन के प्रयोग पर परिवार एवं समाज द्वारा पाबंदियों लगायी जाती है। यदि वो इन पाबंदियों का पालन नहीं करती हैं तो तुरन्त बुरी औरतों की श्रेणी में आ जाती है। इन पहचानों के वैचारिक आधार को स्थापित करने के लिए धार्मिक व सामाजिक रीति रिवाज, पहनावे, संस्कार आदि हैं, जिनके द्वारा इन पहचानों को दूर से ही समाज में पूरी तरह से प्रतिष्ठित किया जाता है।

हमारे समाज का पितृसत्तात्मक ढाँचा हमेशा एक ही खँचें में औरत की छवि को देखना चाहता है और वह एक ऐसी औरत, जिसके साथ उसका पति बच्चा व पूरा परिवार होगा और औरत का अस्तित्व ही उसके परिवार के अस्तित्व से जुड़ा हुआ है और जब भी वह इस खँचे से बाहर निकलती है या निकाल दी जाती है तो उसके खिलाफ हमारा समाज बड़ी ही क्रूरता से पेश आता है। एक विधवा औरत की प्रताड़ना के लिए हमारी तथाकथित संस्कृति, रीति रिवाजों ने ऐसे शडयन्त्र बुने हैं कि उसका गरिमा से जीवन जीने का हक ही छीन लिया है। एक ओर जहाँ धर्म, समाज और संस्कृति उसके खिलाफ खड़े हैं वहीं हमारी व्यवस्था भी उससे कोई सहानुभूति नहीं रखती है। विधवा पेंशन की धांधलियां किसी से छिपी नहीं हैं। पति की मृत्यु के बाद अब उसके स्थान पर नौकरी मिलने के नियम भी सरकार द्वारा सख्त कर दिये गये हैं।

एक तलाकशुदा या पति द्वारा छोड़ी हुई औरत की समाज में न कोई आर्थिक, सामाजिक हैसियत है और न ही हमारे कानून उन्हें किसी प्रकार की सुरक्षा देते हैं। पारिवारिक न्यायालयों में दिनों दिन बढ़ती भीड़ और लम्बित प्रकरणों की फाइलों का बढ़ता अम्बार बताता है कि पारिवारिक हिंसा की शिकार औरतों के प्रति हमारी अदालतें और कानून कितने असवेंदनशील हैं। पारिवारिक

हिंसा की शिकार औरतें कभी अकेली और कभी अपने बच्चों को जिम्मेदारी को सम्हालते हुए सालो-साल इन्साफ का इन्तजार करती हैं और कभी कभी तो यह भी होता है कि वह थककर बैठ जाती हैं और दूसरी ओर उसका तथाकथित पति मूँछों पर ताव दिये बच्चों की जिम्मेदारियों से मुक्त छुट्टा घूमता है। बस उसकी सारी कोशिशें अपनी आमदनी को छिपाने के लिए होती हैं। हमारे समाज के पूर्वाग्रह उस औरत का पोस्टमार्टम करने में अपनी सारी ऊर्जा लगाता है जैसे कि उसने मायके से डोली और ससुराल से अर्थी वाली मान्यता को तोड़कर कितना बड़ा गुनाह किया है और उसने ही ससुराल में स्वयं को वहां के वातावरण के योग्य नहीं बनाया होगा या फिर कोई दूसरा चक्कर होगा.....आदि आदि.....।

हर वक्त सवाल और सन्देहों से जूझती एकल औरत के प्रति हमारे समाज की कोई सहानुभूति नहीं होती है और यदि किसी लड़की ने शादी न कर अकेले ही आत्मनिर्भर हो जीवन जीने का फैसला किया तो परिवार, रिश्तेदारों और समाज में जैसे भूचाल सा आ जाता है। समाज की तमाम परम्परागत मान्यताओं पर जैसे ही चोट होती है, उस लड़की का चरित्र हनन शुरू हो जाता है। जो किसी की नहीं, वह सबकी है, जैसी मानसिकता के शिकार समाज के सफेदपोश ठेकेदार भी परम्पराओं, रीतियों और नैतिकता का पाठ उसे पढ़ाने लगते हैं। उन्हें यह कतई स्वीकार नहीं कि एक लड़की अकेले आत्मनिर्भर हो समाज के तथाकथित नियमों को धता बताते हुए गरिमापूर्ण जीवन जीने का साहस कर सके।

किन्तु आज इस अन्धेरे में भी उजाले की किरणें फूट रही हैं और तमाम लड़कियाँ इन तथाकथित मान्यताओं को तोड़कर अपने जीवन के तमाम फैसले स्वयं ले रही हैं। वे परम्पराओं, रूढ़ियों से जकड़े इस समाज को चुनौती दे रही हैं क्योंकि उन्हें पता है कि हर बहादुर औरत के पीछे खड़ा होता है पूरा समाज, यह कहने के लिए कि वह गलत है।

महाभारत के आदिपर्व में सदियों पहले कहा गया था कि जिस स्त्री का पति गुजर गया हो उस औरत के शील के पीछे पुरुष उसी तरह पड़ जाते हैं जैसे मांस के टुकड़े पर गिद्ध टूट पड़ते हैं।

स्थितियां आज भी बदली नहीं हैं बल्कि और अधिक बिगड़ गई हैं। अब विधवा स्त्री को होने वाले कष्ट अविवाहित, अलग हुई परित्यक्तता और तलाकशुदा औरतें भी भुगत रही हैं। इस स्थिति का कारण भारतीय समाज का वह विश्वास ही है जो यह मानता है कि औरत पुरुष के बिना अकेली न रह सकती है और

न उसे अकेला रहना चाहिए। उसकी मुक्ति सिर्फ विवाहित रह कर ही सम्भव है, अन्यथा उसे सामाजिक बहिष्कार, शर्मिन्दगी भरे जीवन और समाज की लगातार निगरानी के लिए तैयार रहना चाहिए। उसे एक विवाहित से कहीं ज्यादा कड़े नैतिक नियमों का पालन करना होगा। यदि यह उसे स्वीकार नहीं है तो वह उपहास, दया और पुरुषों की कामुक कोशिशों की शिकार हो सकती है। उसकी कोई स्वतन्त्र पहचान या इच्छा नहीं हो सकती है। उसकी पहचान बस उसके पति से है।

सभी एकल नारियों का अपने समाज और निकट सम्बन्धियों की ओर से संवेदनहीन व्यवहार आर्थिक तकलीफों भरा और अति संघर्षपूर्ण जीवन गुजारना पड़ता है। समाज की यही मानसिकता सरकारी नीतियों और प्रशासनिक रवैयों में भी दिखलाई देती है।

विधवायें सभी एकल महिलाओं में सबसे ज्यादा कष्ट साध्य जीवन गुजारती हैं। उनकी उपस्थिति को अशुभ मानकर उन्हें सामाजिक कार्यक्रमों से बहिष्कृत किया जाता है। अक्सर पति की मृत्यु का कारण भी वही मानी जाती है, विशेषता तब, जब वह युवा ही हो। उससे उम्मीद की जाती है कि वह सादा जीवन गुजारे, आनन्दपूर्ण जीवन और सुख की अपनी नैसर्गिक इच्छाओं का दमन करे। वह सादा भोजन करे, और उन सभी नैतिकवादी नियमों का कट्टरता से पालन करे, जो समाज ने उसके लिए गढ़े हैं, उसको पारिवारिक सम्पत्ति पर अपना न्यायसम्मत अधिकार नहीं मांगना चाहिये। स्त्री को दिये जाने वाले परम्परागत आर्शीवाद, सदा सौभाग्यवती भव का निहितार्थ भी यही है कि उसका जीवन और उसका सम्मान तभी तक है जब तक उसका पति जीवित है। आज्ञाकारिता और दास भाव के साथ बिना सवाल जबाब किये उसे सारे अपमान सहने चाहिये। संक्षेप में, उसे जीवन भर मौन रहकर खून के घूंट पीते रहने चाहिये।

फिल्मी पर्दे की संवेदनशील कलाकार व प्रख्यात कथक नृत्यांगना नंदिता पुरी के अनुसार—

“ मेरे परिवारवाले आधुनिक विचारों वाले थे, इस कारण उन्होंने मुझ पर कभी विवाह करने के लिए दबाव नहीं डाला, विवाह न करने पर, देर से करने पर वे अपसेट भी हुए, पर मैं कथक नृत्य करती रही, इसके लिए मन की एकाग्रता जरूरी है। अपने को नृत्य के क्षेत्र में स्थापित करने के लिए मैंने विवाह न करने का निर्णय ले लिया।”

विविध भारती की उद्घोषिका रेणु बंसल विवाह न करने के कारणों को लेकर कहती हैं कि हर मां — बाप का एक सपना होता है कि उनकी बेटी अच्छे घर में ब्याही जाये, परिवार ने बहुत कोशिश की शादी कराने की, पर मुझे लगा कि कोई गलत फैसला लेने से बेहतर है कि कोई फैसला ही न लिया जाये। अकेले रहना कोई अभिशाप तो नहीं, मैं इतनी कमजोर भी नहीं कि अकेलेपन से भयभीत हो जाऊँ, लोगों को एक ही छत के तले साथ साथ घुट-घुट कर जीते देखा है मैंने, यदि अपनी मर्जी से सुकून की जिन्दगी जीने का फैसला कर लिया जाये तो वह उससे कहीं बेहतर होता है। घर परिवारवालों ने कई बार समझाया कि अकेले रहना पड़ेगा तो क्या करोगी? पर मेरा यही जबाब रहा कि जब जैसी स्थिति आयेगी, तब देखा जायेगा, अभी से उसकी चिन्ता क्यों की जाये, अभी तो मेरे पास इतना काम है कि अकेलापन महसूस होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता।”

विवाह से विमुख होने के कारण—

- आज की लड़कियां मां बाप पर बोझ नहीं है, उल्टे अब वे उनके बुढ़ापे का सहारा बनती है। जिन घरों में लड़के नहीं हैं, या कपूत हैं, और वे अपने मां बाप को साथ नहीं रखना चाहते, वहां लड़कियां अविवाहित रहकर एक आदर्श संतान होने का फर्ज निभाती हैं। आज अपने मां-बाप या छोटे भाई बहनों की परवरिश की खातिर अनेकों लड़कियां स्वयं अविवाहित रह जाती हैं।
- बहुत सी लड़कियों के जीने का अपना एक तरीका होता है, वे अपना लाइफ स्टाइल बदलना नहीं चाहती है, वे किसी के नियन्त्रण में या बन्धन में नहीं रहना चाहती, उन्हें उन्मुक्त जीवन ही रास आता है, इसलिए वे शादी नहीं करना चाहती।
- स्वाभिमानी लड़कियां आर्थिक रुप से पति पर निर्भर रहने की बजाय स्वयं कमाना चाहती हैं, ताकि उन पर कोई आर्थिक बन्दिश न रहे। उन्हें उन्मुक्त जीवन ही पसन्द आता है, इसलिये वे शादी करना नहीं चाहती।
- आर्थिक रुप से स्वतन्त्र लड़कियां किसी भी व्यक्ति का अपने निर्णयों में हस्तक्षेप पसन्द नहीं करती, और विवाह करने की अपेक्षा अविवाहित रहकर स्वतन्त्र जिन्दगी बितानी अधिक पसन्द करती है।
- आज की लड़कियों को मात्र घरेलू स्त्री बनकर रहना पसन्द नहीं, उनके स्वतन्त्र विचार और निर्णय होते हैं। नासमझ और दकियानूसी जीवनसाथी के

साथ अपनी जिन्दगी को नर्क बनाने की बजाय वे अविवाहित रहना अधिक फायदेमन्द मानती हैं।

- आज की युवतियों व लड़कियों की प्राथमिकतायें बदल गई हैं। आज लड़कियां अपने कैरियर को घर, परिवार, विवाह आदि की तुलना में अधिक तुलना देने लगी हैं। वे कैरियर बनने तक शादी के बारे में सोचती तक नहीं और जब तक कैरियर से वे संतुष्ट होती हैं, तब तक उनकी शादी उमर निकल चुकी होती है।
- आज की महिलायें, लड़कियां काफी जागरूक हैं, वे खुद पर होने वाले अत्याचारों और अनाचारों को सहन नहीं कर पाती, चाहे प्रताड़ना पति द्वारा की गई हो, या ससुरालीजनों द्वारा। जब वे अपने आस पास की शादी शुदा औरतों व लड़कियों को देखती हैं, कि वे किस कदर डरी सहमी रहती हैं, और प्रताड़नायें झेलती हैं, तो उन्हें शादी से विरक्ति होने लगती है।
- कई बार लड़कियां अत्यधिक पढ़ लिखकर उच्च पदों पर पहुंच जाती है, कि उनके योग्य वर ही नहीं मिलता और वे अपने से कम पढ़े लिखे या हैसियत वाले नौजवान को अपना पति बनाने के बजाये अविवाहित रहना अधिक पसन्द करती हैं।

समग्रतः कहा जा सकता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज के अपने नियम, अपनी परम्परायें, अपना सोच विचार होता है, समाज में जन्मा हर व्यक्ति इन्हीं परम्पराओं और सोच विचारों के बीच पल कर उनका एक अंग बन जाता है। फिर आने वाली पीढ़ी को उन्हें सौंप देता है। समाज को नैतिकता और सिद्धान्तों की सीमाओं में बांध कर रखने के लिए परिवार की मर्यादायें बनी, उन मर्यादाओं का निर्वाह करना परिवार के प्रत्येक सदस्य का दायित्व है। विवाह परिवार की चौखट है।

जिस प्रकार शरीर एक डिब्बे की मानिन्द है। उसके भीतर आवेग, संवेग, अनुभूति, मनोविज्ञान, भावात्मक संपद का गहवर जंगल है, जैसे टेलीफोन का प्यूज बॉक्स, अनेकानेक महीन तारों का जाल, सब में हर समय बहता एक करंट, अपनी अपनी सीमाओं में बहता यह करंट उत्पादक है, पर कहीं ये तार बीच से उधड़ कर करंट मिल जाये तो मानो सब भस्म, ठीक उसी प्रकार मानव मन की भी यही दशा है, सम्पूर्ण व्यक्तित्व के विकास के लिए इन विभिन्न भावनाओं का होना और उनकी पूर्ति एवं प्रतिक्रिया अनिवार्य है, पर उनका पारस्परिक टकराव,

व्यक्तित्व को निष्प्राण कर डालता है। मानसिक तथा शारीरिक धर्मों की पूर्ति में जीवन की नित्यता है। यों शारीरिक इच्छाओं की पूर्ति सामाजिक बंधन की मोहताज नहीं है, पर उससे बढ़कर मानवीय आवश्यकता है— सामाजिक सुरक्षा व स्थायित्व। इस स्थायित्व के लिए ही मानव स्वयं को परिवार की मर्यादाओं से बांध लेता है।

बाबजूद इसके तमाम स्त्री और पुरुष इस सामाजिक धर्म की अवहेलना करके अकेला रहना पसन्द करते हैं। इसलिये समाज उन्हें तमाम उम्र आलोचना या सहानुभूति की नजरों से बींधता रहता है। समाजशास्त्रियों का मानना है कि अकेलापन स्त्री के लिए ही नहीं वरन् पुरुष के लिए भी एक असामाजिकता की स्थिति मानी जाती है।

एकल महिलाओं के मुद्दे पर कार्य कर रही प्रयत्न फाउण्डेशन की मुख्य कार्यकारी सुश्री नाहीद अकील ने बताया कि संस्था के शुरुआती दौर में जब वह और उनके साथी जब ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के सामाजिक एवं आर्थिक मुद्दों को लेकर काम कर रहे थे। उसी दौरान उन्होंने व उनके साथियों ने महसूस किया कि दुनिया की आधी आबादी कही जाने वाली ये महिलायें भी कई वर्गों में बंटी हैं शहरी महिलायें— ग्रामीण महिलायें, शादीशुदा महिलायें और गैर शादीशुदा महिलायें आदि, आदि।

प्रयत्न फाउण्डेशन उत्तर प्रदेश द्वारा किये गये एक सर्वे के अनुसार जब उनके द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य किया गया तो देखा गया कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत मायके में रहने वाली विधवा व तलाकशुदा बेटी को अलग परिवार के रूप में नहीं पहचाना जा रहा है और उसका जॉब कार्ड नहीं बनाया जा रहा है। कानून में उन्हें एक अलग परिवार के रूप पहचानने का प्रावधान होने के बाद भी सामाजिक पूर्वाग्रहों के चलते उन्हें नजरअन्दाज कर दिया जाता है।

मुख्य कार्यकारी सुश्री नाहीद अकील ने बताया कि सर्वे में शामिल की गयी महिलाओं को उन्होंने तीन श्रेणियों में रखकर (अधिक पढ़ी—लिखी संगठित क्षेत्रों में काम करने वाली, कम पढ़ी—लिखी अंसंगठित क्षेत्रों में काम करने वाली एवं बिना पढ़ी—लिखी घर में रहने वाली बुजुर्ग महिलाएँ) यह जानने की कोशिश की कि प्रत्येक स्तर पर महिलाओं को किन—किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और हर श्रेणी की महिलाओं की समस्याएँ कितनी अलग हैं। पहली श्रेणी में प्रयत्न

फाउण्डेशन द्वारा रेलवे में कार्यरत महिलाओं, शिक्षिकाओं, स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत महिला डाक्टर्स, नर्स, प्रशासनिक अधिकारी एवं विभिन्न संस्थाओं में उच्च पदों पर आसीन महिलाओं को लिया, दूसरी श्रेणी में उनके द्वारा घरों में झाड़ू बर्तन करने वाली महिलाओं, मजदूर महिलाओं, कैंटीन में खाना बनाने वाली महिलाओं, सिलाई और आया का काम करने वाली महिलाओं का सर्वेक्षण व शोध में शामिल किया तथा तीसरी श्रेणी में उन महिलाओं को शामिल किया, जो घरेलू कार्य के अतिरिक्त अन्य कोई आर्थिक उपार्जन का काम नहीं करती, बल्कि वो किसी न किसी रूप में अन्य व्यक्ति के ऊपर आश्रित हैं।

पहली श्रेणी की रेलवे में काम करने वाली 8 प्रतिशत महिलाओं ने बताया कि उन्हें उनकी योग्यता के आधार पर काम नहीं दिया जाता है, बल्कि पति की मृत्यु के उपरान्त उन्हें विश्रामगृहों की निगरानी का काम दिया जाता है, जिसमें उन्हें अन्य कर्मचारियों की अपेक्षा चार घंटे अधिक काम करना पड़ता है। महिलाओं ने बताया कि रात की शिफ्ट में केबिन न होने की वजह से अक्सर यात्रियों द्वारा शारीरिक एवं मानसिक शोषण का शिकार होना पड़ता है। प्रशासनिक सेवा में कार्यरत महिलाओं ने बताया कि पति की मृत्यु के उपरान्त परिवार एवं ऑफिस में कार्यरत लोगों का नजरिया भी एकदम से बदल जाता है, जो पति की मौजूदगी में भाभी जी अथवा मैडम कहते थे, वही लोग 'यार' कह कर सम्बोधित करने का प्रयास करते हैं।

दूसरी श्रेणी की 10 प्रतिशत कोठियों में झाड़ू-पोछा का काम करने वाली महिलाओं ने बताया कि काम के दौरान उन्हें शारीरिक शोषण का सामना करना पड़ता है। बड़े आदमी होने एवं काम छूटने के डर के कारण वो कुछ कह नहीं पाती। इसी प्रकार गरीब एकल महिलाओं ने जो सिलाई, कढ़ाई या फाल लगाकर छोटे-छोटे काम कर रही हैं, उन महिलाओं ने बताया कि पति की मृत्यु के बाद हमारे पास गारंटी के लिए कोई गारंटर नहीं होता है और न ही कोई सामान, इसलिए हमें बैंक से लोन नहीं मिल पाता।

तीसरी श्रेणी की 32 प्रतिशत महिलायें जो 50 से 60 साल के भीतर की थी, उन्होंने बताया कि हमें सरकार से कोई पेंशन नहीं मिल पाती हैं और न ही किसी अन्य तरह का सहयोग। सर्वे के दौरान प्रयत्न फाउण्डेशन की जानकारी में यह तथ्य आया कि कि जिन परिवारों में अधिक उम्र की विधवा महिला ही परिवार की मुखिया है और उसके बच्चे विदेशों में बस गये हैं, उन्हें उनकी शारीरिक, आर्थिक व घरेलू सुरक्षा का हमेशा खतरा बना रहता है।

सर्वे के दौरान प्राप्त कुछ मुख्य तथ्य

- 41 प्रतिशत एकल महिलायें आवासीय हैं जो माँ, बाप अथवा किराये के मकान पर निर्भर हैं।
- 56 प्रतिशत एकल महिलायें दिन में सिर्फ एक बार भोजन कर पाती हैं। आर्थिक तंगी एवं चिन्ता के कारण उन्हें भूख नहीं लगती।
- 68 प्रतिशत एकल महिलाओं ने बताया कि लगातार समस्याओं से जूझने के कारण उन्हें रात में नींद नहीं आती है।
- 94 प्रतिशत एकल महिलाओं ने बताया कि विवाह के उपरान्त माँ बाप भी बदल जाते हैं। इसलिए लड़कियाँ सालों-साल ससुराल में मार खाती रहती हैं और तलाक नहीं लेती हैं।
- 16 प्रतिशत एकल महिलाओं ने बताया कि आर्थिक तंगी से परेशान होकर उन्होंने आत्महत्या करने का प्रयास किया।
- 94 प्रतिशत एकल महिलाओं ने बताया कि वे अपने जीवन को असुरक्षित मानती हैं।
- 82 प्रतिशत एकल महिलाओं ने बताया कि बच्चों एवं दोस्तों के अलावा परिवार से कभी स्नेह नहीं मिलता है।
- 44 प्रतिशत एकल महिलाओं का मानना है कि बढ़ती महंगाई में बच्चों का खर्चा पूरा करना ही एकल महिलाओं के तनाव का सबसे बड़ा कारण है।
- 92 प्रतिशत महिला धार्मिक रीति रिवाजों में हिस्सा लेना चाहती हैं, किन्तु घर, परिवार और समाज के लोग उन्हें शामिल नहीं होने देते।
- 58 प्रतिशत एकल महिलाओं ने बताया कि धार्मिक कार्यक्रम में भाग न लेने का दबाव सबसे ज्यादा परिवार का होता है।
- 68 प्रतिशत एकल महिलाओं ने बताया कि रीति-रिवाज में सहूलियत के हिसाब से बदलाव लाना चाहिए।

नई दिल्ली की मलिन बस्तियों व आस पास के क्षेत्र में कार्य करने वाली संस्था जागोरी वर्ष 2007 से दिल्ली की बस्तियों में एकल महिलाओं के साथ काम करना शुरू किया तो उन्हें अनेकों हैरतअंगेज जानकारियाँ प्राप्त हुई, जिसके अनुसार एकल औरते, वे चाहे हिन्दू धर्म में हों या मुस्लिम धर्म में, अमीर हो या गरीब, सभी को गैर बराबरी का दंश झेलना पड़ता है। जागोरी के अनुसार एकल

औरते वे औरतें या महिलायें हैं,— जो शादी के रिश्ते से बाहर हैं, विधवा औरतें, छोड़ी हुई औरतें, वैश्या, साध्वी। पति न होने से उनकी समस्यायें शादीशुदा औरतों से अलग हैं। ऐसा नहीं है कि शादी शुदा औरतों को अपने सारे हक मिल जाते हैं, लेकिन कानून और समाज उनके कुछ हक मानता हैं, लेकिन एकल औरत को इस तरह की कोई भी कानूनी और सामाजिक मान्यता व सामाजिक सुरक्षा प्राप्त नहीं है। वो तो बस एक बदनाम रंडी या फिर बेचारी बन जाती है।

जागोरी की सुश्री कमला भसीन के अनुसार, अकेली औरत के दर्द को अकेली औरत ही समझ सकती है। ये डोर ही अनोखी है, जो हर एकल पीड़ित महिला को दूसरी एकल पीड़ित महिला से जोड़ती है।

दिनांक 03 अप्रैल 2011 के राष्ट्रीय सहारा लखनऊ संस्करण पृष्ठ 16 के अनुसार, लंदन में सबसे अधिक सिंगल मदर पाई जाती है। समाचार पत्र में प्रकाशित समाचार के अनुसार ब्रिटेन में सिंगल मदर की संख्या दूसरे किसी भी यूरोपीय देशों के मुकाबले अधिक है। ब्रिटेन में हर पंद्रहवें घर में अपने बच्चों के साथ अकेली महिला आपको दिख जायेगी। न सिर्फ एस्टोनिया में इसकी संख्या अधिक है, बल्कि 27 देशों में किए गए सर्वे में यह बात सामने आई कि ब्रिटेन में कपल्स फेमिली की संख्या काफी कम है।

समाचार के अनुसार, यूरोपियन देशों के सांख्यिकी सलाहकार यूरोस्टेट के विश्लेषक इस तथ्य तक पहुँचें हैं कि ब्रिटेन के कर और लाभ प्रणाली मामले में फायदा होने के कारण लोग सिंगल रहना पसंद करते हैं। यही कारण है कि और कहीं के मुकाबले पश्चिमी दुनिया के लोग पारम्परिक परिवारों के खिलाफ हैं। बच्चों के साथ रहने वाले वैवाहिक जोड़े सिंगल पैरेंट की तुलना में 73 फीसदी अधिक टैक्स देते हैं। इस शोध में यह बात भी सामने आई है कि वर्ष 2009 में ब्रिटेन में 6.7 फीसदी घरों में सिंगल मदर अपने 15 साल या इससे अधिक उम्र के बच्चों के साथ रह रही थी।

ब्रिटेन जैसी स्थिति आयरलैण्ड, तीन बॉल्टिक देश, लातविया, के अलावा लिथुआनिया, और एस्टोनिया भी हैं। लेकिन ब्रिटेन में आज हर पांचवे घर में अपने बच्चों के साथ कपल्स रह रहे हैं।

लातविया और बुल्गेरिया में ऐसे लोगों की संख्या काफी कम है। वास्तविक तौर पर सिंगल मदर के बच्चे स्कूलों में बेहतर प्रदर्शन नहीं करते। साथ ही, उनका न तो स्वास्थ्य बेहतर होता है और जल्द ही वे अपराध की ओर कदम बढ़ा देते

हैं। रिसर्च में यह भी पाया गया कि सिंगल पैरेंट परिवार की लड़कियाँ युवा होते ही गर्भवती हो जाती हैं।

आज आवश्यकता इस बात की है कि एकल महिलाओं के अधिकारों व जरूरतों को पहचाना जाये, एकल औरतों के लिए वित्तीय सुरक्षा के तहत घर/मकान का पट्टा, जमीन का पट्टा, राशनकार्ड आदि शासकीय सुविधायें मुहैया कराई जाये। एकल औरतों के जायदाद आधारित मुकद्दों पर ठीक से ध्यान देने की आवश्यकता है। उनकी स्वास्थ्य सम्बन्धी आवश्यकताओं का ध्यान रखते हुए उन्हें उचित स्वास्थ्य सुविधायें भी मुहैया कराई जानी चाहिये।

साथ ही देखा जाये तो ब्याह न करने की कोई एक वजह नहीं होती, कभी परिवार की जिम्मेवारियां, मजबूरियां, कभी कैरियर, तो कभी समाज में शादी के बाद घर टूटने, बहुओं को जलाने जैसी घटनाओं को देखकर लड़कियों को विवाह के नाम से ही चिढ़ हो जाती है और लड़कियां विवाह न करने का फैसला कर लेती हैं।

प्रायः कामकाजी एकल महिलाओं का मानना होता है कि उम्र के पांचवे या छठवें दशक में अकेलेपन का आभास होता है। कभी कभी उन्हें यह लगने लगता है कि काश, अपना भी एक घर होता।

फिर भी आज समाज में अविवाहित लड़कियों की संख्या जिस तरह बढ़ रही है, यह निश्चय ही पूरे समाज के लिए चिन्ता की बात है। लड़कियों को शादी करने के लिए पुरुष प्रधान समाज में नारी को बराबर का दर्जा देना होगा, और नारी को अपने से हेय समझने की प्रवृत्ति पुरुषों को त्यागनी होगी, जब तक सम्पूर्ण सामाजिक व्यवस्था में बदलाव नहीं होगा, तब तक वे विवाह या पुनर्विवाह के लिए उन्मुख नहीं होगी।

संदर्भ ग्रन्थ

- मृदुला हालन, जुलाई (प्रथम) 1987, सरिता,
- जी०के०अग्रवाल, सामाजिक समस्याएँ, (1996), साहित्य भवन प्रकाशन, आगरा
- नूर फातिमा, घर प्रभात, मई 1997, न्यूट्रल पब्लिशिंग हाउस लिमिटेड, रांची
- महिला आन्दोलन का छठा राष्ट्रीय सम्मेलन दिसम्बर 28-30, 1997, रिपोर्ट, द्वारा जागोरी, नई दिल्ली
- आपका पिटारा, फरवरी-मार्च 2000, सद्भावना ट्रस्ट प्रकाशन, द्वारा निरन्तर, नई दिल्ली
- आदित्य, मेरी सहेली, अक्टूबर 2000, पायनियर बुक कं० प्रा० लिमिटेड, मुम्बई

- डा.एस.आर.बाजपेयी (2002) सामाजिक अनुसंधान एवं सर्वेक्षण (किताब घर कानपुर)
- आदित्य, मेरी सहेली, अक्टूबर 2004, पायनियर बुक कं० प्रा० लिमिटेड, मुम्बई
- एम०एल० शर्मा (2005) भारतीय सामाजिक समस्याएँ नगीन प्रकाशन मेरठ
- डा० राम अहूजा (2007) भारतीय सामाजिक समस्याएँ, साहित्य भवन प्रकाशन आगरा।
- एम०एल० गुप्ता एवं डी०डी० शर्मा (2008) भारत में सामाजिक परिवर्तन एवं सामाजिक समस्याएँ
- डा० एम०एल० लवानिया, शशि जैन, (2008) भारतीय महिलाओं का समाजशास्त्र,
- राम अहूजा, सामाजिक समस्याएँ, 2009, साहित्य प्रकाशन, आगरा
- शशि मौर्या न्याय की तलाश में झूलती महिलाएँ. 2003, सहयोगनी, छतरपुर
- महिला हिंसा व जेण्डर समानता पर पुरुषों में बदलाब की संभावनाओं की तलाश – मैसवा, लखनऊ
- मुमकिन है महिलाओं पर हिंसा का अन्त – ऑक्सफ़ैम (इण्डिया) ट्रस्ट
- शोधपत्र – महिलाओं के प्रति हिंसा (बुन्देलखण्ड के सन्दर्भ में) 2009 (डॉ० मुहम्मद नईम, डा० आर०वी० सिंह) प्रस्तुतिकरण मैसवा संगोष्ठी, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी
- लेख – महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा, 2000, डॉ० मुहम्मद नईम, राधाकमल मुकर्जी चिन्तन परम्परा, बिजनौर,
- राष्ट्रीय सहारा दिनांक 03 अप्रैल 2011 (रविवार) लखनऊ संस्करण

बच्चों की मनोसामाजिक स्थिति पर इलेक्ट्रानिक मीडिया का प्रभाव

डा. विवेक कुमार सिंह*, श्वेता शाही**

टेलीविज़न चैनल, अखबार, पत्र-पत्रिकाएं ऐसी उत्तेजनाओं से भरे पड़े हैं। इसने परिवार नाम की संस्था की जड़ें उखाड़नी शुरू कर दी हैं। बढ़ती संख्या में तलाक हो रहे हैं। अकेलापन फैलता नज़र आ रहा है। सामुदायिक और सामाजिक बंधन ढीले पड़ रहे हैं। पारम्परिक विश्वास घट रहा है। विभिन्न दबावों में एक तरफ व्यक्ति अधिक कमजोर और अधिक अकेला हो रहा है। दूसरी तरफ सहजता खो रहा है। बड़ी संख्या में बनावटी लोग कृत्रिमता ओढ़े हुए बढ़ते जा रहे हैं। वैश्वीकरण और कुछ आर्थिक सफलताओं के कारण युवाओं में आज आकांक्षाओं का विस्फोट हुआ है। किसी भी कीमत पर वह अधिक समृद्धि अर्जित करने में जुटा है। धन उसकी सबसे बड़ी लालसा है। धन ही आज का सबसे बड़ा धर्म हो गया है। एक बात और। आज युवाओं के पास सूचनाओं का पहले के मुकाबले कहीं बड़ा भण्डार होता है।

आज मीडिया इन वैश्वीकरण के व्यापारिक निर्णयों का सबसे बड़ा वाहन है। आज चुवाओं के चरित्र पर मीडिया की जबरदस्त छाप है। मीडिया सामूहिक युवा मन को दिशा प्रदान करता है। बाजारवाद की तरफ धकेलता है। अधिकांश एक भोग और उपभोग की तरफ प्रेरित करता है। यही उपभोक्तावाद को बढ़ा हरा है। यही जीवन की आर्थिक दृष्टि प्रदान करता है। उसके कुछ तो फायदे भी हैं। युवाओं की जड़ता को इसने झकझोर कर तोड़ दिया है। और आज स्कूलों और कॉलेजों में जितनी होड़ा-होड़ है, यह भी मीडिया निर्मित शैक्षिक वातावरण में से पैदा हुई है। मीडिया की चेतना से ही बालिकाएं लम्बी छलांग लगा रही हैं। परीक्षा के परिणामों में साल दर साल इसके प्रमाण मिलते हैं। मीडिया ने ही कैरियरवाद को बढ़ावा देने में एक बड़ी भूमिका निभाई है।

* डा. विवेक कुमार सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर डॉ० शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ

** श्वेता शाही, छात्रा, एम.एस.डब्ल्यू. डॉ० शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ

भारत को आर्थिक महाशक्ति बनने की ओर वातावरण भी इसी ने बनाया है। पिछले दस सालों में देखते-देखते महानगरों को समाज चकित कर देने वाले परिवर्तन से गुजरा है भौतिक परिवर्तन तो ये हैं ही। लेकिन दूरगामी दृष्टि से बुरे परिणाम को भी यह अपने गर्भ में पाल रहा है। जिसमें इससे पारिवारिक सामाजिक और सामुदायिक जीवन कुछ इस कदर बदल रहा है, जिसमें सरकार, बाजार और अकेलों की भीड़ बच जाएगी। भारतीय मूल्य विधान के बचने के आसार नहीं हैं। यह ठीक है कि यह नई प्रवृत्ति आज सिर्फ पन्द्रह बीस महानगरों में ही देखने को मिलती है। लेकिन ठीक उसके पीछे-पीछे उन तमाम परिवर्तनों को समेटे कस्बाई और ग्रामीण अमीर भी चला आ रहा है। उसके पीछे पीछे कस्बाई और ग्रामीण आम जनता भी उसी की चपेट में बढ़ती नजर आ रही है।

मैं पहले कह चुका हूँ कि इन महापरिवर्तनों में सबसे बड़ा योगदान मीडिया का है। भारत की सबसे प्रतिष्ठित मीडिया कम्पनी 'टाइम्स ऑफ इण्डिया' है। यह नया रास्ता बनाता है। धीरे धीरे सारा मीडिया उसी लकीर पर चलने लगता है। भारत की राजधानी में टाइम्स ऑफ इण्डिया पर 'हिन्दुस्तान टाइम्स' वितरण संख्या में भारी पड़ता था। टाइम्स ऑफ इण्डिया ने पिछले एक दशक में सुनियोजित ढंग से युवाओं को अपना लक्ष्य बनाया। अखबार रंगारंग हो गया। फिल्म, फैशन, जीवनशैली, कामातुरता बढ़ाने वाली सामग्री और फोटो का अनुपात बढ़ा दिया गया। इन दिशाओं में मीडिया के पन्नों पर पागल घोड़े दौड़ने लगे। वह हिन्दुस्तान टाइम्स भी बराबरी की टक्कर देने लगा। आगे आगे टाइम्स ऑफ इण्डिया, पीछे पीछे हिन्दुस्तान टाइम्स व बाकी के अंग्रेजी के अखबार और क्षेत्रीय अखबार। ऐसी ही दौड़ चैनलों में भी मिलती है। मीडिया की ऐसी कुलांचों से चिंतित 'आर्ट ऑफ लिविंग' के प्रणेता श्री श्री रविशंकर ने टाइम्स ऑफ इण्डिया की मालकिन से पूछा, ऐसा क्यों हो रहा है? उनका जवाब था— हमारा लक्ष्य युवा पाठक हैं। युवाओं को आकृष्ट करने की नीति के कारण 'टाइम्स ऑफ इण्डिया' की वितरण संख्या में 20 और 24 की आयु वर्ग में 42 प्रतिशत और 25 से 34 आयु वर्ग में 55 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। उसी सर्वेक्षण में हिन्दुस्तान टाइम्स पहले वर्ग में 2 प्रतिशत घटा और दूसरे आयु वर्ग में 9 प्रतिशत बढ़ा। जो टाइम्स ऑफ इण्डिया की बढ़ोतरी से कहीं कम था।

इनकी तो होड़ हो गई। कोई जीता कोई हारा। लेकिन व्यापक सामाजिक दृष्टि से जिन प्रवृत्तियों को बल मिला उसका सांस्कृतिक प्रभाव तो अंततः उपभोक्ता पर ही पड़ता है। मीडिया के दृष्टिपथ में सिर्फ समृद्ध और मध्यवर्गीय

समाज ही होता है। समाज का एक बड़ा भाग जो अपौष्टिक भोजन पर पलता है, अशिक्षित या अर्धशिक्षित हैं, अंग्रेजियत के सामने पस्त खड़ा रहता है, बेरोजगार या अर्ध बेरोजगार मीडिया के दृष्टिपथ में हैं ही नहीं। वह महापरिवर्तन के इस झंझावात को देख रहा है। निराशा झेल रहा है। कुछ कुछ भी है। पर बेबस है। कुछ कर नहीं सकता। ढंग का कोई रोजगार उसे नहीं मिल सकता। वह सिर्फ अपना श्रम बेच सकता है। वह भी क्रेता की शर्त पर। खरीददारों के निर्धारित मजदूरी की दर पर। वैश्वीकरण का प्रभाव अनेक विकासशील देशों पर गरीबों की उपेक्षा होने में ही निकला है। कुछ देश अपवाद जरूर हैं। सरकार बाजार के योजनाकर्ता अगर अपनी नीतियां और प्राथमिकता नहीं बदलेंगे तो वंचित युवा शक्ति अराजकता का कारण बन सकती है। इसे नहीं भूलना चाहिए।

प्रस्तुत अध्ययन की शोध प्ररचना वर्णनात्मक शोध के साथ निदानात्मक शोध से सम्बन्धित है, क्योंकि इसमें बच्चों की जाति, समूह की स्थिति उसका निवास स्थान व किस विधिक द्वारा आंकड़ें एकत्रित किये गए हैं, इसमें व्यक्ति की यथार्थता व वास्तविक तथ्यों को एकत्रित कर उनके आधार पर विवरण प्रस्तुत किया गया है। इन तथ्यों को प्राप्त करने हेतु अवलोकन साक्षात्कार, अनुसूची, प्रश्नावली का प्रयोग किया गया है। यह शोध युवाओं के जीवन के सभी पहलुओं के अतिरिक्त उनकी प्रत्येक स्थिति की जानकारी हमें प्रदान करता है अतः हम कह सकते हैं कि अध्ययन का प्रारूप वर्णनात्मक है।

प्रस्तुत शोध के विषय क्षेत्र के रूप में लखनऊ के आशियाना क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले समस्त प्राथमिक विद्यालयों को सम्मिलित किया गया है, जिसमें लगभग 6140 बच्चे अध्ययनरत हैं।

प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले विभिन्न कक्षाओं में अध्ययनरत बच्चे जिनकी आयु 6—17 वर्ष के मध्य थी उन बच्चों में से 60 बच्चों का चुनाव उत्तरदाताओं के रूप में किया गया।

सर्वाधिक (38.33 प्रतिशत) उत्तरदाता 12—14 आयु वर्ग के अन्तर्गत आते हैं तथा सबसे कम (13.33 प्रतिशत) उत्तरदाता 6—8 आयु वर्ग के अन्तर्गत आते हैं। महिला उत्तरदाताओं में सर्वाधिक (43.33 प्रतिशत) उत्तरदाता 9—11 आयु वर्ग के हैं तथा सबसे कम (10.00 प्रतिशत) उत्तरदाता 15—17 आयु वर्ग के हैं। पुरुष उत्तरदाताओं में आधे (50.00 प्रतिशत) उत्तरदाता 12—14 आयु वर्ग के हैं तथा सबसे कम (6.67 प्रतिशत) उत्तरदाता 6—8 आयु वर्ग के हैं।

- बहुसंख्य (80.00 प्रतिशत) उत्तरदाता हिन्दू धर्म के हैं तथा सबसे कम (1.67 प्रतिशत) उत्तरदाता इसाई धर्म के हैं।
- सबसे अधिक (41.67 प्रतिशत) उत्तरदाता सामान्य जाति के हैं तथा सबसे कम 26.66 प्रतिशत उत्तरदाता अनुसूचित जाति के हैं।
- सर्वाधिक (51.67 प्रतिशत) उत्तरदाता कक्षा 2–6 के विद्यार्थी हैं तथा सबसे कम (11.66 प्रतिशत) उत्तरदाता कक्षा 10–12 के विद्यार्थी हैं।
- बहुसंख्य (91.67 प्रतिशत) उत्तरदाताओं के अभिभावक व्यवसाय करते हैं।
- बहुसंख्य (33.33 प्रतिशत) उत्तरदाताओं के अभिभावक शिक्षित हैं।
- बहुसंख्य (81.67 प्रतिशत) उत्तरदाताओं की माताएं घरेलू कार्य करती हैं।
- बहुसंख्य (85.00 प्रतिशत) उत्तरदाताओं के परिवार की आय का स्रोत पिता की नौकरी/व्यवसाय है तथा सबसे कम (6.67 प्रतिशत) उत्तरदाताओं के परिवार की आय का स्रोत अन्य कार्य हैं।
- बहुसंख्य (51.67 प्रतिशत) उत्तरदाताओं की पारिवारिक पृष्ठभूमि शहरी है।
- बहुसंख्य (75.00 प्रतिशत) उत्तरदाताओं के परिवार का स्वरूप एकाकी है।
- सर्वाधिक (46.67 प्रतिशत) उत्तरदाताओं के अभिभावकों की मासिक आय 20000–25000 रुपये है तथा सबसे कम (3.33 प्रतिशत) उत्तरदाताओं के अभिभावकों की मासिक आय 10000–15000 रुपये मध्य है।
- सबसे अधिक 43.33 प्रतिशत उत्तरदाता 1–3 घंटे स्कूल से आने के पश्चात पढ़ाई करते हैं तथा सबसे कम (3.34 प्रतिशत) उत्तरदाता 5–7 घंटे स्कूल से आने के पश्चात पढ़ाई करते हैं।
- सबसे अधिक (33.33 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने बताया कि बैडमिंटन खेलना उनका पसंद है तथा सबसे कम (5.00 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने अपना पसंदीदा खेल चेस है।
- सबसे अधिक (43.33 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने बताया कि शिक्षा के साथ 1–3 घंटे का समय मनोरंजन पर व्यतीत करते हैं तथा तथा सबसे कम (18.33 प्रतिशत) उत्तरदाताओं के अनुसार शिक्षा के साथ मनोरंजन पर 5–8 घंटे का समय व्यतीत करते हैं।
- आधे (50.00 प्रतिशत) उत्तरदाताओं के अनुसार उनके घर में मनोरंजन का साधन टी.वी. है तथा सबसे कम (3.33 प्रतिशत) उत्तरदाताओं के आवास में मनोरंजन के साधन के रूप में टैबलेट उपलब्ध है।

- अधिसंख्य (68.33 प्रतिशत) उत्तरदाता सबसे ज्यादा टी.वी. को मनोरंजन के साधन के रूप में उपयोग करते हैं तथा सबसे कम (6.67 प्रतिशत) उत्तरदाता वीडियो गेम को मनोरंजन के साधन के रूप में उपयोग करते हैं।
- सबसे अधिक (41.67 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने बताया कि अधिक पसंद किये जाने वाला मनोरंजन क्रमशः खेल एवं फिल्म है तथा सबसे कम (11.67 प्रतिशत) उत्तरदाता पेंट को सबसे अधिक मनोरंजन के रूप में प्रयोग करते हैं।
- बहुसंख्य (86.67 प्रतिशत) उत्तरदाता इलेक्ट्रानिक मीडिया के प्रयोग के समय खाना पसंद करते हैं।
- सबसे अधिक (33.33 प्रतिशत) उत्तरदाताओं इलेक्ट्रानिक मीडिया के प्रयोग के समय नूडल्स का प्रयोग करते हैं तथा सबसे कम (5.00 प्रतिशत) उत्तरदाताओं द्वारा इलेक्ट्रानिक मीडिया के प्रयोग के समय कॉफी/चाय का उपभोग करते हैं।
- सबसे अधिक (48.33 प्रतिशत) उत्तरदाताओं द्वारा दिन में इलेक्ट्रानिक मीडिया के प्रयोग 5–8 घंटे प्रतिदिन करते हैं तथा सबसे कम (11.67 प्रतिशत) उत्तरदाताओं द्वारा दिन में इलेक्ट्रानिक मीडिया का प्रयोग 8–10 घंटे करते हैं।
- बहुसंख्य (88.33 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने बताया कि उनको इण्टरनेट की जानकारी है।
- आधे से अधिक (56.67 प्रतिशत) उत्तरदाताओं के अनुसार उनके द्वारा इण्टरनेट का प्रयोग नहीं किया जाता है।
- बहुसंख्य (69.23 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने बताया कि इण्टरनेट का प्रयोग शिक्षात्मक कार्यों के लिए उपयोग किया जाता है।
- बहुसंख्य (75.00 प्रतिशत) उत्तरदाता मनोरंजन के रूप में इण्टरनेट में फेसबुक का उपयोग किया जाता है।
- बहुसंख्य (88.89 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने बताया कि शिक्षात्मक रूप में इण्टरनेट पर गूगल साइट का प्रयोग किया जाता है।
- सबसे अधिक 37.69 प्रतिशत उत्तरदाता कम्प्यूटर के माध्यम से इण्टरनेट का प्रयोग करते हैं तथा सबसे कम (7.69 प्रतिशत) उत्तरदाता टैबलेट के माध्यम से इण्टरनेट का प्रयोग करते हैं।

- बहुसंख्य (90.00 प्रतिशत) उत्तरदाताओं को पोर्न साइट की जानकारी नहीं है।
- बहुसंख्य (95.00 प्रतिशत) उत्तरदाता पोर्न साइट का प्रयोग नहीं करते हैं।
- बहुसंख्य (81.66 प्रतिशत) उत्तरदाता द्वारा चश्में का प्रयोग किया जाता है।
- बहुसंख्य (81.67 प्रतिशत) उत्तरदाताओं के अनुसार उनको नेत्रों से सम्बन्धित कोई न कोई रोग है।

सुझाव

- बच्चों द्वारा इलेक्ट्रानिक मीडिया का प्रयोग करते समय अभिभावकों द्वारा निगरानी की जानी चाहिए।
- इलेक्ट्रानिक मीडिया पर बच्चों की जरूरत से ज्यादा निर्भरता को कम करना चाहिए।
- इलेक्ट्रानिक मीडिया के दुष्प्रभावों की पूर्ण जानकारी प्रदान करना।
- समय-समय पर बच्चों द्वारा प्रयोग किये गये इण्टरनेट साइट्स और उनको फेसबुक, ईमेल आदि निरीक्षण किया जाना चाहिए ताकि इनका गलत इस्तेमाल न कर सकें।
- अभिभावकों को बच्चों द्वारा देर रात तक इलेक्ट्रानिक मीडिया के उपयोग पर रोक लगाना चाहिए।
- समय – समय पर विद्यालय द्वारा इलेक्ट्रानिक मीडिया के दुष्प्रभावों के बारे में बच्चों को जागरूक करना।
- विद्यालयों द्वारा इलेक्ट्रानिक मीडिया की उपयोगिता के सम्बन्ध में बच्चों को अवगत कराया जाना चाहिए।
- पोर्न साइटों पर प्रतिबन्ध लगाया जाना चाहिए।
- बच्चों द्वारा प्रयोग किये जाने वाले मोबाइल/लैपटॉप/टैबलेट की अभिभावकों द्वारा समय-समय पर निगरानी की जानी चाहिए।

References

1. K. Malleshappa, et.al, *Knowledge and attitude about reproductive health among rural adolescent girls in Kuppam mandal: An intervention study by Department of physiology, Department of Community Medicine, P.E.S.Institute of Medical Sciences and research, Kuppam, chittoor dt, Andhra Pradesh, India, 2011.*

2. Nidhi Kotwal, Nilofer Khan and Shashi Kaul, "Effectiveness of the Interventions on Adolescent Reproductive Health in Developing Countries, University of Kashmir 5, International Journal of Scientific and Research Publications, Volume 4, Issue 5, May 2014.
3. WHO (World Health Organization) "The sexual and reproductive health of young adolescents in developing Countries" Nov 2010.
4. Ayesha Khan, "adolescents and reproductive health in Pakistan" The Population Council, Pakistan Office June 2000.
5. Kofi Awusabo-Asare, Ann Biddlecom, Adolescent Sexual and Reproductive Health in Ghana: Results from the 2004 National Survey of Adolescents, June 2006.